खण्ड-411, अंक-6
सोमवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1916
(18 अप्रैल, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	i—ii
नियम-311 की सूचना पहले लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	2
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	92
— जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-निघासन के अन्तर्गत भारत नेपाल सीमा पर कोतवाल एवं कस्टम इन्सपेक्टर द्वारा रिश्वत लेकर लाही पार कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	93
— बागेश्वर मे कई माह से खाद्यान्त आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
— जनपद पीलीभीत के बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों द्वारा फर्जी पर्चियां बनाकर किसानों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
— उ० प्र० आवास विकास परिषद् द्वारा राधिका विहार मथुरा योजना–1 के अन्तर्गत आंवटित भवनों का सही मूल्यांकन कराने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
— मुजफ्फर नगर शहर के रेलवे स्टेशन पर पैदल यत्रियों हेतु प्रस्तावित पुल मे प्रदेश सरकार द्वारा अंशदान न दिये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
— जनपद सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत बाजारों की लाखों रुपये की भू सम्पत्ति पर माफिया गिरोहों के कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
— जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य के चक्रतीर्थ की सफाई रख-रखाव एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
— नियम–311 के अन्तर्गत नियम-56 मे परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	97

	विषय	पृष्ठ संख्या
—	उत्तर प्रदेश सरकार के गम्भीर आर्थिक संकट मे फंस जाने के कारण कर्मचारियों का वेतन, पेंशन तथा अन्य विकास कार्य रुक जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना	97
—	नियम–311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)	111
—	औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	123
—	उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के सत्रहवें अठारहवें एवं उन्नीसवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष-1988–89, 1989–90, 1990–91 (सदन के पटल पर रखा गया)	123
—	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की नवम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1982–83 (सदन के पटल पर रखा गया)	123
—	उ० प्र० भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	123
—	उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	124
—	जनपद इटावा के ग्राम-इटौली अन्तर्गत अहनौया नदी को गहरा कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री राम सनेही प्रधान ग्राम व पोस्ट–गढ़वाना जिला इटावा तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	124
—	गाजियाबाद नगर के लाइन पर क्षेत्र भूड भारत नगर, सुन्दर पुरी, माधोपुरी, गौपुरी व कैलाश नगर में सीवर लाइन बिछवाने के सम्बन्ध मे श्री देशराम देशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	124
—	उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 (पुरः स्थापित)	125
—	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन विधेयक, 1994 (पुरः स्थापित)	126

विषय	पृष्ठ संख्या
— वित्तीय वर्ष–1994–95 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान	127
— अनुदान संख्या–22 खेल विभाग, अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	127
— नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	182
— जनपद फैजाबाद के थाना इनायत नगर के ग्राम-पलिया जोहानी में अनुसूचित जाति के लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किये जाने के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य	183
— प्रदेश में राजकीय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को प्रेक्टिस निरोधक भत्ता न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य	185
— आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम योजना के अन्तर्गत पत्रकारों के लिये कालोनी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ।	186
— जनपद हरदोई में सैकड़ों भवन विहीन जूनियर हाई स्कूल होने के कारण स्कूलों का सामान सुरक्षित न रहने तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रुप से न होने के सम्बन्ध में, नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	188
— नत्थियाँ	190-197

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
इरशाद, श्री	आजमगढ़	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
उपदेश सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद	पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
काशी सिंह, श्री ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री	रायबरेली	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्र विजय सिंह	मुरादाबाद	महावीर सिंह, कुंवर	हरदोई
देवी राजा, श्री		महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
जगदम्बा, श्री	बस्ती	महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा	महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)	पिथौरागढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
		मोहर सिंह, श्री	सहारनपुर
तीरथ राज, जी	सोनभद्र	यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर	योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा	रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया	प्रतापगढ़
तेजपाल सिंह, पंवार, श्री	हरिद्वार		
तेज भान सिंह, श्री	सुल्तानपुर	रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
		रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़

रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
राजवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहाँपुर
राम देव वर्मा, श्री	फैजाबाद
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूँ
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरु जी, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू श्री	गोण्डा
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना श्री	रामपुर
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह, श्री	रामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 अप्रैल, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के मध्य)

नियम 311 की सूचना पहले लिये जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार दिवालिया हो गयी हो, जिसकी कोई विश्वसनीयता न रह गयी हो, जो अपने कर्मचारियों को वेतन न दे पा रही हो, ऐसी सरकार से उत्तर लेने में क्या फायदा है? आज ट्रेजरी से चेक वापस आ रहे हैं।

(व्यवधान)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, सभी लोग एक साथ बोल रहे हैं, जो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं, प्रश्नकाल पहले होने दें।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह किस नियम के तहत बोल रहे हैं? विधान सभा की नियमावली के अन्तर्गत बोल रहे हैं या कोई बाहर की नियमावली के तहत बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बैठे हैं, वे स्वयं इसका जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार की वित्तीय समस्या से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। हम सभी लोगों ने इसकी सूचना दी है, इसलिये आप इसे अवश्य सुन लें।

(व्यवधान जारी रहा)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर खरीदने हेतु अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा बजारू कीमत के आधार पर किये जाने की मांग

**1—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या वित्त मंत्री राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर खरीदने के लिये अनुमन्य अग्रिम की अधिकतम सीमा दुपहिया वाहनों की वर्तमान वास्तविक बाजारू कीमतों का आधार मानते हुए रु० 13,000.00 से बढ़ाकर रु० 22,000.00 किये जाने की स्पष्ट घोषणा करेंगे। यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित करा दिया जायेगा?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी नहीं।

राज्य कर्मचारियों को मोटर साइकिल/स्कूटर क्रय करने के लिये अनुमन्य अग्रिम की राशि का निर्धारण सामान्यतः भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य अग्रिम की राशि एवं राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी वकीलों को मासिक वेतन दिये जाने की सरकार से मांग

**2—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सरकारी वकीलों को मासिक वेतन देने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो सन् 1978 में सरकारी वकीलों के लिये जो व्यवस्था लागू थी, क्या सरकार उसे बहाल करेगी? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† उ० प्र० विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम—41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

उत्तर प्रदेश के असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने की सरकार की व्यवस्था

*1—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असेवित विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने का विचार है? यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था को बदलकर सरकार भूमि एवं भवन भी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक लागू हो जायेगी?

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

जी हां।

वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का प्रकरण विचाराधीन है। निर्णयोपरान्त यथाशीघ्र लागू किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

पेट्रोल, डीजल आदि की लगातार बढ़ रही दरों के देखते हुए सरकारी सेवकों को अनुमन्य वाहन भत्तों को अगस्त, 1988 तक पुनरीक्षित दरों को पुनः पुनरीक्षित किये जाने की मांग

*2—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री पेट्रोल, डीजल आदि की लगातार बढ़ रही दरों को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार के सरकारी सेवको को अनुमन्य वाहन भत्तों की अगस्त, 1988 तक पुनरीक्षित दरों को पुनः पुनरीक्षित किये जाने का आदेश प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महंगाई भत्ता जिसे बढ़ती हुई महंगाई के मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध किया गया है, के अतिरिक्त किसी भी अन्य भत्ते को महंगाई में वृद्धि से सम्बद्ध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की वर्तमान विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए वाहन भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित किये जाने का औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व की भांति पाठ्यक्रमों को लागू किये जाने का प्रस्ताव

*3—श्री हृदय नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि साम्प्रदायिक विद्वेष फैलने की आशंका से इतिहास को बदलने वाले विषय पूर्ववर्ती सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किये थे? यदि हां, तो क्या

नई सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों में किये गये संशोधनों पर सम्यक विचार करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति बनाने जा रही है।

डा० मसूद अहमद–

पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन हेतु गठित नेशनल स्टेयरिंग कमेटी ने वर्ष 1992 में संशोधित हाईस्कूल इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को आपत्तिजनक पाया।

उपर्युक्त इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर इसके ठीक पूर्व प्रचलित पाठ्य पुस्तक को वर्तमान शैक्षिक सत्र से लागू कर दिया गया है और हाई स्कूल इतिहास, हिन्दी एवं गणित विषयों की पाठ्य पुस्तकों में किये गये संशोधनों पर समग्र रूप से विचार करने हेतु समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[छठे सोमवार के लिये स्थगित]

[सोमवार दि० 18-4-94 के लिए निर्धारित तारा० प्र०]

जनपद देवरिया की गन्ना समिति, प्रतापपुर (रामपुर बाजार) तथा गन्ना समिति, भटनी को मिल द्वारा गन्ना का भुगतान कर देने के बाद भी काश्तकारों का भुगतान न होने के कारणों की जानकारी

*1—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की गन्ना सिमति, प्रतापपुर (रामपुर बाजार) तथा गन्ना समिति, भटनी को मिल द्वारा गन्ना का भुगतान कर देने के बाद भी काश्तकारों का भुगतान न होने का क्या कारण है? क्या दोषी लागों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये गन्ना काश्तकारों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब करने के आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य में हुए विलम्ब का मुख्य कारण इन समितियों से संबंधित बैंकों से एक साथ पर्याप्त मात्रा में धनराशि का उपलब्ध न होना एवं गन्ना समितियों में संबंधित स्टाफ की कमी व कतिपय गन्ना किसानों का समय से भुगतान हेतु उपस्थित न होना एवं खोई हुई पर्चियों की राशि का विवादग्रस्त होना भी है।

गन्ना आयुक्त को पूरे प्रकरण की विस्तृत परीक्षण करने एवं बकाये गन्ने मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

उत्तरांचल में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

*2—श्री मातवर सिंह कण्डारी तथा श्री हरक सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सरकार क्या करने जा रही है? क्या सरकार उन अध्यापकों को नियुक्ति दिलाने पर विचार कर रही है जिन्होंने विद्यालयों एवं कालेजों में अंशकालिक शिक्षक के रूप में काम किया है? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। 22 जुलाई, 1986 से 11 जुलाई, 1989 तक अंशकालिक स्वयंसेवियों की अध्यापन कार्य के लिये व्यवस्था की गयी थी क्योंकि सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने में विलम्ब हो रहा था। कुल 2204 अंशकालिक स्वयंसेवी नियुक्त किये गये थे। इनमें से 1561 को गुणांक के आधार पर तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गई। शेष को नियुक्ति नहीं प्रदान की गई क्योंकि गुणांक के आधार पर उपलब्ध पदों के विपरीत ये चयनित नहीं हो सके और रिक्तियों के अभाव में श्रेष्ठता क्रम में नीचे होने के कारण ये नियुक्त नहीं किये गये। बचे हुये अंशकालिक स्वयंसेवियों में से 235 अप्रशिक्षित होने तथा संबंधित विषय में योग्यता न रखने के कारण अनर्ह थे।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊपर बताई गई स्थिति के अनुसार।

प्रदेश में देववाणी संस्कृति भाषा के भारतीय संस्कृति पर आधारित वर्तमान शिक्षा में लागू किये जाने की जानकारी की मांग

*3—श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देववाणी संस्कृत भाषा को जनवाणी बनाये जाने तथा वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली लागू करने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भारतीय संस्कृति पर आधारित है। अतः शिक्षा के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

इलाहाबाद शहर में वर्ष 1993 में कक्षा–8 तथा कक्षा–10 में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्रों की संख्या

*4—डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में 1993 की परीक्षा में कक्षा–8 एवं कक्षा–10 में कितने छात्र एवं छात्रायें उत्तीर्ण हुये हैं? शहर के कालेजों में कक्षा–9 एवं

कक्षा–11 में कितने छात्र एवं छात्रायें प्रवेश पा सके हैं? यदि सभी छात्र एवं छात्रायें कालेजों में प्रवेश नहीं पा सके हैं तो उनके अध्ययन हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

डा० मसूद अहमद–

इलाहाबाद शहर में कक्षा–8 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 5058 और छात्राओं की संख्या 3807 है। कक्षा–10 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3413 है और छात्राओं की संख्या 3123 है।

इलाहाबाद शहर के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा–9 तथा 11 में प्रवेश पाये छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 11,973 तथा 8431 है।

सभी उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश हो चुका है।

प्रदेश में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने की सरकार की मंसा की जानकारी

*5—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन हेतु विशेष सुविधायें, संस्कृत महाविद्यालयों को भवन निर्माण, छात्रावास, पुस्तकालय हेतु आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक लागू हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यो?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों की विकास हेतु भवन निर्माण, साज-सज्जा एवं पुस्तकालय आदि के लिये विकास अनुदान निर्धारित मानक के अनुसार दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त विकास अनुदान जिला योजना में आवश्यक परिव्यय उपलब्ध होने पर स्वीकृत किया जाता है।

जनपद फैजाबाद में नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों को स्थाई रूप से संचालित करने की मांग

*6—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में लगभग 300 नये प्राथमिक विद्यालय शिक्षा सत्र 1993-94 में अस्थायी तौर पर प्रारम्भ किये गये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालयों को शासन द्वारा स्वीकृति दी गयी है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या उक्त विद्यालयों में नये अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त नवसृजित विद्यालयों के भवन निर्माण एवं साज-सज्जा हेतु धन आवंटित करेंगे?

डा० मसूद अहमद–

जी हां। कुल 290 विद्यालय अस्थायी रूप से संचालित हैं। शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी किन्तु जिला प्रशासन तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा अस्थायी रूप से संचालित किये गये हैं।

शिक्षण हेतु अन्य विद्यालयों से अध्यापक सम्बद्ध किये गये हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

उत्तरांचल में परिषद् का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव

*7—श्री बची सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के लिये अलग माध्यमिक शिक्षा परिषद् के गठन का प्रस्ताव अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) द्वारा किया गया था? क्या इसका मुख्यालय चौखुटिया, जि० अल्मोड़ा के लिये प्रस्तावित था? यदि हां, तो क्या सरकार इसे स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि नही, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

उत्तरांचल के लिये परिषद् का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

जी हां।

सम्प्रति संभव नहीं है। उत्तरांचल के लिये परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने में कर्मचारियों के केवल वेतनमद में लगभग रु० एक करोड़ का व्यय प्रतिवर्ष निहित है जो प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की सीमितता को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ में बटलर पैलेस एवं गोमतीनगर बीच स्थित गोमती बैराज पर वसूल किये जा रहे टोलटैक्स के कारणों की जानकारी

*8—श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में मोहल्ला बटलर पैलेस एवं गोमतीनगर के बीच स्थित गोमती बैराज पर टोल टैक्स की वसूली विगत 3 वर्ष या अधिक समय से की जा रही है। यदि हां, तो बैराज की कुल लागत की कितनी धनराशि की अब तक वसूली की जा चुकी है और कितनी धनराशि बाकी है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वसूली के कारण उक्त रोड पर टेम्पो आदि वाहन नहीं चलते हैं जिससे कि जनता को काफी परेशानी है? क्या सरकार जनता की परेशानी को देखते हुये जनहित में टोल टैक्स वसूली बन्द करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर की ब्लाक वण्डा के मुख्य चौराहे के चारों ओर भरे गन्दे पानी को निकालने की मांग

*9—श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की ब्लाक वण्डा का मुख्य चौराहा काफी गन्दा और चारों ओर पानी भरा है एवं गन्दा पानी निकालने के लिए पक्की

नालियां नहीं है। यदि हां, तो क्या उक्त चौराहे पर पानी निकास की नालियां बनाकर चौराहे को साफ सुधरा बनाये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं, उठता।

पानी के निकास की समस्या हल करने के लिये वण्डा चौराहे की सड़कों के तल का उच्चीकरण आवश्यक है। उक्त कार्य जिला योजना के अन्तर्गत आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

शीरे पर से कन्ट्रोल हटाने के बावजूद भी शीरे के दामों में दो गुनी हुई बढ़ोत्तरी की जानकारी

*10—श्री ऊदल–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीरे पर से कन्ट्रोल हटाने के पूर्व शीरा कितने रुपये टन था? क्या यह सही है कि कन्ट्रोल हटा लेने के बाद शीरे की कीमत दो गुना से ज्यादा हो गया है? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शीरे पर से आंशिक नियंत्रण हटाने के पूर्व शीरे का मूल्य निम्नानुसार था :–

ग्रेड–ए रूपया 144 प्रति टन

ग्रेड–बी रुपया 115 प्रति टन

ग्रेड– सी रुपया 86 प्रति टन।

जी हां।

शासन द्वारा 1 जनवरी, 1994 से प्रदेश की चीनी मिलों में उत्पादित 65 प्रतिशत शीरे पर नियंत्रण किया गया है जिसका आवंटन प्रदेश की अपरिहार्य आन्तरिक आवश्यकताओं यथा मदिरा आपूर्ति एवं शीरा/अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों को करने का निर्णय लिया गया है।

चल चित्र निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में लेने की मांग

*11—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चल चित्र निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों में से कितने लोगों की सरकारी नौकरियों में समायोजित कर लिया गया है? कितने लोग शेष रह गये हैं और इनको समायोजित करने के सबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चलचित्र निगम के 547 नियमित कर्मचारियों में से 514 कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों तथा उपक्रमों में समायोजित किये जा चुके हैं। अवशेष 33 कर्मचारियों को समायोजित करने के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों तथा उपक्रमों को उनके विवरण सहित नाम भेज दिये गये हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर में चालू सत्र में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क व पुल के निर्माण में हुये विलम्ब की जानकारी

*12—श्री धनराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद में चालू वर्ष 1993-94 में जिल योजना के अन्तर्गत सड़क एवं पुल के मद में कितनी धनराशि स्वीकृति हुई है? उक्त योजना के अन्तर्गत कौन–कौन सी नई स्वीकृतियां जारी की गई? यदि अभी तक कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई, तो क्या नये प्रस्ताव लिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

रु० 170.98 लाख अनुदान की स्वीकृति हुई है। जिला योजना वर्ष 1993-94 के अन्तर्गत कोई नयी स्वीकृतियां जारी नहीं की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के समाप्त हो जाने के कारण संभव नहीं है।

बिक्रीकर अधिनियम की धारा–4–बी०–1 (क–1) के सम्बन्ध में विभाग द्वारा नियम की गलत व्याख्या के कारण संशोधन की मांग

*13—श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि बिक्रीकर अधिनियम की धारा–4–बी०–1 (क–1) के संबंध में विभाग द्वारा नियम की गलत आख्या के कारण प्रदेश में व्यापारियों का बड़ा समूह भारी परेशानी अनुभव कर रहा है? क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में सैकड़ों रिट याचिकायें प्रार्थना के औचित्य को ध्यान में रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है और स्थगनादेश भी जारी कर दिया है? क्या यह भी सत्य है कि इस नियम की भ्रमात्मक स्थिति तथा विवादग्रस्तता के कारण सरकार की राजस्व प्राप्ति भी शून्य हो गई है? यदि हां, तो व्यापारी को न्याय देने के लिये क्या सरकार 15-10-92 के विभागीय परिपत्र से पूर्व व्याख्या को बरकरार रखते हुये मान्यता प्रमाण पत्र धारक क्रेताओं को 3-ख से आच्छादित बिक्री करने पर धान/सरसों की खरीद पर क्रय कर से मुक्ति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बिक्रीकर विभाग द्वारा प्रश्नगत धारा के सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों को सही विधिक स्थित से अवगत कराया गया है।

कतिपय व्यापारियों द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी रिट याचिकाओं पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, केवल स्थगन आदेश जारी किये गये हैं।

व्यापारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए फरवरी 28, 1994 को जारी विज्ञप्ति से मान्यता प्रमाण-पत्र धारक क्रेताओं को प्रपत्र 3–ख से आच्छादित बिक्री करने पर धान/सरसों की खरीद पर मार्च 1, 1994 से कर से मुक्ति प्रदान कर दी गयी है। पूर्व की अवधि हेतु भी उक्त सुविधा प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है जिसके कार्यान्वयन हेतु बिक्रीकर अधिनियम में संशोधन आवश्यक है।

जनपद सोनभद्र के डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के आस-पास व्यापक प्रदूषण को समाप्त किये जाने की मांग

*14—श्री विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र के डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के आस-पास व्यापक प्रदूषण व्याप्त है? यदि हां, तो इस का क्या कारण है? क्या डाला सीमेन्ट फैक्ट्री के चिमनी में ई० एस० पी० फैन लगा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि डाला सीमेन्ट फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से आस-पास के 10 कि० मी० तक गांवों का फसल, पशु-पक्षी जंगल का विनाश होने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों में दमा, क्षय एवं टी० बी० का रोग फैलता जा रहा है? यदि हां, तो उसके निदान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रदूषण का मुख्य कारण उक्त उद्योग में समुचित वायु प्रदूषण व्यवस्था का स्थापित न होना है।

डाला सीमेन्ट फैक्ट्री में डाईप्रोसेस इकाई में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु ई०एस०पी० है। लेकिन वह यान्त्रिक त्रुटियों के कारण कार्य नहीं कर रहा है। वेट प्रोसेस इकाई में ई०एस०पी० स्थापित नहीं है।

जहां तक ई०एस०पी० स्थापित न होने का प्रश्न है, स्थिति यह है कि प्रश्नगत उद्योग के लिये कोई विशिष्ट यन्त्र मानक निर्धारित नहीं है।

बी० आई०एफ०आर० द्वारा राज्य सीमेन्ट निगम को रूगड़ घोषित करते हुए पुर्नवासन पैकेज तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस बात का कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं है कि प्रदूषण से ही स्पष्टतः पशुधन या मानव को दमा, क्षय एवं टी०बी० का रोग हो रहा है। फसल के सम्बन्ध में कुछ न्याय पंचायतों में फसल प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है।

उक्त उद्योग भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्य योजना में चिन्हित 17 प्रकार के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के निर्देश दिनांक 27-1-94 के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने हेतु अधिक से अधिक 6 माह का समय दिया जा सकता है। भारत सरकार के स्तर से "कार्य-योजना" के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

*15—श्री हरक सिंह रावत—

[दि० 16-3-94 को तारा० प्र० सं०—20 द्वारा उत्तरित]

सरकार से लाटरी व्यवसाय के दुष्परिणामों को देखते हुए, लाटरी बन्द किये जाने की मांग

*16—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार लाटरी व्यवसाय के दुष्परिणामों से अवगत है? यदि है, तो क्या वे इसको बन्द करके लाखों लोगों को बरबादी से बचायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। इस समस्या के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त जनहित में लाटरी व्यवसाय को नियंत्रित किये जाने का बिन्दु सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में हो रहे धन के दुरुपयोग को रोकने एवं अनौपचारिक शिक्षा के स्थान पर प्राथमिक/जूनियर विद्यालय खोले जाने की मांग

*17—श्री अवधपाल सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम मात्र अभिलेखों में चलाया जा रहा है तथा मौके पर कुछ कार्यक्रम नहीं चल रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शिक्षा के नाम पर करोड़ों का घपला किया जा रहा है? क्या सरकार अनौपचारिक शिक्षा पर व्यय किये जाने वाली धनराशि प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों को खोले जाने पर खर्च करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है जिसमें भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है। इस धन को अन्य प्रयोजन में नहीं व्यय किया जा सकता।

*18—श्री रमेश पोखरियाल निशंक–

[नवें बुद्धवार में तारा० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ही भांति अवकाश नकदीकरण आनुतोषित सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

*19—श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ही भांति अवकाश, नकदीकरण, आनुतोषिक सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी आदेश, उ० प्र० शासन ने निर्गत किये हैं। यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुमन्य न होने के कारण।

जिल रायबरेली के ग्राम व पोस्ट थुलेंहडी में लगायी गई पालिसर धान मशीन से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग

*20—श्री राजबली जैसल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम व पोस्ट-थुलेंहडी, जिला-रायबरेली में गोवर्धन शुक्ला आदि गांव के ही निवासियों द्वारा लगायी गयी पालिसर धान मशीन से उत्पन्न प्रदूषण से गम्भीर स्वास्थ्य खतरे को देखते हुए उसे हटाये जाने के संबंध में श्री सतीश चन्द्र शुक्ला निवासी उपरोक्त का पत्र श्री दरोगा प्रसाद विधायक के उपरिपत्र के साथ दिनांक 24-1-1994 को मुख्य मंत्री के कार्यालय को एवं रजिस्टर्ड पत्र संख्या–2065, दिनांक 27-1-94 द्वारा जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित प्रदूषण की समस्या को देखते हुए पालिसर मशीन हटाकर अन्यत्र लगाने हेतु सरकार आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मौके पर दिनांक 23-3-94 को जांच की गई। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया कि संदर्भित स्थल पर धान से चावल तैयार किया जाता है। पालिसर मशीन से कुछ धूल निकलती है। ऐसे उद्योगों के उत्सर्जन हेतु वायु अधिनियम के अन्तर्गत कोई मानक निर्धारित नहीं हैं। जिलाधिकारी रायबरेली को दिनांक 31-3-94 को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (सी०आर०पी०सी०) की धारा–133 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

अतारांकित प्रश्न

जनसेवा इण्टर कालेज बांदा में रिक्त गणित प्रवक्ता पद पर नियुक्ति एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजन की मांग

1—श्री रामसेवक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रबन्धक जनसेवा इण्टर कालेज (बांदा) द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को प्रत्रांक–7085–89/93–94, दिनांक 22-1-94 द्वारा विद्यालय के रिक्त गणित प्रवक्ता पद पर नियुक्ति करने एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन करने तथा समस्याओं के संबंध में पत्र लिखा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या पत्र में उल्लिखित विद्यालय के रिक्त पद शीघ्र भरे जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं. तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

प्रवक्ता गणित के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचन उप शिक्षा निदेशक, झांसी द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दि० 24-1-93 को भेजा गया है।

विज्ञान शिक्षकों के पदों के सृजन पर इस वित्तीय वर्ष में मानकानुसार विचार किया जायेगा। सम्प्रति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रौढ़ शिक्षा विभाग में राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के छटनी के कारणों की जानकारी

2—श्री धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा विभाग में राजपत्रित अधिकारियों की सेवाओं को पूर्व भाजपा सरकार ने बिना किसी पूर्व नोटिस के ही समाप्त कर दिया था? यदि हां, तो क्या उक्त छटनीशुदा अधिकारियों को कहीं अन्यत्र नौकरी दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना तथा तत्सम्बन्धी योजनाओं की समाप्ति के कारण इन परियोजनाओं में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को जो दूसरे विभागों से आये थे उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया तथा सीधी भर्ती से आये अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें अस्थाई होने के कारण निर्धारित शर्तों के अनुसार पदों की समाप्ति के आधार पर दि० 31-3-92 के अपरान्ह से स्वतः समाप्त मानी गई।

परियोजनाओं की समाप्ति के फलस्वरूप सीधी भर्ती के माध्यम से आये अधिकारियों को छटनीशुदा अधिकारियों के सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षा विभाग में उपलब्ध स्नातक वेतनक्रम में सेवायोजन के अवसर प्रदान किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में भागलपुर पीपे के पुल को बंधवाने में हुए अनावश्यक व्यय की समीक्षा

3—श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में भागलपुर पीपे का पुल वर्ष 1993-94 में दो बार बांधना दिखाया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर हुए व्यय के औचित्य की समीक्षा शासन स्तर पर करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भागलपुर पीपे का पुल वर्ष 1993-94 में केवल एक ही बार बांधा गया है। जिसे हल्के वाहनों हेतु दिनांक 28-11-93 तथा सभी वाहनों हेतु दिनांक 13-12-93 को खोला गया है।

जनपद देहरादून में राजकीय होटल मैनेजमेन्ट–2 एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून में विद्युत सहायक के पदों के वेतन विसंगति का मामला

4—श्री दल बहादुर कोरी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन विभाग, उ० प्र० के अन्तर्गत राजकीय होटल मैनेजमेन्ट–2 एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून में विद्युत सहायक के स्वीकृत मात्र दो पदों को वेतन समिति द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 975-1660 को संशोधित करके रु० 1200-2040 किये जाने हेतु उप सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन का पत्र संख्या–2742/41-91-219-91, दिनांक 25 अक्टूबर, 1991 संयोजक, उ० प्र० शासन, मुख्य सचिव समिति, वित्त पदमाप दण्ड, निर्धारण वित्त विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पर्यटन विभाग के उक्त संस्तुति पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी, नहीं।

उप सचिव, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन का पत्र संख्या–2742/41–91–219-91, दिनांक 23 अक्टूबर, 1991 प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत पद पर रु० 975-1660 का वेतनमान वेतन समिति नहीं अपितु समता समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय पर आधारित है।

प्रश्नगत प्रकरण मुख्य सचिव समिति के विचाराधीन है। मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

दिनांक 15 मार्च, 1991 तक प्राप्त ज्ञापनों/प्रस्तावों पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं जिस पर निर्णय भी लिया जा चुका है। उक्त तिथि तक भी प्रश्नगत पद के

सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर विचार किया जा चुका है। वर्तमान प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करना शेष है।

जनपद बदायूं में वर्ष 1988-89 से वर्ष 1993 दिसम्बर तक स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

5—श्री बनवारी सिंह यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से तथा राज्य सरकार से डाकूग्रस्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से वर्ष 1993 दिसम्बर तक कितनी सड़कें स्वीकृत की गयीं थीं? क्या यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है? क्या सरकार अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

डाकूग्रस्त योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूं में प्रश्नगत अवधि में 9 सड़क निर्माण कार्य भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गईं।

तीन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इन समस्त अधूरे कार्यों को पूर्ण किया जाना भारत सरकार से धन की उपलब्धता एवं प्रदेश के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या की जानकारी एवं रोस्टर प्रणाली के आधार पर आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

6—श्री अक्षयवर भारती—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के कितने पद हैं तथा इसमें अनु० जाति/अनु० जनजाति के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत क्या है? क्या इस विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि हां, तो इसकी श्रेणीवार संख्या क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या रोस्टर प्रणाली का विभाग द्वारा अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ में विभिन्न श्रेणी के पद निम्नानुसार हैं:—

समूह	शासन द्वारा सृजित पद	बोर्ड द्वारा सृजित पद
1—समूह "क"	07	28
2—समूह "ख"	01	85
3—समूह "ग"	19	289
4—समूह "घ"	07	111

अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत :–

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह "क"–शून्य	शून्य
समूह "ख"–शून्य	शून्य
समूह "ग"–11 प्रतिशत	शून्य
समूह "घ"–18 प्रतिशत	शून्य

नहीं।

लागू नहीं।

वर्ष 1989 में विशेष अभियान के तहत आरक्षण कोटे की पूर्ति हेतु प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों हेतु विज्ञापन तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे। जिसके तहत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में जो योग्य अभ्यर्थी पाये गये उनकी नियुक्ति की गयी। प्रथम व द्वितीय श्रेणी हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था उसके विरुद्ध कुछ पदों हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए। जिन पदों हेतु आवेदन प्राप्त हुए वे पदों की संख्या को देखते हुए कम थे।

बोर्ड से वर्ष 1990 में कुछ पदों पर शैक्षिक अर्हता में शिथिलता प्रदान की तथा वर्ष–1992 में विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत पुनः समूह "क" एवं "ख" हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया परन्तु संदर्भित विज्ञापन पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित कर दिया गया, जिस कारण नियुक्तियां नहीं की जा सकीं, वर्ष 1992 में तृतीय श्रेणी हेतु विशेष अभियान के तहत स्थानीय सेवायोजन कार्यालय से नाम मांग कर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

जी नहीं। भविष्य में नियुक्तियां रोस्टर प्रणाली के अनुरूप निश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

7—श्री नन्द किशोर मिश्र–

[7वें बुध में अता० प्र० सं०–161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों का निर्माण किये जाने की मांग

8—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विधान सभा क्षेत्र हड़हा के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। क्या उन्हें ठीक कराने की कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा निरीक्षण कराया गया।

जी हां। जीर्ण-शीर्ण भवनों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान, संस्थान सेवरही में श्री गेंदा सिंह निदेशक द्वारा की गई गम्भीर अनियमितता की जांच

9—श्री मित्रसेन यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, द्वारा अग्रसारित पत्र दिनांक 22-12-93 प्राप्त हुआ है, जो श्री गेंदा सिंह, गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान, संस्थान सेवरही (देवरिया) के निदेशक द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में है? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र की जांच कार्यवाही में, कौन-कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं तथा उसका बिन्दुवार विवरण क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है अतः अनियमितताओं के विवरण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अध्यापकों को विनियमित करने की सरकार की योजना

10—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अध्यापकों को कब तक नियमित करने की शासन की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में दिनांक 1-10-86 के पूर्व नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण की कार्यवाही हो चुकी है तथा अशासकीय सहायता व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 14 मई, 1991 के पूर्व नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण का निर्णय लिया जा चुका है। शेष कार्यरत तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण की शासन की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय क्षेत्र में प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों के जीर्ण भवनों की मरम्मत हेतु शासन की नीति एवं मिर्जापुर में इसी श्रेणी के भवनों की मरम्मत में हुए व्यय की जानकारी

11—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में चलने वाले प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों के क्षतिग्रस्त एवं पुराने भवनों के निर्माण अथवा मरम्मत हेतु शासन की क्या नीति है? पिछले 2 वर्षों में इस मद में कितनी धनराशि खर्च हुई है? मिर्जापुर नगर स्थित इस श्रेणी के विद्यालयों हेतु क्या कोई धनराशि इस वर्ष सरकार निर्गत करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

नगर क्षेत्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मरम्मत/लघु निर्माण हेतु आयोजनेत्तर मद में प्राविधान कराया जाता है। यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिका के माध्यम से नगर शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त कराये जाते हैं।

प्रदेश के समस्त प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के लिये निम्न विवरण के अनुसार शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत किया गया है।

वर्ष	स्वीकृत धन
1992-93	(रु० पांच करोड़ नौ लाख मात्र)
1993-94	शून्य

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

मिर्जापुर स्थित के०बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम०एस-सी० एवं एल-एल०बी० की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की मांग

12—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिरजापुर स्थित के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम० एस-सी० एवं एल-एल० बी० की कक्षायें प्रारम्भ करना क्या विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रशासकीय एवं विभागीय स्वीकृति देकर ये कक्षायें कब से विधिवत् प्रारम्भ कर दी जायेंगी? शासन द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय को शासन ने अब तक इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्गत की है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

एम०एस-सी० रसायन विज्ञान तथा गणित की कक्षाओं को सत्र 1993-94 में प्रारम्भ करने के निर्देश कुलसचिव, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा उक्त महाविद्यालय को दिनांक 22-12-93 को दिये गये हैं। एल०एल०बी० की कक्षायें खोलने की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है।

कुछ नहीं।

13—श्री सतीश भाटिया—

[5 वें मंगल में अता०प्र०सं०—109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डा० के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज में स्व० श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव के अवशेषों के भुगतान एवं मृतक आश्रित को सेवा में न लिये जाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

14—श्री सतीश भाटिया—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, 1994 में इलाहाबाद स्थित डा० के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज के मृतक अध्यापक श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव को उनके अवशेष भुगतान दिये जाने एवं उनके आश्रित पुत्र को नौकरी में रखे जाने संबंधी पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संदर्भित पत्र में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद—

जी हां।

अपेक्षित कार्यवाही हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद को निर्देश दिये जा चुके हैं।

जिला जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर के जूनियर हाईस्कूल कुसिया में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत स्व० श्री रामसूरत मिश्र के स्थान पर मृतक आश्रित को सेवा में लिये जाने का मामला

15—श्री रंगनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को नौकरी देने का प्राविधान है? यदि हां, तो स्वर्गीय राम सूरत मिश्र, जू० हा० स्कूल कुसिया, विकास खण्ड जलालपुर, जिला जौनपुर जो सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और जिनका निधन 30 मई, 1973 को हो गया है, उनके पुत्र स्वयं प्रकाश मिश्र जो सहायक अध्यापक की सारी योग्यता पूर्ण कर सन् 1984 से ही आवेदन कर रहे हैं, उसे कब तक सेवा का अवसर मिलेगा?

डा० मसूद अहमद—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् को जांच के आदेश दे दिये गये हैं। उनकी आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिला वाराणसी में औराई चीनी मिल के गन्ना फार्म में खाई की खुदाई में हुए व्यय की जानकारी

16—श्री रंगनाथ—

क्या सरकार को जानकारी है कि औराई चीनी मिल, जिला वाराणसी गन्ना प्लांट की सुरक्षा हेतु खाई खोदवा रही है? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय किया जा रहा है तथा उससे कितने एकड़ गन्ने की सुरक्षा होगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। गन्ना प्लांट की सुरक्षा हेतु खाई खुदवाई गयी है।

खाई खुदवाई के कार्य पर रु० 14,326 का व्यय हुआ है। चीनी मिल का एक गन्ना फार्म जो मिल परिसर के बाहर है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाई खुदवाई गयी है। इससे एक हेक्टेयर क्षेत्रफल फ्लाट में स्थापित पौधशाला की सुरक्षा हुई है।

जनपद बहराइच के आजाद इण्टर कालेज में इतिहास प्रवक्ता के पद पर की गई नियुक्ति की शिकायत एवं दोषी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही की जानकारी

17—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के आजाद इण्टर कालेज में साधिकार नियंत्रक ने मई, 92 में विद्यालय के एक लिपिक श्री फैजुल हसन की नियुक्ति इतिहास प्रवक्ता पद पर की है? क्या यह सत्य है कि इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिक्षा उपसचिव, अनुभाग–16 को अ० शा० पत्र संख्या–8633/37-92 दि० 3-12-92 लिखा है? यदि हां, तो इस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि प्रवक्ता का यह पद आरक्षित समूह का है और नियुक्ति के समय शासन द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति पर रोक लगी थी? क्या इस अनियमितता के संबंध में शासन/विभाग को कुछ शिकायती पत्र भी प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किनके एवं किन तिथियों को प्राप्त हुये हैं? नियुक्ति में शासनादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद –

सूचना एकत्र की जा रही है।

18—श्री बाबू लाल कुरील–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

निदेशक गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान सेवरही देवरिया द्वारा डा० एस० बी० सिंह जो गबन में आरोपित हैं को प्रभारी निदेशक बनाने के कारणों की जानकारी

19—श्री शाकिर अली–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा कर डा० एस० बी० सिंह संयुक्त निदेशक को गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान सेवरही देवरिया का प्रभारी निदेशक बनाया गया ? क्या यह सही है कि विगत सरकार में डा० सिंह को पदभार देकर पुरस्कृत किया गया जबकि डा० सिंह के विरुद्ध पूर्व से, वर्ष 1983 से आर्थिक घोटाले से संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही चल रही थी? आर्थिक अपराध हेतु सरकार कब तक उन्हें पद मुक्त करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

डा० एस० बी० सिंह को पूर्णतया काम चलाऊ व्यवस्था के तहत स्थानीय वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी निदेशक बनाया गया था क्योंकि वह वहां पर पहले से ही संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

जी नहीं, डा० सिंह को पूर्णतया काम चलाऊ और अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभारी निदेशक का कार्य सौंपा गया था और अब उन्हें पद से कार्यमुक्त कर संयुक्त निदेशक, गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर में तैनात भी कर दिया गया है। जहां तक वर्ष 1983 से आर्थिक घोटाले से सम्बन्धित प्रकरण पर कार्यवाही का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

डा० सिंह को प्रश्नगत पद से कार्यमुक्त किया जा चुका है।

गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान सेवरही देवरिया में डा० एस० बी० सिंह प्रभारी निदेशक के विरूद्ध प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र एवं कृत्त कार्यवाही की जानकारी

20—श्री शकिर अली–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एस० बी० सिंह प्रभारी निदेशक के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 23-12-1993 प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार प्रभारी निदेशक के क्रिया कलापों की जांच सतर्कता विभाग से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ । शिकायतों की जाँच करायी जा रही है । जाँच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । वर्तमान में शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ मण्डल के सहायक कोषाधिकारियों की प्रोन्नति के आधार के विपरीत की गयी अनियमितता की जानकारी

21—श्री मोहर सिंह–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि मेरठ मण्डल के सहायक कोषाधिकारियों की प्रोन्नति की ऐसी सूची बनी है जिसमें न तो 12 वर्ष पूर्ण अर्ह सेवाओं को आधार माना है और न ही प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार माना है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किसके आदेश से ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरठ मण्डल में सहायक कोषाधिकारियों के पद पर प्रोन्नति के प्रयोजन हेतु वरिष्ठता सूची दिनांक 25 जून, 1992 को जारी की गयी थी । सूची को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि सभी कर्मचारियों ने कोषागार में नैत्यिक श्रेणी लिपिक के रुप में 12 वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली है । साथ में यह भी ध्यान रखा गया है कि सहायक कोषाधिकारी ने पोषक संवर्ग पद लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि को वरिष्ठता का आधार माना जाय ।

सहायक कोषाधिकारी के बढ़ाये गये वेतनमान को दिये जाने की मांग

22—श्री मोहर सिंह–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक कोषाधिकारियों के बढ़ाये गये प्रस्तावित वेतनमान को, जो प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित, समिति द्वारा मान लिए गये थे, इन प्रस्तावित वेतनमानों को अब तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ? इन्हें कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में वेतनमान बढ़ाये जाने हेतु कोई भी समिति गठित नहीं है । अतः उल्लिखित समिति द्वारा वेतनमान बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक कोषाधिकारियों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को राजाज्ञा द्वारा घोषित वेतनमान को लागू किये जाने की मांग

23—श्री मोहर सिंह––

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा सं०–एस–3-2248/दस-92-14 (3)-89, दिनांक 2-9-92 द्वारा सहायक कोषाधिकारियों के पदों की निरन्तरता वेतनमान 2000-3200 में दी गयी है ? यदि हां, तो उन्हें नियमित कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उल्लिखित शासनादेश द्वारा सहायक कोषाधिकारियों के पदों की अन्य कोषागारीय पदों के साथ वर्ष 1992-93 के लिए निरन्तरता जारी की गयी थी, जिसमें कतिपय कोषागारों के लिए सहायक कोषाधिकारियों के पद का वेतनमान रु० 1640–2900 के बजाय त्रुटिवश रु० 2000-3200 टंकित हो गया था । इस त्रुटि को अगले वित्तीय वर्ष 1993-94 में सुधार कर नियमित कर दिया गया ।

24—श्री बालगोविन्द राजवंशी–

[छठें मंगल में अता० प्र० सं० ११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला फैजाबाद में श्री बच्चा राम पुत्र उदयराज निवासी ग्राम रसूलपुर बाकरगंज तहसील जलालपुर को अनियमित रुप से सेवा मुक्त किये जाने का मामला

25—श्री बच्चा पाठक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-1-92 को श्री बच्चा राम पुत्र उदयराज अनु० जाति निवासी ग्राम रसूलपुर बाकरगंज तहसील जलालपुर जिला फैजाबाद का कोई प्रार्थना-पत्र जो उसे अनियमित रुप से सेवामुक्ति के सम्बन्ध में था प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी शिकायत का क्या आधार था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त संबंध में पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र दिनांक 22-3-92 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

शिकायत का मुख्य आधार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को विभागीय आदेश को ध्यान न रखकर अनियमित रुप से सेवामुक्त किया जाना है ।

चूंकि इनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है , अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

26—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में प्राइमरी शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ?यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त कितने युवक और युवतियां बेरोजगार हैं ? उन्हें रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

मानक के अनुसार पद रिक्त नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

480. भविष्य में सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति एवं पद सृजन से उपलब्ध रिक्तयों पर ही नियुक्ति संभव हो सकेगी ।

जनपद लखनऊ में सरोजनीनगर क्षेत्र के फतेहगंज नरायनपुर रोड से बनी मोहाना मार्ग तक चक-ऐन–कन्जाखेड़ा मार्ग तथा चक-ऐन-सादुल्ला नगर मार्ग को सोलिंग के बाद डामर बिछाने तक के कार्य को किये जाने की मॉग

27—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में फतेहगंज नरायनपुर रोड से बनी मोहाना मार्ग तक ''चक-ऐन–कन्जाखेड़ा मार्ग'' तथा ''चक-ऐन-सादुल्ला नगर मार्ग'' को सोलिंग के बाद डामर बिछाने का कार्य शासन से वर्तमान वित्तीय वर्ष में होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त दोनों मार्गों का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

28—श्री मयंकर सिंह–

[विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा उप अभियन्ता (सिविल) के पदों को प्रबन्ध निदेशक व मस्टर रोल इंजीनियर्स संघ के मध्य हुए समझौते के तहत भरे जाने का प्रस्ताव

29—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 5वें गुरुवार के लिए निर्धारित श्री बनवारी लाल दोहरे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–42 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप-अभियन्ता (सिविल) के रिक्त 164 पदों हेतु 1989 में सम्पन्न कराई गई लिखित/साक्षात्कार परीक्षा को वर्ष 1993 में निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु जनवरी, 91 में प्रबन्ध निदेशक व मस्टररोल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के मध्य समझौते के अनुरुप भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं के प्रोन्नति के बाद रिक्त पदों पर की गई नियुक्ति के विवरण की जानकारी

30—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 7वें गुरुवार के लिए निर्धारित श्री छोटे लाल मिश्र द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-115 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पदोन्नतियों के उपरान्त रिक्त हुए पदों का वर्षवार किस किस इंजी० शाखा के उप-अभियन्ताओं को नियुक्ति प्रदान की गई ? क्या सरकार इस प्रकरण पर जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पदोन्नतियों के उपरांत रिक्त हुए पदों पर वर्षवार निम्नलिखित इंजी० शाखा के उप-अभियंताओं को नियुक्ति प्रदान की गई।

1- वर्ष 1987-88 में 02 सिविल, 01 विद्युत, तथा 03 यांत्रिक शाखा के अन्तर्गत कुल 06 नियुक्तियां की गई।

2- वर्ष 1988-89 में सिविल शाखा, के अन्तर्गत एक नियुक्ति की गई।

3- वर्ष 1989-90 में अनुसूचित जाति के पदों पर विशेष चयन के द्वारा 21 सिविल, 01 विद्युत, तथा 02 यांत्रिक शाखा में कुल 24 नियुक्तियां की गई।

4- वर्ष 1990-91 में नियमितीकरण द्वारा 43 सिविल, 17 विद्युत, 02 यांत्रिक शाखा के कुल 62 नियुक्तियां की गईं।

5- वर्ष 1990-91 में माननीय न्यायालय के निर्देशो के तहत सिविल शाखा में 01 नियुक्ति की गई।

जांच की आवश्यकता नहीं है।

आवश्यकतानुसार तथा कार्य हित में रिक्तयां भरी जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रुप-बी के पद को नियमित किये जाने की मांग

31—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में कितने डिप्लोमा इंजीनियर्स टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रुप-बी के पद पर कार्यरत हैं? क्या शासन उनका नियमितीकरण किये जाने पर विचार कर रहा है। यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

एक।

फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पदों की अनुपलब्धता।

इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग पर निर्माण कार्य के ठेके में अनुबन्ध-कम-स्टाम्प ड्यूटी पर किसी अनियमितता का न पाया जाना

32—श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग पर निर्माण कार्य के ठेके का सारा अनुबन्ध-कम-स्टाम्प ड्यूटी पर बनाकर उ०प्र० सरकार को कितनी क्षति पहुंचाई गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन-कौन है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद-फैजाबाद मार्ग पर निर्माण कार्य का समय कितनी बार बढ़ाया गया और क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

स्टाम्प ड्यूटी शासनादेश/न्यायालय के अनुरूप लगाये गये अतः सरकार को कोई क्षति नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

इस मार्ग के कि०मी० 140.00 से 226.10 तक कान्ट्रेक्ट पैकेज संख्या-9 का समय दो बार बढ़ाया गया क्योंकि पुलियों के विवरण एवं क्रस्ट डिजाइन को अन्तिम रूप देने तथा प्रतापगढ़ बाईपास के निर्णय के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में कार्यरत चपरासियों के वेतनमान की जानकारी की मांग

33—श्री लाल बहादुर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में कितने चपरासी कार्यरत हैं? इन चपरासियों में कितनों को पूरा वेतन मिलता है और कितनों को मात्र 16.50 प्रतिमाह ही दिया जाता है? ऐसा क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चपरासियों के कुल कितने स्थान इस समय रिक्त हैं और उनको अब तक भरे न जाने का क्या कारण है?

डा० मसूद अहमद–

कुल 107 चपरासी कार्यरत हैं।

उपर्युक्त में से 90 चपरासियों को रु० 750 नियत वेतन एवं महँगाई भत्ता भुगतान किया जा रहा है, 17 चपरासियों को नियमित वेतनमान 750-940 एवं महँगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 4 अंशकालिक कर्मचारियों को रू० 16.50 पारिश्रमिक दिया जा रहा है।

अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण।

कोई रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में श्री केदारनाथ जूनियर हाई स्कूल, सोनगांव, तहसील अकबरपुर को अस्थायी मान्यता दिये जाने के कारण की जानकारी

34—श्री बच्चा पाठक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदारनाथ जूनियर हाई स्कूल सोनगांव, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद जिस भूमि पर स्थित है क्या उक्त भूमि सम्बन्धित विद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है? यदि नहीं, तो उक्त विद्यालय को किन नियमों के अन्तर्गत अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है? इस अनियमित कार्य के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

विद्यालय का आंशिक भाग 999/3 पर बना है जिसे ग्राम सभा द्वारा विद्यालय के पक्ष में पट्टा किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय का आंशिक भाग चक संख्या-528 पर बना है जिसे श्री भवानी भीख सिंह द्वारा दान स्वरूप विद्यालय को दिया गया है। उक्त अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है। इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश को अनुसूचित जाति/जनजाति के कोटे को पूर्ण किये जाने विषयक श्री प्रियदर्शी जेतली का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

35—श्री बच्चा पाठक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश को श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र दिनांक 12-5-92 अनुसूचित जाति व जनजाति का कोटा पूरा न किये जाने आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश शिक्षा निदेशक को दिनांक 25-7-92 को दिये जा चुके हैं।

जनपद उन्नाव में पुरवा मार्ग से जरगांव तक जाने वाली खइंजा रोड को पुनः ठीक कराये जाने की मांग

36—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में पुरवा मार्ग से ग्राम जरगांव तक जाने वाली खइंजा रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है? क्या इस रोड से जुड़ने वाले अनेकों ग्रामों की आबादी 10 व 15 हजार है? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग को बनवाने या ठीक कराने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग से 2 ग्राम बल्दी खेड़ा एवं जरगांव जुड़ते हैं। जिनकी आबादी क्रमशः 894 व 2715 है।

कथित मार्ग के निर्माण/पुनः निर्माण की कोई योजना नहीं है। ऊसरी भूमि व वर्षा के कारण कालान्तर में कहीं-कहीं खराब होने पर इसकी मरम्मत वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण मद के अन्तर्गत सीमित संसाधनों से समय-समय पर आवश्यकतानुसार की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव में पुरवा से रायपुर बुजुर्ग तक जाने वाली रोड को ठीक करने एवं लेपन स्तर तक करने की सरकार की योजना की जानकारी

37–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में पुरवा रोड से खइंजा मार्ग जो रायपुर बुजुर्ग तक गया है, क्या वह मात्र तीन किलो मीटर बनने के बाद ठीक नहीं

हुआ? क्या शासन स्तर पर उसे ठीक कराने या लेपन कार्य की योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग को वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण मद के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित धनराशि से आवश्यकतानुसार ठीक करा दिया गया है। कथित मार्ग पर लेपन का कार्य किये जाने की कोई योजना अभी स्वीकृत नहीं है।

प्रदूषण बोर्ड में प्रदूषण फैलाने से सम्बन्धित लम्बित मामलों की जानकारी तथा अविलम्ब निस्तारित करने की विशेष व्यवस्था की जानकारी

38–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदूषण बोर्ड में 31-1-94 तक कुल कितने मामले प्रदूषण फैलाने से सम्बन्धित लम्बित हैं? उनके निस्तारण में विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी इनको शीघ्र निस्तारित कराने के लिये कोई विशेष व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में दायर 44 मुकदमें विशेष न्यायालय लखनऊ, 3 मुकदमें मुख्य दण्डाधिकारी न्यायालय बाराबंकी व लखीमपुर खीरी, 23 मुकदमें जिला व सत्र न्यायालय, लखनऊ तथा 147 मुकदमें उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ में लम्बित है।

मुकदमों की विभिन्न न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही चल रही है।

मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकतर एक्सपीडाइट एप्लीकेशन दाखिल कर दी गयी है, शेष में की जा रही है।

लागू नहीं।

जिला बहराइच में वैद्य भगवान दीन बालिका इण्टर कालेज, नानपारा के कार्यवाहक प्रधानाचार्या पर वर्ष 1992 में नकल कराये जाने का आरोप सिद्ध न होने के कारण पुनः वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक बनाये जाने की शिकायत

39–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वैद्य भगवान दीन बालिका इण्टर कालेज, नानपारा, जिला बहराइच की कार्यवाहक प्रधानाचार्या पर वर्ष 1992 की परिषदीय परीक्षा में सामूहिक नकल कराने का आरोप होने के कारण उन्हें वर्ष 1993 की परीक्षा के लिये केन्द्र व्यवस्थापक नहीं बनाया गया था? यदि हां, तो क्या परीक्षा के दौरान उन्हें मात्र ठीक कार्य करने के आश्वासन पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पुनः केन्द्र व्यवस्थापक बना दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिये केन्द्र व्यवस्थापक बनाने की कार्यवाही की जांच करेगी?

डा० मसूद अहमद–

वर्ष 1992 की परीक्षाओं में वैद्य भगवानदीन बालिका इण्टर कालेज नानपारा, बहराइच केंद्र पर सामूहिक नकल की पुष्टि नहीं हुई थी। केवल परीक्षा सन्तोषजनक न पाये जाने के आरोप के कारण वर्ष 1993 में इस केन्द्र पर वाह्य केन्द्र व्यवस्थापिका की नियुक्ति की गई थी।

चूंकि कार्यवाहक प्रधानाचार्या वैद्य भगवानदीन बालिका इण्टर कालेज, नानपारा, बहराइच के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ था, अतः जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच जो सक्षम अधिकारी थे, ने पुनः विचार करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्या को वाह्य केन्द्र व्यवस्थापिका के रूप में नियुक्त कर दिया।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बहराइच में वैद्य भगवानदीन बालिका इण्टर कालेज में वर्ष 1993 में भी नकल की शिकायत के कारण वर्ष 1994 में किसी बाहरी प्रधानाचार्या को व्यवस्थापक बनाने की माँग

40–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वैद्य भगवान दीन बालिका इण्टर कालेज, नानपारा, जिला बहराइच परीक्षा केन्द्र पर वर्ष 1993 की परीक्षा में भी नकल की आम शिकायत रही है? यदि हां, तो क्या वर्ष 1994 की परीक्षा हेतु किसी बाहरी प्रधानाचार्या को केन्द्र व्यवस्थापक बनाने पर विचार किया जायेगा?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद स्थित डा० के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज में कार्यरत स्व० श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक के अवशेषों के भुगतान तथा मृतक आश्रित को सेवा में लेने की माँग

41–श्री सतीश भाटिया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित डा० के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज में कार्यरत सहायक अध्यापक कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव का स्वर्गवास उनके सेवाकाल में ही 22-7-93 को हो गया था? क्या यह सही है कि उक्त सहायक अध्यापक को 1 जुलाई, 1970 से सी० टी० वेतन निर्धारण के अन्तर्गत अवशेष भुगतान नहीं किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मृत्यु के उपरान्त श्री श्रीवास्तव का फण्ड, बीमा ग्रेच्युटी तथा पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृतक सहायक अध्यापक के आश्रित पुत्र को तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत नौकरी में रखा गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्नगत संस्था में कार्यरत सहायक अध्यापक, श्री कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव का निधन दिनांक 22-7-93 को हो गया था, किन्तु उन्हें 1 जुलाई, 1970 से सी० टी० वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अवशेष देयों का भुगतान नहीं हो सका क्योंकि विद्यालय से अवशेष देयक उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके फण्ड, बीमा तथा पेंशन दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। 60 वर्ष का विकल्प चुनने के कारण ग्रेच्युटी देय नहीं है। मृतक आश्रित की नियुक्ति के सम्बन्ध में विद्यालय से सूचना मांगी गयी है। प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

मस्टर रोल डिप्लेमा इंजीनियर्स संघ, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० का छः सूत्रीय मांग-पत्र प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित एवं लोक निर्माण मंत्री को दिये जाने एवं कार्यवाही की जानकारी पृष्ठांकित मांग-पत्र की स्थित में किसी परिवर्तन का न होना

42–श्री ब्रह्म दत्त दिवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 8वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री श्रीराम सोनकर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मांग-पत्र की मुख्य मांगों एवं पूर्व आश्वासन की वास्तविक स्थिति जनवरी, 94 तक क्या थी? इसके क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब के लिये क्या सरकार उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकारात्मक कार्यवाही करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ० प्र० निर्माण निगम लिमिटेड में उप अभिन्ताओं के वेतनमान से सम्बधित लम्बित प्रकरण को शीघ्र निस्तारण न किये जाने के कारणों की जानकारी

43–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठें सोमवार के लिये निर्धारित श्री छोटे लाल मिश्र द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–122 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में निर्माण निगम के निदेशक मंडल द्वारा उप अभियन्ताओं को संस्तुत वेतनमान रु० 2000-3200 देने में क्या कोई कठिनाई है? इसे लागू करने में हो रहे विलम्ब का मूल कारण क्या है? उक्त वेतनमान को निर्माण निगम में कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जिला लखनऊ के पूरननगर, प्रेमनगर, विशेश्वरनगर, अम्बेदकर नगर तथा गोपालपुरी से होकर रिंग रोड को मिलाने वाली सड़क से सम्बन्धी सरकार की किसी योजना का प्रस्ताव न होना

44–श्री सतीश भाटिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–4421-ई/23-लो० नि० अनु०–11-102 ई/90, दिनांक 7-11-90 के अनुसार स्वीकृत मार्ग पूरननगर, प्रेमनगर, विशेश्वरनगर, अम्बेदकर नगर, मलिन बस्ती तथा गोपालपुरी, जिला लखनऊ होते हुए रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित था? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त गन्ना /चीनी विकास विभाग में उप चीनी आयुक्त के रिक्त पदों को भरे जाने की माँग

45–श्री मित्रसेन यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त गन्ना/चीनी विकास विभाग में उप चीनी आयुक्त के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय ने उक्त पदों को सहायक चीनी आयुक्त की पदोन्नति द्वारा भरे जाने का आदेश दिया? यदि हां, तो अभी तक पदों की भर्ती न किए जाने के क्या कारण हैं? उक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। उप चीनी आयुक्त का एक पद रिक्त है।

मा० उच्च न्यायालय ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिये हैं। यह पद नियमानुसार ज्येष्ठतम् सहायक चीनी आयुक्त की पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं।

भर्ती के पात्र अधिकारियों की आपसी ज्येष्ठता विवादित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयादेश होने तक रिक्त पद पर नियुक्ति सम्भव नहीं है।

46–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[सातवें बुध में अता० प्र० सं०-159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्रीकर विभाग द्वारा संस्थाओं व विभागों में कार्य करने वाले ठेकेदारों के वर्क कान्ट्रेक्ट में की जाने वाली बिक्रीकर कटौती में हो रहे उत्पीड़न की शिकायत एवं निदान की माँग

47–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० बिक्रीकर विभाग द्वारा संस्थाओं व विभागों में कार्य करने वाले ठेकेदारों के वर्क कान्ट्रेक्ट पर 4 प्रतिशत तक बिक्रीकर की कटौती कर उसे सं०-एस०टी० 2-291/दस-89, लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 1989 विज्ञप्ति विविध के धारा "ग" व "घ" के अन्तर्गत कटौती धनराशि का बही समायोजन करके सीधे महालेखाकार, इलाहाबाद को भेज दिया जाता है। क्या सरकारी विभागों द्वारा ठेकेदारों के बिल भुगतान से की गयी बिक्रीकर कटौती जो बही समायोजना (बुक-ऐडजस्टमेंन्ट) द्वारा किया जा रहा है, को पूर्ण बिक्री करारोपण में से कटौती न करके कर की पूरी धनराशि की वसूली ठेकेदारों से की जा रही है? क्या कटौती का प्रमाण-पत्र विभाग में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार ठेकेदारों का उत्पीड़न समाप्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासकीय विज्ञप्ति संख्या–एस० टी०–2-291/दस–1989, दिनांक 23-3-89 द्वारा प्रतिस्थापित बिक्रीकर नियमावली के नियम 48 के अर्न्तगत बिक्रीकर देयों का भुगतान करने हेतु निम्न प्राविधान किया गया है:–

"जब तक कि व्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो, कर फीस, शास्ति, ब्याज, प्रशमन शुल्क, जुर्माना, विक्रय-आगम अथवा किसी अन्य धन के रूप में अधिनियम अथवा नियमावली के अधीन देय कोई रकम चार प्रतियों में चालान सहित निम्नलिखित किसी रीति में जमा की जायेगी:–

(क) किसी कोषागार, उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंक अथवा अधिनियम के अधीन जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में, नकद, अथवा

(ख) ऐसे जमाकर्ता के पक्ष में तैयार किये गये उसी बैंक पर ड्राफ्ट, अथवा

(ग) चेक द्वारा चाहे वह जमाकर्ता द्वारा ऐसे बैंक पर स्वयं के लिए जारी किया गया हो या उसके पक्ष में ऐसे बैंक पर जारी किया गया हो,

(घ) सरकारी विभाग की दशा में, यदि ऐसे वांछित हो तो पुस्तिका-अन्तरण द्वारा।

2–उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 8-घ(3) के प्राविधानों के अन्तर्गत संकर्म संविदाकार को देय धनराशि से 4% काटी गयी धनराशि ऐसी कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी तथा कटौती करने वाला व्यक्ति धारा–8-घ (4) के प्राविधानों के अर्न्तगत संविदाकार को काटी गयी उक्त धनराशि का एक प्रमाण-पत्र देगा। अतः

कानूनी रूप से राजकीय विभाग द्वारा संविदाकारों से काटी गयी धनराशि पुस्तिका-अन्तरण द्वारा नहीं जमा की जा सकती है। तथापि कतिपय राजकीय विभागों द्वारा ऐसा किया गया जिसके कारण संविदाकारों को उक्त धनराशि का समायोजन नहीं मिल पा रहा था।

3–संविदाकारों की उक्त परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि यह सत्यापन हो जाता है कि संविदाकार की ओर से कोई धनराशि पुस्तिका-अन्तरण से जमा कर दी गयी है तो संविदाकार को उक्त धनराशि का लाभ दे दिया जावेगा विभागीय परिपत्र संख्या-शोध-समाधान (सि० व० का०)–1993-94-1136/बिक्रीकर दिनांक 4-11-93 द्वारा विभागीय अधिकारियों को तद्नुसार निर्देशित कर दिया गया है।

48–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[5वें मंगल में अता० प्र० सं० 110 के अर्न्तगत स्थानान्तरित]

जिला देवरिया में डा० एस० बी० सिंह, प्रभारी निदेशक, गेंदासिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, सेवरही द्वारा गन्ना बीज संवर्धन प्रक्षेत्र में किये गये निर्माण में की गई अनियमितता की जाँच एवं कार्यवाही की मांग

49–श्री शाकिर अली–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एस० बी० सिंह, प्रभारी निदेशक, गेंदा सिंह, गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, सेवरही, देवरिया द्वारा अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में गन्ना बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र पर निर्माण कार्यों में 10 लाख रुपये का अनियमित व अवैधानिक भुगतान किया है? क्या यह सही है कि इस भुगतान के पूर्व कार्यों का सत्यापन सेवरही संस्थान के अवर अभियन्ता सिविल द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस अनियमित भुगतान के लिए सरकार डा० सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। उक्त निर्माण कार्यों का सत्यापन गन्ना विभाग के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया है। उनकी संस्तुति के आधार पर ही नियमानुसार निर्माण कार्यों का भुगतान किया जाता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में डा० एस०बी० सिंह, प्रभारी निदेशक गेंदा सिंह, गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान, सेवरही के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के बावजूद कार्यवाही न किये जाने के कारणों की जानकारी

50– श्री शाकिर अली–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-1-94 के बहुजन समाज पार्टी, देवरिया द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जो कि डा० एस० बी० सिंह, प्रभारी निदेशक, गेंदा सिंह, गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान सेवरही देवरिया के विरुद्ध विभिन्न आरोपों से

सम्बन्धित है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

विषयगत आरोपों की जांच करायी जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने हेतु 28 पर स्थित हरैया तहसील में पड़ने वाले गांवों में भू-अर्जन की कार्यवाही

51—श्री बाबू राम वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित बस्ती जनपद के हरैया तहसील के ग्राम सभा डुहवा मिश्र से ग्राम सभा, संग्रामपुर, सकरावल तथा ग्राम सभा अमोठा होते हुए राम-जानकी राजमार्ग तक सम्पर्क मार्ग के लिए भूमि अध्याप्ति का आदेश शासन द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

भू-अर्जन की कार्यवाही के लिए मार्ग में पड़ने वाले गांवों का सर्वेक्षण कर प्लाट के क्षेत्रफल तथा उनके भूमि स्वामित्व, सीलिंग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

52—श्री बाबू राम वर्मा–

[दिनांक 21-3-94 को अता० प्र० सं० 38 तथा 160 द्वारा उत्तरित]

जिला बांदा के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्रय किये डामर और उसके प्रयोग के विवरण की जानकारी

53—श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह अक्टूबर, नवम्बर वर्ष 1993 में मथुरा रिफाइनरी से कितनी मात्रा में डामर, कितनी धनराशि में खरीदा गया है और क्या उसका उल्लेख गोदाम के अभिलेखों में उल्लिखित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्रय किये गये डामर से किन-किन मार्गों का डामरीकरण किया गया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बांदा में माह अक्टूबर, नवम्बर, 1993 में मथुरा रिफाइनरी से 299.69 मी०टन० डामर रु० 16,33,559.20 में खरीदा गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त क्रय किये गये डामर से निम्नलिखित मार्गों का डामरीकरण किया गया है :–

1–झांसी -मिर्जापुर मार्ग (कि०मी० 222 से 227 तक)

2–फतेहपुर बबेरू-अतर्रा मार्ग

3–राजापुर कमासिन मार्ग

4–कमासिन औरन मार्ग

5–घुघुई ममसी मार्ग

6–चर्च मार्ग

7–जमालपुर सम्पर्क मार्ग

8–पैलानी जसपुरा सुमेरपुर मार्ग

9–पपरेन्दा पैलानी मार्ग

10–बांदा-बबेरू मार्ग

11–अरवई लिंक मार्ग

12–आहार मिलाथू मार्ग

13–अतर्रा नरैनी करतल मार्ग

14–बॉदा-नरैनी कालिंजर मार्ग

15–औरन चौसढ़ मार्ग

जनपद बॉदा के प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा एस०आर०डी० कार्य योजना के अर्न्तगत की गई अनिमितता एवं भुगतान का मामला

54—श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा एस०आर०एम०डी० कार्य योजना के अन्तर्गत झांसी मिर्जापुर मार्ग पर कि०मी० 224/1 पर पुलिया का निर्माण, सहायक अभियन्ता, पंचम के अनुबन्ध सं० 14 के मूल देयक पत्र पर लगायी गयी आपत्ति एवं देयक पत्र को बदलकर, इलाइड बढ़ाने से 47.793 रुपयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं, देयक नहीं बदला गया। नोट शीट गुम हो गयी थी, जो कि दोबारा बना दी गयी थी तथा आपत्ति का निराकरण कर दिया गया था। अनुबन्ध के अन्तर्गत रु० 49,557.00 में से रु० 1140.00 इनकम टैक्स हेतु काटकर रु० 48,417/= का भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बदायूँ में एन० ए० इण्टर कालेज, बिल्सी में जुलाई 1991 से जनवरी 1993 तक कार्यरत अंशकालिक प्रवक्ता के वेतन भुगतान का मामला

55—श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन० ए० इन्टर कालेज, बिल्सी (बदायूं) में जुलाई, 91 से जनवरी, 93 तक कितने अंशकालिक प्रवक्ता कार्यरत थे ? क्या उनके समस्त वेतन, भत्तों का भुगतान कर दिया गया है ? कितने प्रवक्ताओं को नियमित नहीं किया गया ? इसके क्या कारण रहे हैं ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला फैजाबाद में सम्बन्धित विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जन जाति का कोटा न पूरा किये जाने के कारण शिक्षा सचिव को श्री जेतली का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

56—श्री बच्चा पाठक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सचिव, उ०प्र० को श्री प्रियदर्शी जेतली का कोई पत्र दिनांक 12-5-92 अनसूचित जाति व जनजाति का कोटा पूरा न किये जाने तथा शासनादेशों व नियमावली का अतिक्रमण कर सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति कराकर वेतन भुगतान करा देने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक को कोई नोटिस भी दी गई? यदि हां, तो कब और क्या? क्या उक्त नोटिस की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक ने विभागीय वित्त विभाग को भेजी थी ताकि सम्बन्धित अनियमित नियुक्ति का वेतन भुगतान न हो? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में स्पोर्ट्स कैडर के अर्न्तगत विभिन्न तकनीकी/गैर तकनीकी पदों पर की गई नियुक्तियों की आधारशिला की जानकारी

57—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 8 वें गुरुवार के लिए निर्धारित श्री श्रीराम सोनकर द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियुक्ति किये गये कर्मचारियों के नाम क्या क्या हैं और यह कितने-कितने समय पूर्व से निगम में दैनिक वेतन पर कार्यरत थे ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि शासन द्वारा पदों के सृजन की प्रत्याशा में नियुक्तियां, इससे पूर्व निगम में कभी नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम सर्वश्री आर० एन० सेठ, शाहजमा तथा विजेन्द्र पाल सिंह हैं, जो क्रमशः 06 वर्ष, 03 वर्ष तथा $6\frac{1}{2}$ माह से निगम में दैनिक वेतन पर कार्यरत थे ।

जी नहीं । इससे पूर्व पदों के सृजन पर शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्तियां नहीं की गई थीं ।

जी नहीं ।

उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।

राज्य सेतु निगम में अवर अभियन्ता के सृजित पदों की संख्या एवं उन्हीं पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी डिप्लोमा इंजीनियरों को समायोजित करने की मॉग

58—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सेतु निगम में अवर अभियन्ता के कितने पद सृजित हैं ? क्या उन पदों पर विभाग में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी डिप्लोमा इंजीनियरों को समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उ० प्र० राज्य सेतु निगम में अवर अभियन्ता के 384 पद सृजित हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

जनपद महराजगंज में स्थापित रजिस्ट्री कार्यालय, महराजगंज, निचलौल, आनन्द नगर के रजिस्ट्रारों द्वारा क्रेताओं से निर्धारित रजिस्ट्री शुल्क में की गई धॉधली की जांच की मांग

59—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि अचल सम्पत्ति तथा भूमि रजिस्ट्री बैनामा शासन द्वारा निर्धारित रजिस्ट्री शुल्क जमा कराने के पश्चात् ही रजिस्ट्री/बैनामा किया जाना चाहिये ? यदि हां

तो क्या जनपद महराजगंज में स्थापित रजिस्ट्री कार्यालय महराजगंज, निचलौल, आनन्द नगर के रजिस्ट्रारों द्वारा क्रेताओं से निर्धारित रजिस्ट्री शुल्क न लेकर कमी रसूम पर लेकर निरन्तर रजिस्ट्रियां की जा रही हैं जिसके फलस्वरूप अति० जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) द्वारा गरीब क्रेताओं को मुकदमा में फंसाकर कमी रसूम तथा अर्थदण्ड के साथ अन्तर की धनराशि वसूल की जाती है ? यदि हां, तो कमी रसूम पर रजिस्ट्री करने का कारण क्या है ?

मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । सम्बन्धित सब रजिस्ट्रारगण क्रेताओं से निर्धारित रजिस्ट्री शुल्क लेकर लेख पत्रों की रजिस्ट्री करते हैं । जनपद महराजगंज में आनन्द नगर नाम से कोई सब रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं है । विशिष्ट विवरण के अभाव में उत्तर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), महराजगंज द्वारा क्रेताओं को मुकदमों में फंसाने तथा उनसे अनावश्यक धनराशि वसूल करने की बात की पुष्टि नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद में पूरनपुर नादेही चीनी मिल में एक ही क्रय केन्द्र सुल्तानपुर खदूर में नियमतः स्वीकृत अलग-अलग दो कांटों की स्थापना

60—श्री मंजूर अहमद–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद में पूरनपुर नादेही चीनी मिल में एक ही क्रय केन्द्र सुल्तानपुर खदूर में खोलकर वहां पर केवल दो तौल लगा रखी है ? क्या उक्त दो कांटों से ही गन्ना एक ही क्रय केन्द्र सुल्तानपुर खदूर पर तुल रहा है जो कि नियमों के विरूद्ध है ? क्या शासन से उक्त कार्य की स्वीकृति ली गयी है ? क्या उक्त दोषी कर्मचारियों जिन्होंने उक्त कार्य किया है उनके विरूद्ध मंत्री जी जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० राजपुर पूरनपुर नादेही जनपद नैनीताल के सुरक्षित क्षेत्र में पूरनपुर अन्य क्रय केन्द्रों के साथ ही सुल्तानपुर 'ए' एवं सुल्तानपुर 'बी' नाम से दो अलग-अलग क्रय केन्द्र स्वीकृत हैं तथा चीनी मिल द्वारा नियमतः स्वीकृत उक्त दोनों क्रय केन्द्रों हेतु अलग-अलग कांटे स्थापित करके गन्ने की खरीद की जा रही है ।

उक्त क्रय केन्द्र गन्ना आयुक्त, उ०प्र० द्वारा नियमतः स्वीकृत है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभागीय प्रान्तीय विकास योजना के नाम से वित्तीय वर्ष 1993-94 में किसी योजना का न पाया जाना

61—श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1993-94 में विभागीय प्रान्तीय विकास योजना को कितना धन आवंटित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रान्तीय विकास योजना नाम की कोई योजना स्वीकृत नहीं है । अतः धन आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय जिला योजना बजट में की जाने वाली कटौती के फार्मूले की जानकारी

62—श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय जिला योजना बजट में की गई कटौती का कोई निश्चित फार्मूला रखा गया है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नही उठता ।

लोक निर्माण विभाग के जिला योजना बजट में की गई कटौती को पूरा किये जाने की मांग

63—श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग के जिला योजना बजट में कोई कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस कटौती को प्रान्तीय योजना से पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ, ।

नई स्वीकृतियों से सम्बन्धित जिला योजना के प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का उपयोग संभव नहीं था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष (1993-94) के समाप्त हो जाने के कारण ।

जनपद जौनपुर में शिवमूर्ति बालिका इण्टर कालेज केराकत की 4 तदर्थ प्रवक्ता के क्रम-2 में श्रीमती आशा राय को प्राचार्य बनाये जाने के कारणों की जानकारी

64—श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 23-8-86 के द्वारा शिवमूर्ति बालिका इन्टर कालेज, केराकत, जौनपुर की 4 तदर्थ प्रवक्ता में क्रम-2 पर श्रीमती आशा राय को किस आधार पर नियमित करके प्राचार्य का वेतनमान दिया गया है ? क्या श्रीमती मालती सिंह, श्रीमती छाया श्रीवास्तव और सुधा श्रीवास्तव जिनका नाम उसी स्थगन आदेश में उल्लिखित है, उन्हें भी नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद—

श्रीमती आशा राय को उत्तर प्रदेश विधायिका अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या—682/सत्रह- वे -1-2 (व) 29/1991 दिनांक 6-4-91 के आधार पर विनियोजित किया गया है । उप शिक्षा निदेशक II की आख्या के अनुसार वरिष्ठतम् प्रवक्ता होने के कारण प्राचार्य का वेतन दिया गया है ।

प्रश्नगत अध्यापिकाओं को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (द्वितीय) के पत्र दिनांक 7-4-94 द्वारा विनियमित कर दिया गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों में विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त अध्यापकों के वेतन को न दिये जाने के कारणों की जानकारी

65—श्री अम्बिका सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय सहमति प्राप्त कुल कितने अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है क्या वित्तीय सहमति प्राप्त अध्यापकों को वेतन देने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद—

जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों में सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय सहमति प्राप्त कुल 29 अध्यापकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि विभाग द्वारा इनके गुणावगुण की जाँच की जा रही है । जांचोपरान्त वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

निर्माण निगम संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांग तथा श्रमायुक्त की मध्यस्थता में हुए कर्मचारी संगठन समझौता की जानकारी

66—श्री बह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को निर्माण निगम संयुक्त मोर्चा का कोई मांग-पत्र अगस्त, 93 से नवम्बर, 93 के मध्य प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसमें मुख्य मांगें क्या थीं? उन मांगों पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही शासन द्वारा अब तक की गयी है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगें न माने जाने पर निर्माण निगम में फरवरी, 94 में आन्दोलन/धरना दिये जाने की घोषणा की गयी है? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही इस दिशा में की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

मुख्य मांगें निम्नवत् थीं:–

1— मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों को निगम में कड़ाई से लागू कराया जाय।

2—प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाई जाये तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यकाल तीन वर्ष पूर्ण हो चुका है उनको पैतृक विभाग में वापस किया जाय।

3—मस्टररोल/कार्य प्रभारित कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किया जाय।

4—सीधी भर्ती के अधिकारियों को प्रोन्नत किया जाय।

5—संयुक्त मोर्चा के चार पदाधिकारियों को बहाल किया जाय।

6—गैर तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाय।

उक्त मांगों पर कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है:–

1—निगम द्वारा मितव्ययिता संबंधी शासानदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

2—प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाये जाने तथा तीन वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग को वापस किये जाने की मांग स्वीकार्य नहीं पाई गई।

3—वर्तमान में नियमित पदों पर नियुक्ति नियमानुसार ही करने के आदेश हैं।

4—सीधी भर्ती के अधिकारियों को नियमान्तर्गत प्रोन्नतियां प्रदान की गई हैं।

5—चारों निलम्बित पदाधिकारियों को बहाल किया जा चुका है।

6—गैर तकनीकी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का प्रकरण विचाराधीन है।

जी हां।

निर्माण निगम के अधिकारियों द्वारा उप श्रमायुक्त की मध्यस्थता मे कर्मचारी संगठनों से समझौता कर हड़ताल को समाप्त कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय गोमती नगर परिसर के बाहर घटित घटना की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

67—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अगस्त से सितम्बर, 93 के मध्य निर्माण निगम मुख्यालय गोमतीनगर परिसर के बारह घटित घटना के संबंध में वास्तविक स्थिति से दोनों संबंधित पक्षों द्वारा लिखित रूप से प्रबन्ध निदेशक को अवगत कराया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र किस-किस तिथि को प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त हो गये थे व उन पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जिन छोटे कर्मचारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है, वे सभी पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के हैं? यदि हां, तो क्या सरकार गैर कानूनी ढंग से की गयी उक्त दण्डात्मक कार्यवाही को वापस लेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 21-8-93 को प्रबन्ध निदेशक को प्राप्त हो गये थे।

घटना के संबंध में समिति गठित कर जांच करायी गयी। 4 कर्मचारियों को निलंबित कर उन्हें आरोप पत्र दिये गये। विभागीय कार्यवाही अभी जारी है। निलंबित कर्मी बहाल कर दिये गये हैं ।

विभागीय कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उटता।

जनपद उन्नाव में प्राथमिक विद्यालय ब्लाक नवाबगंज के ग्राम सभा हिम्मतगढ़ के विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

68—श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव में चल रहे प्राथमिक विद्यालय ब्लाक नवाबगंज के ग्राम सभा हिम्मतगढ़ के स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक तथा अध्यापक बहुत कम हैं? यदि हां, तो क्या बच्चों की बढ़ी संख्या को देखते हुए दो अध्यापक बढ़ाने की योजना शासन की है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

इस विद्यालय में वर्तमान में दो शिक्षक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मोरकुक्का में काली नदी में सेतु निर्माण की किसी योजना का शासन के विचाराधीन न होना

69—श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मोरकुक्का, जनपद मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित काली नदी सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की शासन की कोई योजना निकट भविष्य में है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नई गन्ना मिलों की स्थापना हेतु जारी किये गये लाइसेंस की स्थिति

70—श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में नई गन्ना मिलें स्थपित करने हेतु विगत दिनों में कोई लाइसेंस जारी किये गये हैं। यदि हां, तो कितने तथा किन-किन स्थानों व जनपदों की लाइसेंस जारी किये गये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। दिनांक 15-4-94 तक कुल 23 आशय पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:–

स्थान	जनपद
1—रायामाठ	मथुरा
2— मीरगंज	बरेली
3—रसूलपुर	सहारनपुर
4—बुन्दकी	बिजनौर
5—शोहरतगढ़	सिद्धार्थ नगर

स्थान	जनपद
6—त्रिलोकपुर	गोण्डा
7—शारदानगर	लखीमपुर खीरी
8—चिलवरिया	बहराइच
9—बेहटा रेउसा	सीतापुर
10—बहेडी ब्रह्मनान	मुरादाबाद
11—जंगबहादुरगंज	लखीमपुर खीरी
12—अगवानपुर	मुरादाबाद
13—कैराना	मुजफ्फनगर
14—जलालाबाद	शाहजहांपुर
15—रूपापुर	हरदोई
16—हुसैनपुर	मुजफ्फरनगर
17—अकबरपुर	फैजाबाद
18—टांडा	रामपुर
19—बुढ़ाना	मुजफ्फरनगर
20—धौलाना	गाजियाबाद
21—चंदक	बिजनौर
22—थाई	हरिद्वार
23—अतरौली	अलीगढ़

71—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

[छठें मंगल में अता० प्र० सं०—119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई खड्डा व सिसवा बाजार द्वारा दैनिक मजदूरों की तृतीय वेजबोर्ड द्वारा अनुमोदित मजदूरी का भुगतान किया जाना

72—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई खड्डा तथा सिसवा बाजार में कार्यरत दैनिक मजदूरों की मजदूरी तृतीय वेजबोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रति मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न करके आज तक सिर्फ 18 रुपया प्रतिदिन प्रति मजदूर की मजदूरी का भुगतान करके शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार दैनिक मजदूरी के वर्कर की तृतीय वेजबोर्ड द्वारा निर्धारित मजदूरी रुपया 78.81 का भुगतान तत्काल कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई खड्डा व सिसवा बाजार द्वारा दैनिक मजदूरों की तृतीय वेजबोर्ड द्वारा अनुमोदित मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के दैनिक वेतन भोगी डिग्री/डिप्लोमा अभियन्ताओं को नियमित करने की मांग

71—श्री अनिल कुमार वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के सातवें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–149 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निदेशक मण्डल के निर्णय एवं अनेक लिखित आश्वासनों के उपरान्त भी मार्च, 1991 के पश्चात् 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले डिप्लोमा धारकों की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार सम्पन्न नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो निगम के हित में इसे कब तक सम्पन्न नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो निगम के हित में इसे कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मस्टर रोल पर कार्यरत डिप्लोमा धारकों की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक 15-6-92 एवं 26-6-92 को सम्पन्न होनी थी परन्तु डिप्लोमा धारकों द्वारा बहिष्कार करने के कारण परीक्षा नहीं हो सकी।

नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं, अतः कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मस्टर रोल डिप्लोमा इंजीनियर्स के नियमितीकरण की प्रक्रिया की जानकारी की मांग

74—श्री अनिल कुमार वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 5वें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–178 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय परीक्षा के संबंध में तत्समय प्रारम्भ की गयी कार्यवाही की वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है? इसमें विलम्ब के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है और शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

जनपद जालौन में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति की वैधानिकता का प्रमाण

75—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में शासन द्वारा मान्यता व सहायता प्राप्त विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के विरुद्ध वहां कितने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि कुछ विद्यालयों में सृजित पदों से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो इनकी अवैध नियुक्ति के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या और कब तक?

डा० मसूद अहमद–

शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 2068 पद सृजित हैं और कुल 2137 शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हां, अधिकांश अध्यापक/कर्मचारी मा० न्यायालय के आदेशों के अधीन कार्यरत हैं। संबंधित याचिकाओं में प्रति शपथ-पत्र लगाये जा चुके हैं।

जिला जालौन माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खड़ंजा लेपन स्तर तक निर्माण में प्रयुक्त निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी

76—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़कों पर खड़ंजा एवं लेपन कार्य की क्या प्रक्रिया है तथा उस पर औसत प्रति सौ मीटर कितना व्यय आता है? क्या माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल, 1990 से अब तक निर्मित खड़ंजा तथा लेपन स्तर की सड़कों का निर्माण कार्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो सभी सड़कें क्षतिग्रस्त कैसे हो गयीं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

(क) खड़ंजा स्तर की सड़कों के निर्माण में विभाग द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है:–

(अ) मिट्टी तथा आवश्यकतानुसार पुलियों का निर्माण का कार्य किया जाता है। (ब) काली मिट्टी के ऊपर 15 से०मी० लूज नाला बजरी का ब्लैकेटकोट तथा 12 से०मी० लूज 40-90 मि०मी० साईज पत्थर के सोलिंग कोट की भराई एवं कुटाई का कार्य किया जाता है। (स) तदोपरान्त 8 से०मी० लूज 40-63 मि०मी० साईज पत्थर का फ्लिरकोट की भराई तथा कुटाई का कार्य किया जाता है। (ख) लेपन स्तर के मार्ग दो प्रस्तर में किये जाते हैं:–

(1) खड़ंजा स्तर तक पूर्व में निर्मित मार्ग पर लेपन स्तर तक के मार्ग के लिये 25-50 मि०मी० साईज पत्थर का 10 से०मी० लूज टोप कोट के भराई तथा कुटाई

का कार्य किया जाता है, तदोपरान्त दो कोट में लेपन का कार्य डामर तथा पत्थर की गिट्टी से किया जाता है।

(2) यदि मार्ग मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक स्वीकृत है तो उसकी निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है मिट्टी तथा आवश्यकतानुसार पुलिया का निर्माण कार्य किया जाता है :–

(अ) 15 से०मी० लूज नाला बजरी की ब्लैकेटकोट तथा 12 से०मी० लूज 40-63 मि०मी० साईज पत्थर की सोलिंग कोट की भराई तथा कुटाई का कार्य किया जाता है।

(ब) 10 से०मी० लूज 25-50 मि०मी० साईज पत्थर का टोप कोट की भराई तथा कुटाई का कार्य किया जाता है, तदोपरान्त दो कोट में लेपन का कार्य डामर तथा पत्थर की गिट्टी से किया जाता है।

जहां तक औसत व्यय प्रति सौ मीटर का प्रश्न है, की स्थिति निम्नवत् है :–

1—(अ) खड़ंजा स्तर तक–रु० 30,000.00

(ब) खड़ंजा स्तर निर्मित मार्गों का लेपन स्तर तक का निर्माण–रु० 23,000.00

2—मिट्टी स्तर से लेपन स्तर तक मार्गों का निर्माण रु० 60,000.00

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण अनुरक्षण कार्य प्रभावित है।

जिला जालौन विकास खण्ड माधोगढ़, ग्राम गोहन में चल रहे राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के भवन के निर्माण किये जाने की मांग

77—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोहन, विकास खण्ड माधोगढ़, जिला जालौन में कोई राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय संचालित है। यदि हां, तो कब से? क्या उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन की ओर से धन की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कितने धन की? यदि नहीं, तो धन की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

डा० मसूद अहमद–

जी हां।

शैक्षिक सत्र 1992-93 से वित्तीय वर्ष 1993-94 में कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कोई समय सीमा इंगित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन की व्यवस्था जिला योजनान्तर्गत जिला सलाहकार समिति द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम व उ०प्र० राज्य सेतु निगम के लेखा संवर्ग हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता अनुभव सम्बन्धी शर्तों में भिन्नता के कारण वेतनमान में असमानता

78—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम व उ० प्र० राज्य सेतु निगम के लेखा संवर्ग में कौन-कौन से पद सृजित हैं? इन पदों के क्रमशः वेतनमान एवं मौलिक शैक्षिक योग्यतायें क्या-क्या निर्धारित हैं? क्या दोनों निगमों में इस सम्वर्ग के वेतनमानों में कुछ असमानता है? यदि हां, तो इसका मूल आधार एवं औचित्य क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना संलग्न है।

जी हां।

भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता अनुभव सम्बन्धी शर्तों में भिन्नता के कारण वेतनमानों में असमानता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 189 पर)

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सदरुद्दीन नगर व हलौली के बीच हिन्डन नदी पर सेतु निर्माण की योजना

79—श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सदरुद्दीन नगर व हलौली के बीच हिन्डन नदी पर सेतु निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य शुरू होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

80—श्री सुधीर कुमार बालियान–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ लखनऊ द्वारा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण न किये जाने के कारणों की जानकारी

81—श्री राम विशुन आजाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1991 में प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ, लखनऊ द्वारा चतुर्थ से तृतीय श्रेणी में पदोन्नतियां की गई हैं? यदि हां, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की उसमें संख्या एवं नाम क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

चूंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी नियमानुसार पात्रता क्षेत्र में नहीं आता था अतः उसकी पदोन्नति नहीं की गई।

जनपद गोण्डा बभनान शुगर मिल के गन्दे प्रदूषित पानी से हुई किसानों की क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग

82—श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, मनकापुर द्वारा वर्ष 1990-1991, 1992-93 में बभनान शुगर मिल के गंदे पानी से प्रभावित किसान ग्राम बभनी और महरागौरा की सूची बनवायी गयी थी? यदि हां, तो क्या कृषकों के फसल की क्षतिपूर्ति मिल द्वारा की गयी? यदि नहीं, तो कब तक क्षतिपूर्ति की जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बभनान शुगर मिल में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना वर्ष 1991 में की गयी थी। दिनांक 3-12-93 के एकत्रित उत्प्रवाह के विश्लेषण में बी०ओ०डी० 28 मिलीग्राम/लीटर पायी गयी जो निर्धारित मानकों के अनुरूप है। इस प्रकार इस उद्योग द्वारा निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह प्रदूषित नहीं है।

क्षतिपूर्ति आदि के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड नवाबगंज में निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला गैलनग्रिन्ट के भवन में प्रधानाचार्य द्वारा किये गये गबन की जांच हेतु पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

83—श्री राम विशुन आजाद–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वि० ख० नवाबगंज (गोण्डा) में प्राइमरी पाठशाला गैलन ग्रिन्ट के भवन निर्माण हेतु दिनांक 19-2-90 को तीस हजार रुपया प्रधानाध्यापक ने बैंक से निकाला था और उसी दिन प्रधानाध्यापक द्वारा स्टेट बैंक, नवाबगंज (गोण्डा) में अपने निजी

खाते में बीस हजार रुपया जमा कर लिया गया है? यदि हां, तो गैलन ग्रिन्ट ग्राम सभा के प्रधान ने जिलधिकारी गोण्डा एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा को सम्पूर्ण विवरण सहित कई शिकायती पत्र क्रमशः दिनांक 15-4-90, 23-7-90, 31-7-90 को दिये थे? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही होगी?

डा० मसूद अहमद–

प्रकरण में जांच करायी जा रही है।

जांच के पश्चात् दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में दि सेकसरिया शुगर मिल बिसवां सीतापुर द्वारा प्रदूषित पानी को खेतों में जाने से हुई क्षति के क्षतिपूर्ति का मामला

84—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि सेकसरिया शुगर मिल, बिसवां, सीतापुर द्वारा प्रदूषित पानी को खुले खेतों में छोड़ देने से कितने एकड़ भूमि जलमग्न होकर बेकार हो गयी है? क्या सरकार कृषि योग्य भूमि जो प्रदूषित पानी के द्वारा जलमग्न रहती है, उस भूमि के किसानों को मुआवजा दिलायेगी? यदि हां, तो प्रति एकड़ की दर शासन द्वारा क्या निर्धारित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उद्योग मेसर्स दि सेक्सरिया शुगर मिल, बिसवां, सीतापुर द्वारा 2500 टन/दिन गन्ने की पिराई करके चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 14-12-93 एवं 29-12-93 को उद्योग द्वारा निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या के अनुसार उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुसार है। जिससे यह पुष्टि होती है कि उद्योग द्वारा प्रदूषित पानी नहीं छोड़ा जाता है।

जहां तक जलमग्न होकर जमीन बेकार होकर क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न है इसका प्राविधान जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नहीं है।

दि सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद सीतापुर से निकलने वाले प्रदूषित जल को उनेरा माइनर में डाले जाने की शिकायत

85—श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दि सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद (सीतापुर) द्वारा निकलने वाले प्रदूषित पानी को उनेरा माइनर में डाला जाता है? क्या इस पानी को उक्त माइनर में जाने से रोक दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह का कुछ भाग उनेरा माइनर में जाता है।

उद्योग द्वारा यद्यपि उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हो गया है परन्तु उक्त संयंत्र को समुचित रूप से संचालित न किये जाने के कारण निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका 3727/85 में उद्योग को बोर्ड के मानकों को प्राप्त करने हेतु 30-11-93 तक का समय प्रदान किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 28-1-94 के आदेशों द्वारा उद्योग को बोर्ड के मानकों को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में उद्योग बन्द है।

मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

लागू नहीं।

सूचना "ख" के अनुसार।

जनपद झांसी में ग्राम परासई, मठ, बाजना, गुणा, इमिलिया, बछौनी, बिरहरा, खंडी, कोटी के प्राइमरी विद्यालयों को बन्द रहने की शिकायत

86—श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि झांसी जनपद में ग्राम परासई, मठ, बाजना, गुणा, इमिलिया, बछौनी, बिरहटा, खंडी, कोटी के प्राइमरी विद्यालय दो वर्ष से बन्द पड़े हैं? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं? यदि अध्यापक नियुक्त हैं तो क्या वे सभी विद्यालय को जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त विद्यालय शासन द्वारा शीघ्र खोले जायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

अध्यापक नियुक्त हैं।

अध्यापक विद्यालय जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय पूर्व से ही खुले हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा फैले प्रदूषण को रोकने की मांग

87—श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा फैले प्रदूषण से ग्राम मड़ोर, हाजीपुरा, बड़ा गांव के कितने व्यक्तियों की जानें गई हैं? कितने

लोगों को डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री ने मुआवजा दिया है व कितनों को मुआवजा दिया जाना अभी शेष है? क्या प्रदूषण से हुयी हानि व जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के कारण फैक्ट्री को अन्यत्र हटाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 15-4-94 को जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित गांवों में डायमंड सीमेंट फैक्ट्री के प्रदूषण से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

लागू नहीं।

जी नहीं। उद्योग द्वारा सीमेंट उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग फिल्टर्स आदि की व्यवस्था स्थापित की गई है जो कि संतोषजनक है। दिनांक 21-7-93 तथा 8-1-94 को चिमनी से उत्सर्जन की मात्रा जांच करने पर बोर्ड मानकों के अनुरूप कार्य बाकी है।

लागू नहीं।

जिला बलिया की श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज बिल्थरा रोड के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के अतिरिक्त मनमाने तरीके से वसूली गई फीस तथा उसके खर्च के विवरण की जानकारी

88—श्री मुक्ति नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्याम सुन्दरी बालिका इण्टर कालेज, बिल्थरा रोड, जिला बलिया के प्रधानाचार्या द्वारा छात्राओं से फीस के अलावा मनमाने ढंग से पैसे की वसूली की जाती है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाचार्या द्वारा उक्त स्कूल की साज-सज्जा के कार्यों में भी गोलमाल किया गया है? क्या सरकार वर्ष 1990 से दिसम्बर, 1993 तक कक्षा–8 से कक्षा–12 तक की छात्राओं द्वारा ली गयी फीस व अन्य पैसे का विवरण देगी? उक्त स्कूल की साज-सज्जा में कितना पैसा, कहां-कहां पर खर्च किया गया है? क्या सरकार इसका सत्यापन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला ग्राम भदौरा–तरछापार, विकास खण्ड सीयर में शिक्षा की स्थिति तथा भवन की स्थिति का जर्जर होना

89—श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बलिया अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला ग्राम भदौरा–तरछापार, विकास खण्ड सीयर में छात्रों की संख्या नहीं के बराबर है? यदि हां, तो क्या

यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में अध्यापकों की अनुपस्थिति व पढ़ाई का संचालन ठीक ढंग से न होने से ही छात्रों की संख्या कम हो गयी है? यदि हां, तो इस संबंध में जिला बेसिक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया का कार्य देख रहे वर्तमान अधिकारी द्वारा वर्ष 1992-93 दिसम्बर तक कितने बार उक्त स्कूल का निरीक्षण किया गया है? क्या यह भी सही है कि विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत सभी प्राइमरी पाठशालाओं की हालत जर्जर बनी हुई है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी द्वारा कोई ठोस कदम उठाकर उक्त विद्यालयों की दशा को ठीक कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं, ग्राम भदौरा में कोई परिषदीय प्राइमरी विद्यालय नहीं है, वरन् तरछापार में परिषदीय विद्यालय संचालित है जिसमें 169 छात्र तथा 4 शिक्षक हैं।

जी नहीं, छात्रों की संख्या का ह्रास नहीं हुआ है।

जिला बेसिक जिला अधिकारी बलिया का कार्य देख रहे अधिकारी द्वारा उक्त स्कूल का निरीक्षण नहीं किया गया है।

जी नहीं, केंवल दो विद्यालय सीयर नम्बर 1 व 2 के भवन की हालत जर्जर है।

जी हां,

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई ग्राम व पोस्ट मझगवां, तहसील सण्डीला में श्री मूलचन्द का उसकी जमीन की अवैध रजिस्ट्री किये जाने विषयक शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

90—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मूल चन्द निवासी ग्राम व पोस्ट मझगवां, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का कोई प्रार्थना-पत्र श्री अवधपाल सिंह यादव, विधायक के उपरिपत्र के साथ दिनांक 12-1-94 से 15-1-94 के मध्य प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि उनके पिता श्री राम दास, जो अनुसूचित जाति के हैं उन्हीं के गांव के श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्र ने अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए उनके मकान की एक किता को रजिस्ट्री करा ली है, जो अवैध है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

प्रश्नगत विक्रय-पत्र के परीक्षण से विदित हुआ है कि रजिस्ट्री के अवसर पर लेखपत्र पर किये गये पृष्ठांकन में विक्रेता के विरुद्ध अनुचित साधनों के प्रयोग का उल्लेख नहीं है, बल्कि विक्रेता की स्वतंत्र सहमति उसमें अंकित है। विक्रय-पत्र को अवैध या विधि सम्मत घोषित करने का अधिकार सक्षम न्यायालय में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बिक्रीकर समाप्ति की घोषणा पर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में सरकार की नीति

91—श्री दया सिन्धु शंखधर—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा की गयी बिक्री कर समाप्ति की घोषणा पर उक्त विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में सरकार की नीति क्या होगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए बिक्री कर की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में निर्णय लेते समय बिक्री कर विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के पहलू को ध्यान में रखा जाएगा।

झांसी में चलायी जा रही भवनहीन प्राथमिक पाठशालाओं हेतु भवन बनाये जाने की मांग

92—श्री रतन लाल अहिरवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में कितनी भवनहीन प्राथमिक पाठशालायें चलायी जा रही हैं? उन पाठशालाओं में छात्रों के शिक्षा-अध्ययन की व्यवस्था किस प्रकार पर की गई है? क्या उक्त विद्यालय भवन शासन द्वारा बनेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि हां, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद—

ग्रामीण क्षेत्र में 3 तथा नगर क्षेत्र में 51 भवनहीन प्राथमिक पाठशालायें चल रही है।

प्राथमिक विद्यालय, सेरसा व कन्या प्राथमिक विद्यालय सेरसा में छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था मंदिर में तथा प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुरा में छात्रों के शिक्षा की व्यवस्था ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त भवन में चल रही है। नगर क्षेत्र के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था किराये के भवनों में चल रही है।

ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी पाठशालाओं के भूमि संबंधी विवाद समाप्त हो जाने के पश्चात् तथा नगर क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होने तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कराया जायेगा।

राजकीय निर्माण निगम में वर्ष 1993-94 में शेष अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रोन्नति में हो रहे विलम्ब के कारणों की जानकारी

93—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम में वर्ष 1993-94 में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को, किस-किस तिथि को, किस-किस पद पर प्रोन्नत किया गया है? क्या उक्त पद एवं उनके वेतनमान शासन द्वारा सृजित हैं? यदि हां, तो अब शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति में हो रहे विलम्ब का मूल कारण क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा में श्री गुरू नरहरि स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरे तिवारी, गोण्डा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहनलाल के मूल वेतन, सेलेक्शन ग्रेड आदि के विवरण की जानकारी

94—श्री राम विशुन आजाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में श्री गुरू नरहरि स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूरे तिवारी, गोण्डा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत श्री मोहनलाल के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता क्या है? क्या यह भी सत्य है कि 10 वर्ष के बाद तथा 15 वर्ष के बाद सेलेक्शन ग्रेड उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच के बाद सम्पूर्ण तथ्य सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

डा० मसूद अहमद—

प्रश्नगत विद्यालय के श्री मोहन लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचरी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31-7-92 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के समय उनका मूल वेतन रु० 912/- तथा उस पर वेतन का 83 प्रतिशत महंगाई भत्ता रु० 757/- दिया गया है।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन द्वारा अलग से सेलेक्शन ग्रेड नियत नहीं है, वरन् 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त उन्हें सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के लिए साधारण वेतनमान में ही एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का प्राविधान है, जो उन्हें नियमानुसार दिया गया है। 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर किसी विशेष लाभ की अनुमन्यता का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत चाँदपुर-लहुरीमऊ मार्ग के बीच नोन नदी के अधूरे पुल को पूरा किये जाने की मांग

95—श्री मदन गोपाल वर्मा तथा श्री राकेश कुमार सचान—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत चांदपुर-लहुरीमऊ मार्ग के बीच नोन नदी पर पुल के निर्माण का कार्य, जो वित्तीय वर्ष 1989-90 में प्रारम्भ कराया गया था, अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों? उक्त अधूरे पुल के निर्माण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इस कार्य को प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

प्रश्नगत सेतु को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सुल्तानपुर में जामे भादुर मार्ग को न बनाये जाने के कारणों की जानकारी

96—श्री तेजभान सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में जामे भादुर मार्ग की राज्य सेक्टर से शासनादेश संख्या 871/ई/23 लोनिवि 13 135 ई-90, दिनांक 1-4-91 39.61 कि०मी० की 146.28 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। क्या उक्त मार्ग को शासनादेश संख्या-1893 ई/23 लोनिवि अनु० 1179 ई-81, दिनांक 30-5-92 द्वारा स्वीकृति निरस्त कर दी गई? यदि हां, तो क्यों? इस मार्ग पर अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है? क्या इस मार्ग का अवलोकन प्रमुख अभियन्ता मुख्य अभियन्ता ने किया है? यदि हां, तो वर्तमान में सड़क की स्थिति क्या है? क्या यह मार्ग इस क्षेत्र के लिये सबसे आवश्यक मार्ग है। यदि हां, तो क्या सरकार इसको पुनः स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हाँ।

जी हाँ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति निरस्त की गई थी।

उक्त मार्ग पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात नहीं है।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद देवरिया की राज्य चीनी निगम इकाई में कार्यरत प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का शिकायती-पत्र एवं बिन्दुवार जाँच की माँग

97—श्री नन्द किशोर मिश्र—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का कोई शिकायती-पत्र 14-7-92 का राज्य चीनी निगम इकाई, भटनी, देवरिया के कार्यरत प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध मिला है? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार जांच में कौन से तथ्य उभर कर प्रकाश में आये तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पूर्व विधायक श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का शिकायती-पत्र दिनांक 14-7-92/27-7-92 निगम में प्राप्त हुआ था जिस पर जाँच कार्यवाही की जा रही है।

98—श्री बच्चा पाठक—

[6ठें मंगल में अता०प्र०सं० 120 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्राविधिक शिक्षा विभाग के बहुधंधी संस्थानों (पालीटेक्निक) में कार्यरत आशुलिपिकों/वरिष्ठ सहायकों के वेतन पुनरीक्षण का प्रकरण एवं लागू किये जाने की मांग

99—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी विभागों के आशुलिपिकों/वरिष्ठ सहायकों के वेतनमान में वृद्धि (1350—2200) वर्ष 1991 में की गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त वृद्धि प्राविधिक शिक्षा विभाग के बहुधंधी संस्थानों (पालीटेक्निक) में भी लागू की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त वेतनमान वृद्धि प्राविधिक शिक्षा विभाग में लागू कर दी जायेगी। यदि हां, तो उनके बकाया (एरियर) कब तक दे दिये जायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, वेतनमान रु० 1200—2040 के स्थान पर रु० 1350—2200 का वेतनमान स्वीकृत करने का सामान्य निर्णय लिया गया था।

उक्त वेतन वृद्धि प्राविधिक शिक्षा विभाग की बहुधंधी संस्थाओं में अभी लागू नहीं की गयी है। वेतन वृद्धि के प्रश्न पर शासन में विचार किया जा रहा है। निर्णयोपरान्त प्राविधिक शिक्षा विभाग में वेतनवृद्धि लागू की जा सकेगी तथा तदनुसार बकाया भुगतान करने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रदेश के सिनेमा आपरेटरों के वेतनमान का पुनरीक्षित न किया जाना

100—श्री जवाहर लाल दिवाकर—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना आयुक्त, उ० प्र० के पत्रांक 2224, दिनांक 29-12-92 व पत्रांक 48, दिनांक 16-4-93 व पत्रांक 133 दिनांक 18-6-93 व पत्रांक 1193, दिनांक 4-9-93 एवं पत्रांक 1481, दिनांक 11-1-94 जो प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, चीनी उद्योग अनुभाग को सम्बोधित है तथा जो सिनेमा आपरेटरों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने विषयक हैं प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उनके वेतनमान को पुनरीक्षित करने का आदेश शीघ्र शासन द्वारा जारी कर दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

सिनेमा आपरेटरों के वेतनमान पुनरीक्षित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

बरेली लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स के अवर अभियंता के पद पर नियमित न किये जाने के कारणों की जानकारी

101—श्री राजेश अग्रवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन/वर्कचार्ज में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स को अवर अभियन्ता के पद पर अब तक नियमित न किये जाने का क्या कारण हैं? क्या उक्त लोग विगत सात, आठ वर्षों से वहां कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या इनको निकट भविष्य में नियमित करने की शासन की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अवर अभियन्ता के पद पर नियमित नियुक्ति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती है।

दो को छोड़कर कोई दैनिक वेतन/वर्कचार्ज में सात व आठ वर्ष से वहां कार्यरत नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड बरेली में दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स का दैनिक वेतन दि० 25-5-92 से बढ़ाया जाना

102—श्री राजेश अग्रवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि राष्ट्रीय मार्ग निर्माण खण्ड, बरेली में दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा इंजी० का दैनिक वेतन लगभग तीन वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है? यदि हां,

तो क्या यह सही है कि दैनिक वेतन पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों का दैनिक वेतन कई बार बढ़ाया जा चुका है? क्या यह सत्य है कि इस समय एक बेलदार व एक डिप्लोमा इंजी० का दैनिक वेतन लगभग एक समान हो गया है? क्या डिप्लोमा इंजी० का दैनिक वेतन बढ़ाने की शासन की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं। दैनिक वेतन पर कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स का दैनिक वेतन दिनांक 26-5-1992 से बढ़ाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

103—श्री रंगनाथ—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

शाहगंज जिला जौनपुर स्थित रला शुगर मिल के अधिग्रहण के समय गन्ना उत्पादकों के बकाये गन्ने के मूल्य के भुगतान का मामला

104—श्री राम अचल राजभर—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहगंज, जिला जौनपुर स्थित रला शुगर मिल का अधिग्रहण कब हुआ? उक्त मिल पर अधिग्रहण के पूर्व जिला फैजाबाद के अकबरपुर परिक्षेत्र के गन्ना उत्पादकों का कितना गन्ना मूल्य बकाया था? उस बकाया के भुगतान के लिये क्या कार्यवाही शासन में विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अप्रैल, 1989 में।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य चीनी निगम से प्राप्त सूचनानुसार शाहगंज चीनी मिल द्वारा अकबरपुर क्षेत्र सहित अधिग्रहण से पूर्व अवधि का कुल 76.60 लाख रु० देय था। अकबरपुर क्षेत्र का अलग से विवरण एकत्र कराया जा रहा है।

जी नहीं। चूँकि प्रतिकर से संबंधित वाद मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

जनपद फैजाबाद के ग्राम शाहगंज निवासी श्री बल्देव प्रसाद यादव की "बारुन शाहगंज-इसौली" मार्ग निर्माण में अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा न देने के बजाय भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

105—श्री परशुराम यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के अस्थायी खण्ड-9 द्वारा बनवाने गये "बारून शाहगंज,—इसौली" मार्ग का

निर्माण कराये जाने के क्रम में तहसील बीकापुर के अन्तर्गत ग्राम शाहगंज निवासी श्री बल्देव प्रसाद यादव की 12 बिस्वा जमीन निर्माण कार्य में अधिग्रहीत की गयी है और संदर्भित मार्ग उक्त भूमि पर बनाया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त किसान की सड़क हेतु ली गयी 12 बिस्वा जमीन का प्रतिकर लो० नि० विभाग द्वारा उक्त श्री बल्देव प्रसाद को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विभाग द्वारा ली गयी उक्त भूमि का मुआवजा उक्त किसान को कब तक शासन द्वारा दिला दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

आंशिक भू भाग पर मार्ग बनाया गया।

जी नहीं।

मुआवजा के बजाय चकबन्दी प्रक्रिया में सार्वजनिक कटौती से भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

106—श्री मयंकर सिंह—

[विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

सीतापुर जनपदीय बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि का लेखा-जोखा आदि को व्यवस्थित न रखने की शिकायत

107—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जनपदीय बेसिक शिक्षा परिषद् के समस्त अध्यापक/अध्यापिकाओं सहित, कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा जोखा का कोई हिसाब ठीक से नहीं रखा जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त हिसाब व्यवस्थित रखने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद—

जी नहीं।

हिसाब व्यवस्थित रखा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

108—श्री राम कुमार शुक्ल—

[सातवें गुरु में अता० प्र० सं०-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

109—श्री घूरा राम—

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

पूर्व प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, रायबरेली को उच्च वेतनमान में प्रतिनियुक्ति करने के कारणों की जानकारी

110—श्री घूरा राम—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पूर्व प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, रायबरेली, जिनका नियमित चयन, उप शिक्षा निदेशक पद पर अनुशासनिक कार्यवाही चलते रहने के कारण नहीं किया गया है? यदि हां, तो उन्हें वरिष्ठ विशेषज्ञ (संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर का पद) विश्व बैंक परियोजना में उक्त तथ्यों को छिपाकर, उच्च वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा किस आधार पर किया गया है? क्या शासन उक्त अवैध नियुक्ति को निरस्त करने तथा तथ्यों को छिपाकर अनियमित प्रतिनियुक्ति कराने वाले अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय निर्माण निगम में 3 वर्ष से मस्टर रोल में कार्यरत उप अभियन्ताओं को नियमित करने का मामला

111–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम से 31 दिसम्बर, 1993 तक मस्टर रोल पर कार्यरत उप अभियन्ताओं में कितने ऐसे अभियन्ता हैं, जिन्हें निगम में कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है उन पर कितना प्रति माह व्यय होता है? कितने अभियन्ता ऐसे हैं जो सरकारी सेल हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं? क्या सरकार इन्हें शीघ्र नियमित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

1–दिनांक 31.12.93 तक मस्टर रोल पर कार्यरत उप अभियंताओं में से 77 उप अभियंता ऐसे हैं जिन्हें निगम में कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।

उन पर 1,50,000 रु० प्रति माह व्यय होता है।

दिनांक 31.12.93 तक 54 उप–अभियंता ऐसे हैं जो सरकारी सेवा हेतु निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं।

नियमितीकरण की कार्यवाही नियमित पदों की आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार की जाती हैं।

जनपद फर्रूखाबाद में स्थाई मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संख्या एवं विद्यालयों में छात्रों की संख्या की जानकारी

112–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कुल कितने व कौन-कौन से स्थाई मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं? क्या सरकार को यह भी

जानकारी है कि उपरोक्त अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें वर्तमान सत्र सहित, विगत वर्ष के सत्रों में छात्र संख्या सौ से भी कम थी? यदि हां, तो इस प्रकरण पर सरकार की नीति क्या है?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० में नियमित तदर्थ रूप में नियुक्ति निगम कर्मचारियों/अधिकारियों को इम्पलाई/सर्विस कोड आवंटित कराने के किसी प्राविधान की व्यवस्था का न होने की स्थित

113–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में वर्ष 1991 के बाद नियमित/तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये निगम कर्मचारियों/अधिकारियों को इम्पलाई/सर्विस कोड आवंटित नहीं किये जा सके है? यदि हां, तो इसमें लगातार हो रहे विलम्ब का कारण क्या है? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं? सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में कार्यकारी मैनुअल के अनुरूप वर्तमान समय में निगम में क्रमशः सहायक स्थानिक अभियन्ता, स्थानिक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता की स्थिति भिन्न होने के कारणों की जानकारी

114—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब उ०प्र० निर्माण निगम में कार्यकारी मैनुअल, 1984 में एक सहायक स्थानिक अभियन्ता/स्थानिक अभियन्ता के अधीन दो उप अभियन्ताओं को रखे जाने का प्राविधान है क्या वर्तमान समय में निगम में क्रमशः सहायक स्थानिक अभियन्ता, स्थानिक अभियन्ता एवं उप अभियन्ताओं की वास्तविक स्थिति क्या इससे भिन्न है? उपरोक्त में से प्रतिनियुक्ति पर कितने-कितने अभियन्ता कार्यरत हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विष्णु नगर शिक्षा निकेतन कन्या इण्टर कालेज खुर्शेदबाग लखनऊ में आरक्षित शिक्षक के पद पर सवर्ण की भर्ती किये जाने का आरोप एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही मांग

115—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु नगर शिक्षा निकेतन कन्या इण्टर कालेज, खुर्शेद बाग, लखनऊ में शिक्षिकाओं के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों पर सवर्णों की

भर्ती कर लिए जाने विषयक कोई प्रकरण प्रश्नकर्त्ता के माध्यम से शासन के संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो उस प्रकरण पर क्या कार्यवाही हुई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ ।

श्रीमतीं आरती दीक्षित की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया है ।

जनपद बिजनौर बेर खेड़ा घाट पर रामगंगा के पुल के निर्माण किये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

116—श्री महाबीर सिंह (बिजनौर)

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उन्होंने अपने पूर्व मंत्रित्व काल में, बिजनौर जनपद में "बेर खेड़ा घाट पर" राम गंगा का एक पुल का शिलान्यास किया था और उसी समय निर्माण के लिये धनराशि की घोषणा भी की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है ? यदि नहीं, तो उक्त पुल का निर्माण जनहित में कब शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

जी हाँ ।

वर्तमान मे उक्त कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वीकृति के अभाव में ।

जनपद बिजनौर में स्योहरा नगरपालिका में किसी कन्या डिग्री कालेज का स्वीकृत न होना

117—श्री महाबीर सिंह (बिजनौर)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर में स्योहरा नगरपालिका में एक कन्या डिग्री कालेज स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण उक्त स्थल पर ही कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सिद्धार्थनगर के अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग डिवीजन बांसी को श्री विश्वनाथ पाण्डेय भू०पू० विधायक द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

118—श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग डिवीजन बांसी को एक प्रार्थना-पत्र जांच के लिए माह फरवरी, 1993 ई० में विश्वनाथ पाण्डेय, भू०पू० विधायक के द्वारा (रजिस्ट्री पत्र) भेजा हुआ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच कब तक किसके द्वारा करवाई गई? जांच का परिणाम क्या हुआ ? क्या जांच के समय की सूचना विश्वनाथ पाण्डेय को दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ ।

उक्त पत्र की जांच फरवरी, 1993 में कार्य अधीक्षक, अस्थाई विभागीय इकाई, लोक निर्माण विभाग, बांसी द्वारा की गई ।

शिकायतकर्ता का आरोप सत्य नहीं पाया गया ।

जी नहीं ।

चूंकि कथित आरोप जांच के उपरान्त सही नहीं पाया गया इस लिए शिकायतकर्त्ता को सूचना देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के ग्राम पटवाई में इण्टर कालेज की स्थापना किए मांग

119—स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के ग्राम पटवाई से 20-20 कि०मी० दूरी तक कोई इण्टर कालेज न होने के कारण पटवाई क्षेत्र के छात्र-छात्रायें इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पटवाई क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को इंटरमीडिएट की शिक्षा दिलाने हेतु ग्राम पटवाई में इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । पटवाई में इण्टर शिक्षा सुविधा नहीं है किन्तु निकटस्थ विद्यालय में उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही उठता ।

सीधे इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद के ग्राम-कूप में छात्र छात्राओं के लिए हाईस्कूल की स्थापना किये जाने की माँग

120—स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-रामपुर की तहसील-शाहबाद के ग्राम-कूप से 15-15 कि०मी० की दूरी तक कोई हाईस्कूल न होने के कारण कूप क्षेत्र के छात्र छात्रायें जू० हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त करके हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कूप क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को हाईस्कूल की स्थापना करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं। निकटस्थ विद्यालयों में शिक्षाग्रहण करते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बालकों के हाईस्कूल खोलने की योजना नहीं है।

जिला गोरखपुर में दि किसान सहकारी चीनी मिल, धुरियापार के किसानों की अधिगृहीत भूमि के एक व्यक्ति को सेवा में लेने के अनुबन्ध के अनुसार सेवा में लिये जाने की माँग

121—श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला अन्तर्गत दि किसान सहकारी चीनी मिल, धुरियापार के लिये जिन किसानों की भूमि ली गई है, उन खातेदारों में से कम से कम एक व्यक्ति को, जिनकी सेवायें लेने का अनुबन्ध किया गया है, उन खातेदारों मे से कितने लोगों को मिल की सेवा में लिया गया? उनके नाम तथा उनके खातों का नम्बर क्या है? यदि नहीं लिये गये, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मिल निर्माणाधीन है। अतः किसी भी खातेदार के व्यक्ति को मिल को सेवा में नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है।

आवश्यकता नहीं है।

मिल निर्माणाधीन है, अतः कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है। अभी फिलहाल वर्तमान समय में सिर्फ 52 व्यक्ति ही दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं।

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नम्बर-2 लो० नि० वि० लखनऊ के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या एवं रिक्त पदों को पूर्ति करने की माँग

122—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नम्बर-2, लो० नि० वि०, लखनऊ के अन्तर्गत कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त है? क्या इस संबंध में खण्ड द्वारा विभाग एवं शासन को अवगत करा दिया गया है? यदि हां,तो क्या विभाग द्वारा रिक्त पदों की भर्ती हेतु स्वीकृत दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

05 (पाँच) पद रिक्त हैं।

खण्ड द्वारा विभाग को अवगत कराया जा चुका है।

नियमानुसार कार्यवाही के आदेश हैं। प्रश्न नहीं उठता।

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नम्बर–2 लो० नि० वि० लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के वर्ष 1991 से 1994 तक के अवशेष देयों का भुगतान का मामला

123—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नम्बर-2, लो० नि० वि०, लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी अनियमित कार्य प्रभावित कर्मचारियों को वर्ष 1991-92, 1992-93, 93-94 का अवशेष देय का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कथित कर्मचारियों का कथित अवधि का भुगतान बाकी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड न०-2 लो० नि० वि० लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने की माँग

124—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नम्बर–2, लो० नि० वि०, लखनऊ में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी किन-किन जगहों पर कार्यरत हैं? क्या विभाग इन कर्मचारियों को नियमित करने की स्वीकृत प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-2, लो० नि० वि० में 15 श्रमिक दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं।

नियमित पदों पर नियुक्ति नियमानुसार करने के आदेश हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में फतेहगंज नरायनपुर रोड से बनी मोहनमार्ग तक चक ऐन-कन्जाखेड़ा मार्ग तक चक-ऐन सादुल्लानगर मार्ग को सोलिंग डामर तक बिछाने का प्रस्ताव

125—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्र में फतेहगंज नरायनपुर रोड से बनी मोहान मार्ग तक "चक-ऐन-कन्जा खेड़ा मार्ग" तक "चक-ऐन-सादुल्लानगर मार्ग" की सोलिंग के बाद डामर बिछाने का कार्य शासन से वर्तमान वित्तीय वर्ष में होना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त दोनों मार्गों का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद लखनऊ में सरोजनीनगर क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत ऐन से महाराजगंज (उन्नाव) तक के मार्ग की पटरी का सोलिंग कार्य कराये जाने की माँग

126—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में सरोजनीगर क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत ऐन से महाराजगंज (उन्नाव) तक का मार्ग नहर की पटरी के बायीं ओर स्थित चौड़े कच्चे रोड पर कब तक सोलिंग करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कोई योजना नहीं है।

परियोजना स्वीकृत नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मस्टर रोल पर कार्यरत उप अभियन्ताओं में अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कर्मचारियों की जानकारी तथा उन्हें नियमित किये जाने की मांग

127—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्यां लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम में मस्टर रोल पर कार्यरत उप अभियन्ताओं में कितने अनुसूचित जाति /जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं? इनका नियमितीकरण किये जाने में वर्तमान सरकार की नीति क्या हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्तमान में उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में मस्टर रोल पर कार्यरत उप-अभियंताओं में अनुसूचित जाति के 06, अनुसूचित जनजाति के शून्य, पिछड़े वर्ग के 31 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 11 कर्मचारी हैं।

वर्तमान में नियमानुसार मस्टर रोल कर्मचारियों का नियमितीकरण सम्भव नहीं है।

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता एवं लेखाकार के वेतनमानों की जानकारी एवं दोनों पदों की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव की शर्तों की जानकारी तथा दोनों वेतनमानों को संशोधित करने की मांग

128—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता एवं लेखाकार का वेतनमान क्रमशः क्या-क्या है? उक्त पदों के लिये निर्धारित मूल शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव की क्या-क्या शर्तें निर्धारित हैं? उक्त वेतनमान कब से लागू हैं? क्या उपरोक्त दोनों वेतनमानों में कोई संशोधन प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता का वेतनमान रु० 1400-40-1800 द० रो०--50-2300 एवं लेखाकार का वेतनमान रु० 1400-40–1600-50-2300-द० रो०-60-2600 है। इन पदों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं एवं शर्तें निर्धारित हैं:–

अवर अभियन्ता

शैक्षिक योग्यता

1—हाईस्कूल तथा ओवरसीयर का प्रमाण-पत्र अथवा सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा शासन द्वारा निर्धारित संस्थाओं से।

2—हिन्दी का ज्ञान रखने का–हिन्दी पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होने का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी अथवा शिक्षा उत्तीर्ण करने की संस्था के प्रधान का प्रमाण-पत्र।

विशेष योग्यता–अभ्यर्थी जो टेरीटोरियल आर्मी में कम से कम 2 वर्ष सेवा कर चुका हो अथवा एन०सी०सी० का "बी" सार्टीफिकेट प्राप्त हो, तो अन्य अभ्यर्थियों को अन्य सभी बातें बराबर होने की दशा में वरीयता दी जायेगी।

अनुभव- अनुभव की कोई शर्त नहीं है।

लेखाकार–

सीधी भर्ती में डी०टी०ई० या एम०काम (बी०काम में एकाउन्टेन्सी के साथ) शैक्षिक योग्यता निर्धारित है तथा अनुभव का प्रतिबन्ध भर्ती के समय नहीं है।

उक्त वेतनमान 1-1-86 से लागू हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में वेतनमान के संशोधन का औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० के कार्यकारी मैनुअल में मस्टररोल उप अभियन्ताओं को तीन वर्ष की नियमित निगम सेवा के उपरान्त एम० बी० पावर दिये जाने की मांग

129—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के कार्यकारी मैनुअल में मस्टर रोल उप अभियन्ताओं को तीन वर्ष की नियमित निगम सेवा के उपरान्त एम०बी० पावर दिये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो अब तक मात्र 47 (सैंतालिस) उप अभियन्ता मस्टर रोल को ही एम० बी० पावर दिये जाने का आधार क्या है? क्या सरकार अन्य उन सभी उप अभियन्ताओं (मस्टर रोल) को भी एम०बी० पावर प्रदान किये जाने के निर्देश देगी जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक की निगम सेवा पूर्ण कर ली है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला वाराणसी में पिंडरा से वाया ओदार-गरथमा मार्ग ब्लाक पिंडरा व कठिरांव से वाया ढोरा बरही नेवादा के बड़े मार्ग ग्रामीण मार्गों की श्रेणी में न आने के कारण इन्हें स्टेट सेक्टर में स्वीकृत किया जाना

130—श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि पिंडरा से वाया ओदार-गरथमा मार्ग ब्लाक पिंडरा व कठिरांव से वाया ढोरा बरही नेवादा मार्ग ब्लाक बड़ा गांव जिला वाराणसी बड़े-बड़े मार्ग हैं। जो जिला योजना के अन्तर्गत नहीं लिये जा सकते? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों मार्गों को स्टेट सेक्टर में लेकर धन स्वीकृत करके वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष में बनवाने की कृपा करेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह दोनों बड़े-बड़े मार्ग हैं, परन्तु ग्रामीण मार्गों की श्रेणी में आने के कारण इन्हें स्टेट सेक्टर में स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

जनपद गाजियाबाद की जिला योजना में राजकीय बालिका विद्यालय, विजयनगर की चहारदीवारी हेतु निर्धारित परिव्यय में आय-व्ययक का प्राविधान न होना

131—श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 की गाजियाबाद जनपद की जिला योजना में राजकीय बालिका विद्यालय, विजय नगर, गाजियाबाद की

चहारदीवारी हेतु 1 लाख 37 हजार रुपये का प्राविधान किया गया था? क्या उक्त धन अवमुक्त हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ। परिव्यय निर्धारित था किन्तु आय-व्ययक में प्राविधान नहीं था।

जी नहीं।

उक्त कार्य हेतु वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय जू०हा० स्कूलों में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क की दरों में निर्धारित व्यवस्था की जानकारी

132—श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि परिषदीय जू० हा० स्कूलों में क्रीड़ा शुल्क प्रति छात्र दो रुपया है तथा कालेजों में क्रीड़ा शुल्क प्रति छात्र 35 पैसा है तथा इसी तरह विकास शुल्क प्रति छात्र परिषदीय विद्यालयों में 2.00 रु० है एवं कालेजों में 50 पैसा है। यदि हां, तो ऐसी दोहरी व्यवस्था का क्या कारण है ?

डा० मसूद अहमद–

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क दो रुपया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क की दर कक्षावार निम्नवत् है:–

कक्षा 6 से 8 तक	19 पैसा प्रतिमास
कक्षा 9 और 10 तक	25 पैसा प्रतिमास
कक्षा 11 और 12	37 पैसा प्रतिमास

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विकास अभिदान शुल्क 2/- रुपया है। माध्यमिक विद्यालयों में विकास शुल्क की दर निम्नवत् है:–

कक्षा 6 से 8 तक	50 पैसा प्रतिमास
कक्षा 9 और 10 तक	75 पैसा प्रतिमास
कक्षा 11 और 12	1.00 रु० प्रतिमास

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों की व्यवस्था माध्यमिक विद्यालयों से भिन्न है।

इलाहाबाद जनपद में अनुदानित हाई स्कूलों और इण्टर कालेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला

133—श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कितने अनुदानित हाईस्कूलों और इण्टर कालेजों में कई माह से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन भुगतान नहीं हुआ हैं? इस विलम्ब के लिये कौन लोग दोषी हैं?

डा० मसूद अहमद–

इलाहाबाद जनपद के आयोजनेत्तर विद्यालयों के 2 तथा योजनागत विद्यालयों के 12 कुल 14 विद्यालयों के कुछ अवधि का भुगतान प्रबन्धकीय विवाद के कारण नहीं किया जा सका है।

13 विद्यालयों के 54 पेंशनरों के पेन्शन का भुगतान माह फरवरी 94 एक विद्यालय का माह दिसम्बर 93 एवं जनवरी 94 का तथा दो विद्यालय का जनवरी 94 का पेंशन बिल विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

विद्यालय से बिल प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं तत्कालीन निदेशक अपर शिक्षा (पत्राचार शिक्षा) द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों की जाँच तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की माँग

134—श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा), जब सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पद पर कार्यरत थे तो अवैध और नियम विरुद्ध तरीके से काफी संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की थी? यदि हां, तो वह संख्या कितनी हैं? उन पर अब तक शासन के ऊपर कितना अनावश्यक वित्तीय व्यय भार पड़ा है? क्या इस गम्भीर अनियमितता तथा राजकोष का अपव्यय करने वाले उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला लखनऊ में सहाय सिंह बालिका विद्यालय नरही, लखनऊ में 1980 से 1993 तक की गई नियुक्तियों में आरक्षण का न पूरा किया जाना

135—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ में स्थित सहाय सिंह बालिका विद्यालय, नरही में विगत फरवरी, 1980 से दिसम्बर, 1993 तक कितनी अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गई हैं। इनमें से कितनी अध्यापिकाएं अनुसूचित जाति की हैं? क्या आरक्षण के

नियमों का पालन नियुक्ति अधिकारियों द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

लखनऊ स्थित सहाय सिंह बालिका विद्यालय नरही में प्रश्नगत् अवधि में कुल बारह अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई है जिनमें से एक अध्यापिका अनुसूचित जाति की है। उक्त संस्था के प्राइमरी अनुभाग में की गयी नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है किन्तु स्नातक वेतनमान के पदों पर की गई नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। भविष्य में होने वाली नियुक्यिों में आरक्षित कोटा पूर्ण करने के निर्देश प्रबन्धक को दिये जा चुके हैं।

जनपद हरदोई में मेंहदीघाट गंगापुल के लिए निर्मित छिबरामऊ से पुल तक के पहुँच मार्ग को ऊँचा किये जाने की माँग

136—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मेंहदीघाट गंगापुल के लिए निर्मित छिबरामऊ से पुल तक के पहुंच मार्ग की ऊंचाई का प्रकरण शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक ऊंचा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो गंगा नदी की बाढ़ से सड़क को बचाने के कौन से उपाय करने जा रहे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला बाराबंकी के प्रान्तीय खण्ड के संयंत्रों रोलर, जीप, ट्रक्टर, मिक्सर आदि की मरम्मत हेतु सिविल खण्ड द्वारा किये गये खर्च के विवरण की जानकारी की मांग

137—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड, बाराबंकी में प्रत्येक संयंत्र रोलर, जीप, मिस्सोल, मिक्सर, ट्रक, ट्रक्टर आदि पर वर्ष 93–94 में सिविल खण्ड द्वारा मरम्मत एवं उसके चालन हेतु पी० ओ० एल० पर अलग-अलग संयंत्र पर कितना-कितना खर्च आया तथा कितना कार्य हुआ? क्या यह मुख्य अभियन्ता के निर्धारित नार्म्स के अन्तर्गत था? यदि नहीं, तो कितना अधिक खर्च हुआ तथा संबंधित अधिशासी अभियन्ता के अतिरिक्त कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

विवरण संलग्न है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 192 पर)

जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यालय अधिकारियों/ कर्मचारी के आवासों पर खोले जाने की शिकायत तथा उससे वसूली गयी किराये की धनराशि की जानकारी

138—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के विभागीय कार्यालय किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों में खोले गये हैं? क्या उनका स्टैन्डर्ड किराया स्वीकृत शासन की दर से अधिक भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस शासकीय हानि के लिये विभागीय अधिकारियों के वेतन से सेवा निवृत्त से पूर्व वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बाराबंकी में श्री अनिल कुमार अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण द्वारा की गई अनियमितता में निलम्बन तथा जांच के परिणामों की जानकारी

139—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग जब जनपद बाराबंकी में तैनात थे, तो इनके विरुद्ध चल रही जांचों को दबा दिया गया है? यदि नहीं, तो विगत सरकार में इनके निलम्बित होने का क्या कारण है? ये किन-किन आरोपों के अन्तर्गत निलम्बित किये गये? क्या सरकार इन्हे पुनः बहाल करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या इनके विरुद्ध पायी गयी शासकीय हानि की वसूली करने के आदेश जारी किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

अस्थायी खण्ड (भवन) लोक निर्माण विभाग, कानपुर में की गई अनियमितताओं के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर इन्हे निलम्बित किया गया है।

गबन, फर्जी निविदाओं पर आधारित अनुबन्ध पंजीकरण, फर्जी भुगतान द्वारा शासन 50.65 रु० लाख की अनुमानित हानि एवं गंभीर अनियमितताओं के लिए आरोपित किया गया था, तद्नुसार आरोपों का गंभीरता को देखते हुए निलम्बित किये गये थे।

जाँच अभी जारी है।

जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। शासकीय हानि की वास्तविक धनराशि आंकलित होने पर तथा जांच आख्या के प्राग्दर्शन के अनुसार दण्डन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

जनपद पीलीभीत में बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेशानुसार विकास खण्डों में समायोजन एवं स्थानान्तरण में की गई उपेक्षा की जांच एवं यथोचित कार्यवाही करने की मांग

140—श्री उदय प्रकाश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्रांक बे० शि० प०/वार्षिक प्रबन्ध/1895/2343/93–94, दिनांक 24–5–93 में दिये गये निर्देशों के अनुसार बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण एवं समायोजन किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित न कराये जाने से जनपद पीलीभीत में कितने विद्यालय बन्द एवं एकल विद्यालय हुये हैं? क्या मंत्री जी दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेशानुसार विकास खण्डों में समायोजन एवं स्थानान्तरण किए गये, लेकिन जनपद स्तर पर प्रार्थना पत्रों के आधार पर स्थानान्तरण किये गये।

जांच करायी जा रही है।

113 एकल अध्यापकीय विद्यालय हैं तथा 28 विद्यालयों में कोई अध्यापक नहीं रह गये थे जो अन्य विद्यालयों के शिक्षकों से अस्थायी व्यवस्था करके संचालित है।

जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्माण निगम मुख्यालय में तैनात प्रबन्धक (अनुश्रवण) की इंजी० के डिग्री की सत्यता की पुष्टि सही पाये जाने पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता का न होना

141—श्री देवेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निर्माण निगम मुख्यालय पर तैनात प्रबन्धक (अनुश्रवण) की इंजी० की डिग्री की सत्यता की पुष्टि के संबंध में निगम के किसी संघ का कोई शिकायती पत्र वर्ष 1991-92/1992-93 में प्रबन्ध निदेशक, को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसमें उठाये गये मूल बिन्दु क्या-क्या थे? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अधिकारी द्वारा इंजी० डिग्री कहां से और किस वर्ष में प्राप्त किस-किस वर्ष में इन्हें प्रोन्नति प्रदान की गई थी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में तैनात उक्त अधिकारी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सिविल इंजी० की डिग्री वर्ष 1974 में प्राप्त की थी।

इनकी निगम में योगदान की तिथि दिनांक 15-7-1977 है। इन्हें वर्ष 1983 एवं वर्ष 1990 में प्रोन्नति प्रदान की गई।

निर्माण निगम में भवन निर्माण हेतु सिविल विद्युत यांत्रिक कार्य के प्रतिशत के किसी मानक का निर्धारित न होना तथा मूल आधार की जानकारी

142—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम में आधुनिक तकनीकी परिवेश मे सिविल, विद्युत, यांत्रिक का अनुमानित प्रतिशत भवन निर्माण में क्या-क्या निर्धारित है? इनका मूल आधार किस निर्माण संस्था के आधार पर तय किया गया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

निर्माण निगम में भवन निर्माण हेतु सिविल, विद्युत यांत्रिक कार्य के प्रतिशत का कोई मानक निर्धारित नहीं हैं। कथित मानक-कार्य की प्रकृति पर निर्भर रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश सं० 1170 दिनांक 8 नवम्बर, 1983 के अनुपालन राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये जाने के परिणामतः जमा हुई धनराशि की जानकारी

143—श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश आदेश सं० 1170 दिनांक 08 नवम्बर, 1983 का पूर्णतः अनुपालन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो निगम के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त शासनदेश के अनुपालन में वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 (15 फरवरी, 1994) तक कितनी-कितनी धनराशि उक्त मद में जमा करायी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ रिंग रोड पर कानपुर मार्ग व हरदोई मार्ग के बीच उपरिगामी सेतुओं की निर्माण की स्थिति की जानकारी

144—श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में रिंग रोड न बनने के कारण कानपुर मार्ग व हरदोई मार्ग के बीच में दो उपरिगामी सेतुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो यह दोनों उपरिगामी सेतु कब तक बन जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं। आलमनगर स्टेशन के निकट उपरिगामी सेतु का कार्य पूर्ण है एवं उस पर यातायात चालू है। दूसरा उपरिगामी सेतु आर० डी० एस० ओ० के निकट निर्माणाधीन है जिस पर केवल रेलिंग लगना शेष है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में वर्ष 1991–92 एवं 1992–93 में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में बनी जनशक्ति नियोजन आदि में वर्णित पदों की वास्तविक स्थित की जानकारी

145—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में वर्ष 1991–92 एवं 1992–93 में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल में बनी जनशक्ति नियोजन आदि में कितने सहायक अभियन्ता/उप अभियन्ता का आधिक्य दर्शाया गया था? वर्तमान में उपरोक्त पदों की वास्तविक आवश्यकता/स्थिति क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनशक्ति नियोजन का प्रस्ताव अन्तिम नहीं हैं।

इस समय वास्तविक आवश्यकता/स्थिति का आकलन सम्भव नहीं है।

लोक निर्माण विभाग में वस्तुविद वर्ग में वस्तुविद इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्त न किया जाना तथा आर्कीटैक्ट ड्राफ्टमैन की शैक्षिक योग्यता एवं वेतनमान की जानकारी

146—श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में वास्तविद इंजी० शाखा में वास्तुविद इंजी० में त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को किस पद एवं वेतनमान में नियुक्त किये जाने का प्राविधान है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में ही आर्कीटैक्स ड्राफ्टमैन पद हेतु क्या शैक्षिक योग्यता एवं वेतन मान निर्धारित है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लोक निर्माण विभाग में वास्तुविद इंजीनियरिंग शाखा नहीं है बल्कि वास्तुविक वर्ग है। वास्तुविक वर्ग में वास्तुविद इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने का प्राविधान नहीं है।

लोक निर्माण विभाग में आर्कीटैक्ट ड्राफ्टमैन पद हेतु निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं वेतनमान निर्धारित है:–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० की हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा और बम्बई/महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त वास्तुशिल्प में इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र

या

सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक या अनुसंधान विभाग, उ० प्र० द्वारा प्रदत्त वास्तुशिल्पीय डिजाइन और मानचित्रकार, पांच वर्ष का पाठ्यक्रम का डिप्लोमा

या

प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० प्रदत्त वास्तुशिल्पीय सहायक (3 वर्ष का) पाठ्यक्रम का डिप्लोमा या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उसके समकक्ष डिप्लोमा वेतनमान–1400–2300 रु०

जनपद रायबरेली में राजकीय महिला महाविद्यालय में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की आवश्यकता

147—श्री अखिलेश सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-रायबरेली में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना दिनांक 12 सितम्बर, 1993 को हुई है जिसमें कि मात्र 2 महिला अध्यापिका कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में आवश्यकता के अनुरूप अध्यापिकायें नहीं हैं जिससे कि पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में आवश्यकता के अनुरूप अध्यापिकाओं के रिक्त पदों को तत्काल भरेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ। पद सृजन होने के उपरान्त चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

जिला सीतापुर में विवेक चीनी मिल, रामगढ़ हेतु कृषि योग्य अधिग्रहीत भूमि पर लगे वृक्षों के प्रतिकर के भुगतान का मामला

148—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विवेक चीनी मिल, रामगढ, जिला, जिला सीतापुर के लिए जो कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई है उसके तथा उस पर लगे वृक्षों के प्रतिकर का अन्तिम एवार्ड अब तक न होने का क्या कारण है? इस विषय में निर्णय कब तक हो जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

149—श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद मैनपुरी में चित्रगुप्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्नातक कक्षाओं को अस्थायी सम्बद्धता से युक्त करना तथा वर्ष 1992 से वर्ष 1994 तक के छात्रों की संख्या की जानकारी

150—ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चित्रगुप्त महाविद्यालय, जनपद मैनपुरी में विगत वर्षों से विज्ञान संकाय की स्नातक कक्षायें आदि प्रारम्भ कर दी गयी हैं? यदि हां, तो क्या इस महाविद्यालय के विज्ञान संकाय को शासन द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1992–93 एवं 1993–94 में विज्ञान संकाय में कुल कितने-कितने छात्र अध्ययनरत थे?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

उक्त विषय में अस्थायी सम्बद्धता कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदान की गई और आदेश राज्यपाल सचिवालय के पत्र दिनांक 10-8-90 द्वारा जारी किये गये।

अगस्त, 1990

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष	छात्र संख्या
1992–93	102
1993–94	206

यू० टी० सी० योग्यता एवं बी० टी० सी० योग्यता में अन्तर

151—श्री अकबर अली–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यू० टी० सी० योग्यता बी० टी० सी० प्रशिक्षण योग्यता के समकक्ष है? यदि नहीं, तो क्या जनहित में यू० टी० सी० योग्यता को बी० टी० सी० योग्यता के समकक्ष मान्यता प्रदान करने का कष्ट करेंगे?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर में विचाराधीन बिक्रीकर भवन का बनाये जाने का मामला

152—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सीतापुर में बिक्रीकर भवन बनाने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ।

इस कार्य के औपचारिक अनुमोदन तथा वित्तीय प्राविधान हो जाने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

पूर्व में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं तत्कालीन अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) द्वारा परिषद् के कार्यों हेतु किये गये अनियमित अग्रिम भुगतान के लिये कार्यवाही किये जाने की मांग

153—श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के रूप में परिषद् के कार्यों हेतु बहुत बड़ी धनराशि का अग्रिम भुगतान किया गया है जिसका समायोजन आज तक शासन द्वारा नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है? क्या इस गम्भीर वित्तीय अनियमितता करने वाले उपरोक्त अपर निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला लखनऊ में पलिया रोड से पचकोहरा होती हुई रामपुर मार्ग को राज्य सेक्टर से लेपन स्तर तक निर्माण किया जाना

154—श्री नरेश अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 90-91 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने लखनऊ पलिया रोड से पचकोहरा होती हुई रामपुर मार्ग को राज्य सेक्टर से लेपन स्तर तक निर्माण करने की स्वीकृति दी थी, जिस पर 2 कि० मी० तक कार्य हो चुका है? क्या यह भी सही है, वर्ष 1991 में तत्कालीन सरकार ने उक्त स्वीकृति को समाप्त करके निर्माण कार्य रोक दिया? यदि हां, तो क्या यह सरकार पनुः इस सड़क पर निर्माण करवाना शुरू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1989-90 में दी गयी थी तथा 2 कि० मी० की लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूरा किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधन के कारण।

जनपद हरदोई के जिलापरिषदीय प्राथमिक विद्यालयों ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1993 में नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत

155—श्री नरेश अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के जिला परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्रों) में माह जनवरी एवं फरवरी, 1993 में कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो इनमे से किन-किन सहायक अध्यापकों का माह, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 1993 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है? इस अनियमितता के लिये कौन उत्तरदायी है और शासन उसके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय निर्माण निगम लि० में सहायक प्रबन्धक (विधि) के पद की शैक्षिक योग्यता एवं वेतनमान की जानकारी तथा उक्त पद को सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) के रूप में समायोजित किया जाना

156—श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में सहायक प्रबन्धक (विधि) का पद किस वर्ष तथा किस वेतनमान में शासन/ब्योरों द्वारा स्वीकृति किया गया था? उक्त पद हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतायें एवं अनुभव की क्या-क्या शर्तें थी? वर्तमान समय में इस पद पर कौन कार्यरत है? यदि नहीं, तो क्यों? इस पद को कब तक प्रोन्नति द्वारा भर दिया जायेगा?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सहायक प्रबन्धक (विधि) का पद वर्ष 1979 में 550–1200 के वेतनमान में प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वीकृत किया गया था।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी कोई शर्त नहीं थी।

वर्तमान समय में इस पद पर कोई कार्यरत नहीं है।

उक्त पद को सहायक प्रबन्धक (कार्मिक) के पद के विरूद्ध समायोजित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम की इकाई-5 के परियोजना प्रबन्धक द्वारा की गई बम्बई यात्रा के उद्देश्य, व्यय आदि के खर्च की जानकारी

157—श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम की इकाई 5 के परियोजना प्रबन्धक द्वारा सितम्बर, 93 से दिसम्बर, 93 के मध्य कोई सरकारी यात्रा लखनऊ से बम्बई के लिये की गयी थी? यदि हां, तो इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्या? इस कुल कितना व्यय

आया? इसका भुगतान किस मद से किया गया? क्या सरकार इस अनियमितता के संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

निर्माणाधीन नक्षत्रशाला के संदर्भ में बम्बई स्थित वास्तुविद से परामर्श करना था।

इस यात्रा पर कुल 8,458/– रु० व्यय हुआ।

इसका भुगतान टी० ए० एवं कन्वेन्स मद से किया गया।

यात्रा निगम हित में की गई है, अतः अनियमितता का प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर से फर्रुखाबाद के सड़क मार्ग के सड़क गुरुसहायगंज तक की शेष सड़क को हाटमिक्स प्लाण्ट द्वारा बनाये जाने की मांग

158—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कानपुर से फर्रुखाबाद के सड़क मार्ग को गुरुसहायगंज तक कई वर्ष पूर्व हाटमिक्स प्लाण्ट द्वारा निर्मित कराया जा चुका है? यदि हां, तो गुरुसहायगंज से फर्रुखाबाद तक मात्र 45 किलोमीटर शेष सड़क मार्ग के हाटमिक्स प्लाण्ट द्वारा कब तक बनाया जाना प्रस्तावित है? इस मद में आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा द्वितीय तृतीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों से उच्च वेतनमान किसी भी पद के लिए स्वीकृत न किया जाना

159—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा अब तक किन-किन पदों लिये द्वितीय/तृतीय वेतन आयोग में संस्तुत वेतनमान से उच्च वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। उक्त में से किन-किन पदों को यह उच्च वेतनमान दिये जा रहे हैं और किस-किस वर्ष में? किन-किन पदों को निदेशक मण्डल के निर्णय के उपरान्त भी उच्च वेतनमान नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार इस असमानता को तत्काल समाप्त करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा द्वितीय/तृतीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों से उच्च वेतनमान किसी भी पद के लिये स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा इकाई/कार्यस्थल पर कार्यवाही मैनुअल के अनुसार सामान क्रय हेतु खरीद मूल्य तय करने हेतु अधिकृत अधिकारियों की समिति का विवरण

160—श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में इकाई/कार्यस्थल पर निगम की कार्यकारी मैनुअल आदि के अनुसार सामान क्रय करने के लिये खरीद मूल्य तय करने का अधिकार किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को है और सामान चोरी/खराब हो जाने की दशा में वसूली की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वसूली की प्रक्रिया से सर्वाधिक अंशदान देने वाला क्या खरीद प्रक्रिया से भी सीधे सम्बद्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो किस प्रकार से? क्या सरकार वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए इसमे परिवर्तन करने हेतु कोई ठोस निर्णय लेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

राजकीय निर्माण निगम में इकाई/कार्यस्थल पर कार्यकारी मैनुअल के अनुसार सामान क्रय हेतु खरीद मूल्य तय करने के लिये निम्नांकित अधिकारियों की समिति को अधिकार है:

1—इकाई प्रभारी।

2—लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम व्यक्ति।

3—(अ) स्थानिक अभियन्ता/सहायक स्थानिक अभियन्ता (यदि स्थानिक अभियन्ता उपलब्ध न हो)

(ब) उप अभियन्ता (जो इकाई प्रभारी के सीधे नियंत्रण में हो) को स्थानिक अभियन्ता/सहायक स्थानिक अभियन्ता के स्थान पर समिति का सदस्य नामित किया जा सकता है।

4—ग्राहक (अनुबन्ध के अनुसार यदि ग्राहक की शर्त, क्रय समिति में नामांकन की हो) साइट पर किसी भवन सामग्री/मशीन आदि की चोरी/खराबी की स्थिति आती है तो कार्यकारी मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

खरीद एवं वसूली की दो पृथक एवं स्वतंत्र प्रक्रियायें हैं, अतः एक ही व्यक्ति का दोनों से सम्बद्ध होना आवश्यक नहीं है।

कार्यकारी मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियाओं को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

निर्माण निगम में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों/निगमों में संविलियन कर्मचारियों/अधिकारियों के पदों, वेतनमानों पेंशन आदि के विवरण की जानकारी

161—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान मे 31 जनवरी, 1994 तक निर्माण निगम में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों/निगमों के कितने संविलियत कर्मचारी एवं अधिकारी किन पदों एवं वेतनमानों में कार्यरत हैं? उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का उनके

मूल विभाग में वेतनमान क्या था? उनके मूल विभाग से त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने एवं निर्माण निगम में संविलियन के पश्चात् उन्हें उ० प्र० सरकार से कोई पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 193 पर)

निर्माण निगम मे उप अभियन्ता, लेखा सहायक, कार्यालय सहायक, आशुलिपिक आदि पदों के कार्यों में विभिन्नता के बावजूद सभी को समान वेतनमान दिये जाने के कारणों की जानकारी

162–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम में उप-अभियन्ताओं की निगम के कार्यकारी मैनुअल आदि के अनुसार उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी क्या-क्या निर्धारित हैं? क्या सरकार की यह भी जानकारी है कि निगम में उपरोक्त के बावजूद भी उप-अभियन्ताओं को लेखा सहायकों/कार्यालय सहायकों/आशुलिपिकों के लगभग समान वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो नियम प्रबन्ध तंत्र द्वारा उनके वेतन संशोधन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सूचना संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 194 पर)

जिला लखनऊ सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत कुर्सी रोड के पैरलल विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर ट्रंक आदि के कार्य में किसी भी क्षति का न पाया जाना

163—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर रोड योजना के अन्तर्गत कुर्सी रोड के पैरलल में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर ट्रंक के कार्य में हुई त्रुटियों की जांच के संबंध में तत्कालीन मंत्री, लोक निर्माण विभाग का पत्र संख्या–1202 वी० आई० पी०/92, दिनांक 14–9–92 सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या दोषी कार्य अधीक्षक के विरुद्ध जांच कराई गयी? कुर्सी रोड की कितनी धनराशि की क्षति हुयी तथा कितनी धनराशि

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग की रिपेयरिंग पर कितना खर्च किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उक्त मार्ग के अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में लो० नि० वि० द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

चूंकि प्रश्नगत रोड को कोई क्षति नहीं हुई, अतः इससे न तो लो० नि० वि० का कोई सम्बन्ध है और न ही कोई अधिकारी दोषी है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कुर्सी रोड को कोई क्षति नहीं हुई है, अतः कोई धनराशि नहीं दी गयी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय निर्माण निगम की कार्यकारी मैनुअल के अनुसार सभी कार्यस्थलों के भण्डारों की समस्त सामग्री उप अभियन्ताओं के नाम से निर्गत किया जाना तथा उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

164—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम की कार्यकारी मैनुअल के अनुसार सभी कार्यस्थलों के भण्डारों से समस्त सामग्री उप-अभियन्ताओ के नाम निर्गत की जाती है ? यदि हां, तो क्यों? कार्यस्थलों पर उनके नाम निर्गत सामग्री की सुरक्षा के लिये उनको क्या-क्या सुविधायें वर्तमान समय में दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त सामग्री कार्यस्थल से चोरी/खराब हो जाने की स्थिति में कार्यकारी मैनुअल के अनुसार उसकी रिकवरी की क्या प्रक्रिया निर्धारित है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ। उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के कार्यकारी मैनुअल के प्रस्तर 405 के अनुसार सामान्यतः उप-अभियन्ताओं के नाम ही भन्डार से सामग्री निर्गत किया जाता है।

कार्य स्थलों पर चौकीदार की व्यवस्था है। चौकीदार उप अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के अधीनस्थ ही कार्य करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

निगम के कार्यकारी मैनुअल के पैरा–676 से 683 की प्रतियां संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 195 पर)

जिला देवरिया की कुछ सड़कों के निर्माण में हुए गोलमाल के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर टी० ए० सी० से जांच करने की मांग

165—श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3–1–94 जो देवरिया जिले की कुछ सड़कों पर सरकारी धन के भारी गोलमाल के संबंध में था, उनको प्राप्त हुआ है? क्या यह सही है कि उनके द्वारा टी० ए० सी० से जांच कराने का आदेश भी दिया गया था? यदि हां, तो अब तक जांच न होने का क्या कारण है? यदि जांच कराई जायेगी, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ।

जी हाँ।

जांच आख्या शीघ्रातिशीघ्र भेजने के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी द्वारा कड़वा सेतु पर पथकर वसूली की चोरी के सम्बन्ध में शासन को पत्र एवं जांच की मांग

166—श्रीमती शशीबाला भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी में कड़वा सेतु पर जिला अधिकारी, खीरी द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 1993 को पथकर वसूली की चोरी के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खीरी एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शासन को कोई रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो क्या उक्त अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? क्या सरकार बतायेगी कि पिछले डेढ़ साल से पथकर वसूली की इस चोरी से लगभग कितने लाख रुपये की हानि सरकार को उठानी पड़ी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ। प्रश्नगत रिपोर्ट जिला अधिकारी, खीरी ने अपने पत्र दिनांक 26–12–1993 द्वारा शासन को भेजी है।

प्रश्नगत मामले में अन्तर्ग्रस्त पाये गये अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक जांच के आदेश दिये गये हैं तथा अन्य छः कर्मियों के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गयी है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही हानि का आंकलन सम्भव है।

जनपद हरदोई की बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में हरिपालपुर से फर्रुखाबाद जाने वाली सड़क पर बरसोईया गांव के पास सड़क पर पुल न बनाये जाने से हो रहे जलभराव का मामला

167—श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में हरपालपुर से फर्रुखाबाद जाने वाली सड़क पर बरसोइया गांव के पास सड़क पर पुल न बनने से सड़क के पश्चिम की ओर बरसात व सैलाब के समय जलभराव इतना हो जाता हैं कि सतौथा, मलौथ, कुड़िया वरसाना. ज्यूरी चन्द्रमपुर , सुहोआपुर आदि गांव डूब जाते हैं जिससे फसलें नष्ट होती हैं तथा धनजन की भी हानि होती है ? यदि हां तो इस सड़क पर जल निकासी हेतु पुलिया कब तक बनेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा –

यह सही नहीं है कि प्रश्नगत स्थल पर पुल न बनने से वर्णित, समस्या उत्पन्न होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला देवरिया में श्री गेंदा सिंह, गन्ना प्रजनन एवं शोध के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जाँच एवं उसके रिपोर्ट की जानकारी

168—श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एच० एन० सिंह, पूर्व सलाहकार निदेशक, गेंदा सिंह, गन्ना प्रजनन एवं शोध देवरिया के विरुद्ध सर्तकता विभाग द्वारा जो जांच की कार्यवाही चल रही थी, पूरी हो गयी ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हाँ ।

जाँच आख्या शासन के विचाराधीन है अतः शासन द्वारा उस पर निर्णय लिए जाने से पूर्व उसकी विषय वस्तु पर प्रकाश डालना जनहित एवं गोपनीयता की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

उ०प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई भटनी के प्रधान प्रबन्धक श्री एन० वी० पाल के विरुद्ध जाँच की कार्यवाही

169—श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई, भटनी, देवरिया में कार्यरत प्रधान प्रबन्धक श्री एन० वी० पाल के विरुद्ध शासन द्वारा कोई जांच कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ०प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई, भटनी के प्रधान प्रबन्धक श्री एन० वी० पाल के विरुद्ध जाँच कार्यवाही की जा रही है जो शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी ?

राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के प्राचार्य के सम्बन्ध में आरोप-पत्र एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही

170—श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के प्राचार्य के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ने एक विस्तृत आरोप पत्र संख्या–प्रबन्ध/1457/59/93-94, दिनांक 13-1-94 द्वारा शिक्षा निदेशक, उ०प्र० को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि यह प्रकरण अभी तक निदेशालय/ शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इसको अविलम्ब निस्तारित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ ।

प्राप्त आरोप-पत्र का परीक्षण शासन स्तर पर विचाराधीन है । परीक्षणोपरान्त नियमानुसार यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मुजीबपुर-शेखपुर मार्ग लम्बाई 11 कि०मी० तथा रसीदपुर मार्ग 1.500 मीटर को लेपन स्तर तक बनाने हेतु सदस्य, राज्य सभा का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

171—श्री विश्वनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मुजीबपुर–शेखपुर मार्ग लम्बाई 1.1 कि०मी० पर खड़ंजा तथा लेपन लगवाने तथा रसीदपुर मार्ग 1.500 मीटर को मिट्टी से लेपन तक का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश मालवीय, सदस्य, राज्य सभा का पत्र शासन को दिनांक 5-6-93 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त मार्गों पर अब तक कार्य प्रारम्भ न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सही है कि उक्त

कार्य को कराये जाने के संबंध में लो० नि० वि०, बाराबंकी के अधि० अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा आगणन की स्वीकृति भी दिनांक 27-8-1993 को कर दी गई थी ? यदि हाँ, तो अब तक उक्त मार्गों को निर्माण न कराये जाने के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं. तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ ।

उक्त दोनों मार्ग स्वीकृत नहीं हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में यात्रा भत्ता सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के आदेशानुसार दिया जाना

172—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा मार्च, 1993 से निगम की कार्यकारी मैनुअल के प्रस्तर 879 की तालिका के क्रम संख्या-44 में संशोधन कर मनोरंजन पर किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग को देखते हुए मैनुअल के प्रस्तर–747 में भी संशोधन करते हुए स्थानीय यात्रा भत्ता की अधिकतम सीमा को 200.00 रु० से बढ़ाकर 600.00 रु० किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम यात्रा भत्ता सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के आदेशों के अनुरूप लागू हैं ।

वर्ष 1993-94 के लिए हुई बी०टी०सी० की प्रवेश परीक्षा के परिणामों को घोषित न किये जाने के कारणों की जानकारी

173—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1993-94 के लिए आज से कई माह पूर्व हुई बी०टी०सी० की प्रवेश परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो घोषित न करने का क्या कारण है तथा परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

वर्ष 1993-94 की बी०टी०सी० प्रवेश की लिखित परीक्षा करायी जा चुकी है और उसका परीक्षाफल भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा जा चुका है। साक्षात्कार होना शेष है। चयन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित किये जाने के आदेश शासन द्वारा दे दिये गये हैं।

निर्माण निगम में कर्मचारियों की ज्येष्ठता, सार्वजनिक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित किया जाना

174—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम में तकनीकी संवर्ग की नियमावली में ज्येष्ठता के प्राविधान के संबंध में फरवरी, 1991 में गठित समिति की संस्तुतियां निदेशक मण्डल के निर्देशों के पश्चात् प्रबन्ध तंत्र को कब प्राप्त हो गई थीं ? यह संस्तुतियां क्या-क्या हैं ? उसे अब तक लागू करने में हो रहे विलम्ब का मूल कारण क्या है ? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के संबंध में निदेशक मण्डल के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हैं। निगम में कर्मचारियों की ज्येष्ठता, सार्वजनिक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित की जाती है।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 197 पर]

श्रीराम सिंह, उ० मा० विद्यालय, सोनवानी, बलिया के प्रबन्धक द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

175—श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-93 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच अब तक पूर्ण हो गयी ? यदि हाँ तो जांच किस अधिकारी ने की है ? क्या जांच रिपोर्ट व कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

जी हाँ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ने।

जाँच आख्या पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

लम्बे अन्तराल से पड़े मुकदमों के निस्तारण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार अधिकारियों द्वारा निर्णीत किए जाने की अपेक्षा

176—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या मुख्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के न्यायालयों में मुकदमें लम्बे अर्से से अटके पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि न्याय में अनुचित देरी के कारण कानून व्यवस्था खराब हो रही है ? क्या प्रदेश में जिला जज, अ० जि० जज तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सब्सटेन्टिव्स सैक्सन्स में केस निपटाने का कोई मानक निर्धारित है ? क्या मानक के अनुसार केस निर्णित हो गये हैं ? यदि हां,तो मानक का कितना प्रतिशत परिणाम प्राप्त किया गया ? मानक की पूर्णरूप से प्राप्ति के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ ।

जी नहीं ।

जी हाँ । मा० उच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के लिए मामलों के निस्तारण के लिए मानक निर्धारित कर रखा है और प्रत्येक अधिकारी उस मानक के अनुसार मामलों का निस्तारण करते हैं ।

अधिकारियों द्वारा मानक के अनुसार केस निर्णित किए जाने की अपेक्षा की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला बाँदा के चित्रकूट ब्लाक में शिवरामपुर—सीतापुर मार्ग के निर्माण में व्यय धनराशि की जानकारी एवं निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की माँग

177—श्री मन्नू लाल कुरील—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट ब्लाक में शिवरामपुर-सीतापुर मार्ग आर० ई० एस० विभाग से किस निर्माण स्तर पर और कब लोक निर्माण विभाग इकाई कर्वी को हस्तान्तरित किया गया था ? लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? अब तक उक्त मार्ग निर्माण हेतु कितना धन व्यय किया जा चुका है? क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरित नहीं हुआ है । लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 4.30 कि०मी० की लम्बाई में मार्ग पर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य रु० 8.20 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ है ।

उक्त कार्य पर रु० 6.51 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

जी नहीं।

कथित मार्ग पर द्वितीय सतह लेपन का कार्य अवशेष है।

जिला बाराबंकी के प्रबन्धक नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज बाराबंकी को प्राप्त अनुदान के व्यय तथा अवशेष धन के विवरण की जाँच

178—श्री छोटे लाल यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1984 में शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान रु० 1,10,493.00 के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी के आदेश पत्र लेखा/16117-18/83-84 दिनांक, 25-2-84 द्वारा प्रबन्धक, नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी को दिये गये आदेशों का पालन किया गया है ? इस अनुदान के मूलधन पर दिनांक 31-1-94 तक बैंक में कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ और अब तक कितना धन निकालकर किस कार्य पर व्यय किया गया ? अब कितना धन शेष है ? क्या यह भी बतायेंगे कि जूनियर हाई स्कूल में संबंधित कर्मचारियों का जूनियर स्तर का वेतन निर्धारण करके देय बकाया वेतन का भुगतान उपरोक्त अनुदान में से कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किन्-किन कर्मचारियों का किस अवधि का कितना-कितना बकाया वेतन भुगतान किया गया है ?यदि नहीं, तो उपरोक्त निरीक्षक को भेजे गये जिला मंत्री, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ, बाराबंकी के पत्र दिनांक 7-6-92 पर अब कार्यवाही किस स्तर पर कितने समय से लम्बित है, और क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

प्रकरण की जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा कराई जा रही है।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत हरोड़ा विधान सभा क्षेत्र की लगभग 100 लिंक रोडों को जोड़े जाने की सरकार की नीति तथा व्यय की गई धनराशि की जानकारी

179—श्री मोहर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्तर पर लिंक रोडों को जोड़े जाने हेतु वर्तमान योजना वर्ष में सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? यदि कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है तो क्यों ? क्या यह सही है कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत हरोड़ा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 100 लिंक रोड ऐसे हैं, जिनकी लम्बाई 350 कि०मी०है ? यदि हां, तो उनको जोड़े जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि शासन से देना प्रस्तावित है ? उन सम्पर्क मार्गों पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

संपर्क मार्गों के निर्माण हेतु जिला योजना में सड़कों व पुलों के लिये आवंटित परिव्यय एवं अवशेष कार्यों की लागत के आधार पर नये कार्यों की स्वीकृत दिये जाने की नीति निर्धारित है। इस संबंध में शा०सं० 1448/23-11-93–78 ई/93, दिनांक 4 अगस्त, 1993 द्वारा विस्तृत मार्ग

निर्देश निर्गत किये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र हरोड़ा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के 26 अलेपित मार्गों की लम्बाई 43.80 कि०मी० है। वर्ष 1993-94 में कुल रु० 37.27 लाख व्यय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), इलाहाबाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत समादेश याचिका संख्या-29879 वर्ष 1992 के प्रति शपथ-पत्र का दाखिल किया जाना

180—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला), इलाहाबाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत समादेश याचिका संख्या–29879 वर्ष 1992 का प्रति शपथ-पत्र अब तक दाखिल न करने का क्या कारण है। उसे कब तक दाखिल कर दिया जायेगा।

डा० मसूद अहमद–

प्रति शपथ पत्र दिनांक 8-4-94 को दाखिल किया जा चुका है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

विधान सभा सदस्यों के वेतन, चिकित्सा भत्ता, जनसेवा भत्ता, अदि देयकों को बढ़ाये जानें की मांग

181—श्री श्रीराम सिंह–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्यों के वेतन-चिकित्सा भत्ता व जन सेवा भत्ता आदि देयकों में सरकार वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अभी विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, हमने 311 के अंतर्गत नोटिस दी है। आज प्रदेश के अन्दर अभूतपूर्व वित्तीय संकट पैदा हो गया है। सारे विकास के कार्य रुक रहे हैं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने रोक लगा दी है। हम इस पर ग्राह्यता पर बोलना चाहते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

सबसे पहली सूचना मेरी है।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

श्री तिवारी जी आप कृपा करके बैठ जांय। मैं पहले 301 की सूचनाओं को ले लेता हूँ। उसके बाद इसे लूँगा।

आज दिनांक 18 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं –

पहली सूचना श्री निवेन्द्र कुमार "मुन्ना" की लखीमपुर-खीरी की तहसील निघासन के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर तिकोनियां कोतवाल एवं कस्टम इन्सपेक्टर द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेकर लाही पार कराये जाने की जांच कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना, श्री राम प्रसाद टम्टा की बागेश्वर में गत कई माह से खाद्यान्न आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, श्री राम सरन वर्मा की पीलीभीत की बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि० के गन्ना क्रय केन्द्र रसूला एवं अन्य केन्द्रों पर भी तौल लिपिकों द्वारा फर्जी पर्चियों को बनाकर किसानों का शोषण किये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना, श्री अजय कुमार पोइया की उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा राधिका बिहार मथुरा योजना–1 के अंतर्गत आवंटित मध्यम आय वर्ग के भवनों का सही मूल्यांकन कराने के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना श्री सुरेश संगल की मुजफ्फरनगर शहर में रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों हेतु प्रस्तावित पुल में प्रदेश सरकार द्वारा अंशदान न दिये जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री मित्रसेन यादव की सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत नव विकसित बाजारों की व्यवसायिक भू-संपत्तियों पर माफिया गिरोहों के कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ की सफाई रख-रखाव एवं टूट-फूट की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है।

(उक्त सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद लखीमपुर-खीरी की तहसील—निघासन के अंतर्गत भारत-नेपाल की सीमा पर कोतवाल एवं कस्टम इन्सपेक्टर द्वारा रिश्वत लेकर लाही पार कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

* श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"—

[मान्यवर, मैं आप की अनुमति से सदन के संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूँ कि जनपद लखीमपुर-खीरी की तहसील निघासन अंतर्गत भारत नेपाल की सीमा पर स्थित तिकोनियाँ के निवासी सेठ दुर्गादास की लाही से लदे 21 बैलगाड़ी, नेपाल देश में भारत की अपेक्षा लाही की अधिक समर्थन मूल्य होने के कारण दिनांक 14 अप्रैल, 1994 को तिकोनियाँ से नेपाल में बिक्री करने जाते समय खखरौला घाट पर ही तिकोनियाँ के सब इन्सपेक्टर श्री मिश्रा जी द्वारा सेठ दुर्गादास के मुनीम श्री सुन्दर सहित लाही से लदे 21 बैलगाड़ी को पकड़ कर कोतवाल

नोट :[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तिकोनियाँ तथा तिकोनियाँ में नियुक्त कस्टम विभाग के इन्सपेक्टर श्री ओम प्रकाश चौधरी को सुपुर्द कर दिया गया।

उक्त कोतवाल द्वारा 10 हजार तथा कस्टम इन्सपेक्टर द्वारा 35 हजार रुपये लेकर यह कह कर लाही छोड़ दिया गया कि लाही नेपाल की थी और नेपाल जा रही थी, उक्त प्रकरण पर आवश्यकता पड़ने पर मौके के गवाह प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने की मांग सदन से करता हूँ।]

बागेश्वर में कई माह से खाद्यान्न आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम प्रसाद टम्टा—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान पंर्वतीय क्षेत्र की खाद्यान्न समस्या की ओर दिलाना चाहूँगा, विशेषकर अपने विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई महीनों से खाद्यान्न आपूर्ति न होने के कारण क्षेत्रीय जनता भुखमरी के कगार पर पहुँच गई है। जिसमें गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक खाद्य सामग्री को तत्काल मुहय्या करना आवश्यक है, ताकि क्षेत्रीय जनता को खाद्य समस्या से न जूझना पड़े।

कृपया उक्त संबंध में तत्काल अपने स्तर से त्वरित कार्यवाही के आदेश प्रदान करना चाहें।]

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर किसान सहकारी मिल के गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों द्वारा फर्जी पर्चियां बनाकर किसानों का शोषण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम सरन वर्मा—

[महोदय, जनपद पीलीभीत के अंतर्गत बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि० बीसलपुर के गन्ना क्रय केन्द्र रसूला पर नियुक्त लिपिक झाँझल लाल आदि द्वारा राजनैतिक संरक्षण एवं दबाव में अनेक अनियमित कार्य भ्रष्टाचार एवं कृषकों का शोषण किया गया है, इसी क्रम में दिनांक 13 फरवरी, 1994 को बगैर गन्ना लिये हुये ही श्री देशराज सिंह, श्री मणि राज सिंह तथा अन्य नामों से निर्धारित 13-14 कुन्तल अधिकतम वजन के स्थान पर 25-30 कुन्तल की फर्जी पर्चियां बनाई इसी प्रकार श्री अनवार खाँ उमेश जायसवाल आदि-आदि तौल लिपिकों ने भी भिन्न-भिन्न गन्ना केन्द्रों पर और भी फर्जी पर्चियां निश्चित रूप में बनाई है जो कि किसानो तथा सहकारी चीनी मिल बीसलपुर को निरन्तर क्षति पहुँचाने का कार्य है। परिणामतः प्रतिशत जूस तथा चीनी का कम हुआ है।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ० प्र० आवास विकास परिषद् द्वारा राधिका बिहार मथुरा योजना के अंतर्गत आवंटित भवनों का सही मूल्यांकन कराने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री अजय कुमार पोइया—

[मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर केन्द्रित करते हुये निवेदन करना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के द्वारा राधिका-बिहार मथुरा योजनाओं–1 के अंतर्गत आवंटित मध्यम आय वर्ग के भवनों के मूल्यांकन गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है, जो कि जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। जिसके कारण आम आवंटित 37 आवासीय मध्यम वर्ग के स्वामी प्रभावित हो रहे हैं। यही नहीं अनुसूचित जाति एवं जागरूक लोगों को प्रताड़ित करने की नीति से लोगों को 31 मार्च, 1994 को धनराशि जमा करने का समय नोटिस में दर्शाया गया है तथा विभाजित करने के उद्देश्य से भेदभाव करके कुछेक को 3 माह का समय और दिया गया है।

अतः आपके एवं सदन के संज्ञान में मामला लाते हुये निवेदन करता हूँ कि कृपया आप उपरोक्त विषय पर चर्चा कराये जाने पर बल देता हूँ तथा शासन को निर्देशित करें कि 31 मार्च, 1994 को अन्तिम तिथि प्रताड़ित करने की गर्ज से जो कुछ के लिये जमा करने की तिथि निर्धारित की गयी है उसे तब तक के लिये स्थगित करें जब तक कि मूल्यांकन सही नहीं हो जाये।]

मुजफ्फरनगर शहर में रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों हेतु प्रस्तावित पुल में प्रदेश सरकार द्वारा अंशदान न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेश संगल—

[महोदय, कई वर्ष पहले जिला मुख्यालय मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के दोनों ओर लाखों की संख्या में रहने वाले नागरिकों की सुविधा हेतु प्रदेश सरकार ने रेलवे स्टेशन पर पैदल यात्रियों का पुल बनाने का निश्चय किया था और इसे स्वीकृत हेतु रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा था। रेल मंत्रालय ने इसे बनाये जाने की स्वीकृति सहित अपने हिस्से के धन का भी प्राविधान कर दिया है। मगर प्रदेश सरकार द्वारा अपने हिस्से का धन आवंटित न किये जाने के कारण यह प्रकरण काफी समय से लम्बित पड़ा है जिससे नागरिकों को बहुत असुविधा भोगनी पड़ती है। लगातार बढ़ी जनसंख्या के कारण यह समस्या और भी विकट होती जा रही है।

निवेदन है कि इस लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा कराई जाये।]

नोट:[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सुल्तानपुर के इसौली क्षेत्रान्तर्गत बाजारों की लाखों रुपयों की भू-सम्पत्ति पर माफिया गिरोहों के कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन यादव—

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर, वि० क्षेत्र इसौली के अंतर्गत स्थित थाना कूड़ेभार, बन्दीराय हलियापुर में स्थित बाजार, बल्लीपुर, हडौरा, दिहली बाजार, बल्दीराय, भवानीगढ़, सैनी और भयरी नव विकसित ग्रामीण बाजारों की सार्वजनिक एवं कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति की निजी लाखों रुपये की भू-सम्पत्ति पर असामाजिक तत्वों द्वारा गिरोहबन्द होकर जबरिया कब्जा एवं अवैध निर्माण का अभियान चला रहा है। लाखों रुपये की व्यवसायिक कीमती भू-सम्पत्ति की खुली डकैती पर अकूत धन सम्पत्ति कमा रहे हैं। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सुल्तानपुर घटनाओं की अनदेखी कर परोक्ष रूप से लाखों रुपये की लूट में हाथ बंटा रही है और भू-सम्पत्ति पर डाका डालने वालों को बढ़ावा दे रही है। इस कुकृत्य में स्थानीय पुलिस कर्मी एवं राजस्व कर्मचारी पूरी तरह से संलग्न हैं। परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र में इस घनघोर, अन्याय, जुल्म ज्यादती के कारण हाहाकार चला हुआ है और पूरा प्रशासन मौन स्वीकृति देकर तमाशीय बन कर देख रहा है।

अतः हमारी आपसे माँग है कि तुरन्त इस प्रकार की सरकारी/गैर सरकारी लाखों रुपये की भू-सम्पत्ति पर डाका डालने वालों के विरुद्ध सख्त एवं समबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ की सफाई, रख-रखाव एवं मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[महोदय, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल है। यहाँ चक्र तीर्थ की महिमा विख्यात है। इस तीर्थ के सुन्दरीकरण हेतु समय-समय पर शासन द्वारा धन दिया जाता रहा है। तीर्थ की यह विशेषता थी कि नीचे से बने श्रोतों के माध्यम से पानी सतत् निकलता रहता था। फलतः तीर्थ में सदा स्वच्छ जल भरा रहा। तीर्थ इतना निर्मल था कि यदि सिक्का डाल दिया जाय तो सतह में दिखाई देता था परन्तु अब सभी प्राकृतिक श्रोत बन्द हो गये हैं। काई जम गयी है। तीर्थ टूट रहा है। आवश्यकता है कि कम से कम 6 बोरिंग करा कर श्रोत खोल दिये जांय। (2) काई सफाई कराई जाय (3) तीर्थ की टूट-फूट की मरम्मत हो तथा (4) तीर्थ की सफाई एवं रख-रखाव की स्थाई व्यवस्था की जाय।

वित्तीय वर्ष 92-93 तथा 93-94 में शासन से धन तीर्थ मरम्मत अथवा सुन्दरीकरण के लिए दिया गया उसका परीक्षण कराया जाय।

यह विषय शासन के संज्ञान में लाकर त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

नियम 311 के अंतर्गत प्राप्त सूचना नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

प्रतीक्षासूची में श्री चैन सुख भारती एवं श्री बदन सिंह जी की सूचना है। जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गईं, उन माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—सर्वश्री रमेश कान्त लावानियां, राजकुमार शिवहरे, सुंदर लाल लोधी, आचार्य जगदीश मुनि, बालेश्वर त्यागी, रंगनाथ, बची सिंह रावत, डा० राम बाबू हरित, अमरनाथ यादव, मातवर सिंह कण्डारी, रणधीर सिंह, ब्रह्म दत्त द्विवेदी और श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल।

आज नियम–311 के अंतर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। क्योंकि पहले कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ था कि 311 को नियम 56 में परिवर्तित कर लें तो उसमें जो सूचनायें हैं उसमें एक सूचना कई माननीय सदस्यों की एक ही विषय पर है इसलिये एक साथ कर दी हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—माननीय कल्याण सिंह, माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय किरन पाल सिंह, माननीय हरेन्द्र सिंह मुजफ्फरनगर, माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय नरेश अग्रवाल, माननीय जगदम्बिका पाल, माननीय बदन सिंह, डा० रामबाबू हरित, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय सत्य प्रकाश विकल, माननीय रमेश कांत लवानियां, माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मेरी भी 311 में इसी संबंध में सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आपकी है।

तो सबसे पहले, माननीय नेता विरोधी दल को सुनूंगा उसके बाद आप लोगों को।

उ० प्र० सरकार के गम्भीर आर्थिक संकट में फस जाने के कारण कर्मचारियों का वेतन, पेंशन तथा अन्य विकास कार्य रुक जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना

*नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)—

श्रीमन्, आज इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर चर्चा हेतु नियम 311 में नोटिस दिया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आज उत्तर प्रदेश में वित्तीय संकट उपस्थित हुआ है कदाचित उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा वित्तीय संकट कभी पैदा नहीं हुआ होगा। रिजर्व बैंक ने सारे भुगतान रोक दिये हैं, कहीं कोई भुगतान नहीं हो रहे हैं, यहां तक कि कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर भी रोक लगा दी है, विकास के सारे कार्य अवरुद्ध हो गये हैं, इतना ही नहीं रोजमर्रा के कार्यों पर भी रोक लगा दी गयी है और एक प्रकार से आज उत्तर प्रदेश एक डावांडोल आर्थिक स्थिति पर खड़ा दयनीय लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कोई चीज नहीं है। कारण क्या है? मैं कुछ कारण गिनाने का प्रयास कर रहा हूँ ग्राह्यता के संबंध में। इस सरकार का वित्तीय प्रबंध, कहना चाहिये वित्तीय कुप्रबन्ध बहुत अधिक बिगड़ चुका है, किसी प्रकार से वित्तीय अनुशासन नाम की कोई चीज रह नहीं गयी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में जिन वित्तीय प्राविधानों का उल्लेख है उनका भी उल्लंघन हुआ है, इस सरकार को उनकी होश ही नहीं है कि सरकार को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अनुसार काम करना है, बिना सोचे समझे अंधाधुंध धन आवंटित कर दिया है, यह देखा नहीं कि जेब में कितना पैसा है?

इसके साथ-साथ एक कारण यह है कि अनाप-सनाप खर्च हो रहा है। इसके अलावा एक कारण यह है कि करोड़ों अरबों रुपयों का भ्रष्टाचार चल रहा है। मेरा आरोप है कि यह सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम हो गयी है, कहीं न कहीं किसी रूप में उन भ्रष्टाचार के सारे मामलों में सरकार या सरकार के कुछ लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लिप्त हैं। इस समय सरकार की जो मर्यादा ओवरड्राफ्ट की थी वह समाप्त हो गयी है। इसके आधार पर जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश के जितने भी भुगतान थे उन सब पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है। दो दिन पहले 6 सौ करोड़ था वह बढ़ कर 666 करोड़ रुपया हो गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि 31 मार्च, 1994 को जो वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन था उस दिन बिना यह देखे हुये कि सरकार के पास कितना धन उपलब्ध है हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 सौ करोड़ रु० की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी। अब इसमें कोष का आंकलन नहीं किया गया कि पैसा था कि नहीं। लेकिन 600 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं। इसलिये वित्तीय प्रबंध खराब हो गया है। मान्यवर, जो वित्तीय स्वीकृतियां 31 मार्च, 1994 को जारी की गयी हैं। 600 करोड़ रुपये की वह निश्चित तौर पर गंदी नाली में पानी की तरह भ्रष्टाचार में बह जाएगा। श्रीमन, किसी भी सरकार के लिये अच्छा वित्तीय प्रबंध वह होता है जो वर्ष के अंतिम तिमाही में और अंतिम महीने में न्यूनतम स्वीकृतियां जारी होनी चाहिए लेकिन 600 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी हुई हैं जो भ्रष्टाचार में चला जाएगा।

श्रीमन्, अब जैसे इंडस्ट्रियल, मेडिकल, हेल्थ में साढ़े तीन करोड़ रुपये का प्राविधान था किन्तु उसके विरुद्ध 50 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। श्रीमन्, यह हुआ कैसे है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो चेक बनाने वाला होता है वह कोई और होता है और पास करने वाला और होता है। लेकिन कानपुर के अंदर वही एक व्यक्ति चेक बनाने वाला है और वही चेक स्वीकृत/पास करने वाला है, इसलिये उसे चेक करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसमें जो कोषागार है वह भी इंवाल्व है, वह भी मिला है। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा, यहीं सदन में आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय में मामला उठा था कि 2 करोड़ बजट के स्वीकृति के विरुद्ध 23 करोड़ और 70 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की गयीं। अब यह जो अनियमितता की गयी है इसमें केवल एक विभाग नहीं शामिल है बल्कि कोषागार भी सम्मिलित होगा।

श्रीमन्, कानपुर में मेडिकल हेल्थ विभाग में आयुर्वेदिक दवाओं के खरीद में मामला पकड़ा गया लेकिन पता नहीं उत्तर प्रदेश में किस-किस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है? इसलिये यह सरकार वित्तीय भ्रष्टाचार में फसी है। श्रीमन्, इसमें पांच बातें हैं। एक तो बजट में स्वीकृति और कोषागार द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है उसमें चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नीति और कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार उसमें जो राजस्व आ रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिये वित्तीय संकट बढ़ रहा है और लोक लेखा एवं बैंक के सामने अदायगी का प्रश्न है जिससे वित्तीय प्रबंध आगे खराब होता जाएगा।

सरकार आज दिवालिया हो गयी है और जनधन का अपव्यय हो रहा है एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। श्रीमन्, यह सरकार आज मात्र घोषणायें करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। घोषणाओं के साथ जो वित्तीय स्वीकृति में पैसा चाहिए था वह सरकार के पास नहीं है जिससे यह केवल घोषणा वाली सरकार बनकर रह गयी है। श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को कंगाल और दिवालिया बना दिया है।

इसलिये आज भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई वित्तीय कंट्रोल नहीं है एवं प्रशासनिक क्षमता सरकार की समाप्त हो गयी है तथा ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण समाप्त हो गया है। और मैं तो चाहता हूँ मान्यवर, आपके माध्यम से, आप तो रखवारे हैं इस सदन के सारे अधिकारों के, आप पर पूरे प्रदेश की जनता की आशाएं लगी हैं, आप सदन की एक सर्वदलीय समिति गठित कर दें, जो यह देखे कि कहां-कहां पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वित्तीय संकट पैदा हो गया है, उसका क्या कारण है। वह समिति सारी स्थिति पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। आज की स्थिति में प्रदेश के जन-जन में क्षोभ, घोर चिन्ता और व्याकुलता व्याप्त है। अतः यह जो आर्थिक संकट पैदा हो गया है, इसका कारण मालूम करने के लिए आप सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करायें।

* श्री प्रमोद तिवारी—

मान्यवर, सम्भवतः आजादी के उपरान्त उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी विषम आर्थिक स्थिति इस सरकार के सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश के लोगों का सिर इसके चलते देश के सामने शर्म से झुक गया है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति एक दिवालिया सरकार की हो गई है। आज इनकी चकें स्वीकार नहीं हो रही हैं, आज इनके नोट, अनुरोध को रिजर्व बैंक स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसा वाकिया यदि साधारण आदमी के साथ हुआ होता तो वह अवश्य जेल चला जाता। आज इस सरकार की साख पूरी तरह समाप्त हो गई है। मैं नेता विरोधी दल की इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि 600 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है। यह इतना तो नहीं है, यह कहीं न कहीं से वित्तीय कुप्रबन्ध का नतीजा है। इसमें कहीं न कहीं जोड़-घटाने में कोई कमी आ रही है, अन्यथा 600 करोड़ से ज्यादा की स्थिति नहीं हो सकती है। बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो गई है, वायदा सरकार का है कि वह संसाधन जुटायेगी, और जब संसाधन जुटेगा तो भारत सरकार या योजना आयोग से सहायता मिलेगी। किन्तु यहां उल्टी स्थिति हो रही है, अपने संसाधन जुटाने की बात तो दूर रही, उसको जितना देना है, उतनी लम्बी राशि नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी है, इसके बारे में सरकार को अवश्य पता लगाना चाहिए और इसके सन्दर्भ में पता लगाना चाहिए। जब सरकार के पास निश्चित समय पर धनराशि एकत्र नहीं होती है, एक लिमिट होती है रिजर्व बैंक के साथ, उसके तहत सरकार को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी होती है, लेकिन आज वह उस लिमिट को भी और ओवरड्राफ्ट की सुविधा को भी पार कर गई है और इस सरकार के सामने विकास की बात तो दूर रही, स्थिति यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के जो टी० ए० बिल गये हैं, वह पूरी तरह से अस्वीकृत होकर वापस आ रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के जो टी०ए०-डी०ए० के बिल्स हैं वह भी बिना भुगतान के वापस हो रहे हैं। यही स्थिति यदि आगे चलती रही तो 1 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाएगा।

तो आज सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक दीवालिया सरकार है या एक ऐसी सरकार है जो किसी वित्तीय अनियमितता के कारण इस संकट में फसी है और उसकी साख गिरी है। आज की बातों का प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा, जो उद्योगपति यहां पर अपनी पूंजी लगाना चाहते थे, वह अब कई बार इस पर सोचेंगे कि वह अब यहां पूंजी लगाएं या न लगाएं। सबसे बड़ी समस्या यह होगी, केन्द्र सरकार और योजना आयोग से जो सहयोग मिलता है, उस पर भी प्रश्नचिह्न लग जाएगा। सन् 1991-93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साढ़े सात सौ करोड़ से ज्यादा के संसाधन जुटाने का वायदा किया था, जिसे वह नहीं कर पाए और उसी के कारण हम पूरी तरह योजना आयोग की नजरों में ब्लैक लिस्टेड सिद्ध हो गये। तो इससे ज्यादा अविलम्बनीयता किसी प्रश्न में नहीं हो सकती है, इसके अलावा अब और कोई चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं है सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा कराई जाए, ताकि इसका कोई रास्ता निकल सके।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और प्रदेश की जनता को अखबारों के जरिए और हम लोगों को जिला मुख्यालयों से जानकारी हुई है कि प्रदेश की सरकार के सारे विकास कार्य और सारे भुगतान रोक दिये जाएं।

परिपत्र प्रदेश सरकार का सभी मुख्यालयों पर गया।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

आप इनकी भाषा क्यों बोल रहे हैं?

श्री किरन पाल सिंह–

आपने जो सिखाया वह नहीं बोल रहा हूं। मान्यवर, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। आपका सपोर्ट करते हुए यह ख्याल माननीय तिवारी बहुत रखते हैं। मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमोद जी के रिश्ते कैसे हैं? यह नौबत नहीं आनी चाहिए थी। योजना का परिव्यय, बढ़ाने के लिये कई बार धन्यवाद दिया गया है। मान्यवर, आज प्रदेश इस स्थिति में है कि ओवर ड्राफ्ट का भुगतान न होने की वजह से रिजर्व बैंक से जो सारी आर्थिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वह बन्द कर दी है और यह बात सही है कि सरकार या शासन चलाने के लिये प्रदेश में अर्थतंत्र और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। मजबूत तब हो सकती है जब प्रदेश सरकार आर्थिक तंत्र पर नियंत्रण, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण और वित्तीय स्थिति को अनुशासित कर सके लेकिन अफसोस इस बात का है कि बजट भी पेश हुआ और उसके बाद में यह जो स्थिति आई है उससे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में रैकेट काम कर रहा है आर्थिक क्षेत्र में। ऐसी स्थिति हो गई है प्रदेश में कि आज भ्रष्टाचार को रोकने का किसी भी स्तर से नाम नहीं लिया जा रहा है और फिजूलखर्ची अन्धाधुंध बढ़ रही है।

नये संसाधनों को बढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेखानुदान को बजट में शामिल करके बजट बना दिया है और जो भविष्य निधियां और जो अन्य मदों में हमारे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का पैसा जमा होता है उसको भी सरकार ओवर ड्राफ्ट के लिये देने वाली है। आज इस प्रदेश की सरकार दिवालिया हो गई है। सारे देश में इसकी छवि एक दिवालिया सरकार के रूप में आ गई है। सारा प्रदेश जो विकास की उम्मीद लगा रहा था वह सब ठप्प हो गये हैं। आर्थिक संकट अभूतपूर्व रूप से पैदा हो गया है। आज प्रदेश के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह लग गया है कि प्रदेश में कोई विकास कार्य, कोई निर्माण कार्य हो पायेंगे कि नहीं। मान्यवर, अभी जैसा माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा। हमने भी 31 मार्च को देखा था, सुना था, पढ़ा था। 31 मार्च को इतना रुपया विभिन्न जनपदों में गया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 600 करोड़ रुपये इस तरह से खर्च कर दिये गये। अप्रैल में 200-300 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मिले। इस पर ब्याज देना पड़ेगा।

आज इस प्रदेश के सारे काम थम गये हैं। आज जो सरकारी कर्मचारी वेतन लेते हैं या जो पेंशन लेते हैं, अगर सरकार स्थिति को नहीं सुधारेगी तो उन लोगों को पेंशन और वेतन भी नहीं मिल पायेगा। अभी तक बिहार के बारे में सुनते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिक्र करते थे। इसलिये कि वहां की सरकार दिवालिया है। आज हमारे प्रदेश की स्थिति मैं नहीं कहता कि बिहार की तरह है, लेकिन उसी रास्ते पर अवश्य जा रही है और निकट भविष्य में अपनी फिजूलखर्ची पर अंकुश नहीं लगायेगी, वित्तीय अनुशासन नहीं लगायेगी तो यहाँ की स्थिति भी वैसी ही हो

सकती है। जगह-जगह घोषणा करते हैं कि इस कार्य हेतु 2 करोड़, 3 करोड़, पांच करोड़ का बजट दिया। इस तरह की घोषणायें न करें, वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तो गम्भीर संकट पैदा हो जायेगा। आज यह गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। सरकार आज स्पष्ट करे कि प्रदेश की स्थिति क्या है? जो हमने कहा है वह सही है या इससे भिन्न है? मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है मैं यह मांग करूंगा कि प्रदेश सरकार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे और प्रदेश की जनता को स्पष्ट करे कि आर्थिक स्थिति क्या है, कैसी है?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस विषय की ग्राह्यता पर बोलने के पहले मैं लखनऊ और कानपुर से प्रकाशित जागरण को बधाई देना चाहूंगा। इस मामले का उसने सबसे पहले जिक्र किया। इसके बाद हम माननीय सदस्यों ने अलग-अलग सूत्रों से जानकारी प्राप्त की जिसके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अभी मा० किरनपाल सिंह जी बोलने के लिये खड़े हुए तो श्री मुख्य मंत्री जी ने रोका, प्रमोद तिवारी जी को नहीं रोका। तिवारी जी को इसलिये नहीं कहा क्योंकि तिवारी जी बहुत ईमानदारी के साथ.....

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने रोका नहीं मैंने कहा नेता विरोधी दल की भाषा न बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो भी कहा, श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने 7 अप्रैल को इस सरकार को आगाह कर दिया था कि तुम्हारे सामने वित्तीय संकट आने वाला है उसको दूर करने का रास्ता क्या है? उसको दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से कर्जा लिया जाये। श्रीमन् अप्रैल के पहले सप्ताह में 192 करोड़ और दुबारा 95 करोड़, कुल 287 करोड़ सरकार को मिला। स्थिति बदली नहीं ओवरड्राफ्ट बढ़ता गया। स्थिति गम्भीर है। श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा 1992-93 में सात सौ करोड़ के संसाधन जुटाने के लिये कहा था। मान्यवर, नौ सौ करोड़ फडिंग का था।

मैं तारीफ करना चाहता हूं मा० प्रणव मुखर्जी जी की, माननीय वित्त मंत्री की जी और तत्कालीन मुख्य मंत्री जी गये थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई थी। 1993-94 में उत्तर प्रदेश को प्लानिंग में बहुत पैसा मिला था उस समय मा० कल्याण सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। अब सारे विकास कार्य बन्द हो गये हैं हाउस अभी स्थगित हुआ तो एक पत्रकार मिल गये उन्होंने कहा कि सूचना विभाग से चेक मिला वह कैश नहीं हो रहा है। छोटे-छोटे भुगतान के लिये घूम रहे हैं लोगों को मना कर दिया जाता है। साख गिर गई है। 31 करोड़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया जमा किया गया था 28 करोड़ निकाला गया तीन करोड़ का गैप रहा उसकी आमदनी क्या है? अमीनों की हड़ताल हुई। इयूज इकट्ठा करते हैं आर०डी०ओ० का 45 लाख और स्टेट का पांच लाख हुआ–"ओसन चाटे प्यास नहीं जायेगी" यही सही है। आप जमा करेंगे तो भी क्या होगा? रोजमर्रा का काम नहीं होगा, बिजली का बिल जमा नहीं होगा शासन तंत्र को चलाने के लिए रोजमर्रा के खर्चे हैं। स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है।

सरकार के सामने कोई चिन्तन नहीं है। यह स्थिति पैदा क्यों हुई? जिस समय कोई स्वीकृति जाती है लेजर देखना चाहिए कि बजट का कितना प्रोविजन था कितना दे दिया। दफ्तर का कोई मामला है उसको देखना चाहिए। इस तरह से बार-बार चेकिंग होती तो स्थिति ऐसी नहीं आती। ऐसी स्थिति हो रही है पैसा नहीं है यह सब सरकार की कमजोरी है।.....

यह सब आरोप लग सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की साख खत्म हुई है। उसकी बदनामी हो रही है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सदन में वस्तुस्थिति को सरकार रखे। इस स्थिति से उबरने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है या नहीं। यह कार्य योजना क्या है इसकी जानकारी दें। आज अमीनों की हड़ताल के कारण वसूली स्थगित पड़ी है। अमीनों की हड़ताल खत्म हो जाये तो राजस्व में बढ़ोत्तरी हो सकती है। इन शब्दों के साथ जो माननीय नेता विरोधी दल श्री कल्याण सिंह ने इस ग्राह्यता पर बल देते हुए अपनी बात कही है मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जिन तथ्यों की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, वह तथ्य लगभग आ गये हैं। उसी से जोड़ते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सरकार दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई हो और अपनी कुव्यवस्था के कारण पहुंच गई हो, प्रदेश को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया हो, उस सरकार का नैतिक दायित्व सरकार में बने रहना नहीं रह जाता है। वित्तीय संसाधन को जुटाने की बात इस सदन में नहीं सुनी गई, लेकिन खजाना लुटाते हुए सभी लोग देख रहे हैं। जब वित्तीय संसाधन जुटाया नहीं बल्कि लुटाया जायेगा, तो यही हश्र होगा, जिस हश्र से आज पूरा प्रदेश जूझ रहा है।

जो घोषणा की गई थी कि बिक्रीकर हटा दिया जायेगा। यह बिक्रीकर हटा दिया गया तो यह जो कर्मचारियों के वेतन व भत्ते छोड़कर बाकी भत्ते रुक गए हैं। बिक्रीकर हटाने पर यह वेतन व भत्ते भी रुक जायेंगे। यह मेरा विश्वास है। एक गम्भीर संकट से प्रदेश जूझ रहा है। उससे किस तरह से उबरें, यह जब मा० मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे तो बतायेंगे। वित्तीय संसाधन बढ़ाये नहीं गये बल्कि जिन संसाधनों से धन आता था, उनको भी खत्म करने का ऐलान किया जा चुका है। आज प्रदेश की साख गिर गई है। आज स्टेट बैंक से 50 करोड़ का ऋण लेने की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात प्रकाश में आ रही है। रिजर्व बैंक ने साफ जवाब दे दिया है। उन पर भरोसा नहीं रह गया है उसको सरकार पर । यह बहुत ही अहम मुद्दा है मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा कराई जाये। सरकार भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। नैतिकता का तो वैसे तकाजा यही है कि इस सरकार को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। सरकार वही है जो अपने संसाधनों की समुचित व्यवस्था कर सके।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, आज हमारा प्रदेश बहुत बड़े वित्तीय संकट में पड़ गया है। जहां तक साधन जुटाने का प्रश्न है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। जो कुछ साधन हमारे पास था, उसी को कम किया जा रहा है। या पूरा का पूरा खत्म कर दिया जा रहा है। मैंने अखबारों में पढ़ा। बिक्रीकर पूरा का पूरा समाप्त करने की घोषणा पहले की भी सरकार ने किया था इस सरकार ने भी किया है। उसको समाप्त करने की बात चल रही है। उसी के साथ-साथ मैंने यह भी पढ़ा कि ट्रेक्टर के टायर, बैलगाड़ी के टायरों और भैंसा गाड़ी के टायरों के ऊपर दसों करोड़ टैक्स लगाने की योजना सरकार बना रही है । इसी के साथ-साथ जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, और रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसको भी बढ़ाया जाने वाला है यह पिछले साल भी बढ़ा था।

आज हालत यह हो गयी है कि सरकार की साख गिर गयी है। जिस तरह से आदमी की साख गिर जाती है उसी तरह से सरकार की साख गिर गयी है। साख गिर जाने से यह सारी बातें सामने आ रहीं हैं। इसलिये मैं समझता हूं, जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा कि तनख्वाहें देने के लिये पैसा नहीं है, रिजर्व बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया है, ओवर ड्राफ्ट जो किया जा रहा था। उसको भी रोक दिया गया है इसलिये आज प्रदेश में वित्तीय संकट पैदा हो गया है। इस संकट से कैसे प्रदेश को उबारा जायगा, कैसे प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाया जायगा, आज इस ओर सोचने की आवश्यकता है। मैं मा० प्रमोद तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रश्न प्रहर में इस मामले को ऐसा उठाया कि पूरा प्रश्न प्रहर ही आपने बंद कर दिया, मैं इससे सहमत नहीं था लेकिन मैं मा० तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से कम से कम 10 अरब रुपया आप दिलवायें। पूरा प्रश्न प्रहर आपने बंद करा दिया मुझे बड़ी तकलीफ होती है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी को ले जायं और भारत सरकार से कम से कम 10 अरब रुपया दिलवाइये ताकि इस वित्तीय संकट का कुछ हल निकल सके। मैं यह भी चाहता हूं कि इस पर बहस हो और बहस के बाद कोई रास्ता मुख्य मंत्री जी सुझायें और इधर बैठने वाले जो लोग हैं वह भी अपने विचार व्यक्त करें कि किस तरह से प्रदेश की वित्तीय हालत सुधारी जा सकती है। मैं चाहूंगा कि मान्यवर, आप नियमों को निलंबित करके इस पर चर्चा करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सामने जो भयंकर वित्तीय संकट है उस तरफ माननीय नेता विरोधी दल और अन्य कई माननीय नेताओं ने अपने विचार रखे। मान्यवर, वित्तीय नीति की बात आयी और वित्तीय अनुशासन की बात आयी। मैं जो बातें यहां पर कही गयीं हैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात निश्चित रूप से जोड़ना चाहता हूं कि जहां तक वित्तीय अनुशासन का प्रश्न है ऐसा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं है और वह हो भी नहीं सकता क्योंकि जो सरकार अनैतिकता के आधार पर बनी है, सारे नैतिक नियमों को ताक पर रखकर जिसका निर्माण हुआ हो उस सरकार से इस नीति की कल्पना नहीं की जा सकती है।

हम सोचते थे कि नीति न सही सरकार की नीयत जरूर साफ है। लेकिन ऐसा लगता है कि नीयत भी साफ नहीं है। इसलिये माननीय नेता विरोधी दल ने नीति की आलोचना करते हुये कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाझा। इनकी नीति और नीयत दोनों ही वित्तीय अनुशासन की नहीं है। आज यह नीति है, अंधेर नगरी चौपट राजा, मेरे पास आजा, मेरा हिस्सा दे जा, सारा कोष खा जा। आप देखें, वित्तीय स्वीकृतियां किस प्रकार से दी जा रही हैं। कहीं पर 50 लाख, कहीं पर 20 लाख और 5 लाख विद्यालयों को दिये जा रहे हैं जबकि विद्यालय हैं ही नहीं, सारा कोष लुटाया जा रहा है। मान्यवर, अभी ऊदल जी ने सुझाव दिया कि प्रमोद तिवारी जी केन्द्र सरकार से रुपया दिला दें, उन्होंने 287 करोड़ रुपया दिलाया था। पैसा कहीं से मिल जाय, इससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। आवश्यकता इस बात की है कि पैसा खर्च कैसे किया जाय। पैसा मिल जाय और पैसा खर्च करना न आता हो और वित्तीय स्वीकृतियां मनमाने तौर पर देते रहें तो काम चलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी गम्भीर स्थिति कितनी है, इसका एक अच्छा उदाहरण कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा संवेदनशील नगर है, वहां पर ला एण्ड आर्डर की सिचुअशन मेनटेन करने के लिये, उन्हें अपने सिपाही को लगाने के लिये आज एस०एस०पी०, कानपुर मांगता है डी०एम० से पैसा, उसके पास एक लाख रुपया, नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिल नहीं पायेगा, सारा विकास कार्य ठप हो जायेगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश केवल दिवालिया ही नहीं हो गयी है, बल्कि आर्थिक इमर्जेंसी हो गयी है। मान्यवर, मैं चाहूंगा मा० प्रमोद जी से कि यह आर्थिक इमर्जेंसी उत्तर प्रदेश को मानकर भारत सरकार से संस्तुति करें। इस सरकार को एक मिनट भी रहने का औचित्य नहीं है, इसे तुरन्त भंग कर दें, पिछला बकाया जो है, उसे वसूल करें, आपके पास पिछले वसूली की एजेंसी है। मान्यवर, महीनों से हड़ताल चल रही है, हमारे राजस्व मंत्री जी यहां पर हैं, मैंने पेपर में उनका वक्तव्य पढ़ा, मैं समझता था कि राजस्व संग्रह अमीनों की मांगे शायद पूरी हो गयी होंगी, लेकिन उनकी मांगें नहीं पूरी की गयी हैं। आपके कर्मचारियों को भी आप पर विश्वास नहीं है, आगे आपके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास संसाधन जुटाने की योजना नहीं है। अगर प्रमोद तिवारी जी आपको कुछ रुपया दिलवा देंगे, तो उससे क्या होगा? इसीलिये विषम स्थिति पैदा हो गयी है। इस पर पूरे सदन में, गम्भीरता को देखते हुए, चर्चा कराई जाय।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आज यह उत्तर प्रदेश सरकार भयंकर आर्थिक संकट में फंस गयी है। इसकी साख इतनी गिर गयी है कि रिजर्व बैंक में 600 करोड़ से लेकर 666 करोड़ तक ओवर ड्राफ्ट हो गयी है और ओवर ड्राफ्ट हो जाने पर स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक ने यह आदेश दे दिये हैं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को किसी भी काम के लिये कोई भी धन का भुगतान न होना चाहिए। सरकारी राज्य कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिलेगी। पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बल अपने वेतन न पाने पर वे राज्य की सेवा नहीं कर सकेंगे और सरकारी तंत्र हताश होकर बैठ जायगा। मान्यवर, गांव में एक मुहावरा कहा जाता है, "याते पैर पसारिये, ताते लम्बी सौर," माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने को वित्तीय मामलों में सबसे निपुण स्वीकार कर रखा होगा, इनके पास वित्तीय विशेषज्ञ होंगे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम होगा कितना रुपया हमारे पास है और कितना हम खर्च कर रहे हैं? इस स्थिति पर कभी नहीं सोचा गया कि हम कितना खर्च कर रहे हैं?

मान्यवर, जितना खर्च किया जाय, उसकी आमदनी भी देखना चाहिए था। अब ये क्या काम करेंगे कि वित्तीय संसाधन तो ये बढ़ा नहीं रहे हैं और नये इस स्थिति में है कि वित्तीय संसाधन बढ़ा सकें। अब ये यह काम करेंगे कि जो भविष्य निधि का पैसा बुढ़ापे आदि में काम आता था, उसको निकाल कर बैंक में जमा करेंगे, जिससे कि बुढ़ापे में उनको अपने भविष्य निधि का फायदा नहीं मिल सकेगा। केन्द्र सरकार इनको पैसा इसलिये नहीं देगी कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही 297 करोड़ रुपया ये उससे उधार ले चुके हैं, तो केन्द्र सरकार इनके खाली पेट को कहां तक भरती रहेगी? राजस्व वसूली में भी ये तेजी इस वजह से नहीं ला सकते कि प्रदेश में ओलावृष्टि और तूफान से फसल नष्ट हो गयी है और राजस्व वसूली इस स्थिति में सम्भव ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि यह सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे, जिससे कि योग्य आदमियों के हाथ में शासन पहुंच कर प्रदेश का हित हो सके।

श्री सत्यप्रकाश विकल–

मान्यवर, केवल दो-तीन मिनट दे दें। मान्यवर, जो सूचना दी गयी है, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

हस्ताक्षर तो बहुत से लोगों के हैं। कितने लोग बोलेंगे? मैंने आपके दल के कई लोगों को सुन लिया है। मा० विकल जी अगर आप दो मिनट में अपनी बात रखना चाहें तो रख दें, लेकिन आपके बाद और किसी को समय नहीं दूंगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस सकार को अपनी गलतियों के कारण वित्तीय संकट में फंसना पड़ा है, वह वित्तीय संकट में फंस गयी है। इस सरकार ने बिना यह देखे कि उनकी जेब में कितना पैसा है, बेदर्दी के साथ पैसा लुटाया है, वही कहावत हुई है कि छटांक भर चून और पुल पर रसोई। जेब में पैसा नहीं है और खर्च करते चले जा रहे हैं। इससे मान्यवर, बदनामी की स्थिति आ गयी है और आज लागों में बेचैनी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह सम्भवतः पहला अवसर है जबकि देश में किसी प्रदेश सरकार को रिजर्व बैंक ने उसका खाता खोलकर उसे चौराहे पर खड़ा कर दिया हो। इससे जहां विकास कार्य रुकेंगे वहीं कर्मचारियों के लिये वेतन व पेंशन भुगतान की कठिन स्थित पैदा हो जायेगी। मैं नेता प्रतिपक्ष के इस सुझाव पर बल देता हूं कि इस मामले में सदन की एक समिति गठित की जाय। जो इस गम्भीर मामले की जांच करें।

श्री अध्यक्ष–

आप उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं यही सब लागों ने कहा है। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनूंगा।

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कंग्रेस, माननीय नेता जनता दल और माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य कई माननीय सदस्यों ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय संकट के सम्बन्ध में और यह कहा कि सरकार दिवालिया हो गयी है, भ्रष्ट सरकार हो गयी है और एक हिस्सा दे दिया जाये और दूसरा हिस्सा ले लिया जाये। यह मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे होता है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हिस्सा लेने वालों को जानकारी जरूर होगी। माननीय नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री रह चुके हैं और मा० गुप्त जी वित्त मंत्री रह चुके हैं। उनको मालूम है कि दस दिन ओवर ड्राफ्ट की छूट रहती है।

अब आपको जो जानकारी मिली है कि सरकार पर ओवरड्राफ्ट हो गया है, स्वीकृतियां रोक दी गयी हैं और विकास के कार्य रोक दिये गये हैं, ऐसा नहीं है। यह भूल से हुआ है। 328 करोड़ रुपये जमा थे, उसकी जगह पर स्टेट बैंक ने 8 करोड़ रुपया दिखाया और 320 करोड़ रुपया दिखाया ही नहीं और जिसके कारण रिजर्व बैंक को रिपोर्ट गलत चली गयी और इसको सरकार ने बहुत गम्भीरता से लिया है। चाहे कानपुर का रिजर्व बैंक हो या पूना का हो, सभी ने

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नही किया।

आपत्ति की कि उत्तर प्रदेश को बदनाम और उसकी साख गिराने का काम किया गया है। तो यह स्टेट बैंक की भूल थी, 320 करोड़ रुपया दिखाया ही नहीं। हमारी सरकार ने तुरन्त पता लगा लिया और जब 320 करोड़ का पता लग गया तो रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया और ओवर ड्राफ्ट समाप्त कर दिया और तब आपने सवाल उठाया है।.....

तो स्थिति यह थी अब जो भूल की है तो इसके लिये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से गम्भीरता से बात करेंगे, हम उनको चिट्ठी लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ बिना पूरी जानकारी किये क्यों रिजर्व बैंक ने रोक लगायी, कम से कम पूछ भी लेना चाहिए था स्टेट बैंक से और सब आंकड़ों को देखना चाहिए था, हिसाब-किताब लगाना चाहिए था और हिसाब-किताब को लगाकर भूल को सुधार करना चाहिए था लेकिन भूल को सुधारा नहीं और भूल को जारी रखा और ओवर ड्राफ्ट मानकर भुगतान रोका लेकिन खबर मिली तो छुट्टी होते ही रात में बारह बजे ही उन्होंने ओवरड्राफ्ट खत्म कर दिया।

उत्तर प्रदेश में यह सही है कि संसाधन जुटाने की आवश्यकता है लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश की जनता का जैसा आपने कहा, माननीय नेता जनता दल ने कि उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए था तो मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा नहीं आ सकती और जो भी घोषणाएं हम करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उसको हम पूरा करते हैं और जो घोषणाएं करते हैं उसकी समीक्षा भी करते हैं कि घोषणाएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। जहां तक और सवाल हैं उसके बाद भी हमको इतना बताना है। नेता विरोधी दल ने कहा कि भ्रष्टाचार पनप गया है लेकिन आपके 17 माह के राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ है आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ है, यह बात हम कभी चिढ़ाने वाली नहीं करना चाहते थे।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मैं मुख्य मंत्री जी के निराधार आरोपों का खंडन करता हूं हमारी सरकार पारदर्शी सरकार थी, ईमानदार सरकार थी।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपकी बात अखबार में आ गयी है और आप देने जा रहे हो और जो चाहो छपा लो एक की जगह सौ, सौ की जगह हजार, हजार की जगह एक लाख करा दो, कह दो खेतों में पानी बह गया, घाघरा में खून बह गया। कम से कम नेता विरोधी दल तो ऐसी स्थिति के लिये पूछ ही सकते थे। तो यह स्टेट बैंक की भूल थी जिस पर रिजर्व बैंक ने रोक लगायी थी। अभी द्विवेदी जी कह रहे थे हिस्सा लेने-देने की बात तो वह तो अच्छी तरह से जानते हैं हमारे आपके बीच कोई छिपी हुई बात नहीं है इसलिये आप जानते हैं कि कैसे लिया दिया जाता है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हिस्सा ले लें और दे दें यह सब अच्छी तरह से आपको पता है कि हिस्सा कैसे लिया जाता है और कैसे दिया जाता है? मान्यवर, मैं माननीय नेताओं और माननीय नेता विरोधी दल की चिन्ता दूर करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा। जो सरकार खर्च नहीं करती है मैं उस सरकार को निकम्मी सरकार मानता हूं जो सरकार ज्यादा खर्च करती है वही सरकार अच्छी होती है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

यह बता दें कि ओवर ड्राफ्ट खत्म हो गया कि नहीं?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, एक तो ओवर ड्राफ्ट खत्म हो गया और दूसरा जो माननीय गुप्त जी ने कहा था कि जो प्रणव मुखर्जी ने तारीफ की थी वह कैसे तारीफ की थी तो 90-91 में जो खर्च किया था, सरकार ने जो विकास किया था, उत्तर प्रदेश में जो काम हुए थे और उत्तर प्रदेश की सरकार की परफारमेंस अच्छी थी। वह 90-91 की तारीफ में वह जो योजना बढ़कर मिली थी, वह हमारी सरकार के बल पर ही मिली थी।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो सही तथ्यों की जानकारी नहीं है या फिर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय प्रणव मुखर्जी ने हमारी सरकार की प्रशंसा इसलिये की थी कि हमारी सरकार ने पहले की सरकार की अपेक्षा अधिक आर्थिक संसाधन जुटाये थे और विकास की गति को बढ़ाया था। 92-93 की वार्षिक योजना की सात सौ करोड़ रुपये की बचनबद्धता थी, उसके विपरीत नौ सौ करोड़ रुपये के संसाधन जुटाकर हमने दिखाया। इसके बारे में स्पष्ट रूप से सराहना उत्तर प्रदेश सरकार की गयी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस समय कोई ओवरड्रफ्ट नहीं है, कंट्रोल मे आ गया है।

[1 बजकर 20 मिनट]

श्री मुलायम सिंह यादव–

320 करोड़ रु० की भूल थी।

श्री कल्याण सिंह–

जो और मुद्दे उठाये थे, उनका उत्तर नहीं आया। कानपुर में जो इंडिस्ट्रियल मेडिकल हेल्थ है, जिसमें केवल 3 करोड़ 50 लाख की वित्तीय स्वीकृति थी, उसके विरुद्ध 50 करोड़ रुपये के भुगतान का मामला हमने उठाया है। इसी प्रकार से कुछ दिन पूर्व इसी सदन के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयें को खरीदने के लिये वित्तीय बजट की स्वीकृति दो करोड़ रु० की थी उसके विरुद्ध 23 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी, फिर 70 करोड़ रु० के बिल पेश कर दिये। यह कोई रैकेट काम कर रहा है। यह दो नमूने हैं। इसकी खुली जांच हो जायेगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता का हित होगा। इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये मा० मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला। यह जो गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है क्या उसकी जांच के लिये इस सदन की कोई सर्वदलीय समिति बनाने को तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष–

इस विषय से सम्बन्धित यह कोई विषय नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

नेता विरोधी दल ने जो सवाल उठाया, वक्तव्य आ ही रहा है। आपने वक्तव्य स्वीकार कर लिया है। आपने इसे पहले भी उठाया था, कोई बात नहीं। उस वक्तव्य का उत्तर देंगे, उसमें सवाल करने का मौका मिलेगा जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जहां तक वित्तीय अनुशासन का सवाल है पूरी तरह से वित्तीय अनुशसन में सरकार चल रही है, वित्तीय अनुशासन को मजबूती से लागू किया जायेगा। जो फर्जी खरीद का सवाल है, फर्जी खरीद को रोकने के लिये हम बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय ले रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह–

वक्तव्य जो है आयुर्वेदिक दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके संबंध में है। नया जो इश्यू इसमें जुड़ रहा है, इण्डस्ट्रियल मेडिकल हेल्थ के अंदर जो साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट था और 50 करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में कोषागार से घपला हुआ है। क्या आप उस वक्तव्य में आयुर्वेदिक दवाइयों के मामले के साथ-साथ उसको भी जोड़ेंगे। अब जब रोज भ्रष्टाचार का कोई नमूना सामने आ रहा है तो हमे रोज ही उठाना पड़ेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने जो बात कही, हम दिखवा लेंगे। जो भी भ्रष्टाचार आपकी जानकारी में होगा, जिस एजेन्सी से जांच करायेंगे, वही एजेन्सी हम नियुक्त कर देंगे।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, अभी भ्रष्टाचार की बात उठी, माननीय नेता विरोधी दल जब नेता सदन हुआ करते थे तो महराजगंज में सिसवा के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला उठा था

एक करोड़ रुपये से ऊपर कोई निजी भुगतान कर दिया था जिसका अधिकार नहीं था, उसमें तत्कालीन नेता सदन में जांच कराने से मना कर दिया था, इनके शासन काल में ही इस रैकेट ने जन्म लिया था।

श्री कल्याण सिंह–

मेरी सरकार के जमाने में भ्रष्टाचार संबंधी जो मामला उठा उसकी गहराई से छानबीन करायी गयी। दवाओं के खरीद फरोख्त का जो मामला था उसमें कठोर कार्यवाही की गयी थी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने वाली सरकार थी, आज जैसी सरकार नहीं थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर आ गया है, सूचना निरस्त की जाती है। अगली सूचना ले रहा हूं।

नियम 311 के अन्तर्गत नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री राम तेज–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुरादाबाद वाले केस में जो कीट नाशक दवाओं के सम्बन्ध में था, उसमें जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने क्या कार्यवाही की?

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज पूरा सदन मुझे मुख्य मंत्री मान कर प्रश्न कर रहा है। हमने मुरादाबाद वाले केस में पूरी जांच की थी।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

ब्लैक लिस्ट तो हमने किया था मगर 10 करोड़ रुपये के आदेश आपने दिये थे।

श्री कल्याण सिंह–

मैं इन बेबुनियाद आरोपों का खंडन करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पूरी जिम्मेदारी के साथ उत्तर देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं दूसरी सूचना पर श्री रंगनाथ जी को सुन रहा हूं।

श्री रंगनाथ

मान्यवर, पिछले दिनों ओला वृष्टि से वाराणसी जनपद में.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कौन-कौन सी सूचनायें स्वीकार की गयी हैं पहले यह बता दें?

श्री अध्यक्ष–

मैं बता रहा हूं। आज नियम–311 के अंतर्गत जो सूचनायें दी गयी थीं उनको नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है और उसके बाद मैंने यह पहली सूचना सुनी थी यह मैने अपने विवेक के अनुसार सुनी थी। उसके बाद 9 सूचनाएं और लाटरी के आधार पर निकाली गयीं। उनमें से चार सूचनाएं ग्राह्यता पर सुनने के लिये हैं । इसमें पहली सूचना माननीय श्री सुन्दर लाल दीक्षित और श्री रंगनाथ जी की जनपद बाराबंकी तथा वाराणसी मण्डल में 16 अप्रैल, 1994 को हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की है लेकिन आपका नाम पहली सूचना में भी है और चौथी सूचना श्री श्याम देवराय चौधरी जी की प्रदेश में खसरे के प्रकोप से बच्चों के जीवन को उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में है। अगली सूचना श्री कल्याण सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल की है। इसमें मैं कुछ माननीय सदस्यों को सुन लूंगा। यह सूचना प्रदेश में बुनकर सूत के दामों में बेहताशा वृद्धि तथा शासन द्वारा कर्ज माफी की घोषणा के बावजूद प्रशासन द्वारा कर्ज वसूली में उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इसमें जांच के निर्देश भी दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष

छठीं सूचना श्री प्रेमप्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री धनराज यादव व श्री स्वयंवर चौधरी की जनपद सिद्धार्थनगर में जिला योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का मनमाने ढंग से प्रयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसपर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सातवीं सूचना श्री राजकुमार शिवहरे, श्री भैरा प्रसाद मिश्र, श्री मुन्नूलाल कुरील व श्री रवीन्द्र शुक्ल की जनपद बांदा में उपाधीक्षक पुलिस द्वारा जवाहरलाल नेहरू विद्यालय बांदा के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष एवं कतिपय अन्य निर्दोष व्यक्तियों के कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आठवी सूचना श्री रमेशकांत लवानियां की आगरा महानगर की राशन की दुकानों पर चीनी व मिट्टी का तेल तथा अन्य खाद्यानों के अभाव के कारण नागरिकों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश विकल की फिरोजाबाद शहर में गल्ला आढ़तिया की गोली मारकार हत्या किये जाने उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं। इसपर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दसवीं सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की व श्री कुंवर महावीर सिंह जी की सिस गोमती निर्माण लेसू लखनऊ के अभिलेखों की विशेष सम्परीक्षा में सामने आये लगभग तीन करोड़ रुपयों के गबन के सम्बन्ध में है। इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अब मैं श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी एवं श्री रंगनाथ मिश्र जी की सूचना को ले रहा हूँ। इसमें श्री रंगनाथ जी को मैं सुन रहा हूँ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी आज उत्तर प्रदेश में जो सूत के दाम बढ़ रहे है इससे बुनकरों की स्थिति में काफी गिरावट आयी है। इसी से सम्बन्धित मैंने एक सूचना नियम–56 में आपको दी थी। उसका कोई उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

लाटरी में जो डाली गयी थी वह आ गयी है। वैसे तो मैंने उसे सुनने के लिए ले लिया है। परन्तु मैं इस पर दूसरे माननीय सदस्यों को सुन लूंगा क्योंकि आपका नाम पहली सूचना में भी है।

* श्री रंगनाथ–

मान्यवर, वाराणसी और मिर्जापुर जनपद में 16 तारीख को सांय-काल 5 बजे एक भीषण तूफान और ओलावृष्टि हुयी, जिसके कारण 4 लोगों की मौत हो गयी। दो लोग भुल्लर और पारंग नाम के, जो काम करके घर वापस जा रहे थे, तूफान के कारण दीवार गिर जाने से उसमें दबकर मर गये । इसी तरह एक किसान, जो अपने खेत से गेहूँ का बोझ लेकर जा रहा था, तूफान की वजह से गेहूँ के बोझ सहित कुयें में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गयी, इसी तरह भगवान दीन पटेल नामक व्यक्ति औराई थाना अन्तर्गत बिजली गिरने से मौत के मुँह में चला गया। मान्यवर, तूफान इतना भयावह था कि 125 किमी० प्रति घन्टे की रफ्तार से तेज हवायें चल रही थी, जिसके कारण तमाम छप्पर-झोपड़ियाँ उजड़ गयी। इस तूफान के दौरान बड़े-बड़े पत्थर गिरे, जिसकी वजह से गेहूँ की पूरी फसल नष्ट हो गयी, सारा अनाज जमीन पर बिखर गया। इस तूफान में कई जगह आग भी लगी, जिसके कारण थाता औराई के दयालपुर गाँव में किसानों का खलिहान पूरी तरह से जलकर राख हो गया।

दिनाँक 17 को जब मुझे यह जानकारी मिली तो मैंने चूँकि जिलाधिकारी मुख्यालय पर नहीं थे, उनकी जगह सी० डी० ओ० जो चार्ज पर थे, उनको इसकी जानकारी दी, उन्होंनें कहा कि मैं अभी वायरलेस कर रहा हूँ और आप ए० डी० एम०, ज्ञानपुर को फोन करें, मैंनें उनसे भी बात की, लेकिन दुर्भाग्य है कि 17 तारीख को ए० डी० एम० या अन्य कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन पीड़ित परिवारों के सांत्वना देने नहीं पहुँचा। आज किसानों के यहां शादी-ब्याह का समय आ रहा है, उन्हें अपने बेटी-बेटे की शादी करने की चिन्ता है, उनके पास खाने को नहीं रह गया है और वह भूखों मरने की स्थिति में पहुँच गये हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि जो लोग मरे हैं, उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपया दिया जाय और जिन किसानों की फसल बरबाद हो गयी हैं, उसका भी आकंलन कराकर, शिविर लगवाकर तत्काल मुआवजा दिलाया जाय, वरना आगरा में जिस प्रकार से किसान आन्दोलन करने के लिये सड़कों पर उतरा था, जिस पर इस बर्बर सरकार ने गोली चलवाई थी, जिसमें मौत भी हुई थी, उसी प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति हो सकती है।

---

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि तत्काल शिविर लगवाकर किसानों को मुआवजा दिलवायें और मृतक आश्रितों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता तुरन्त प्रदान की जाये, इसके साथ ही मैं अपनी बातों पर बल देते हुये इस विषय पर चर्चा की मांग करता हूँ।

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख को रात मैं 9 बजे बाराबंकी जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में भीषण ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण किसानों की खेत में खड़ी फसल नष्ट हो गयी। किसान की जो फसल अभी तक लहलहा रही थी, जिसे वह घर ले जाने वाला था, इस प्राकृतिक प्रकोप के कारण वह पूरी तरह बरबाद हो गयी, इस कारण से आज किसानों के सामने संकट पैदा हो गया है। बाराबंकी जनपद के सम्पूर्ण अंचल में हैदरगढ़, रामनगर, जुगौली रामसनेहीघाट, फतेहपुर तहसीलों में आज पूरा जनमानस कराह उठा है, उसके सामने आज गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है, अतः इस गम्भीर परिस्थिति को देखते हुये शासन की ओर से प्रत्येक किसान को 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाय और इस गम्भीर विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, माननीय दीक्षित जी और मिश्रा जी ने जो ओलावृष्टि और तूफान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है, इस सम्बन्ध में आज ही जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये जायेंगे कि जो मृत्यु हुई है उनकी जानकारी करके, उनको जो राहत दी जा सकती है वह दें और जो फसल की क्षति हुई है, उसमें पूरी तत्परता से राहत वितरित करायें।

श्री अध्यक्ष–

दैवी आपदा से उत्पन्न स्थिति में राहत दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सरकार का पक्ष प्रस्तुत कर दिया है, और सहायता शीघ्रतिशीघ्र मिल जायेगी। इसलिये इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

अगली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की प्रदेश में खसरे के बढ़ते हुये प्रकोप के सम्बन्ध में है। चौधरी जी ग्राह्यता पर अपना पक्ष रखें।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ आग लगी है वहाँ कुछ लोगों को 250 रुपये की सहायता दी जाती है और जो सत्ता पक्ष के विधायकों से सम्बन्धित लोग है, उनको कुछ ज्यादा सहायता दी जाती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह जानकारी कर लें, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई भेद नहीं किया जाता है। सभी को समान रूप से सहायता दी जाती है।

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, प्रदेश में खसरा रोग अपना पाँव फैला रहा है। 1989 में यूनीसेफ द्वारा खसरा रोग के उन्मूलन के लिये जो कार्यक्रम चलाये गये थे और उसकी समाप्ति पर यह दावा किया गया था कि यह खसरा रोग जो बच्चों को होता है और उसकी परिणित उनके प्राणों के जाने के साथ भी होती है, उसकी समाप्ति कर दी गयी है। लेकिन जो आंकड़े मिल रहे हैं वह इसके विपरीत हैं। अभी गरमी पूरी तरह से बढ़ी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि गरमी के मौसम में कई प्रकार के पेट के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चेचक का भी प्रकोप बढ़ जाता है, मान्यवर, खसरा रोग का प्रकोप बढ़ने वाला है लेकिन इसके बढ़ने का संवेदनशील महीना मई और अगस्त का होता है। अप्रैल महीने के शुरुआत में ही प्रदेश भर के अन्दर करीब 4000 बच्चे इस रोग से पीड़ित हो चुके हैं और 100 से अधिक बच्चे काल-कवलित हो चुके हैं। सबसे दुःखद पहलू यह है कि इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिये जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है जिसके द्वारा टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, उसकी दिन प्रतिदिन की सूचना स्वास्थ्य विभाग के पास आनी चाहिए, लेकिन मान्यवर, महीने, डेढ़ महीने के बाद भी उसके पास सूचना नहीं आ पाती है कि कहाँ-कहाँ इस रोग का फैलाव हो रहा है और उसके लिये क्या निदान किया जा रहा है, प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आराम से सो रहा है, जिसके कारण से अभी तक सैकड़ों बच्चे मर गये हैं। टीकाकरण के कार्यक्रम को जिस गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, वह नहीं लिया जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। यह खसरा रोग 9 से 12 महीने के बच्चों के अन्दर विशेष रूप से प्रभाव छोड़ती है और बच्चे मर जाते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग को पूरी संवेदनशीलता के साथ लगना चाहिए और जो उपयुक्त है वह किया जाना चाहिए। खसरा रोग के प्रसार और विभागीय शिथिलता पर चर्चा करायी जाय और सरकार इस ओर आवश्यक कदम उठाये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, बच्चों का खसरा रोग एक बीमारी की तरह होता है। जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार तीन-चार दिन तक बुखार रहता है, जान का खतरा नहीं रहता है। जैसा कि माननीय चौधरी साहब से आशंका व्यक्त की है। पूरे प्रदेश में इसके लिए दवाइयों की कमी नहीं है, सभी जगह दवाइयां उपलब्ध हैं, इस पर जिस तरह से चिन्ता व्यक्त की गयी है, उससे पूरी तरह से हम भी चिन्तित हैं। आज ही इस संबंध में अलग से निर्देश दे दिये जायेंगे। वैसे कुछ

लोग इसका इलाज नहीं करते हैं, पूरी तरह से इस संबंध में सक्रिय रूप से स्वास्थ्य विभाग लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराये, टीकाकरण.....

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह बीमारी छः माह से पूरे जोरों से चल रही है, सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है और न ही यह रुक रही है, इसको रोकने के प्रयास किये जायँ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस संबंध में अलग से निर्देश दे दिये जायेंगे, घर-घर जाकर दवाइयां वितरित करायी जायेंगी और टीकाकरण का कार्य युद्धस्तर से कराया जायगा।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में प्रभावी कदम उठाये जाने के संबंध में आश्वासन आ गया है। अब मैं श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को बुला रहा हूँ, उनकी सूचना फर्जी शस्त्र लाइसेंन्स से संबंधित है।

(माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगली सूचना श्री कल्याण सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं इसी से संबंधित श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री नरेश अग्रवाल जी की है, ले रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, हमारे प्रदेश में कृषि के बाद अगर सर्वाधिक लोग जो कि हथकरघा उद्योग एक महत्वपूर्ण विकेन्द्रित उद्योग है, में नियोजित हैं।

मान्यवर, इस संबंध में इस समय बुनकरों की हालत प्रदेश में बहुत ही खराब है । पिछले चार महीने में सूत के मूल्य में 80 से 90 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि का चार्ट संलग्न है, आपके पास भी होगा, मैने सूचना के साथ नत्थी किया है। मान्यवर, सूत नं०– 2/17 दिसम्बर में 305/- रुपया प्रति बण्डल था जो अब 480 रुपया हो गया है, सूत नम्बर– 2/10 नवम्बर, 1993 में 208 रुपया प्रति बण्डल था जो अब 380 रुपया हो गया है। 10 एस० दिसम्बर में 218 रुपया था, अब 325 रुपया हो गया है, 14 एस० दिसम्बर में 235 रुपया था जो अब 315 रुपया हो गया है, 20 एस० नम्बर का सूत दिसम्बर में 235 रुपया था जो अब बढ़कर 375 रुपया हो गया है, 2/40 नम्बर का सूत दिसम्बर में 385 रुपया प्रति बण्डल था जो अब बढ़कर 550 रुपया हो गया है, 24 एस० नम्बर का सूत नवम्बर में 224 रुपया प्रति बण्डल था लेकिन अब यह किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं है। ऊंचे भाव के कारण तैयार माल की माँग तथा खपत न होने से भारी संख्या में करघे बंद हो गये हैं, बुनकरों के द्वारा तैयार माल का कोई खरीददार नहीं है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी गयी हैं, शासन द्वारा इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगायी जा रही हैं, आज भारी संख्या में हथकरघे बंद हो गये हैं जिनकी अनुमानित संख्या 2.61 लाख है। 10 लाख बुनकर बेरोजगारी के कारण आखिरी सांसे ले रहे हैं। उद्योग का अधोपतन हो रहा

है। 26 करोड़ की सब्सिडी लेते हैं प्रतिवर्ष 36 करोड़ रुपये की सब्सिडी पानी में बह गयी है। बुनकरों को कोई लाभ नहीं हुआ है, यह ठोस सच्चाई है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्मरण ही होगा कि हथकरघा उद्योग की मशीनीकरण से राहत देने हेतु 1985 में हथकरघा आरक्षण अधिनियम बनाया गया है। कपड़ा मिल मालिकों तथा पावरलूम वालों ने न्यायालय से स्थगन ले लिया और कोर्ट से स्टे हो गया। अब स्थगन 1993 में समाप्त हो गया है परन्तु सरकार ने क्षेत्र विभाजन नहीं किया है और न ही बुनकरों को राहत देने हेतु कोई चिन्ता होती है। यूपिका और हथकरघा निगम से जहाँ लाखों बुनकरों को काम मिलता था वहाँ उन केन्द्रों प्रदेश भर में कुछ हजार बुनकर पंजीकृत हैं। जरूरत भर सूत नहीं मिलता, मिलता भी है तो महँगी दर पर तथा माल देने के महीनों बाद भुगतान होता है। इस तरह से मान्यवर, सूत के दामों में 50 प्रतिशत कमी की जाय, जो चार महीने पहले सूत की कीमतें थी उसी कीमत पर सूत उपलब्ध कराया जाय, उसी के साथ मिलों में डिपो खोले जाँय जिससे बुनकर को सीधे माल मिले और वे उसी माध्यम से कीमत दें, जो मिलों के डिपो हैं उन्हें खोला जाय। तैयार माल यूपिका, हथकरघा निगम तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन इसे उचित मूल्य पर खरीदे, कर्जा वसूली तथा उत्पीड़क कार्यवाही पर रोक लगे, कर्जा वसूली को खत्म किया जाय और इसके लिये नियम बनाये जायँ, कि बुनकर पैसा जमा करें, और उन्हें कर्जा माफी का प्रमाण-पत्र दिया जाय, बुनकरों को सब्सिडी दी जाय, कर्जा माफी का प्रमाण-पत्र उन्हें दिया जाय ताकि वह जान सकें कि कर्जा माफ हो गया है। माँग यह भी है कि किसानों को जिस तरह से बिजली दी जाती है। इसी तरह से बुनकरों को सब्सिडी दी जाय। यूपिका व हथकरघा निगम, जहाँ से बुनकरों का हित साधन होता था, आज की तारीख तक यहाँ पर केवल कुछ हजार बुनकर ही पंजीकृत हैं। इसलिए अब इन संस्थाओं की भी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं रह गई हैं। दो परसेन्ट आप सब्सिडी देते हैं और कीमत 20 फीसदी बढ़ जाती है। आज बुनकरों की हालत बहुत खराब है। प्रदेश में कृषि के बाद सबसे बड़े उद्योग में लगे बुनकरों की हालत को सुधारने के लिए सरकार को विचार करना चाहिये। आज पूरे प्रदेश में असंतोष व्याप्त है। भारी तादात में बुनकर राजधानी के गलियारों में नारे लगाते हुए विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए उनकी समस्याओं की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं अपनी बात पर बल देते हुए, जिन 6 बातों का मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है, उन पर सरकार अमल करेगी, जिससे उनकी हालत सुधरे और इस सर्वहारा वर्ग की उन्नति हो सके।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक निवेदन करना है। बुनकरों का प्रकरण आज यह कोई पहली बार नहीं आ रहा है। इससे पहले भी कई बार बुनकरों की समस्या के संबंध में यहाँ पर बातें उठी हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, पीठ से भी कई बार निर्देश दिये गये हैं लेकिन उन निर्देशों के मुताबिक सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसी का नतीजा है कि दो दिन पहले टांडा (फैजाबाद) के सैकड़ों बुनकरों ने यहाँ पर धरना दिया। आज स्थिति यह आ गयी है कि सूत के

महंगे होने से बुनकर अपना धंधा छोड़कर पलायन कर रहा है और मजदूरी करने के लिए विवश हो गया है। उसके द्वारा उत्पादित माल की खपत हेतु कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। आज बुनकर भुखमरी के कगार पर है। इसलिए मान्यवर, आप सरकार को सख्त निर्देश दें ताकि बुनकरों को राहत मिल सके।

श्री ऊदल–

मान्यवर, माननीय श्री गुप्ता जी ने कृषि के बाद सबसे बड़े उद्योग हथकरघा की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराया है। समस्या केवल इतनी ही नहीं हैं। उन्होंने 6 बातों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, परन्तु इसके अलावा भी हमारे प्रदेश में जो सूती मिलें हैं, उनको सरकार की तरफ से छूट है कि वह पूरे देश में अपने सूत को बेच सकते हैं। इसलिए आज सूत बहुत ही महंगे दामों पर पूरे प्रदेश में बेचा जा रहा है। आज यही कारण है कि पूरे प्रदेश में हथकरघा उद्योग चौपट हो रहा है। बुनकर पलायन कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। सरकार की नीतियों के कारण और मिलों को छूट देने के कारण यह धंधा चौपट हो रहा है; पहला तो यह है कि सरकार कम से कम जो सूत बाहर बेचा जा रहा है, उस पर रोक लगाये और बुनकरों को सही रेट पर सूत दिया जाय। दूसरा, यह कि उनके द्वारा जो उत्पादित सामान है, उसके लिए विपणन की व्यवस्था की जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह सही है कि इस वर्ष सूत के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसका कारण कपास की फसल का खराब होना है।.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं भी इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो उस समय नहीं थे। फिर भी आप अपनी बात कहें।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज बुनकरों के सामने भीषण संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। एक तरफ सरकार वायदा कर रही है कि उनका माल खरीदेगी और उनको राहत देगी। दूसरी तरफ कल ही घोषणा हुई कि सूत के दामों में कमी होगी लेकिन उसके विपरीत हो रहा है, उल्टी स्थिति हो गयी है। सूत के दामों में बेतहासा वृद्धि होने से बुनकरों के सामने जीवन-मरन का प्रश्न उपस्थित हो गया है। सरकार की तरफ से उनके कर्जा माफी की घोषणा हुई थी उसका कार्यान्वयन न होने के कारण आज उनसे वसूली की जा रही है उनसे अदायगी के लिये कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि जिलों में सरकार के निर्देश नहीं पहुंचे हों। कल 5.75 प्रतिशत की सूत के दामों में छूट की घोषणा हुई लेकिन तत्काल सूत के दामों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। दो दिन पूर्व 2/17 नम्बर का सूत 410 रु० में था आज वह 450 रु० में हो गया है। तो 410 से बढ़कर 450 रु०

हो गया है। 14 नम्बर का सूत 470 रु० में था जो बढ़कर 305 रु० में हो गया है। असवी मिल का 6 नम्बर सूत 290 से बढ़कर 315 रु० हो गया है 2/10 नम्बर का सूत जो 310 में था वह बढ़कर 365 में हो गया है। इस प्रकार प्रदेश के 50 हजार हथकरघा पिछले 3 दिनों से बंद हो गया है।

एक तरफ सरकार घोषणा करती है कि हम दाम कम करेंगे लेकिन उसमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। हजारों बुनकर जो विधान सभा के बाहर पूरे प्रदेश से आये हुये हैं। बुनकरों का पक्ष रखने के लिये बुनियाद हुसैन अन्सारी और महमूदुल हसन अंसारी को आने नहीं दिया जा रहा है। तो यह आज पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है। आज के रेट पर बुनकर हथकरघा नहीं चला सकते हैं। इस बात को सरकार भी महसूस करती है लेकिन कुछ करना नहीं चाहती है क्योंकि दो दिन पहले घोषणा की थी दाम कम कर रहे हैं लेकिन आज दाम बढ़ गये हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में नियमों को निलम्बित करके तत्काल इस पर चर्चा कराई जाय। तो दो साल पहले जो स्थिति थी उस पर बुनकरों को माल दिया जाय और जो बुनकर बाहर आये हुये हैं उनसे बात की जाय। यदि सरकार यह घोषणा करती है तो मैं बल नहीं दूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री 10/15 मिनट का समय देकर बुनकरों को बुला लें और उनके प्रतिनिधियों से बात कर लें तो बुनकर मान जायेंगे। आपस में बैठकर बातचीत से कोई न कोई रास्ता निकल आयेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा इस साल कपास की फसल खराब होने के कारण उसके दामों में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हुई जिससे सूत के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हमारी सरकार के अलावा केन्द्र सरकार ने भी कुछ उपाय किये हैं ताकि सूत के दाम घटे लेकिन उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। अभी इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं वह हम आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहते हैं।

सरकारी क्षेत्र की मिलें दो प्रतिशत का डिस्काउंट यूपिका तथा हथकरघा निगम को दे रही हैं।

टैक्सपेड समूह की कंपनियों से हथकरघा निगम तथा यूपिका को सूत की जो आपूर्ति की जा रही है, उस पर सूत मूल्य की 5.75 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी की छूट के अतिरिक्त 5.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि सूत मूल्य में कमी आ सके। यह सुविधा उपरोक्त दो प्रतिशत छूट के अतिरिक्त दी जायेगी ।

टैक्स समूह की कंपनियों द्वारा मूल्य में स्थिरता आने तक हैंड यार्न का निर्यात उ०प्र० के बाहर नहीं करेगी।

सूत के मूल्य एक माह के लिये एडवांस में ही नियत किये जायेंगे। इसके लिये हथकरघा निगम तथा यूपिका अग्रिम आर्डर के साथ नियत मूल्य की अग्रिम धनराशि टैक्स समूह कंपनियों को जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय प्रधानमंत्री को मुख्य मंत्री जी की ओर से इस संबंध में अनुरोध किया गया है कि कपास और सूत में निर्यात तुरन्त रोका जाए और सूत के दम घटाने हेतु भारत सरकार उर्वरक की भांति कताई मिलों को अनुदान की व्यवस्था करे।

श्रीमन्, श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो अभी कहा है कि मुख्य मंत्री जी से बात करें, तो यह आपका अच्छा सुझाव है, इसलिये हम भी मुख्य मंत्री जी से वार्ता करेंगे कि उनसे बात होनी चाहिए। श्रीमन् हमारे प्रदेश का हथकरघा एक प्रमुख कुटीर उद्योग है, इसलिये इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए और वार्ता के लिए मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बुनकरों की समस्या के समाधान हेतु त्रिपक्षीय वार्ता आवश्यक है जिसमें बुनकरों के प्रतिनिधि, सरकार और संबंधित अधिकारी सम्मिलित हो जाएं एवं उचित तो यह होगा कि केन्द्र सरकार से भी कोई न कोई प्रतिनिधि बुला लें जो बैठकर इस समस्या का हल निकालें चूंकि स्थिति बहुत खराब है, इसलिये आमने सामने बैठकर बातचीत हो जाए। मेरा यह भी अनुरोध है कि बुनकर नेता श्री बुनियाद हुसैन अंसारी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको भी वार्ता में बुलायें। मान्यवर, इसमें आलोचना की बात नहीं है बल्कि हम सिर्फ इस समस्या का समाधान चाहते हैं वरना करोड़ों लोगों के सामने भुखमरी की समस्या है। इसलिये हम आश्वासन चाहते हैं कि मुख्य मंत्री और बुनकर नेताओं के बीच में वार्ता की तारीख की घोषणा मंत्री जी करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मा० नेता कांग्रेस दल ने जो त्रिपक्षीय वार्ता की बात कही है मैं भी उससे सहमत हूं।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो घोषणा किया है उसमें तीन बातों के बारे में जानकारी चाहता हूं। एक तो उन्होंने कहा था कि हथकरघा उद्योग को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि हथकरघा आरक्षण 85 का स्टे जो समाप्त हो गया है, इसलिये इसको प्रभावी ढंग से लागू करवा दें।

मान्यवर, दूसरे जो आपने सूत की कीमतें कम करने का फारमूला बताया है, मेरी गणित कमजोर है, इसलिये चाहता हूं कि जो आज मूल्य हैं, और रोज कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिये घोषणा करें कि, आज के मूल्य को पुराने 4 महीनों में जो कीमतें थीं, 50 फीसदी मूल्य कम करेंगे और भविष्य में मूल्य नहीं बढ़ेंगे।

मान्यवर, तीसरी बात कर्ज माफी की घोषणा हो गयी लेकिन बैंक में जाने पर मालूम पड़ता है कि कर्ज नहीं माफ हुआ है। इसलिये यूपिका, निगम और उद्योग विभाग से प्रमाण-पत्र जारी

करवाये जाएं कि आज की तारीख में इतना रुपया माफ कर दिया गया जिससे बैंक में प्रमाण-पत्र दिखाकर बुनकर अपना बचाव कर सके। इन तीन बातों का मंत्री जी आश्वासन दे दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, सरकार की तरफ से जो उपाय किये गये हैं उनकी जानकारी सदन को दे दिया है। लेकिन जो श्री गुप्त जी ने चिंता व्यक्त किया है और श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो वार्ता की बात कहा है तो मुख्य मंत्री जी का मुझे कार्यक्रम नहीं मालूम है लेकिन इस संबंध में वार्ता के लिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि समय निकालकर इन सभी बिन्दुओं पर विचार किया जाए और रास्ता निकाला जाए चूंकि हथकरघा प्रदेश का प्रमुख उद्योग है जिस पर हम सभी को प्रोत्साहन देने के लिए सोचना चाहिए और इस संबंध में सरकार संवेदनशील है और इसलिये उपाय किये गये हैं लेकिन उनके अतिरिक्त भी चाहेंगे कि वार्ता में तमाम चीजें सामने आएंगी और कुछ निर्णय भी होगा। इसलिये श्री तिवारी जी का सुझाव पर्याप्त है। केन्द्र सरकार से भी कहा है कि इसको खाद की तरह अनुदान सूची में भी लाया जाए, वार्ता के लिए भी हम तैयार हैं और जो भी हम बुनकरों के हित में कर सकते हैं, यह सरकार उससे पीछे नहीं रहेगी।

.....और उनके सुझाव हमारे मान लेने के बाद अब इसमें आगे और कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है, सब बिन्दुओं पर विचार हो जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने इस बात से सहमति जता दी है, माननीय सदस्यों के भावनाओं के साथ अपनी सहमति बता दी है और उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता का भी मार्ग प्रशस्त करने की बात कह दी है, अब इस सिलसिले में मेरा इतना और निवेदन है मान्यवर, कि वक्तव्य के लिये इसे आप स्वीकार कर लें, ताकि इसमें जो भी कार्यवाही हो वह वक्तव्य के माध्यम से सारे सदन की जानकारी में आ जाए।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं भी श्री राम आसरे वर्मा जी की बात का समर्थन करता हूँ, यह अच्छी बात है, यह हो जाना चाहिए।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 10 लाख गरीब बुनकरों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ यह बहुत ज्वलन्त सवाल है। माननीय राजेन्द्र जी गुप्त ने कुछ स्पष्ट प्रश्न सरकार के सामने रखे। यह सरकार भी स्वीकार करती है कि सूत की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और पिछले 4 माह में तो 80 से 90 परसेंट तक बढ़ गये हैं। जो त्रिपक्षीय वार्ता की बात चल रही है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से तीन बातों की जानकारी मंत्री जी से चाहता हूँ। पहला,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह जो सूत के दाम बढ़ रहे हैं, इनके पीछे उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर सूती मिलों द्वारा सूत के निर्यात की भी बात है, तो क्या सरकार अपनी सूती मिलों पर यह प्रतिबन्ध लगाएगी कि वह उत्तर प्रदेश के सूत को प्रदेश के बाहर न भेजे? नम्बर–2. क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, उसको देखते हुए वह 50 प्रतिशत आज के मूल्यों में कमी करके बुनकरों को सूत उपलब्ध कराएगी? नम्बर तीन, और अन्तिम सवाल, जो लगातार रोज बुनकरों के कर्ज माफी से सम्बन्धित सवाल उठते हैं, बुनकरों को सरकारी घोषणाओं के विपरीत कर्जे को लेकर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो क्या सरकार घोषणा इस बात की करेगी कि जितने जितने कर्जे आप इनके माफ कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में आप अपने स्तर से एक प्रमाण-पत्र जारी कर दें, ताकि इनके सामने से कठिनाइयां दूर हो सकें?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इन दो-तीन बातों के बारे में और अन्य तमाम बातों के बारे में बहुत विस्तार से मैं पहले ही बता चुका हूं और त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में कह दिया, अब फिर वही बातें बार-बार आएंगी तो यह कैसे ठीक होगा? यह तो कहा जा चुका है। इसमें अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की है.....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस पर आप वक्तव्य के लिए सरकार को निर्देशित कर दें, बस सारी बात खत्म हो जाए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सही है कि पिछली सरकार में इस पापुलर गवर्नमेंट के आने से पहले भी कर्ज माफी की घोषणा हुई थी, उसके लिए पैसा भी रिलीज हो गया। उसके पहले हमारी सरकार ने भी इसे किया था, लेकिन आपकी सरकार ने इस दिशा में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वह अधिसंख्य अल्पसंख्यकों की समस्या थी। वह भयमुक्त हो गए। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी चिन्ता की है और हमारी सरकार इसके लिये पूरी तरह चिन्तित है, क्योंकि पूरी तरह इन्हीं की बनाई हुई यह सरकार है। जो घोषणाएं की हैं उनका पूरा पूरा पालन किया जायेगा और उसके अतिरिक्त भी जो वार्ता के फलस्वरूप बिन्दु होंगे, उस पर भी विचार किया जायेगा। टैक्स पेड समूह की कम्पनियों के सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये हैं कि वह उत्तर प्रदेश के बाहर तब तक न भेजें जब तक इनके मूल्यों में स्थिरता न आ जाए। सूत के मूल्यों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, प्रदेश में ही नहीं सारे देश में, कपास के कम उत्पादन के कारण, उससे सरकार पूरी तरह चिन्तित है। हम इसमें अपनी तरफ से कर रहे हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, हमने

श्री कल्याण सिंह–

10 लाख बुनकरों से जुड़ा हुआ सवाल किया था। उस पर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। मैं और मेरा दल सरकार की इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बुनकर विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन से चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सरकार को वक्तव्य के लिये निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर आ गया है। मैं सरकार को इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निर्देशित करता हूँ कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह सब अस्वीकृत की जाती हैं। अब मैं अगली मद ले रहा हूँ।

(व्यवधान)

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के सत्रहवें, अठारहवें एवं उन्नीसवें वार्षिक लेखें एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सत्रहवें, अठारहवें एवं उन्नीसवें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 को रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऐक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की नवम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1982-83

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड का नवम् वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1982-83 को उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड के "आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन" के प्रस्तर 118 (बी) के साथ पठित कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1994

संयुक्त सचिव (प्रथम) विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा

(संशोधन) विधेयक, 1994 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 13 अप्रैल, 1994 को वापस प्राप्त हो गया है।

उ० प्र० मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधायक, 1994

संयुक्त सचिव (प्रथम) विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1994, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अप्रैल, 1994 को वापस प्राप्त हो गया है।

(श्री राम कुमार शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

जनपद इटावा के ग्राम-इटैली के अन्तर्गत अहनैया नदी को गहरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सनेही प्रधान ग्राम व पोस्ट गढ़वाना जिला इटावा तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री महराज सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद इटावा के ग्राम इटैली के अन्तर्गत स्थित अहनैया नदी को गहरा कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री रामसनेही प्रधान तथा श्री राम प्रकाश, निवासीगण ग्राम व पोस्ट गढ़वाना, जिला इटावा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

गाजियाबाद नगर के लाइनपार क्षेत्र भूड भारत नगर, सुन्दरपुरी, माधोपुरा, गौपुरी व कैलाश नगर में सीवर लाइन बिछवाने के सम्बन्ध में श्री देशराज देशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से गाजियाबाद नगर के लाइनपार क्षेत्र में भूड भारत नगर, सुन्दर पुरी, माधोपुरा, गौपुरी व कैलाश नगर में सीवर लाइन बिछवाने के संबंध में श्री देशराज देशी, निवासी भूड़ भारत नगर गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994†

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् मै आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश शान्ति सुरक्षा बल विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, 123 (2) देखने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन नहीं रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं, विधेयक प्रस्तुत हो गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विरोध करने का हमें अधिकार है हम विरोध करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

नियमों में लिखा है, हम संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहते हैं। नियम-123 (2) देख लें। विधेयक का पुरःस्थापन होगा उसमें कोई माननीय सदस्य विधिक मामले में विरोध कर सकेगा। जो संविधान के मूल, कर्तव्य दिए हैं 51 (क) के अन्तर्गत विरोध करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

---

† दिनांक 23.4.94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात हो गई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं खड़ा हो गया था। आपने कृपा नहीं की मैं विरोध करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुज्ञा दे दी।

(व्यवधान)

हमारे सामने मजबूरी है माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सदन को व्यवस्थित करने का आपका काम है।

श्री अध्यक्ष–

जबर्दस्ती थोड़े ही कर देंगे। नहीं मानते हैं तो क्या करें?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो दंड आप उसको दे देंगे जो नियमों के तहत अपनी बात कहेगा।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब विचार होगा तो यह संशोधन दे देंगे। अभी विचार होना बाकी है। आपके विचार सुने बगैर इस विधेयक का महत्व नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

इतना महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है?

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

---

† दिनांक 23-4-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पुरःस्थापित करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-22 खेल विभाग, अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 5,69,46,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,47,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,64,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 8,90,90,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, परम्परा कायम रखिए। बजट पास होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मै समझता हूं कि खेल से संबंधित विचार आ जाते उसके बाद कटौती का प्रस्ताव आता तो ज्यादा अच्छा होता।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)

श्रीमन्, प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये हमारी सरकार व्यवस्थित और चिंतित है। श्रीमन्, खेल एक ऐसी चीज है जिससे शरीर, और मन स्वस्थ होता है। खेलों से देश, प्रदेश, तथा गांवों की जनता स्वस्थ होती है तथा देश और प्रदेश का विकास होता है। खेलों के प्रोत्साहन के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जगह-जगह पर क्रीड़ स्थल बनाये गये हैं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 3 सौ केन्द्र ऐसे बनाये गये हैं जहां पर तरह-तरह के खेलों की ट्रेनिंग तथा अभ्यास कराया जायगा। श्रीमन्, हमारे तीन तरह के क्रीड़ांगन है। इसके अंतर्गत 49 स्टेडियमों का निर्माण हो चुका है। 12 निर्माणाधीन हैं। श्रीमन्, बहु उद्देशीय क्रीड़ा हाल जिसमें कुश्ती टेबिल टेनिस आदि खेलों की व्यवस्था होती है ऐसे 29 हाल निर्मित हो चुके हैं और 14 अधूरे हैं। इसके अलावा जो हमारे तरणांगन हैं जहां पर तैराकी होती है वह 15 पूरे प्रदेश में तैयार हो चुके हैं और उनका उपयोग हो रहा है। 17 जो हैं वह अभी अधूरे हैं जिस पर काम चल रहा है। श्रीमन्, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये अष्ठम पंचवर्षीय योजना में जो बजट रखा गया है वह 41 सौ लाख रुपये का है जिसमें से 11 सौ लाख रुपया पर्वतीय क्षेत्र के लिये है। श्रीमन्, इसी तरह से जगह-जगह पर खेलों के संबंध में हमारी कार्य शालायें चलायी जा रही हैं और खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत छात्रावास खोले गये हैं और इस संबंध में यह प्राविधान किया गया है कि जो छात्र हैं उनकी खुराक के लिये पहले 25 रुपये प्रतिदिन दिये जाते थे अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 35 रुपया कर दिया है। इस संबंध में 1994-95 में बजट में 443.77 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। श्रीमन्, हमारी सरकार की सोच है कि खेलों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाय।

इसी के अन्तर्गत स्टेडियमों के रख रखाव, खिलाड़ियों के खानपान की व्यवस्था की जायगी जिससे देश में उत्तर प्रदेश का एक महत्व होगा ।

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेई पीठासीन हुए)

और उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। श्रीमन्, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शासन पुराने खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देता है। सहायता के तौर पर पहले 300 रुपये दिये जाते थे अब इसको बढ़ाकर 700 रुपया प्रतिमास कर दिया गया है। श्रीमन्, इस बजट के माध्यम से मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्य इस बजट पर अपने-अपने सुझाव दें। माननीय सदस्य जो सुझाव देंगें उन पर ख्याल किया जायगा। मैं यह भी चाहूँगा कि सम्मानित सदस्य इसमें कटौती का प्रस्ताव न रखें और बजट को सर्व सम्मति से पारित करें।

*श्री रंगनाथ–

मान्यवर, माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने खेल बजट के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि खेल प्रदेश के विकास के लिये बहुत आवश्यक हैं। खेलों से शरीर और मन स्वस्थ होता है। मान्यवर, इस सरकार का मन और इस सरकार का शरीर स्वतः कमजोर है। कमजोर सरकार खिलाड़ियों के मन और शरीर को कैसे मजबूत कर सकती है यह इस बजट से परिलक्षित होता है।

(2 बजकर 20 मिनट)

आज मान्यवर, खेल के विकास के लिए जो इन्होने धन बताया है 443 लाख रु० आयोजनेत्तर खर्च और 489 लाख रु० योजनेतर व्यय में दिखाया है, 1993-94 में इतनी अधिक धनराशि थी, जिसके कारण खेल का विकास पूरा नहीं हो पा रहा था, इसके वावजूद खेल को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें बढ़ोत्तरी के बजाय कमी किया है, 1993-94 में 420 लाख आयोजनेतर खर्च था, लेकिन इसके पहले 1992-93 में आयोजनेत्तर खर्च के तहत 1385 लाख रु० खर्च किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 1030 लाख रु० व्यय किया गया था और आज वर्तमान सरकार ने 1994-95 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें 933 लाख रु० परिव्यय दिखाया है। इस प्रकार से सरकार जिस प्रकार से सरकार चला रही है, एक तरह से खेल खेल रही है, जो उसका नाकामयाब इरादा है, जो खेल में अनुदान दिया है, मैं समझता हूँ कि उसमें उसकी कमियां परिलक्षित हो रही है, जब पूना में हमारे प्रदेश की टीम गयी थी, तो उसमें हमारे प्रदेश के एक भी खिलाड़ी ने कोई पदक नहीं प्राप्त किये थे, उसका कारण है कि जो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हर जिलों के लिए जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, हर क्षेत्र में खिलड़ियों को जो सही प्रशिक्षण देना चाहिए था, वह यह सरकार नहीं दे पा रही है। इसी कारण से पूना में जो राष्ट्रीय खेल हुआ, उसमें हमारे प्रदेश का एक भी खिलाड़ी पदक नहीं प्राप्त कर सका। मान्यवर, हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के पास अपना ध्वज नहीं है। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिहार जो सबसे गरीबी की रेखा के नीचे है, वहां के खिलाड़ी पदक प्राप्त किये और अच्छे चुस्त-दुरुस्त तरीके से उस खेल में भाग लिये। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपनी बड़ी तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने छात्रावास के छात्रों के लिए 25 रु० से बढ़ा कर 35 रु० कर दिया है। मान्यवर, 25 रु० से 35 रु० माननीय मंत्री जी ने जो वृद्धि कर दी है, इतने रुपये में वह कौन सा पौष्टिक आहार खरीद सकता है? मान्यवर, इस समय तो 15 रु० किलो चीनी बिक रही है, मीट के बारे में मुझे पता नहीं है, मान्यवर, फलों के बारे में अगर आकलन किया गया होता, तो 35 रु० में एक छात्र के लिए पूरे महीने के लिए फल भी नहीं मिल सकता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपनी शेखी बघार रहे है कि हमने 25 रु० से 35 रु० कर दिया है। मान्यवर, इस प्रकार से राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसे स्थान प्राप्त कर पायेगा? मान्यवर, खिलाड़ियों की प्रतिभाओं का चयन करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाये गये हैं। मान्यवर, 17 जिलों में 43 स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर लगाये गये हैं, 12 पश्चिमी जिलों में और 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में ये प्रशिक्षण शिविर लगाये गये हैं। जितने भी प्रशिक्षण शिविर लगाये गये, जितने भी कार्यक्रम दिये गये इस बजट में उसमें अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये दिये गये और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये अनुदान भी दिये गये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई स्टेडियम बनाने की व्यवस्था नहीं की गयी है और न उसकी बात ही कही गयी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ भेद भाव पूर्ण बरताव किया गया है, जो इस सरकार को नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि गांवों में खेल की प्रतिभायें छिपी हुई हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। मान्यवर, क्रीड़ा प्रतिष्ठानों के लिये 1992-93 में 315 करोड़ और 1993-94 में 201 करोड़ रुपया दिया गया और 1994-95 के लिये 145 करोड़ रुपया रखा गया है। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 315 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की थी, लेकिन इस सरकार ने सारा पैसा कुश्ती स्टेडियम में व्यय कर दिया है, जिसके कारण सरकार दिवालिया हो गयी है और खेल के बजट में कटौती कर दिया है। जिस प्रकार की सोंच इस सरकार की है, उससे कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसकी प्रतिभा का लाभ नहीं मिल सकता है, इसलिये इनके प्रोत्साहन के लिये कुछ न कुछ आपको करना ही होगा, लेकिन इस ओर आपका ध्यान नहीं गया है और सरकार इसको गम्भीरता के साथ नहीं ले रही है। इस सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में गम्भीरता नहीं दिखायी है।

मान्यवर, इस कारण खिलाड़ियों का विकास नहीं हो पा रहा है और सरकार ने जो उनको पैसा दिया जाता था, उसमें भी कटौती कर दी है, इस प्रकार से जो स्थिति बनी है, वह बहुत ही खराब बनी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कबड्डी के लिये केवल एक शिविर लगाया गया है इसी प्रकार से कुश्ती के लिये 1993-94 में केवल एक स्थान पर प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है और खो-खो के लिये कोई लगाया ही नहीं गया है, तो मान्यवर, यह हालत है। सरकार खेलों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाये है। मान्यवर, यह अन्तर्राष्ट्रीय खेल हैं

और इनके ऊपर सरकार कुठाराघात कर रही है। महंगे खेलों के लिये तो सरकार बहुत व्यय करती है, लेकिन जिन खेलों पर व्यय अधिक नहीं होता है, उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कुश्ती पर अधिक व्यय कर दिया गया हो, तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन अन्य स्थानों पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। 935 करोड़ रुपया जो सरकार ने दिया है वह तो अधिकारियों के वेतन और पेट्रोल के लिये ही हो जायेगा। आप जानते हैं कि बजट का 1/4 भाग अधिकारियों के वेतन और उनके पेट्रोल पर ही खर्च हो जाता है। खेलों पर व्यय नहीं किया जाता है और इसी कारण पूना में उत्तर प्रदेश को अपमानित होना पड़ा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि 9.35 करोड़ को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपया कर दिया जाये। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी स्वीकृति दें, क्योंकि इस धनराशि से आपके अधिकारी ही लाभान्वित होंगे। इसकी कटौती करके एक रुपया कर दिया जाय ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवान अपने बल पर खेल की प्रतिभा को आगे बढ़ायें।

*श्री विश्राम सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश गांव में बसा हैं और गांवों में तमाम प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। आज तक जितने भी खेल के आयोजन हुए हैं वह सब बड़े-बड़े शहरों में और हेड क्वार्टरों में हुए हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी इस स्टेडियम की योजना को ब्लाक स्तर पर ले जाने का काम करें। ब्लाकों में भी छोटे-छोटे स्टेडियम बनाये जायं अगर यह सम्भव न हो तो कम से कम तहसील हेडक्वार्टर पर स्टेडियम बनाये जायं ताकि गांव के लोगों को प्रोत्साहन मिले इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बदन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे श्री रंग नाथ मिश्रा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, खेल मानव जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है यूनान के प्रसिद्ध विद्वान अरस्तू ने मानव जीवन के लिये दो आवश्यक बातें बताई थी एक तो संगीत और दूसरा खेलकूद। यदि मानव जीवन से संगीत को निकाल दिया जाय तो जीवन नीरस हो जायेगा और अगर खेल को मानव जीवन से निकाल दिया जाय तो मानव जीवन विलाशी हो जायेगा। तो यह जो खेलकूद महत्वपूर्ण विषय है इसमें मंत्री जी ने कहा कि वे क्रीड़ा स्थल बनवा रहे हैं। मान्यवर, केवल जो बड़े-बड़े जिले हैं वहीं पर इनके स्टेडियम बने हुए हैं। खेलकूद के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से बालक आते हैं स्वस्थ शरीर के साथ उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। यदि ग्रामीण बालकों को प्रोत्साहन दिया जाय उनकी खुराक के लिये मेवा तथा अन्य सामग्री जो कि विटामिन और कैल्शियम से युक्त हो दी जाय तो वह बालक खेलकूद के नाम को चमका सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, खेलकूद विभाग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें भी राजनीति ने स्थान ले लिया है। अच्छे खिलाड़ियों को आगे नहीं भेजा जाता है और कम अच्छे लोगों को भेज दिया जाता है खेलने के लिये। मान्यवर, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में किरावली कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के समय में चौधरी चरण सिंह मिनी स्टेडियम बनना प्रारम्भ हो गया था और धन भी लगा दिया गया था लेकन इस सरकार के जमाने में वह अधबना पड़ा है वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण बच्चों के प्रोत्साहन के लिये किरावली में अधबने स्टेडियम को पूरा कराया जाय और साथ ही साथ जितना अधिक से अधिक धन इस खेलकूद को दे सकेंगे उतना ही स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जितना स्वास्थ्य ठीक रहेगा उतना ही मन ठीक रहेगा और उतनी ही उसकी आत्मा ठीक रहेगी। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और उसके विकास से ही वह सेवा करने का भार उठाता है।

मान्यवर जीवन में स्वस्थ शरीर ही काम आता है और जिसका स्वस्थ शरीर नहीं होता है वह अपना काम भी नहीं कर पाता है और समाज के लिये भी बोझ बना रहता है इसलिये इस देश की भारतीय स्वस्थ परम्परा को कायम रखने के लिये, जैसा पहले यहां का स्वास्थ्य दूसरे देशों में प्रसिद्ध था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और हनुमान जैसे योद्धा यहां पैदा होते थे, आज भी वैसे ही योद्धा पैदा करने की जरूरत है। मान्यवर, यूनान के अन्दर एक स्पार्टा एजूकेशन दी जाती थी और उसके अन्दर जो कमजोर बच्चे पैदा होते थे उनका परीक्षण करा लिया जाता था और कमजोर होने पर उनको स्पार्टा की पहाड़ी से गिराकर मार दिया जाता था। जो बच्चे स्वस्थ होते थे उन बच्चों को रखा जाता था फिर उनकी शिक्षा-दीक्षा का पूरा भार राज्य लेता था और देश के अच्छे नागरिक बनाये जाते थे। हम स्पार्टन एजूकेशन का किसी प्रकार अनुकरण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयास होना चाहिये कि यहां के बालक बालिकायें स्वस्थ बनकर देश, समाज के लिये उपयोगी बन सकें। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, हर जिले में स्टेडियम बनाये जायें और हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाये जायें। माननीय बदन सिंह जी के यहां के स्टेडियम को पूरा कराया जाय। माननीय पंचायत राज मंत्री जी वाराणसी जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं। मैं समझता हूं कि बनारस पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर है, इसके आस-पास जिले हैं, युवक मंगल दल को जो एक हजार रुपया दिया जाता है, ब्लाक में पांच युवक मंगल दल हैं, इस धनराशि को बढ़ाया जाय जितने ब्लाक में युवक मंगल दल हैं, एक हजार की जगह पांच-पांच हजार रु० दिया जाय। पथरही ब्लाक में प्रशिक्षण शिविर वर्ष में एक बार लगे। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम लखन वर्मा–

सभी माननीय सदस्यों के विचारों का आदर करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य मिश्र जी से कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। मान्यवर, इनकी खेलों में ज्यादा लालसा थी, यह कहा गया कि सरकार खुद कमजोर है, इसलिये खिलाड़ियों को कमजोर करना चाहती है। मिश्र जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार कमजोर नहीं है। बल्कि विपक्षियों की कमरतोड़ है। ऐसा नहीं है, इनकी निगाहों में सरकार इनको कमजोर दिखाई पड़ रही है। इनकी सोच गलत है। जो सुझाव आये हैं उनको गम्भीरता से लेते हुए आग्रह करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री रंगनाथ–

नहीं मान्यवर।

श्री बदन सिंह–

मेरे यहां के स्टेडियम के लिये कुछ नहीं कहा।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22 खेल विभाग–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, मत विभाजन करा लीजिये, मतदान करा लीजिये।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर मत विभाजन की मांग करने लगे।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22- खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,69,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, हमें आपकी पीठ से ऐसी आशा नहीं थी, आप मत विभाजन करा लेते।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज का बजट पेश कर रहा हूं। श्रीमन् उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पंचायतों का महत्व किसी न किसी रूप में रहा है। मान्यवर, हमने देखा कि पंचायतों के माध्यम से, संसाधन से, हमारे गांव के लोग मजबूत होंगे, गांव खुशहाल होंगे और पूरे देश और प्रदेश के लोग खुशहाल होंगे। श्रीमन् यह जो पंचायती राज के अन्तर्गत बजट में व्यवस्था की गयी है, यह जो 94-95 का बजट है यह अच्छा बजट है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें हमने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिये, उनका सम्मान करने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की है और यह 30 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिये यह 21 प्रतिशत है। अभी तक जो भी सरकार रही उसने दलितों और शोषितों और महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। हमारी सरकार की यह सोच है कि अगर दलितों और सम्मानित महिलाओं की भागीदारी पंचायतों में होगी तो पंचायतों की एक अच्छी रूप रेखा बनेगी।

श्रीमन् इसमें जो सबसे विशेष बात है वह यह है कि गांव को स्वच्छ करने के लिये स्वच्छता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1994-95 में वह बड़े पैमाने पर किये जा रहे हैं और इसके लिये 32 लाख रुपये का बजट भी इसमें रखा है। इसमें 75 प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालयों के लिये, 10 प्रतिशत महिला शौचालयों के लिये एवं 15 प्र०श० अन्य के लिये है। जो माननीय नेता सदन, श्री मुलायम सिंह यादव जी की सोच थी और हम लोग चूंकि गांव से जुड़े हुए हैं और वहां पर शौचालयों की व्यवस्था बहुत खराब हो गयी थी। जब खेती की फसल कट जाती है तो प्लेन ही दिखायी पड़ता है तब महिलाओं के लिये शौचालयों की व्यवस्था नहीं हो पाती है जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है इसलिये उन्होंने सबसे ज्यादा जोर शौचालयों पर दिया है और यह अच्छा बजट दिया है।

मान्यवर, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिये 6 लाख रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है। चाहे वह पंचायत प्रधान हो, चाहे न्याय पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लाक अध्यक्ष हो उनको प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे ग्राम पंचायत और क्षेत्र समितियों की एक अच्छी रूप रेखा बनेगी और वह अच्छी तरह से इसे चलायेंगे। जो ग्राम पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है उसके लिये वर्ष 1994-95 में 3.42 लाख रुपये के बजट का प्राविधान किया गया है और इसके तहत 120 ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रोग्राम है। श्रीमन् जो ग्राम पंचायत उधोग होते हैं उसके जो प्रबन्धक हैं उनके लिये यह व्यवस्था की गयी है कि वह ट्रेन्ड ही होंगे और उसके लिये हमने 92 लाख रुपये के बजट का प्राविधान किया है।

श्री महेन्द्र प्रताप न रायण सिंह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, जो जिले की कार्यशालायें हैं जहां पर टीन के बक्से, मेज आदि बनती हैं उनके लिये भवन नहीं हैं। जो जिलों में व्यवस्था है उसके अनुसार ज्यादातर किराये के भवन ही हैं

उसके लिये 1994-95 में 14.40 लाख रुपये की व्यवस्था इसमें की गयी है। अम्बेडकर गांव के चयन के लिये हमने हर ब्लाक में एक से ज्यादा गांव चयनित किये हैं और उनके सौन्दर्यीकरण के लिये, जैसे नाली बनाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, खड़ंजा लगाना, हमने वर्ष 1994-95 में जो बजट रखा है वह 13.93 लाख का है। तो इस तरह से श्रीमन् जो हमारा बजट है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम गांव को मजबूत करें, गांव को अपने पैरों पर खड़ा करें। जब गांव मजबूत होगा, गांव के लोग मजबूत होंगे तो पूरा प्रदेश और देश भी मजबूत होगा। इस विषय पर सम्मानित सदस्यों के जो सुझाव होगें, उनका मैं स्वागत करता हूं।'

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, इस दिशा में बोलने से पहले मैं बजट की क्या स्थितियां हैं, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पंचायती राज के कारण आज प्रदेश की सरकार के ऊपर संकट के बादल छाये हुये हैं। संभवतः यह सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, 24 अप्रैल, 1993 को संविधान संशोधन लागू हुआ था और संविधान के खंड 9 और धारा 143 जो खाली पड़ी हुयी थी, वह भरी गयी। मान्यवर, संविधान की धारा 243 में दिया हुआ है कि संविधान पारित होने के एक साल के अन्दर उस संविधान के अनुसार सरकार प्रादेशिक कानून बनाये। मान्यवर, आज 18 तारीख है और केवल 5 दिन शेष हैं, दिनांक 23 अप्रैल तक कानून बन जाना चाहिये। अभी विधान परिषद् नहीं चल रही है और जब विधान परिषद् चलेगी तो यह विधान परिषद् में पास होगा। लेकिन सरकार जानती है कि विधान परिषद् में उसका बहुमत नहीं है, और यह वहां पास नहीं हुआ तो यह पुनः इस सदन में आयेगा, तो मान्यवर, किस तरह 23 अप्रैल तक यह कानून बनेगा? मान्यवर, इस सरकार को केन्द्रीय सरकार की इस बात की चेतावनी भी मिल चुकी होगी कि एक साल के अन्दर इस कानून को पारित करा लें, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।

मान्यवर, यह तय नही कर पाये कि इस कमेटी का संयोजक कौन बनेगा, यह तय नहीं कर पाये कि राज्य मंत्री बेबी जी क्या करें, तथा माननीय डैडी जी क्या करें, आज बेबी जी का झगड़ा मा० डैडी जी से चल रहा है और इसके चलते आज तक कानून सामने नहीं आया। मान्यवर, संविधान की धारा 243 (1) में दिया हुआ है कि संविधान लागू होने के एक साल के अन्दर वित्त आयोग बनेगा, लेकिन केवल 5 दिन शेष हैं और यह वित्त आयोग अभी तक नहीं बना, जब कानून नहीं बना तो वित्त आयोग कैसे बनेगा? इस सरकार पर आर्थिक संकट तो पहले से ही था, अब एक दूसरा संकट और आ गया है और इस सरकार के गरदन पर डेमोक्लोज की तलवार टंगी हुई है, पता नहीं कब यह सरकार चली जाय। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने महिलाओं के लिये 33 फीसदी की व्यवस्था की है, मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमने अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्वेशन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि संभवतः मंत्री जी ने या

तो संविधान पढ़ा नहीं और यदि पढ़ा है तो उसे समझने की चिन्ता नहीं की। यह रिजर्वेशन उन्होनें नहीं किया है, बल्कि यह तो संविधान 21 अनुच्छेद में दिया हुआ है कि 1/3 महिलाओं के लिये रिजर्वेशन होगा। मान्यवर, संविधान 143 पढ़ लें, उसमें भी अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की बात दी हुई है। मान्यवर, इस संविधान में यह भी दिया हुआ है कि यदि सरकार चाहे तो पिछड़ी जातियों के लिये भी आरक्षण कर सकती है।

मान्यवर, यह तो संविधान की आवश्यकता थी, जिसे इन्हें पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिये था। दिनांक 4 दिसम्बर के पूर्व यह सरकार बन गयी थी, लेकिन 4 महीना तक यह बैठे रहे और आज तक कानून नहीं बना पाये। जब कानून के लिये 4-5 दिन पहले प्रस्ताव आया तो कांग्रेस के लोग आपस में नूराकुश्ती करने लगे, जिससे शोरगुल के दौरान बिना बहस हुये आपने इसे पास करा लिया। मान्यवर, सब लोग जानते हैं कि आजकल विकास खण्डों को क्षेत्रीय पंचायत, जिला परिषदों को जिला पंचायत कहते हैं, और उसमें खरीद फरोक्त होती है, आवश्यकता थी कि इस खरीद-फरोक्त को दूर किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और विकास खण्ड के चुनाव, जिला प्रमुख के चुनाव, जो अप्रत्यक्ष होते हैं, में खरीद फरोक्त जारी रहेगी। मैं एक बात और कहता हूं कि जो कानून बना हुआ है, संविधान में दिया हुआ है कि क्षेत्रीय पंचायतों का क्षेत्र समान हो, लेकिन क्षेत्रीय पंचायतें समान नहीं हैं। आपने ग्राम पंचायत की सीमा रखी है, एक-एक हजार की पंचायत होगी और दूसरी पंचायत 30 हजार की होगी क्यो कि आपका जो नगर पालिका कानून आ रहा है उसमें यह है कि 30 हजार से कम आबादी की नगरपालिका नहीं होगी। लेकिन एक पंचायत 30 हजार की हो और दूसरी 1 हजार आबादी की हो यह व्यवहारिक नहीं है। जो कानून बना है उसमें यह दिया हुआ है कि गांव के प्रधान पंचायतों में उसके पदेन सदस्य होंगें और जब प्रधान का चुनाव होगा, विकास खण्ड का चुनाव होगा तो ये प्रधान वोट नहीं दे पायेंगे, केवल चुने हुये प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन प्रधान वहां पर सभी अन्य निर्णयों में भाग लेगें। एक हजार की आवादी वाले पंचायत को भी वही अधिकार होगा जो 30 हजार आबादी वाली प्रधान को होगा।

मान्यवर, यह तो संयुक्त राष्ट्र संघ बन जायेगा जहां हिन्दुस्तान का भी एक वोट होगा जिसकी जनसंख्या के शतांश के बराबर श्री लंका, फिजी, मारीशस हैं,उनका भी एक वोट होगा। आपने इस विधेयक में आबादी का ध्यान नहीं रखा। संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जहां पर व्यवहारिक होगा आबादी का ध्यान रखा जायेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1961 में जब यह कानून बना था और विकास खण्ड और जिला परिषदों का गठन हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार का शासन था और ये कानून भी उन्होंने बनाया है। फतेहपुर जिले के असोधर ब्लाक में मान्यवर, 65 पंचायतें हैं जिनकी कुल आबादी एक लाख पचास हजार है और 10 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो 75,000 की है, 35 पंचायतें 40 हजार की आबादी की हैं लेकिन उनकी भी वही मान्यता है। अब यह कमी अध्यक्ष के चुनाव में नहीं हो जायेगी, लेकिन जो निर्णय लेने होंगे वह एक समान निर्णय नहीं हो पायेंगे इसलिये आपको एक हजार और 30 हजार के इस रूप को बदलना चाहिए अगर नहीं बदल सकते तो विचार करना चाहिए कि एक हजार की आबादी और 30 हजार की आबादी वाले दोनों पदेन सदस्य होंगे और दोनों की मत संख्या एक-एक होगी।

इसको बदलना चाहिए और आबादी के अनुसार जो 30 हजार की आबादी वाली पंचायतें हैं उनमें अधिक पदेन सदस्य रखना चाहिए। कांग्रेस के लोग आज इस समय यहां हैं नहीं, मैं समझता हूं कि वे मोटी अक्ल के होते हैं, उनको जल्दी कोई बात समझ में नही आती है। यह सत्ता पक्ष जरूर कभी-कभी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देती है यदि आबादी के हिसाब से सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाये तो एक हजार और 25 या 30 हजार आबादी की पंचायतें होना ठीक है। जब कभी आर्थिक निर्णय लिये जाते हैं तो उसमें विधायक भी होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं और उस आधार पर निर्णय लिये जाते हैं। मैं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ बात रखना चाहता हूं।.....

(व्यवधान)

एक सदस्य–

आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मैं कटौती का प्रस्ताव ही रखने जा रहा हूं। मान्यवर, जो बजट की पुस्तिका है, उसमें व्यय दिया गया है। मैने देखा कि करीब 42 करोड़ रुपया केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया गया है, जो कि कुल धनराशि का 38 प्रतिशत होता है। अगर हम 40 प्रतिशत मान लें तो 40 पैसा व्यय होने के बाद 60 पैसे का काम हो रहा है यानी दो पैसे तनख्वाह लेने के बाद तीन पैसे का काम करेगें। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों की फौज पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसे कम किया जाये या उनको कुछ अधिक काम दिया जाये। मैंने यह जो आंकड़ा दिया है यह ऐसे नहीं है, बजट पुस्तिका के अध्ययन के बाद दी है। गांवों की आबादी के हिसाब से उन पर जो खर्चा किया गया है वह बहुत कम है। गांवों की आबादी जो पुस्तिका में दी गयी है वह आबादी बराबर बढ़ रही है। 1991 के बाद इस समय आठ प्रतिशत तक की आबादी बढ़कर 15 करोड़ हो गयी है। जो अपने प्रदेश की आबादी है उसमें 74 हजार ग्राम पंचायतें काम करती है, 74 हजार ग्राम पंचायतों का वही काम है जो नगर में नगरपालिका करती है। प्रदेश में ऐसी बहुत ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कुछ भी नहीं किया गया है, बरसात में एक से दूसरे घर नहीं जा सकते हैं, जगह-जगह पानी भरा हुआ है और सभी तरफ कीचड़ फैला हुआ है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन आज तक व्यवस्था पूरी नहीं की गयी है, बहुत से ग्राम सभाओं में प्राइमरी स्कूल नहीं है, मान्यवर, हमारे फतेहपुर जिले में 270 ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें, इसकी भी समय सीमा है।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मैं छोटा कर रहा हूं एक बात कहकर समाप्त करता हूं, मान्यवर जो पैसा मिलता है, अगर उसे देखें, ग्राम पंचायतों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, वहां पर पैसा का दुरुपयोग किया जाता है।

मैं एक गांव गया था जो वहां पर सड़क निर्माण कराया गया है उसकी चौड़ाई सात मीटर से कम टाप पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दो मीटर इस तरफ और दो मीटर दूसरी टाप पर होना चाहिए, इस तरह ग्यारह मीटर होना चाहिए जबकि उसको पांच या साढ़े पांच मीटर ही रखा गया है, उसकी ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए जबकि आधा मीटर ही है। मान्यवर, इस तरह के कार्य में पचास प्रतिशत तो कमीशन रहता है, उसमें ठेकेदार पच्चीस परसेन्ट कमीशन लेता है, चौथाई कार्य होता है, आज भ्रष्टाचार बहुत जोरों पर हो रहा है। हमारी यहां पर कुछ बहनें बैठी हुयी हैं उनसे क्षमा चाहूंगा।

मान्यवर, सेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक ड्रामा "हेमलेट" का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। "हेमलेट के पिता थे और उनकी मां थी, मां सुन्दर थी, वहीं उसका चाचा भी था। हेमलेट के पिता को उसके चाचा ने कान में जहर डालकर मार दिया, उसकी मां, ने कुछ दिन बाद चाचा से शादी कर लिया, इससे हेमलेट विक्षिप्त हो गया तभी हेमलेट ने कहा–"फ्रेलिटी दाई नेम इज वूमन" कमजोरी तेरा नाम औरत है। विदेशी नीति में यही हाल कांग्रेस में है कि–"फ्रेलिटी दाई नेम इज कांग्रेस" पंचायती राज में भ्रष्टाचार है–"करप्शन दाई नेम इज पंचायत राज" इसको स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी मांगों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

* श्री बाबू राम वर्मा–

मान्यवर, जो आपने मुझे पंचायती राज के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आभारी हूं और मैं पंचायती राज बजट का समर्थन करता हूं। पंचायती राज का बजट जिस ढंग से संकलित करके पेश किया गया है इससे पहले कभी नहीं था, इस पर चर्चा चल रही है और भारत के संविधान के अनुरूप नया पंचायती राज अधिनियम पास हुआ है। नये पंचायती राज अधिनियम में जहां ग्राम प्रधानों को विशेष वित्तीय अधिकार प्राप्त हुये हैं वहीं ग्राम प्रधानों के पुराने जो अधिकार थे, वही छीन लिया गया है। पुराने पंचायती राज अधिनियम और अपने क्षेत्रीय परिषद् में जो आज क्षेत्र पंचायत राज अधिनियम में समानता की बात पर जो सदस्यता के अधिकार थे, उसको छीन लिया गया। मान्यवर, रही वित्तीय अधिकार देने की बात, कोई भी प्रधान अपने गांव का विकास तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि पंचायत समितियों, विकास समितियों में उसकी भागीदारी न हो। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि पंचायती राज मंत्री जी ने जो पंचायत राज संशोधन वित्तीय आधार पर संविधान संशोधन के तहत किया गया। केन्द्र सरकार से मांग की जा रही है कि प्रधानों के जो पूर्व में अधिकार थे, उनको बहाल किया जाय।

ग्राम पंचायतों के जो अधिकार पुराने थे, जिसमें ग्राम प्रधानों को निलम्बित करने का अधिकार परगनाधिकारी को था, वह इसमें नहीं है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले 3-4 महीने पहले, जब इसकी घोषणा नहीं हुई थी, कई ग्राम प्रधानों को परगनाधिकारी ने निलम्बित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

किया है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि उनके नाम से खाते में पैसा जमा है परन्तु सारे विकास के कार्य गांवों के रुके हुए हैं, जिसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह इसकी व्यवस्था करें। अप्रैल/मई महीने के अंतर्गत, जिन गांवों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पैसा विकास कार्यों पर खर्च नहीं हुआ है, उसे निर्माण कार्यों में खर्च किया जाय। ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो प्राइमरी स्कूल हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांवों में हैं, उन पर पूरा नियंत्रण पंचायत राज के अधीन हो। प्रधान को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उन पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, आपने पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महात्मागांधी द्वारा उद्घाटित पंचायती राज व्यवस्था की जो परिकल्पना थी वह पूरी की पूरी धूलधूसरित हो चुकी है। जिस समय इसकी स्थापना की गयी थी, उस समय इसमें कुछ बातें दुरस्त थी परन्तु कुछ वर्षों के बाद इसे ग्राम विकास के गले बांध दिया गया। पहले पंचायतों द्वारा जो जनता की भावनाओं के अनुसार से काम होता था, आज वे सब चकनाचूर हो गये हैं। 1986-87 व 87-88 में इसी आदरणीय सदन में मैंने कहा था कि पंचायती राज के चुनाव सरकार से लेकर चुनाव आयोग को दे दिये जायें, केन्द्र सरकार की समझ में यह बात आई और सरकार ने चुनाव आयोग गठित किया अब इसके चुनाव 5 साल में होने निश्चित हो गये हैं। अन्यथा 12-12 साल तक चुनाव नहीं होते थे। जहां 12 साल तक चुनाव न हो, उसे लोकतांत्रिक संस्था नही कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो पंचायत राज विधेयक बिना बहस के पारित हो गया है वह बहुत बढ़िया नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुए)

जहां पर उन्होंने एक हजार जनसंख्या पर एक ग्राम प्रधान और दो हजार जनसंख्या पर क्षेत्र पंचायत का सदस्य का प्राविधान कर दिया है यह दोनों एक स्तर के कर दिये हैं जिससे आपस में अनावश्यक स्पर्धा होगी और एक व्यक्ति को दो वोट देने की जहमत लेनी पड़ेगी। ब्लाक प्रमुख का चुनाव आम मतदाताओं से कराया जाय और प्रधानों को क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य के रूप में पदेन सदस्य माना जाय। यदि आप वास्तव में उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं और लोक सभा, विधान सभा के बाद कोई तीसरी प्रणाली विकसित करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिये आम मतदाताओं से ब्लाक प्रमुख का चुनाव कराया जाय जैसा जिला परिषद् के सदस्यों और जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव आम मतदाताओं से कराने के लिये किया है। वह अच्छी बात है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप इन बातों के लिये संशोधन करना आवश्यक समझें तो वह करें और इस पर विचार करने की कृपा करें।

* श्री चैन सुख भारती–

मान्यवर, आपने मुझे पंचायत के बजट पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। हमारी सरकार की जो उपलब्धियां है वह डा० भीमराव अम्बेडकर साहब के आदर्शों से मिलती जुलती हैं। पहले मान्यवर, महिलाओं और शूद्रों के लिये ऐसी संस्थाओं में कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन डा० भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में इस व्यवस्था को संजोकर रखा और महिलाओं और शूद्रों के मान सम्मान की व्यवस्था की। स्व० श्रीमती इंदिरागांधी जब प्रधान मंत्री हुई और जब वे लंदन से वापस आयीं तो उन्होंने लोक सभा में डा० भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण किया, तो जब पत्रकारों ने जो वहां पर उपस्थित थे उनसे पूछा कि यहां पर तमाम नेताओं की मूर्तियां हैं आपने डा० भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर ही माला क्यों अर्पित की, तो उनका जवाब था कि डा० भीमराव अम्बेडकर ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं और शूद्रों के मान सम्मान को बढ़ाया है और उन्हीं की बुद्धिमत्ता से मैं प्रधान मंत्री बनी हूं।

डा० भीमराव अम्बेडकर ने इस बात का विरोध किया जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज उसी को लेकर माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है यह महिलाओं और शूद्रों का सम्मान नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) यह पहला अवसर है और यह पहली सरकार है जिसने महिलाओं और शूद्रों के लिये 33 प्रतिशत हिस्सेदारी दी है। हमारी सरकार ने 143 गांव सभाओं से 150 गांव सभाओं की योजना रखी है। जिससे हमारे गांव सभाओं और प्रधानों का मनोबल बढ़ेगा और गांव सभायें विकास करेंगी। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पंचायत राज के बजट पर रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया मैं उसके लिये धन्यवाद करता हूं।

मान्यवर, इस सरकार की नीति और नियत आपके सामने पिछले दिनों जब सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट के दिन पंचायत राज विधेयक रखा था और जिस पर तमाम माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके लिये अगले दिन चर्चा कराई जाय लेकिन दूसरे दिन चर्चा की बात आई तो इस सरकार की जैसी परम्परा रही है, पिछली बार जब यह सरकार आई थी उस समय भी 15 मिनट में बजट पास करा लिया था वैसा ही उस दिन भी किया और बिना बहस के विधेयक पास करा लिया। वैसे ही इनकी नीयत ऐसी बन गई है कि हो हल्ला हो और बजट पास करा लें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं पंचायतराज विभाग में जो संशोधन किये गये हैं उनके संबंध में सदन में विचार प्रकट करने हेतु पूरा अवसर मिलना चाहिए था लेकिन वह नहीं मिल पाया। इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने चिन्ता प्रकट किया है लेकिन जनता के सामने जाते हैं तो वहां 50 लाख घोषणाएं कर देते हैं और वह पूरी हो या न हों इससे उनका कोई मतलब नहीं है। इस समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

घोषणाएं बहुत की जा रही हैं। मुख्य मंत्री जी अभी बैंक भवन का उद्घाटन किया था तो उन्होंने वहां कहा कि पंचायत राज विभाग में नियम बनाये जायें और इस संबंध में प्रधान मंत्री से बात करूंगा। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पंचायत राज अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं इसलिये जब वहां अधिकारी नहीं होंगे तो क्या काम होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिन जिलों में जिला पंचायतराज अधिकारी के पद रिक्त हैं उनको भरा जाये। मान्यवर, देवरिया जिले में 29 विकास खण्ड हैं और वहां जिला पंचायतराज अधिकारी कई महीने से नहीं हैं इसलिये इस पद को भरा जाये।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो ग्रामीण शौचालयों के बारे में कहा है कि गांवों में शौचालय बनाये जाये लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो धनराशि दी गई है वह अत्यन्त कम है। आप सर्वेक्षण करा लें तो पता चलेगा कि जिन गांवों में शौचालय बनायें गये हैं तो उनमें छते नहीं डाली गई हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है जो इस संबंध में 1750 रुपये की धनराशि दी गई है उसे बढ़ाया जाये। मेरा यह भी अनुरोध है कि जो बीस की संख्या में शौचालय गांवों में बनाने की बाध्यता है उसे समाप्त किया जाये। इसके साथ ही जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें ही यह सुविधा दी जाये।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि पंचायत सचिव भी इसमें शामिल रहते हैं। ग्राम प्रधानों के निलम्बन में पंचायत सचिव का मुख्य हाथ रहता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संबंध में प्रभावी प्रक्रिया अपनायी जाये। यदि ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसकी जांच के लिये उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने की व्यवस्था की जाये।

मान्यवर, पंचायतराज विभाग के अन्तर्गत उद्योग धन्धे चलाये जाते हैं लेकिन इसके अन्तर्गत जो सामान तैयार किया जाता है वह महंगा होता है और उसे सरकारी विभागों में आपूर्ति की जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि फरनीचर और टाट पट्टी जो तैयार की जाती है उन्हें सस्ते दामों में सरकारी विभागों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो उद्योग आपके घाटे में चल रहे हैं उनकी उचित समीक्षा करने की व्यवस्था की जाये।

मान्यवर, पंचायतराज विभाग द्वारा पहले गूलों के निर्माण की योजना बनायी गई थी जिसमें हमारे यहां नहरों के किनारे गूलों के निर्माण हेतु लाखों रुपये का प्राविधान किया गया लेकिन हमारे यहां आज तक गूलों का निर्माण नहीं किया गया और पंचायत राज विभाग के लोग मिलकर उसे खा गये हैं और इस संबंध में वह बताने में असमर्थ हैं। इसलिये मंत्री जी कटौती के प्रस्ताव पर जब जवाब देंगे तो इस बात की जानकारी अवश्य देंगे। मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि गण्डक समावेश योजना के अन्तर्गत पंचायतराज विभाग के माध्यम से गांव सभाओं में गूलों के निर्माण के लिये पैसा दिया गया था तो उसका क्या हुआ? मान्यवर, अन्त में यह जो वह पंचायतराज अधिनियम लाये हैं, यह प्रभावी हों, और व्यापक हो इसके लिये आप व्यक्तिगत रूप से विचार करें, क्योंकि इसके संयोजक बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, इनकी इस काम में कोई रुचि नहीं है। यह सपा के ठहरे और इसके मंत्री जी बसपा के हैं। तो यह नहीं चाहेंगे कि

यह अधिनियम सफल हो। मैं चाहूंगा कि इस सरकार को सद्बुद्धि आये और इस अवसर पर मान्यवर, आपने मुझे कहने के लिये जो समय दिया, कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए, उसके लिये मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–.

मान्यवर, भारत देश गांवों में बसता है। आजादी के समय से आज तक पंचायती राज का सपना स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी लोगों ने देखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि गांवों की शान्ति को भंग करने का काम इस पंचायती राज विधेयक के द्वारा किया गया है। यह पंचायतराज के नाम पर एक काला विधेयक है और लोकतन्त्र की हत्या का काम है.....

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

. उसे तो आप पास कर चुके हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

उसे मैंने पास नहीं किया, यह तो आपने राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से बात करके, मिल कर करा लिया है.....व्यवधान.....हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारे गांवों की शान्ति भंग न हो। हमने इसलिये आपका समर्थन किया है जिससे साम्प्रदायिक ताकतों का विरोध हो। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रदेश गांवों के अन्दर जातिवाद न बढ़े, पंचायतराज का सपना चकनाचूर न हो, इसलिये इस पर पुनर्विचार हो। जिस तरह से जातिवादी जहर को फैलाने का डर इसके द्वारा हो रहा है, निश्चित रूप से इसका परिणाम देश और प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। पंचायत हमारे लोकतन्त्र की पहली सीढ़ी है, हम लोग गांवों के लोग हैं, आप यह दिखवा लें कि गांव के प्रधानों का किस तरह उत्पीड़न होता है। आपने यह तो कर दिया है कि अब गांव प्रधान को एस०डी०एम० निलम्बित नहीं कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी खराब है कि उसके नीचे स्तर के अधिकारी और बी०डी०ओ० तक समय-समय पर उसको बेइज्जत किया करते हैं और थानेदार भी बेइज्जत करता है।

हमारे यहां पांच ब्लाक प्रमुखों से थानेदार ने कह दिया है कि चुनाव तक तुमको मरवा देंगे। उससे वह डरे हुए थे और हमारे सामने रो रहे थे। यह विशेषाधिकार का मामला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ब्लाक प्रमुख को तथा प्रधान को भी जन प्रतिनिधि की श्रेणी में रखें। वह हैं भी। इससे उनके साथ इस प्रकार का जो अपमान होता है, उस पर प्रभावी रोक लग सकेगी। विडम्बना यह है कि हम जनप्रतिनिधि ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और उनके लिये कुछ जोरदार ढंग से कर नहीं रहे हैं। जरायो में भ्रष्टाचार को लेकर उनके साथ जो हो रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछली सरकार में महामहिम राज्यपाल के शासन में पंचायती राज विभाग द्वारा हमारे यहां पांच मार्गों के निर्माण कराने का काम हुआ, मैं कहना चाहूंगा कि वह पांचों मार्ग अब भी अधूरे पड़े हुए हैं। उसमें चुनाव से पहले काम सैंक्शन हो गया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

था और जब वित्तीय स्वीकृति आ गई, जिस दिन पैसा उन्मुक्त करने की बात आई, यहां से आदेश चले गये कि यह सारा पैसा न दिया जाये। तब से वह सड़कें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। मेरी समझ में नही आता है कि पंचायतराज में सरकार की इसमें नीति क्या है? मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया लेकिन वह हो नहीं पाया। मेरा अनुरोध है कि ग्राम प्रधान को सम्मानित करने का इस सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए।

[3 बजकर 20 मिनट]

(माइक की खराबी के कारण स्पष्ट नहीं सुनाई दिया)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

उसका सम्मान करें उसे लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी का, बी० डी० ओ० का गुलाम न बनने दें। आज की स्थिति दूसरी है, उसको ग्राम पंचायत अधिकारी, बी० डी० ओ० का गुलाम बनाया जा रहा है। इसी तरह से जे० आर० वाई० का मामला है, मैंने यहां सदन में कहा भी था कि हमारे जिले में जे० आर० वाई० का पैसा नहीं पहुंचा है, इस पर आपकी पीठ से सरकार से कहा गया था कि मानकों के आधार पर इसको दिखवा लिया जाय। लेकिन मान्यवर, लगता है सौतेला व्यवहार किया जाता है। ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत अधिकारी कुछ नहीं समझते हैं।

मान्यवर, इसके लिये ऐसी व्यवस्था करें कि ग्राम पंचायत अधिकारी की जिम्मेदारी अलग से फिक्स की जाय ताकि वह अपने पद की जिम्मेदारी को पूरा करे और ग्राम प्रधान को अपने काम करने दे। आपके संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है कि ग्राम प्रधान का पढ़ा लिखा होना जरुरी है। ग्राम प्रधान दस्तखत करना जानता है अगूँठा लगा लेता है। जमीन पर कब्जा देता है पटवारी और पकड़ा जाता है ग्राम प्रधान। जे० आर० वाई० का पैसा सैकेट्री खा जाता है। जे० आर० वाई० के पैसे की भी सही-सही जांच होनी चाहिए उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक की अलग-अलग जिम्मेदारी नियुक्त करें। जहां तक सुलभ शौचालयों की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

आप कहते हैं तो समाप्त कर देता हूँ। लेकिन मान्यवर, एक बात जरुर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस बारे में यह जरुर अपने भाषण में कहें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आश्वासन ही दिये जाते रहते हैं पर उनका पूरी तरह से अनुपालन नहीं हो पाता है। सड़कों के संबंध में जरुर बतायें कि सड़कों की निर्माण करायेगें।

श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पंचायतीराज मंत्री ने जो बजट पेश किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। महिलाओं के लिये और अनुसूचित जाति के लिये ग्राम सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह अच्छी व्यवस्था है। इस तरह की सुविधा पाने से जो लोग वंचित रह जाते थे, उन्हें भी अब सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसी तरह से मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिये ग्राम सभाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की है उसी तरह से पिछड़ी जाति के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था करें ताकि उनको भी सुविधा सही ढंग से मिल सके। शौचालयों की बात है, पिछली सरकार ने इस तरह के घटिया किस्म के शौचालयों की व्यवस्था करी कि उनका कोई सदुपयोग नहीं हो सका।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो शौचालय पिछली सरकार ने स्थापित कराये थे उनको ठीक तरह से चालू करायें ताकि गांव की महिलाओं और जिन लोगों की सुविधा के लिये वह बनाये गये हैं, उनको उसकी सुविधा मिल सके। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ब्लाक प्रमुख के पदों के लिये भी ग्राम सभाओं की तरह महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था की जाय। जहाँ तक आरक्षण की बात है, पंचायत राज में भी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का जो कोटा है, वह पूरा नहीं है, मैं चाहूंगा कि इस आरक्षण कोटे को भी शीघ्र पूरा करवाया जाय ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। पंचायत भवन और ग्राम सभा में न्याय पंचायत के निर्माण की बात है उसके लिये जो धन उपलब्ध कराया गया है। उस धन से जो पंचायत भवन बनाये जाये वह इस तरह से बनाए जाएं, जो एजेंसियां हैं वह कमजोर भवन बनाती हैं, पिछली सरकार ने शायद कमीशन लेने का काम किया हो, तो जो भवन बने हैं वह बहुत ही जर्जर हैं जो पंचायती भवन बनाए जाएं वह ठोस बनायें जायें वह टिकाऊ हों। इन्हीं शब्दो के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री महेन्द्र प्रताप जी द्वारा रखे गयें कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए, जो पंचायती राज्य मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने महिलाओं के लिये बड़े जोर-शोर से घोषणा की है और खासतौर से ग्रामीण महिलाओं के शौचालयों के संबंध में। महोदय, आज ग्रामीण अंचल में जाइये तो निश्चित रूप से यह समस्या बहुत ही गम्भीर है, जो योजना में धन दिया गया है या व्यवस्था की गई है वह गांव के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से मांग करना चाहती हूँ कि प्रत्येक गांव में इस तरह की योजना को सुनिश्चित करने के लिए नियम बना देने चाहिए। क्योंकि सभी लोग जो सड़कों पर चलते हैं, जो लोग देहातों में रात में गाड़ी से जाते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि महिलायें सड़कों के किनारे गाड़ी की रोशनी देखकर खड़ी हो जाती हैं यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और जो भी योजना जाती है उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रष्टाचार पहले से व्याप्त हो जाता है लागत की धनराशि सुनिश्चित नहीं हो पाती है और योजना के कार्य अधूरे रह जाते हैं, तो इस पर बहुत गम्भीर रुख लेकर योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

पंचायती राज्य का नया ऐक्ट लागू हो रहा है उसमें बहुत सी कमियां हैं। ग्राम प्रधान जो चुने जाएंगे उनको एक समान मताधिकार तो होंगे लेकिन अवधि भिन्न-भिन्न होगी और ग्राम प्रधानों को ब्लाक प्रमुख चुनने का अधिकार जो पहले था उससे उन्हें वंचित कर दिया गया है। यहां तक किया गया है कि उस क्षेत्र के सांसद, विधायक को उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जो क्षेत्र समिति के सदस्य चुने जायेंगे वह ब्लाक प्रमुख को चुनेंगे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, "खरीद-फरोख्त बढ़ेगी उसका सही मूल्यांक नहीं होगा, सही कार्य नहीं होगा और जनतंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा।" ग्राम प्रधान का जो भी वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं उसमें अंकुश लगाने की योजना सरकार की पहले से थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अर्थात् परगनाधिकारी जो उनके कार्यकलापों की जांच करता था उसको खत्म कर दिया गया है। सब साथी देहातों में जाते हैं उनको अक्सर गांव वाले शिकायत सुनाते हैं ग्राम प्रधानों ने जवाहर रोजगार योजना का सही उपयोग नहीं किया है। कहीं कार्य नहीं हुआ है लेकिन ऐसे ग्राम प्रधान जो अपना कार्य भलीभांति करते हैं वह अच्छा करते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य सरकार ने किया है लेकिन उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का ऐसा कोई तंत्र नहीं रखा गया है जिसमें वह कार्य करने के लिए बाध्य हों। श्री महेन्द्र सिंह द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि बजट में संशोधन किया जाये।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, पंचायती राज विधेयक पर सम्मानित सदस्य श्री महेन्द्र प्रताप नरायण सिंह द्वारा रखे हुए कटौती पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस समय 4 जनपदों का दौरा करके सीधे चला आ रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज पंचायती राज विधेयक में इस विभाग के बजट को उस समय प्रस्तुत किया गया है कि जब उसके पूर्व अभी कुछ दिन पूर्व ही भारत सरकार द्वारा पारित पंचायती राज विधेयक के परिप्रेक्ष्य मे मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधेयक को पारित किया है। उन परिस्थितियों में जब हमारे कुछ साथियों ने जो हमारे मित्र हैं इसका उल्लेख किया। कि इस पंचायती राज विधेयक को जिसको हमने पारित किया है उससे गांव की शान्ति व्यवस्था में खलल पड़ेगा। और शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न होगी। मैं समझता हूँ कि कदाचित इस पंचायती राज विधेयक को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। गांव की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए गांव की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में, उसके अनुरूप गांव की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसी दिशा मे इस विधेयक को पारित किया गया है।

इस विधेयक में उन वर्षों की कल्पनाओं को हमने साकार किया है जब हम गांव की प्राथमिकताओं को गांव के स्तर पर तय करते हैं। गांव की आकांक्षाओं को गांव की भावनाओं

को गांव के लोगों की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं। गांव के अनुसूचित जाति के लोगों, अनुसूचित जनजाति के लोगो महिलाओं, पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते समय हम स्व० श्री राजीव गांधी का स्मरण करेंगे। उन्होंने दिल्ली में बैठकर हिन्दुस्तान के तमाम गांव सभाओं के प्रधानों के साथ चार दिन बैठ करके जिस प्रकार से एक्सर साइज की और मंथन किया वह सराहनीय है। आजादी के बाद जो कल्पना थी, वह आज सही मायने में इस पंचायती राज विधेयक में साकार हुई है। इसके पहले तमाम निर्बल वर्गों की आकांक्षायें मन में ही रह जाती थी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती थी। उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था हुई है। इस विधेयक के माध्यम से 21 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति, दो प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग एवं 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने के लिए मैं इस प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

पूरे प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को हमने इस विधेयक के माध्यम से पूरा किया है। उसके लिए भी साधुवाद देना चाहता हूँ। उस दिन इस विधेयक को पारित करते समय मैंने असामान्य परिस्थितियाँ देखीं। जिस प्रकार से जीरो आवर, क्वैश्चन आवर को स्थगित करवाया गया उससे बी० जे० पी० के लोगों की मंशा जाहिर होती थी। यह सारे प्राविधान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन सदन चलने नहीं दिया। मान्यवर, मैंने उस दिन देखा कि जहां वेल में आने से मना किया जाता था वहीं उस दिन वेल से चेयर पर जाने के लिये तैयार नहीं थे। मान्यवर, आज भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

* श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, यह बी० जे० पी० पर लांक्षन लगा रहे हैं। बी० जे० पी० चाहती थी कि पंचायती राज विधेयक पर खुली बहस हो लेकिन इन लोगों की मंशा नहीं थी और आज बी० जे० पी० पर लांक्षन लगा रहे हैं यह दुख की बात है। (शोर)

श्री जगदम्बिका पाल–

आज भी वही टोका टाकी हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना वक्त जाया न करें, बैठ जाय।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी भी इनकी मंशा साफ नहीं है। माननीय मंत्री जी इस पंचायत राज विधेयक के अन्तर्गत जब आप चुनाव करायेंगे, उस वक्त वही ताकतें साम्प्रदायिकता का सहारा लेकर बाधा डालेंगी जिससे कि पिछड़े वर्गों, महिलाओं की भागीदारी न हो सके, आपको इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी, इसको देखना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी जब आप उत्तर दें तो उत्तर भाषण मे इसका जवाब जरुर दें। मान्यवर, 2–3 बातें मैं और कहना चाहता हूँ। जब ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बात आती है तो जिला परिषद् के संबंध में मैं जरूर कहना चाहूँगा।

जिला परिषदों में जे० ई० इंजीनियर्स की कमी है। जब प्रदेश से वहां की सड़कों के लिये पैसा जाता है तो समय पर उसका उपयोग नहीं होता है। पैसा जनपदों को चला जाता है लेकिन सड़कें वर्षो तक नहीं बन पाती हैं। आपको इस संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कहीं पर गिट्टी डाल दी जाती है और सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया जाता है।

आपको जिला परिषदों के सुधार लाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करनी होगी। इसी तरह से जे० आर० वाई० की बात है। यह योजना स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा चलायी गयी थी। पंचायतों को अधिकार दिये गये थे जो विकास कार्य हैं उनके निष्पादित करने में बीच में जो भ्रष्टाचार पनपता था उसको समाप्त करने के लिये यह योजना चलायी गयी थी और ग्राम प्रधानों को विकास कार्य के लिये पैसा दिया गया था। प्रधानों को जवाब देह बनाया गया था कि अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उसके लिये स्वयं वह जवाबदेह होंगे। इस पंचायत राज व्यवस्था को अगर मजबूत करना है, तो हमें गांव के पंचायत के प्रधानों को ताकत देनी है। विगत दिनों स्वर्गीय राजीव गांधी ने गांव की प्राथमिकता को गांव में तय करने के लिए गांव का पूरा धन गांव में सदुपयोग हो, इसके लिए उन्होंने दिल्ली में बैठ कर 4 दिन तक देश के गांव के ग्राम प्रधानों के साथ बैठ कर विचार विमर्श किया, फिर उन्होंने जे० आर० वाई० लागू किया और जवाहर रोजगार योजना लागू करने का मन्तव्य यह था कि सीधे विकास का धन गांव के प्रधानों के हाथ में जाय और वह उस पैसे का सीधे-सीधे खर्च गांव के विकास में कर सकें और इसीलिए इसमें सारी जो कारवाई संस्थायें थीं, उनको बीच से हटा दिया और एम० बी० भी हटा दिया, लेकिन पुनः इस सरकार ने एम० बी० लागू कर दिया, जिससे आज ग्राम प्रधान विवश हो रहा है और पुनः भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

अगर इस भ्रष्टाचार को रोकना है, तो एम० वी० की प्रथा को समाप्त कर इस धन की सीधे जिम्मेदारी ग्राम प्रधान पर डाली जाय, जिससे कि प्रधान जनता के प्रति जवाबदेह होगा, यदि प्रधान गलती करेगा, भष्टाचार करेगा, तो उसे चुनाव के माध्यम से जनता के समक्ष जाना है और उसे पराजित होना पड़ेगा। अतः पंचायत राज में अगर हमको पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत, शक्तिशाली, समृद्धिशाली बनाना है, तो प्रधानों को अधिक और व्यापक अधिकार दिया जाना है, जिससे कि प्रधान जवाहर रोजगार योजना के परिपेक्ष्य में धन गांव के विकास में खर्च कर सके।

*श्री वशीर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पंचायती राज बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, पंचायती राज बजट का मैं समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि यह पंचायत राज जो नया ऐक्ट बना है और इससे पहले जो गांव सभाओं को जो अधिकार दिये गये थे, 1 हजार पर जो सदस्य के लिए प्रधान उसमें नियमित किये गये हैं, मेरी राय है कि सबसे पहले जनता के चुने हुए नीचे की कड़ी से लेकर नौकरशाही का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जनता की चुनी हुई कड़ी से और निष्पक्ष कड़ी से ही उसके मान-सम्मान के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्यायिक जांच या और कोई प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए, जनता राज्य में जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा कार्यवाही होनी चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने जो महिलाओं की तरफ इंगित करते हुए बात कही है, मैं इसकी निन्दा करता हूं, किसी को गैर जिम्मेदारी से सम्बोधित नहीं करना चाहिए।

मैं आपको यह मिशाल रखना चाहता हूं कि जमहूरियत की यह सबसे छोटी कड़ी है, नीचे से लेकर ऊपर की दिल्ली के सदस्यों तक इनका मान-सम्मान होना चाहिए, इसकी जांच नौकरशाही के लोगों से नहीं करानी चाहिए और जो अनुसूचित जाति की बात हुई है, यह आजादी के बाद तुरन्त लागू हो जानी चाहिए, लेकिन वह नहीं लागू हुई है। आगे आने वाले समयों में जो बजट प्राविधान रखा गया है, उसमे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उपेक्षित इलाकों में विशेषकर बुन्देलखण्ड के ग्राम सभाओं की अधिक से अधिक धन दिया जाय। मैं यह भी रखना चाहता हूं कि मेरी भावनाओं को समझते हुए जनप्रतिनिधियों को नौकरशाही की गुलामी से अछूता रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, जब मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था, तो कुछ संवैधानिक संकट की ओर मैंने प्रकाश डाला था और मैंने कहा था कि 23 अप्रैल तक मान्यवर मैंने कहा था, संविधान के हिसाब से यह आवश्यक है कि पंचायत राज ऐक्ट पास हो जाय और वित्त आयोग की नियुक्ति 19 अप्रैल तक हो जाय, लेकिन सरकार की ओर से इसका उतर नहीं आया है एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात पर विश्वास रखते है कि ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मान्यवर, या तो ये रामायण पढ़े नहीं, या तो पढ़कर समझे नहीं, सुना हुआ कह दिये, केवल सुनी हुई बात है। अगर पता होता तो यह समझने की कोशिश करते। मान्यवर, राम चन्द्र जी समुद्र के किनारे बैठे हुये हैं और वह राम चन्द्र जी को रास्ता नहीं दे रहा है.....।

(व्यवधान)

आप बात तो सुनें, आप अर्थ को तो समझें। उस समय समुद्र रामचन्द्र जी के पास आता है और कहता है कि मैं मूर्ख हूं और कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। यह मूर्ख की बात है। इसी प्रकार से दासी मंथरा कहती है कि–

कोउ नृप होय हमें का हानी।
चेरि छांड़ि न होइहों रानी।।

यह मंथरा दासी का कथन है, तुलसीदास का कथन नहीं है। आप बात को समझने की कोशिश तो करें।

इसी प्रकार मिल्टन ने लिखा है–

इफ टू रिजेन इज वर्थ एम्बीशन देल्ट टू रूल दि हेल दैन सर्व इन हीवेन।

अगर शासन करने की योग्य इच्छा है तो स्वर्ग में सेवा करने के बजाय नरक में राज्य किया जाँय। यह शैतान से कहलाया है.....।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज जातीयता की बात उठायी जा रही है। मान्यवर, आप जानते हैं कि पंचायती राज में भ्रष्टाचार है और इसको सभी लोग जानते हैं। यह भ्रष्टाचार आज की बात नहीं है, यह तो कांग्रेस की देन है।

कांग्रेस एडमीनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू ब्रिटिस एडमीनिस्ट्रेशन इफीसियन्सी करेप्सन।

कांग्रेस राज्य ब्रिटिश राज्य के समान है, उसमें कार्य कुशलता की कमी आयी है तथा भ्रष्टाचार बंट गया है और अब समीकरण इस प्रकार हो गया है –

गठबन्धन एडमीनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू कांग्रेस एडमीनिस्ट्रेशन, नेशनलिज्म, कम्युनिलिज्म कास्टिज्म।

गठबन्धन शासन कांग्रेस शासन के समान है तथा उसमें राष्ट्रीयता कम हो गयी है तथा साम्प्रदायिकता हो गयी है तथा साम्प्रदायिकता जातीयता मे बढ़ गयी है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनमें राष्ट्रीयता की कमी हो गयी है।

(व्यवधान)

यह बिना समझे हुये ही बेकार में खड़े हो जाते हैं। सुनी सुनाई हुई बातों पर विश्वास करते हैं। इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। इन्होनें ऐक्ट में रखा है कि अनुसूचित जाति के प्रधानों का जो आरक्षण था, वह समाप्त हो जायेगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन रखा है कि इसको सीमित न किया जाये। मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि एक भांवर नदी होती है, जो पहाड़ों से बहकर आती है और दलदल में गायब हो जाती है और एक दो किलोमीटर के बाद फिर दिखाई देती है। इसी तरह से पंचायती राज का बजट है, यह प्रदेश की विधान सभा में दिखाई देता है, जिले में दिखाई देता है और इसके बाद भ्रष्टाचार के दलदल में गायब हो जाता है और कुछ दिन के बाद कर्मचारियों के मकान के रूप में, मोटर कार के रूप में और मोटर साइकिल के रूप में प्रकट हो जाता है। मान्यवर उस विभाग को बजट की कोई आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मै कटौती पर बल देता हूं।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सम्मानित सदन में राम की चर्चा की है। पहले तो मैं सम्मानित सदन मे आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कि यह सदन राम की बात से नहीं बाबा साहब अम्बेदकर के संविधान से चलेगा। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है इससे श्रीमन्, इनकी नीयत साफ हो जाती है कि यह दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और पिछड़ों के विरोधी हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें।

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

तभी आपके यहां कोई महिला मंत्री नहीं बनाई गयी हैं।

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जी ने जो नेता और नीयत की बात कही उसमें मैं बताना चाहूंगा कि नेता और नीयत के बारे में तो हमारे नेता सदन इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीयत साफ है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जब नेता की नीयत साफ होती है तो प्रदेश के एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे 14 करोड़ व्यक्ति को न्याय मिलेगा। इनकी नीयत कभी साफ नहीं रही है इसलिये ये दूसरे की नीयत पर शक करते हैं और नेता और नीयत की बात करते हैं। मेरे नेता की नीयत साफ है। श्रीमन् जो पंचायती राज संशोधन विधेयक की व्यवस्था की गयी है, महिलाओं को सम्मान दिया जाय अधिकार दिया जाय, पिछड़ों को सम्मान दिया जाय, अधिकार दिया जाय और दलितों को सम्मान दिया जाय अधिकार दिया जाय, श्रीमन् जितना इनको दिया गया उतना भी अभी कम है। श्रीमन् यह व्यवस्था होनी चाहिए इस प्रदेश में कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसी के हिसाब से उसकी भागीदारी शासन और प्रशासन में मिलनी चाहिए। श्रीमन् जो विपक्ष की तरफ से आलोचनायें आई हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और पक्ष की तरफ से जो समर्थन आया है उसका भी स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही साथ माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने कहा है कि संविधान को लोग नहीं जानते हैं, संविधान की व्यवस्था श्रीमन्, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग संविधान के जानने वाले लोग हैं और साथ ही साथ संविधान के मानने वाले लोग हैं। श्रीमन् वह वही लोग हैं जो संविधान पर विश्वास नहीं किया करते हैं इनके पिछले कारनामों से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पता चल गया था कि संविधान के मानने वाले लोग हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश–

और कोई भाषा नहीं है इसके अलावा भी कुछ और बोलना सीखें।

श्री राम लखन वर्मा–

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखें हैं उन्होंने कहा है, उनकी यह बात थी कि 42 करोड़ रुपये व्यय होता है अधिकारियों के खर्च में, मेरी समझ से उन्होंने इस बजट को ध्यान से पढ़ा नहीं है अगर उसे पढ़ा होता तो उसमें व्यय है 30 करोड़ रुपये, 42 करोड़ रुपये का व्यय नहीं है।

पुनः इसको ध्यान से पढ़ लें पूरी बात इनके समझ में आ जायेगी।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मै पूरा विवरण दे दूंगा।

श्री राम लखन वर्मा–

माननीय पाल जी का अच्छा सुझाव आया है, वे हमारे सहयोगी भी हैं। माननीय राज लक्ष्मी वर्मा जी का भी सुझाव आया है, मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूँ। माननीय पाल जी का कहना है कि यह जो सम्प्रदायिकता पर विश्वास करते हैं यह चाहेंगे कि पंचायत के चुनाव हों, क्षेत्र समिति के चुनाव हों, जिला पंचायत के चुनाव हों तो उसमें हिंसा भड़काने का काम करेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार पाल जी बहुत मजबूत है ऐसा कुछ होता है तो उससे निपटने के लिये हमारी सरकार तैयार है। मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने यहां पर रखा है अगर उनकी नीयत साफ है पिछड़ों का हित चाहते हैं, महिलाओं का हित चाहते हैं, दलितों का हित चाहते हैं तो यह प्रस्ताव वापस ले लें यह मैं निवेदन करूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मैं प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 83,47,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

अब मद संख्या 17 (3) लेता हूं।

ग्राम विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मान्यवर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रदेश की विधान सभा में लगभग 16 करोड़ आबादी के 80 फीसदी लोगों की खुशहाली के लिए भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर, डा० राम मनोहर लोहिया तथा चौधरी चरणसिंह के सपनों का ग्रामीण परिवेश बनाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी के सशक्त मार्ग दर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीणों के उत्थान एवं उनके बीच तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर

रहा हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लगभग 1.00 लाख 15 हजार गांवों मे निवास करने वाले मेहनतकश किसानों एवं मजदूरों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, लेकिन आजादी के 5 वे दशक मे प्रवेश करने के बाद भी विकास की किरण उन तक आज भी नहीं पहुंच सकी है। हमारी नवगठित लोकप्रिय सरकार आज तक अपेक्षित उन ग्रामीणों, मेहनतकश किसानों एवं मजदूरों तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास विभिन्न विभागों से खर्च होने वाले विभिन्न मदों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट का कुल 70 प्रतिशत भाग आवंटित किया है। मान्यवर, डा० भीमराव अम्बेडकर एवं डा० राम मनोहर लोहिया जी ने ग्रामीण विकास के जिस सपने की कल्पना की थी, उस सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति को साकार रूप देने के लिए सत्ता परिवर्तन के साथ ही इस सरकार ने मूर्तरूप देना आरम्भ कर दिया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के विद्वान सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान लोकप्रिय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को तीव्र गति से आरम्भ किया है। मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में लागू है, इसमें 50 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत धन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों एवं ग्रामीण शिल्पकारों को बैंक से ऋण एवं सरकार द्वारा अनुदान देकर निजी परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार का अवसर सुलभ कराया जाता है, जिससे उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी अपने विभाग का बजट भाषण पढ़ रहे थे। काफी देर से सम्मानित सदन में बैठे हुए सदस्य इस बात को देख रहे थे कि माननीय मंत्री जी अपना पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद कोई बात अपने विभाग के बारे में बतायेंगे लेकिन उन्होंने यह नहीं किया और अपना भाषण पढ़ते ही जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि राइटर भी लिखता चला जा रहा है इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। अभी-अभी आपकी पीठ से यह निर्णय दिया गया कि इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। मेरा अनुरोध है कि कृपया दिखवा लें। सदन की यह परम्परा रही है माननीय मंत्री जो विभाग का मुखिया होता है, जनप्रतिनिधि होता है वह अपने वक्तव्य के जरिये अपने विभाग की नीति एवं सरकार की नीति को व्यक्त करता है। इसे आप दिखवा लें और जो व्यवस्था आपने दी है उसे वापस ले लें। मान्यवर, पढ़ने की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अलग से जानकारी दे रहे हैं। आप लोग कृपया शांतिपूर्वक सुनें।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, खाली आंकड़े देखे जाते हैं। इस तरह से तो सदन की गरिमा गिरेगी।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति से सुनें।

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों में 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित करने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें आर्थिक रूप से प्रति परिवार के पूंजी निवेश का लक्ष्य रुपये 15 हजार रखा गया है। वर्ष 1994–95 में एकीकृत ग्राम विकास योजना में अनुदान मद में 8.270 लाख रु० का परिव्यय राज्यांश के रूप में निर्धारित किया गया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये जिन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है उसे भी मैं अवगत करा देना चाहूंगा।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मान्यवर, जब यह पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ा हुआ माना जाये।

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, जो हमने प्राथमिकतायें तय की है वह यह हैं कि कुल लाभार्थियों में से मैदानी क्षेत्र में 52 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 30 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे। दूसरा कुल लाभान्वित नागरिकों में से 40 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। तीसरा यह है कि ग्रामीण व कुटीर उद्योग की स्थापना पर विशेष बल दिया जायेगा। चौथा यह है कि लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से दो दुधारू पशु उपलब्ध कराये जायेंगे। मान्यवर, स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण योजना जिसे ट्राइसेम के नाम से जाना जाता है, के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के युवकों को विभिन्न व्यवसायों में रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिये चुने गये व्यवसायों का तकनीकी ज्ञान का अल्प प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात् इन्हें स्वतः या सवेतन रोजगार में स्थापित किया जाता है। मान्यवर, इस योजना में केन्द्र द्वारा कुल परिव्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत धन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1994–95 में ट्राइसेम प्रशिक्षण के लिये 842.00 लाख तथा ट्राइसेम अवस्थापना में 118.00 लाख रु० का परिव्यय राज्यांश के रूप में निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये हमनें यह भी तय किया है कि प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद ऋण की स्वीकृति सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रशिक्षण के मध्य तथा उपरान्त

प्रशिक्षार्थियों का अनुश्रवण कर इन्हें रोजगार में स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा योजना के हितार्थ कच्चे माल की आपूर्ति तथा तैयार सामग्री के विक्रय को सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष बल दिया जायेगा साथ ही स्वैच्छिक संस्थाओं का ज्यादा सहयोग लिया जायेगा।

मान्यवर, ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को 10 से 15 के समूह में संगठित करके उन्हें स्वरोजगार के उद्देश्य से ट्राइसेम के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रशिक्षण किया जाता है तथा अनुमन्य अनुदान तथा बैंक के ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रत्येक महिला समूह के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये एवं उसके सफल संचालन के लिये 15 हजार रु० का रिवाल्विंग फंड भी भारत सरकार, राज्य सरकार एवं यूनीसेफ के सहयोग से उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1993–94 में इस प्रकार के 1399 समूहों का गठन किया गया था जिसे वर्ष 1994–95 के वित्तीय वर्ष में बढ़ा करके 1455 समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिये वर्तमान लोकप्रिय सरकार की कृतसंकल्पता को स्पष्ट करते हुये सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं बेरोजगार व अल्प रोजगार पुरुषों व महिलाओं को उपयोगी एवं अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। मान्यवर, मैं आपके मांध्यम से माननीय सदन के समस्त सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जवाहर रोजगार योजना में भारत सरकार व राज्य सरकार का अंश 80 व 20 के अनुपात में है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपभोग होने वाली धनराशि में भारत सरकार द्वारा श्रमांश एवं सामग्री के बीच का अनुपात 60 व 40 का होना अनिवार्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1993–94 में जवाहर रोजगार योजना का कुल परिव्यय 742.00 करोड़ निर्धारित किया गया था, जिसमें 1586.00 लाख मानव दिवसों का सृजन करके वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993–94 में कुछ नई योजनाओं को आरम्भ किया गया है जिसमें सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रदेश के 12 पिछड़े जनपदों में विशेष योजना का कार्यान्वयन एवं विशेष केन्द्रीय योजना है। मान्यवर, इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन व बेरोजगार व्यक्तियों को वर्ष के ऐसे अवधि में जबकि रोजगार की विकट समस्या हो, में कम से कम 100 दिन का रोजगार निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है। यह योजनायें अभी तक प्रदेश के कुल 20 जनपदों के 145 विकास खण्डों में ही आरम्भ की जा सकी है। मान्यवर, विशेष केन्द्रीय योजना की जवाहर रोजगार योजना की अम्ब्रेला योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें जनपद स्तर से प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं को संकलित रूप से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है ज़िसकी वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है जिसकी वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 1994-95 हेतु विशेष केन्द्रीय योजना के लिये केन्द्रांश सहित 60500.00 लाख रुपये का परिव्यय

निर्धारित किया गया है जिसमें राज्यांश रु० 12100.00 लाख सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत 15.25 करोड़ मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस गरिमामयी मा० सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि ग्रामीण आवास योजना जिसे इन्दिरा आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है, के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्ग के आवास विहीन परिवारों की बढ़ी हुई आवासीय समस्या के निदान हेतु एक पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 20 प्रतिशत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों के आवास विहीन निर्बल वर्ग के परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिये रु० 12700/- तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिये रु० 14,500/- प्रति मकान का प्राविधान किया गया है। इस योजना का वित्त पोषण जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से किया जाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 1993-94 में इस योजना के तहत 43 हजार आवासों के लिये धनराशि मुक्त की गयी थी। वर्ष 1994-95 में लगभग 49 हजार आवासों का निर्माण प्रस्तावित है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति/जनजाति की ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों में पेयजल योजना के अंतर्गत जिन गांवों में 250 व्यक्तियों की संख्या निवास करती है, उनके पेयजल की समस्या के समाधान हेतु एक इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, यह योजना पूर्णतयः प्रदेश सरकार से वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की वस्तियों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु इन्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु रु० 8.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत वर्तमान लोकप्रिय सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है कि प्रदेश के विकास हेतु किये गये प्रतिबद्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के आबादी वाले 9493 गांवों को अब सुनियोजित विकास हेतु लिया जायेगा. जो विकास की सभी योजनाओं से लाभान्वित होंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश के 9493 ऐसे गांवों में से, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग निवास करते हैं, में से 1352 गांवों को पहले भी अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना में चयनित किया जा चुका है। इन अम्बेडकर गांवों में पात्र लाभार्थियों को अम्बेडकर गांवों में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं के मानक के अनुरूप समस्त सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के लिये हमारी लोकप्रिय सरकार कटिबद्ध है। इसमें पूर्व में दी गयी सुविधाओं के अतिरिक्त विद्युतीकरण आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत हमारी प्राइमरी पाठशाला का निर्माण एवं नवजात शिशु प्रतिरक्षण एवं पशुओं के टीकाकरण के भी कराये जाने की योजना लागू की गयी है।

मान्यवर, सदन को मेरे द्वारा अवगत करायी गयी इन तमाम कार्यक्रमों के अतिरिक्त अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पुष्टाहार योजना एवं विशेष रोजगार योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के उत्थान हेतु चलाये जा रहे हैं। हमारी लोकप्रिय सरकार ने निर्णय लिया है कि इन समस्त कार्यक्रमों को, जो पूर्णतयः गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये विद्यमान है, को समयबद्ध एवं प्रमुखता के आधार पर उनका कार्यान्वयन किया जायेगा।

[4 बजकर 20 मिनट]

ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के माध्यम से सम्पर्क मार्गों, पाठशालाओं एवं निर्बल आवास के निर्माण आदि का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसमें और अधिक सुधार हो सके, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। लघु सिंचाई के अंतर्गत वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समस्त कृषि योग्य भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है। 2 लाख निःशुल्क बोरिंग के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। इससे हर खेत को पानी उपलब्ध कराने का संकल्प पूरा हो जायेगा। नलकूप बोरिंग योजना जिसे निःशुल्क बोरिंग योजना के नाम से जाना जाता है, 1994-95 में कुल 103 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 लाख कूप योजना के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। 10 लाख कूप योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के कृषकों को निःशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्ट्रेनर जाली बोरिंग में पी०वी०सी० पाईप की सफलता को देखते हुए, अब इसका प्रयोग कैविटी बोरिंग में भी किया जा रहा है, जिससे विद्युत व डीजल की खपत में बचत हो रही है। पठारी क्षेत्र में इनवेल द्वारा बोरिंग करके नलकूप का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। प्रदेश के 9 जनपदों, सोनभद्र, झाँसी, जालौन, बाँदा, हमीरपुर, ललितपुर, आगरा, मथुरा व इलाहाबाद में यह कार्य कराने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस मशीन द्वारा की गयी बोरिंग पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा 50 हजार रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है और अन्य पठारी, कठिन एवं गहरे स्टेटा वाले क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 30 हजार रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। दोहन एवं लघु सिंचाई कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु भूगर्भ जल की उपलब्धता की सही स्थिति के आंकलन हेतु भूगर्भ जल विभाग अपनी कार्यक्षमता एवं तत्परता के साथ समर्पित है। इस विभाग द्वारा 817 विकास खण्डों में भूजल की उपलब्धता का आंकलन, उपर्युक्त स्थान का चयन, अनुश्रवण, हवाई चित्रों व रिमोट सेंसिंग डाटा, नाभकीय व भू-भौतिकीय व छिद्रण आदि के कार्य किये जा रहे हैं। भूगर्भ के जल स्तर को बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दीर्घकालीन भूजल विकास के कार्यक्रम तय किये जायेंगे। क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत इस

प्रदेश में दो समादेश परियोजनाएं-शारदा सहायक कमाण्ड तथा रामगंगा क़माण्ड परियोजनायें कार्य कर रही हैं। शारदा सहायक परियोजना प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी क्रमशः नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली एवं उन्नाव में तथा रामगंगा कमाण्ड परियोजना पश्चिमी एवं दक्षिणी जिलों में बांदा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नैनीताल, बरेली, रामपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर में समादेश विकास कार्यक्रम निष्पादित कर रही हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जिसे डी०पी०ए०पी० के नाम से जाना जाता है, अपने कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचल की गरीब जनता को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिये अपने निर्धारित कार्यक्रमों के साथ समर्पित है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः भू एवं जल सर्वेक्षण, वनीकरण एवं चारागाह विकास तथा जल संसाधनों का सर्वेक्षण आदि कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पादित किये जा रहे हैं। मान्यवर, ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास विभाग अपने इन प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने एवं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचाने के लिये वर्तमान लोकप्रिय सरकार अपने शुद्ध अंतःकरण एवं विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध संसाधनों के साथ पूर्णतया तत्पर एवं कृत संकल्पित है।

मान्यवर, ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास के प्रस्तुत किये गये वर्ष 1994-95 के बजट द्वारा निश्चित रूप से प्रदेश के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आयेगी एवं द्रुत गति से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की संभावनायें प्रज्जवलित होंगी। जब गांव का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, गांव की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो सामाजिक परिवर्तन को बल मिलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस गौरवमयी माननीय सदन के समस्त माननीय सदस्यों से ग्राम्य विकास के तहत प्रदेश के विकास के लिये सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। मान्यवर, माननीय सदन के माननीय सदस्यों के अच्छे सुझाव जो आयेंगे, मैं गाँवों के विकास में उनकी भावनाओं को सुझावों को सम्मिलित करते हुये, आदर करते हुये ग्राम्य विकास के कार्यक्रम को संचालित करने का प्रयास करुगा। माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूँ कि बिना किसी कटौती के बजट को पास होने दें। इन्हीं शब्दों के साथ-जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री बदन सिंह जी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

* श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-12—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, यह जो ग्राम्य विकास का बजट रखा गया है, यह तेरह करोड़ इक्यानबे लाख इस प्रदेश की आबादी होने पर ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख निवासियों के जीवन से संबंधित अनुदान हैं, लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान यहां पर रखा है, वह केवल एक रटे-रटाये लिखित रूप में यहां पर रखा गया है, इस पर कोई मौलिक सुझाव नहीं दिये गये हैं जिससे प्रदेश के गाँवों का कल्याण होता। मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना के विषय पर यहाँ साफ तरीके से नहीं बताया गया, इस योजना के अन्तर्गत अस्सी प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा और बीस प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धन दिया जाता है। इसमें जो कार्यान्वित योजनायें सृजित की जाती हैं, जो इसका लक्ष्य था, गाँवों के लोगों को रोजगार दिया जायगा, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाया जायगा, उसकी कोई पूर्ति नहीं हो रही है, ठेकेदारों के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिसके कारण जो ग्रामवासियों द्वारा होने पर जीवन स्तर ऊँचा उठता है, इससे नहीं उठ रहा है, ठेकेदारों की जेब में पैसा जा रहा है। इस औसत से अन्य किसी भी प्रकार से ग्रामीण जनता का कल्याण नहीं होगा। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवकों को प्रशिक्षित करके उनका स्वतः जो काम था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है।

पूरे प्रदेश में कहीं भी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत धन समय से नहीं दिया गया है जिससे युवक स्वतंत्र रूप से कोई पेशा चला सके। यहां पर अम्बेडकर ग्रामीण योजना के विषय में भी चर्चा हुई। मैं बताना चाहता हूं प्रदेश के अंदर जिन ग्रामों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की जनसंख्या 50 प्रतिशत है उनके उत्थान के लिये यह योजना लागू की गयी ताकि उनका सार्वभौम विकास हो सके लेकिन उसके अंतर्गत कोई काम नहीं हो रहा है। इस योजना के अंदर एक ही काम हो रहा है कि जितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको धोखा देने का काम हो रहा है। एक ही काम को बार-बार इस योजना के अंतर्गत चुना जा रहा है। मेरे क्षेत्र में इमारपुर नाम का गांव है उसे 3 बार अंबेडकर योजना के अंदर लिया गया है क्योंकि वहां पर सड़क का काम ग्राम विकास में और इंदिरा आवास में आवास पहले से बने हैं। इसलिये जहां पहले से काम हो गये हैं उन्हीं को अम्बेडकर योजना में चुना गया है।

माननीय मंत्री जी ने भू-गर्भ विभाग के बारे में कुछ कहा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितना काम इसमें हुआ है कितने क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। मान्यवर, 20, 21 जून 89 को केन्द्र सरकार ने दिल्ली में भू-गर्भ विभाग के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई थी उस

मीटिंग में यहां से तत्कालीन ग्राम्य विकास सचिव आइ० पी० के० ऐरन ने प्रतिनिधित्व किया था उस मीटिंग में यह विचार रखा गया कि जो विभिन्न तरीकों से भू-गर्भ जल का सर्वेक्षण हो रहा है चाहे रिमोट सेंसिग से हो या अन्य ठेकेदारों से उन सब को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और एक ही उसके लिये एजेंसी हो और उसके लिये ग्रामीण ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिये जो भू-गर्भ जल का सर्वेक्षण करे। यह ग्रामीण ग्राहक सेवा केन्द्र सरकार ने स्थापित की और उसके बाद सितम्बर 92 में केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को बुला कर हिदायत दी कि इसके लिये एक मौडल बिल हो जो उसने बना कर दिया और प्रत्येक राज्य सरकार से उम्मीद की थी कि वह अपने-अपने राज्यों की विधान सभाओं में उस मौडल बिल के आधार पर भू-गर्भ जल नियंत्रण के लिये कानून बनाये और उस कानून के अनुसार निश्चित तरीके से भूगर्भ जल का विदोहन हो, उस पर नियंत्रण लगे। लेकिन केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हुआ।

प्रदेश सरकार उन निर्देशों का पालन करने में विफल रही जिसके कारण भूगर्भ जल का स्तर नीचे चला गया है और पानी कम हो गया और उसमें क्षारियता बढ़ गयी है जिससे रेगिस्तान पैदा होने की स्थिति पैदा हो गयी है जिससे यह प्रदेश बच नहीं सकता है। इस प्रदेश में भूगर्भ जल का स्तर गिरता चला जा रहा है और उसको ऊपर उठाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रदेश के भूगर्भ जल विभाग में भू-भौतिकविद नहीं है। आगरा में यह विभाग स्थापित किया गया है लेकिन वहां पर भू-भौतिकविद नहीं हैं। माननीय मंत्री जी जब उत्तर भाषण दें तो इस बात को बतायें कि ऐसा क्यों है। हमारे प्रयास से रिमोट सेंसिंग कम्प्यूटर बड़ी मशीनें मंगाई गयी थीं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है जिससे हजारों किसान लाभान्वित हो सकते थे लेकिन भू-भौतिकविद न होने से वैसे ही पड़े हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश का कल्याण करना चाहते हैं तो भू-गर्भ जल पर नियंत्रण कीजिये और उसकी उपयोगिता को बनाये रखिये। नहीं तो यह प्रदेश, ज्यादा समय नहीं है, अकाल के गाल में समा जायेगा। मान्यवर, मंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी अमूल्य जल संपदा है जो बरसात में नदी नालों में बहता जा रहा है उसको छोटे-छोटे बांध बनाकर रोके जिससे यह भूगर्भ का गिरता हुआ स्तर ऊपर आयेगा। नदी नालों के साथ ही साथ खेतों का पानी रुक जाना चाहिए तभी ग्रामीणों का कल्याण हो सकता है। इस संबंध में मंत्री जी दो काम करवा दें—एक तो खेती का उचित मूल्य किसानों को मिल जाये और दूसरे उन्हें पानी मिल जाये और साथ ही साथ छोटे-छोटे उद्योग धन्धे जैसे ट्राइसम योजना और दूसरी योजनाएं जो चलाई गयी हैं उनका सही सदुपयोग करायें तभी ग्रामीणों का कल्याण होगा।

मान्यवर, बाल विकास योजना जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए है यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। पूरे प्रदेश में बाल विकास योजना के अंतर्गत मिलने वाला पुष्टाहार जच्चा-बच्चा को नहीं मिल रहा है बल्कि उसे आंगनबाड़ी में लगी महिलाओं पर खर्च किया जा रहा है चूंकि इस पर नियंत्रण कोई करने वाला नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विभाग को जो करोड़ों रुपये का बजट मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है और यह

बजट भ्रष्टाचार में फंस गया है और पैसा बेकार में जा रहा है। इसलिए मैं कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इन्हें इस बजट के लिए एक रुपया ही दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् अपना उत्तर भाषण दूंगा।

* श्री राम तेज—

मान्यवर, ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह अपने में सम्पूर्ण विकास की ओर है। मान्यवर, ग्रामीण विकास से ही इस प्रदेश का और देश का विकास सम्भव है। अभी इससे पहले मुख्य मंत्री जी ने अपने स्वयं के भाषण में यहां कहा था कि हम चाहते हैं और सरकार चाहती है कि गांवों के विकास के लिए 70 प्रतिशत हमारा बजट है और वह गांवों के विकास पर खर्च हो जिससे ग्रामीण विकास, लघु सिंचाई और संबंधित गांवों को चयनित करके, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से बिजली, पानी, सड़क, स्कूल की व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की बात मा० मुख्य मंत्री जी चाहते हैं और माननीय मंत्री जी जिन्होंने बजट रखा है वह भी यही चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से ही बजट में पता नहीं क्यों परेशान हैं और ऐसा लगता है कि न उन्होंने गांवों को देखा है और न उनका किसानों से कोई मतलब रहा है।

मान्यवर, उन लोगों ने पूरे भाषण को नहीं सुना किन्तु जब मंत्री जी नें फ्री–बोरिंग की बात किया तो भाजपा के लोग संयम से सुनने लगे और कहा कि बोरिंग कई किस्म की बता दिया, तो इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। मान्यवर, वस्तु स्थिति से जो आपको अवगत कराया गया है, और श्री बदन सिंह जी का मन चाहता है और उनका दिल लगा है कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। वह खुद तो इस बजट की प्रशंसा करना चाहते हैं, क्योंकि वह चौधरी चरण सिंह जी के शिष्यों में से रहे हैं और वह चाहते थे कि गांवों का विकास हो और देश का विकास तभी होगा जब खेती और गांव का विकास होगा, लेकिन वह ऐसे लोगों की जगह चले गये हैं जिसमें वह मजबूर हैं और उनका दिल इधर लगा है, लेकिन यहां कहते कुछ और हैं। हो सकता है कि थोड़े दिनों में उनको सद्बुद्धि आए और वह इस तरह के जो विचार प्रकट कर रहे हैं वह करना बन्द कर दें। उनके विचारों में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है।

आपने सिंचाई के लिए फ्री–बोरिंग की व्यवस्था, सड़कों को छोटे-छोटे गांव से जोड़ देने तथा भूगर्भ के बारे में बहुत बातें कही हैं। जो किताब आई है, उसको पढ़ने की यदि वह कोशिश करते तो उनको सही और पूरी-पूरी जानकारी हो जाती और वह कोई इस तरह की बातें न करते। पता नहीं उनको इन बातों की सही जानकारी नहीं है या वह जिस जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं उस जगह का उन पर असर है कि वह उसे न समझ कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। उन्होंने जो कहा है वह रस्मी तौर पर कह दिया है, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं है। यह इतना अच्छा बजट है और प्रदेश व देश के सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख है इसकी तो उन्हें पूरी तरह प्रशंसा करनी चाहिए थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बदन सिंह—

मैं इनको यह कहना चाहता हूं.....

श्री राम तेज—

आप खड़े हो गये हैं, खड़े होकर क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं? इतनी महंगाई बढ़ने के बावजूद भी विभाग की जो योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है और अधिकारियों का सोच भी बहुत सही है। इससे प्रदेश का और गांवों का शीघ्र विकास अवश्य होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद बहराइच के हमारे विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज में ब्लाक स्तर पर, ग्राम स्तर पर और पंचायत राज स्तर पर सुनियोजित तरीके से रोजगार की योजनाएं जवाहर रोजगार योजनाएं आदि चलाई गई हैं और उनमें ठीक से काम हो रहा है। इसमें जो आपने अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया उसके लिए आपको मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रामकृष्ण वर्मा –

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ग्राम्य विकास के इस बजट में बहुत सारी त्रुटियां या कमियां हैं। ग्राम्य विकास विभाग बहुत अधिक स्तर में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसके जे० आर० वाई० में जो पैसा मिलता है, उसका 80 प्रतिशत पैसा ग्राम प्रधानों को दिया जाता है। इससे वह जो काम करते हैं, वह बहुत घटिया स्तर का होता है और कभी पूरा नहीं होता है। इसका शेष 20 प्रतिशत पैसा उन विभागों को दिया जाता है जो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गये हैं। इसी कारण आज कौंसिल हाउस के सामने आर०ई०एस० के डिप्लोमा इंजीनियर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वह यह बताने के लिए बैठे हैं कि किस तरह से इन विभागों में धन का भ्रष्टाचार हो रहा है तथा किस तरह उसका दुरुपयोग हो रहा है? 20 प्रतिशत जो पैसा ब्लाक में दिया जाता है, वह एक मुश्त एडवांस दे दिया जाता है और उसके एडवांस में बिल बना लिए जाते हैं और उसे फिर डिप्लोमा इंजीनियरों के माध्यम से वेरीफाई कराया जाता है। वे यदि इस गलत और भ्रष्ट काम को नहीं करते हैं, करने से मना करते हैं, तो उन्हें अधिकारियों द्वारा सस्पेण्ड करने की धमकी दी जाती है।

जनपद देवरिया में इसके लिए मार्च में बहुत पैसा दिया गया था, किन्तु जब फर्जी और जाली कामों को प्रमाणित करने से डिप्लोमा इंजीनियर ने मना कर दिया, तो उनको धमकी दी गई। अगर वह सच काम करना चाहते हैं तो उनको दबाया जाता है। इस तरह 20 परसेंट पैसा पी०डब्लू०डी० जैसे तकनीक पुराने और अनुभवी विभाग को न देकर ऐसे विभागों को दिया जाता है, जहां इस पैसे का अधिकांश दुरुपयोग हो रहा है।

इस तरह की शंकायें जो कर्मचारियों ने व्यक्त की हैं और सदन के सदस्यों ने भी व्यक्त की हैं, उन पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, उन डिप्लोमा इन्जीनियर्स की बात को सुन लिया जाय। वहाँ पर जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसको बचाने की व्यवस्था की जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, वैसे तो हिन्दुस्तान ही गाँवों का देश है और उसमें उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है । ग्रामीण विकास के लिए हमारे महर्षियों और चिन्तकों ने जब संविधान को बनाया था, जो उनकी सोच और सपना था कि तब तक हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान का हर प्रदेश और उसका हर गाँव विकसित नहीं हो सकता है जब तक उसके हर खेत और खलिहान विकसित नहीं होंगे । उसका सर्वांगीण विकास कैसे नहीं हो सकता है ? चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जब तक प्रदेश और देश का गाँव विकसित नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है । लेकिन मान्यवर, बुनियादी तौर पर गाँव के विकास की जो आवश्यकता थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि व्यवस्था पर बैठने वाले लोगों की नियत में खोट था और उसी के कारण आज गाँवों का विकास नहीं हो पाया है । गाँवो की अस्सी प्रतिशत आवादी में से चालीस प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे आज भी उसी स्तर पर जीवन गुजार रही है, जिनके पास आसमान छोड़कर कोई छत नहीं है । उनको जूठी पत्तलों पर जीना पड़ रहा है । यह व्यवस्था पर बैठने वाले लोगों की नियत में खोट थी । अगर उनकी नियत साफ होती तो आज ऐसी स्थिति न होती ।

ग्रामों के विकास के लिए हमारे संविधान में बात कही गयी थी । उस पर अमल नहीं किया गया । आजादी के 45-46 साल के बाद भी आज गांव के लोग पानी, बिजली, विद्यालय, चिकित्सालय और रास्ते के लिए तरस रहे हैं। यह तो बुनियादी आवश्यकताएं हैं । दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा की गारंटी दी जाती है लेकिन यह अभागा सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता के बीच में उनके जन प्रतिनिधि हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिये इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है ।

मान्यवर, यह केवल नीयत की कमी के कारण है । मैं बहुत लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दे रहा हूँ । लेकिन जब तक हिन्दुस्तान का खेत और खलिहान नहीं हँसेगा, तब तक यह प्रदेश और देश विकास नहीं कर सकता है । 1989 में भी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी उन्होंने बड़े-बड़े झंझावातों के बावजूद भी योजनाओं को चलाने का प्रयास किया था । बुनियादी तौर पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किया था । गाँव में पिछड़ी पंक्ति में बैठने वाले लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कराने का काम किया था । चाहे 10 हजार तक के कर्जे माफ करने की बात रही हो, विद्यालय भवन बनवाने की बात रही हो, वृद्धावस्था पेंशन 60 रुपये से 100 रुपये करने की बात रही हो, इन सबको पूरा करने का प्रयास किया गया था । दुर्भाग्य है कि पुरोहितवादी व्यवस्था ने शोषण किया है ।

आज हमारी सरकार सत्ता में आई है । हमारी सरकार की नियत में कोई खोट नहीं है, विल्कुल साफ है । जब नियत नहीं साफ होगी तो सरकार समस्या का समाधान कैसे कर सकती है।

"जाके पैर फटें न बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई ।" जो व्यक्ति गाँव से नहीं निकलेगा वह समस्याओं को नहीं जानेगा वह उसके निदान के लिए काम नहीं कर सकता है । 70 फीसदी

बजट सरकार ग्रामों में खर्च करेगी । यह मूल रुप से उनको उठाने का काप है । विद्यालय के माध्यम से, चिकित्सालयों के माध्यम से 170 फीसदी बजट खर्च करके बुनियादी उसूल का काम यह सरकार कर रही है । जो योजना आप ग्राम्य विकास के लिए चला रहे हैं उसको देखने की आवश्यकता है । ट्राइसम योजना जवाहर रोजगार योजना है, फ्री बोरिंग की योजना है इसको प्रभावी ढंग से देखने की आवश्यकता है क्योंकि इनमे बड़ी अनियमितता है । आप बजट चाहे जितना कर दें खर्चा चाहे जितना कर दें जितनी योजनाये हैं उनमें अनियमिततायें चल रहीं हैं इसको देखेगे नहीं तो यह कार्यरूप में नहीं आयेगी । फ्री-बोरिंग की योजना है लाभार्थियों के चयन में गलती की जाती है । चालीस फीट पाइप जो देते हैं उनको खुले बाजार में बेंच दिया जाता है । जाँच करा ले तो पता लगेगा, कहीं बोरिंग नहीं हुई है केवल लाभ लेकर लाभार्थियों का चयन होता है । अधिकारी कर्मचारी मिलकर पैसा खा जातें है ।

श्रीमन् जहां तक हैण्डपम्प की बात है इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगते हैं हमारे यहां पानी का स्तर नीचे है । आज पूरे प्रदेश में जल स्तर नीचे है हैंण्ड पाइप की बोरिंग 80 फीट की जाती है और दस पाँच दिन में हैण्डपाइप बिगड़ जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता है । इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पानी मिले तो निश्चित रुप से इसको देखना होगा । ट्राइसम योजना के नाम पर लाइसेंस दिये जाते हैं । वह फर्जी होते हैं । श्रीमन् , मैं आपका ध्यान अपने जनपद की तरफ ले जाना चहता हूँ आप सर्वे करायें तो निश्चित रुप से देखेंगे कि अनियमिततायें प्रत्येक विकास खण्ड में हैं मैं सुझाव के रूप मे निवेदन करूँगा कि पानी का हमारे यहाँ बहुत संकट है । बरसठी विधानसभा क्षेत्र जनपद के मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है । यहां पानी की समस्या है । वरुणा एवं वसुहा नदी के मध्य में यह क्षेत्र पड़ता है, पानी का संकट है । पानी का जल स्तर नीचे जाने के कारण कुओं का पानी सूख गया है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कम से कम 100 इंडिया मार्क-2 हैंण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ ।

* श्री गनपति सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए में आपका आभारी हूँ । मैं अपने विचारों को श्री बदन सिंह जी के विचारों से जोड़ते हुए आपके बीच अपनी बात रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, जिस जिले से आप आये हैं उसी जिले से मैं भी आया हूँ बजट पर चर्चा चल रही है, श्रीमन् मैं कटौती के प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करता हूँ ।

(व्यवधान)

यह विभाग भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंस गया है पूर्व मंत्री जी बैठे हुए हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उस जिले से आता हूँ, जिस जिले से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चुनकर आते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अगर अंगुली उठाते हैं, तो उधर से जवाब मिलता है कि हमारे नेता की नीयत साफ है। जब जनप्रतिनिधि व्यूरोक्रेसी की तरफ अंगुली उठाता है, तो जनप्रतिनिधि का प्रतिकार किया जाता है। एक तरफ सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, गाँवों के विकास के लिए पैसा नहीं है दूसरी तरफ पैसा व्यर्थ खर्च किया जा रहा है। जे० आर० वाई० का पैसा लेकर कोनीपुर राय घाट पर बाँध बनाने के सम्बंध में मैंने एक्स० ई० एन० से कहा कि इस बांध के निर्माण में उसी इलाके के रहने वाले बेरोजगार नौजवानों को काम पर लगाया जाए, तो वहाँ के एक्स०ई०एन० ने पैसा वापस कर दिया।

जवाहर रोजगार योजना के पैसे को वापस करने का काम किया है। रोहिन नदी के कटान को रोकने के सम्बन्ध में 3.50 लाख रुपये दिए गए। इस पैसे का दुरूपयोग रोकने के लिए मैंने एक्स० ई० एन० से बात की तो उन्होंने उस पैसे को फेंक दिया। आज यह सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सर से पाँव तक लिप्त है। बाल-विकास परियोजना के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के अधिष्ठाता महोदय भी बैठे हैं और मंत्री जी भी हमारे क्षेत्र के हैं। बाल-विकास परियोजना में कुछ कार्य नहीं हुआ है। अम्बेडकर नगर बनाने की बात होती है। हमारा गाँव अम्बेडकर गाँव में आता है। जब कोई बात होती है तो लिखकर दे दिया जाता है कि वहाँ पर पंचायत भवन है, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए चिकित्सालय है। शिक्षा के लिए स्कूल है। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पंचायत भवन नहीं है। चिकित्सालय नहीं हैं। मैंने इस संबंध में लिखकर भी दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे क्षेत्र के मंत्री जी और अधिष्ठाता महोदय मौजूद है, वह भी सुन लें बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग सरकार मैं बैठे हुए हैं, हमारे गाँव में 80 प्रतिशत की आबादी [***] की है।

श्री अधिष्ठाता–

[***] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री गनपति सिंह–

यह अनुसूचित जाति के लोगो की सरकार है। अनुसूचित जाति की सरकार, शासन में अम्बेडकर गाँव में पंचायत भवन नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय नहीं है। "हाय रे दलितों की सरकार" आज अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगो का शोषण हो रहा है। एक हजार रुपये से लेकर 12 सौ रुपये की खुल्लम-खुल्ला घूस ली जा रही है। किसी में दम नहीं है, जो उनको रोक सके। हरिजनों के जो घर बन रहें हैं, उनमें एक ईटा मार दो तो वह घर गिर जायेंगे। वाह रे सरकार। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के जमाने में भ्रष्ट व्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधियों की सुनती नहीं है। भ्रष्टाचार आज इस विभाग में पूर्ण रुप से व्याप्त है। आज जो बजट रखा गया है, उसमें इस भ्रष्टाचार को रोकने

[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

का कोई प्राविधान नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ तथा इस पर रखे गए कटौती के प्रस्ताव का सर्मथन करता हूँ ।

श्री मुक्ति नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभरी हूँ जो आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया । मान्यवर अभी हमारे पूर्व साथी बोल रहे थे लेकिन वह अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे ऐसा लगता है कि वह गलत जगह पर बैठ गये हैं । उनका मन तो कहीं और है और उनका स्थान बदल गया है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि यह पहली सरकार है जिसने 2 लाख 14 हजार, 784 बोरिंग का लक्ष्य रखा है । जो पिछले रिकार्ड रहे हैं उनमें यह सर्वाधिक है । गांवों के विकास के लिए जो लक्ष्य रखे गयें हैं चाहे वह जवाहर रोजगार योजना है, चाहे ग्रामीण अभियन्त्रण की योजना है, उन योजनाओं पर इस सरकार में ध्यान दिया गया है । मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ वह पूरी तरह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है । जब मुलायम सिंह यादव जी पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होने बेलवा तिघरा बंधे के लिए 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी ।

लेकिन इसके पूर्व जो सरकार माननीय गुप्ता जी और कल्याण सिंह जी की थी, मेरे क्षेत्र का पैसा काटकर दूसरे जिले को भेज दिया गया था । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का जो हक मारा गया है वह पूरा किया जाय । उस बंधे से लगभग 52 गांवों का बचाव होता है उस बंधे के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जवाब दें । मेरी प्रार्थना है कि उस बंधे के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाय । मान्यवर, मेरा क्षेत्र जलप्रदूषित क्षेत्र है । पिछली सरकार के समय में वहां पर इंडिया मार्क–2 हैंड पम्प लगाने का जो लक्ष्य रखा जाना चाहिये था वह नहीं रखा गया । पिछली सरकार राम राज्य की सरकार थीं, राम की कृपा वाली सरकार थी और राम के भरोसे चली गयी और इस क्षेत्र पर राम की कृपा नहीं हुई केवल मुलायम सिंह की कृपा होती है जब वह मुख्य मंत्री होते हैं, उन्हीं के समय में यहां पर विकास की योजनायें लागू होती हैं । मेरे क्षेत्र में पूरा ही जल प्रदूषित हो गया है । वहां पर पीने के पानी की समस्या है । वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए । मैं चाहता हूँ कि वहां पर अधिक से अधिक इंडिया मार्क–2 हैंड पम्प लगायें जायं । पटेल कमीशन ने भी हमारे क्षेत्र के विकास की संस्तुति की थी । मैं बार-बार विधान सभा में यह बात दोहराता हूँ कि पटेल कमीशन की संस्तुतियों के अनुसार वहां पर विकास किया जाय । लेकिन वहां के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र जनपद देवरिया का रुद्रपुर है । मैं चाहता हूँ कि वहां पर इंडिया मार्क-2 हैंड पंपों का लक्ष्य बढ़ाया जाय । वहां पर जो लघु सिंचाई की योजना है उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है । वहां पर जो ऊसर जमीन है उसके सुधार किये जाने की आवश्यकता है। सिंचाई के संबंध में वहां पर जो लक्ष्य रखे गये हैं वह पूरे नहीं हो पाते हैं । मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और विकास की योजनायें इस क्षेत्र में लागू की जायं जिससे इस क्षेत्र की जनता का विकास हो सके ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के द्वारा रुद्रपुर से नकइल मार्ग जो बना था, बाढ़ से वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां पर पुल के अभाव में आवागमन बाधित होता है, 52 गांव इने का वह एक मात्र रास्ता है, माननीय मंत्री जी जब वहां पर गये थे, तो वहां पर उन्होंने क की थी और निरीक्षण भी किया था। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* श्री स्वयंबर चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अभी जो ग्राम्य विकास विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और उस पर हमारे साथी माननीय बदन सिंह नें जो कटौती पेश किया, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मैं थोड़े समय में कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं 10 वर्ष तक ब्लाक प्रमुख रहा हूँ, यह जो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है इसमें इतनी धांधली होती है कि इसका कहीं पर जो समुचित रूप है, वह विकास खण्डो में आ नहीं पाता है। यह जो नशबन्दी का कार्यक्रम परिवार कल्याण का है, उसमें जोड़ दिया जाता है। जो प्रभावशाली आदमी है, तो उसका लाभ उस आदमी को मिल जाता है।

जो गरीब आदमी को लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है। इस नाते जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको वह लाभ नहीं मिल पाता है। तो वह बड़े लोगों को मिल जाता है। तो माननीय मंत्री जी की तरफ से विकास खण्डों को यह आदेश दिया जाय कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में न जोड़े, तभी उन गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के लोंगों को लाभ मिल सकता है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ, जो मानक फ्री बोरिंग की बात बताई गयी है, जिन हमारे गरीब भाई की फ्री बोरिंग होनी है, 3-4 हजार रु० जो उनको दिया जाता है, वह मजदूरी ही में लग जाता है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और वह उसी तबके के है, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों की जो फ्री बोरिंग होनी है, उसका धन और बढ़ाया जाय, जिससे कि गरीब लोगों की बोरिंग हो जाय। मैं ब्लाक प्रमुख था और हमको जानकारी है, 3-4 हजार रु० में बोरिंग नहीं हो पाती है और उसका धन बढ़ाया जाय, जिससे कि गरीब लोगों की बोरिंग हो जाय और जो सरकार की मंशा है। तब जाकर उनको लाभ मिल पायेगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हैंड पम्प लगना है, और बजट में जो प्राविधान माननीय मंत्री जी ने किया है, वह तो बहुत कम है, लेकिन उसके साथ-साथ यह प्राविधान नहीं किया गया है कि जो पहले से लगे हैं, वे हैंड पम्प उन अनुसूचित और दलित लोगों के बीच में जो लगे है, और वह खराब पड़े हैं, उनको ठीक करने की व्यवस्था के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अपनी तरफ से यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें उसका प्राविधान करके ठीक करावें, जिससे कि गरीब लोगों को पेय-जल की सुविधा उपलब्ध हो सके और उनको पेय जल मिल सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो बैंक से ऋण दिया जाता है एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वह अनुदान पैसा हमारा बैंक में चला जाता है। बैंक के कर्मचारी हमारे नियंत्रण में नहीं रहते हैं इसलिए एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में जो लाभार्थी ऋण लेते हैं उसको बैंक का मैनेजर उसका अधिकारी तभी ऋण देता है जब वह उस धन का आधा पैसा ले लेता है इसलिए जो अनुदान का पैसा सरकार देती है वह ग्राम्य विकास का पैसा जाता है वह विकास खण्डों में रहे तो ठीक होगा। यह सरकार यह निश्चित करे कि चाहे जिला सहकारी बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई भी जो भी बैंक हो उनका लक्ष्य निर्धारित कर दे कि इतना ऋण विकास खण्ड में देना है और जो अनुदान का पैसा मिलना है वह विकास खण्डों में जाय तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो बेइमानी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत ही अच्छा है जो क्षेत्र के विकास और जनभावनाओं को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, जो इसमें सिंचाई की व्यवस्था, पेयेजल की व्यवस्था और ग्रामीण अंचलों में जो सड़कों या शौचालयों की व्यवस्था इस बजट में की गयी है वह सरकार की सही दिशा को देखते हुए और लाभ को देखते हुए ही बजट में रखी गयी हैं। मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों द्वारा जो शौचालय बनाये गये हैं या इंदिरा आवास और जवाहर योजना के अन्तर्गत बनाये गये आवास हैं वह सब इतने कमजोर और जर्जर हालत में बनाये गये आवास हैं जो आधे से ज्यादा ध्वस्त हो चुके हैं। मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ आप वही मऊ जनपद के प्रभारी और गोरखपुर मण्डल के प्रभारी मंत्री जी हैं। आप हमारे जनपद मऊ में गये थे और मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं से आपको अवगत कराया था।

पिछली सरकारों ने जो इंदिरा आवास बनाये थे वह लगता है कि अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर बनाया था या वह कमजोर हालत में ही बनवाये गये थे कि बनते देर नहीं और वह गिर गये। मैं अपनी सरकार से चाहूँगा कि जो पिछली सरकारों द्वारा इन स्कीमों के तहत आवास बनवाये गये हैं उसमे सुधार किया जाय और मैं एक सुझाव अपनी ओर से देना चाहता हूँ कि जो इंदिरा आवास और जवाहर आवास की व्यवस्था की गयी है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रहने की व्यवस्था करने के हेतु उसी में एक डा० बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक नई स्कीम चलाई जाँय और इस योजना में कुछ धन बढ़ाकर गाँवों में आवास बनवाये जाँय जिससे गरीबो को ज्यादा लाभ और सुविधाएं मिल सकें। जो पुराने आवास बन गये हैं उनको तो देखें लेकिन जो नये आवास अम्बेडकर के नाम से बनवाये जाँय उनका धन और बढ़ाया जाय।

मान्यवर, जो एकीकृत योजना के अन्तर्गत गाय, भैंस, बकरी, सुअर के लिए जो धन दिया गया था उसका 50 फीसदी अनुदान था उसको बैंक वाले पिछली सरकारों की नीयत न ठीक होने के कारण वह अनुदान उन गरीब लोगों के हाथों में नहीं गया और लोग अनुदान खा गये और

अब वह गरीबों से वसूला जा रहा है, उनको बन्द किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जिनको 50 प्रतिशत अनुदान नहीं मिल पाया है उनकी व्यवस्था कर लाभार्थियों को धन देने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए बदन सिंह जी से कहूँगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

* श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मान्यवर, प्रस्तुत ग्राम्य विकास के बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ जनता दल का कोई सदस्य नहीं है, कांग्रेस का सदस्य नहीं है, उनको अपनी ओर से जवाब देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया गया है कि पंचायती राज विधेयक पर.....।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राम विकास के बजट पर अपनी बात रखिये।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मैं पंचायती राज पर बोलना चाह रहा था आपने मौका नहीं दिया, ग्राम्य विकास पर बोल लेता हूँ। मैं आपका ध्यान ग्राम्य विकास विभाग की जवाहर रोजगार योजना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तकरीबन 176 ग्राम सभायें हैं और जैसा कि सत्तापक्ष के कई विधायकों ने अभी कहा कि सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि यदि सरकार की नीयत ठीक ही है, तो हम बाकी कुछ नहीं चाहते हैं, पिछले एक वर्ष में एक रुपया भी जे०आर०वाई० में ग्राम प्रधानों को नहीं मिला है। वह रुपया जिलों में आया है वह पड़ा हुआ है जिले में। पता नहीं किस वजह से वह रुपया प्रधानों को नहीं दिया गया है। वह रुपया उनको मिल जाय तो अपने गांव की छोटी मोटी समस्याओं का वह निदान कर सकते हैं।

एक सदस्य–

एक वर्ष पहले तो माननीय गुप्त जी थे।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

एक वर्ष पहले राष्ट्रपति शासन लागू था, उसके बाद आप सत्ता में आ गये, आपको सत्ता में आये 4 महीने हो गये हैं चार महीने में आपने क्या किया? मेरे क्षेत्र में किसी भी ग्रामसभा को एक भी पैसा नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी को पता न हो तो कृपा कर मालूम कर लें विधान सभा क्षेत्र तिलोई, जिला रायबरेली में किसी ग्राम सभा में नहीं पहुंचा है रुपया। किसी प्रकार का विकास कार्य पिछले एक वर्ष में अगर पूरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी हुआ है तो उसका ब्यौरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मुझको दे दें मैं आपका आभारी रहूँगा। इंदिरा आवास में जो पैसा खर्च किया जाता है वह इतना कम है कि किसी भी ग्राम समूह में ग्राम प्रधानों को इतनी तकलीफ होती है कि उनको बनवाने में झंझट करना पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूरे तरीके से ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सेवक के अंडर में उसको काम करना पड़ता है। किस तरह का ईंटा चाहिये, ग्राम प्रधान चाहते हुए भी अच्छी ईंट नहीं लगा सकता है। क्यों कि ग्राम सेवक भट्टा मालिकों से ढाई सौ प्रति हजार कमीशन लेता है उस कमीशन की वजह से परियोजना में अच्छी ईंट नहीं लग पाती है। जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में है इन योजनाओं में जिसकी कोई सीमा नहीं है और जैसा कि माननीय सदस्य कहते भी रहे हैं सत्ता पक्ष के कि सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिये। मुझे नहीं लगता है कि सरकार की नीयत ठीक है। अगर नीयत ठीक होती तो इन सब चीजों पर अंकुश लगने की कोशिश हुई होती कुछ कोशिश होती तो हम सराहना करते। माननीय बदन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको देखते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

* श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूँ। यह ग्राम विकास बहुत ही अहम विभाग है और इसमें करोड़ों रुपया सरकार का गांव की जनता के लिए खर्च किया जाता है और जहां पर आर्थिक मामला आता हैं वहां पर कहीं न कहीं घपला अवश्य होता है। तो मेरा सुझाव यह है कि इस घपले को रोकने के लिए जब तक जनप्रतिनिधियों के हाथ में कोई चीज नहीं सौंपेंगे तब तक कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे ट्राइसेम योजना हो या फ्री-बोरिंग हो या चाहे आवास योजना हो अगर उसे सही मायने में जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे जनप्रतिनिधियों के हाथ में सौप दें। क्योंकि हम लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और इससे आप अधिकारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। क्षेत्र की जनता हमीं लोगों से शिकायत करती है कि ग्राम के प्रधान ने पैसा खा लिया या किसी और ने खा लिया।

मान्यवर, आज जो सड़कें बन रही हैं वह ठीक नहीं बन रही हैं तो मैं यह चाहूँगा कि इसमें विधायकों को यह अधिकार दिया जाये कि जब तक वह यह न कहे कि ठीक है तब तक पेमेन्ट न दिया जाये और अगर गलत बनती है तो उस जे०ई० या और जो दोषी पाया जाये उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये या उस ठेकेदार से पैसा वापस लिया जाये। बहुत सी सड़कें आज ऐसी हैं जहां पर मिट्टी तक नहीं पड़ी है और पेमेन्ट कर दिया गया है और जब दोबारा स्कीम बनती है तो उसी सड़क पर मिट्टी डालने का पैसा दोबारा ले लिया जाता है इसलिए मैं यह चाहूँगा कि विधायकों की एक कमेटी बनायी जाये ताकि यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है यह खत्म हो सके। इसी के साथ मैं इस बजट की सराहना और समर्थन करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजा राम त्यागी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं रायबरेली जिले के बछरावां विधानसभा से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मान्यवर, ग्राम विकास के मामले में यह कहना चाहता हूँ कि जो भी योजनाएं है उसमें काफी घपले होते हैं। 10 मिलियन कूप योजना जो है वह ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास खण्ड द्वारा निर्मित की जा रही है। उसमें भारी अनियमितताएं पायी जाती हैं। पहला तो यह है कि जो कूपों का निर्माण किया जाता है वह गांव से बाहर बनवाये जाते हैं। पेयजल के लिए उन्हें गांव के नजदीक होना चाहिए। इसी तरह से पेयजल के लिए उपयोगी स्थिति नहीं है। 10 मिलियन कूप योजना के अंतर्गत जो नालों की खुदाई होती है वह खण्ड विकास अधिकारी द्वारा होती है उसमें घास की सफाई तो होती है लेकिन नालों की सफाई अच्छी तरह से नहीं होती है वैसे तो यह सिंचाई विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ योजना ग्राम विकास के माध्यम से भी की जाती है।

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बछरावां विकास खण्ड का उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, महाराजगंज विकास खण्ड में कुसुमछुरा बछरावां विकास खण्ड में पड़ीराखुर्द और सहन जगतपुर तथा शिवगढ़ विकास खंड में बऊदौकला तथा बऊदाखुर्द सूरजपुर इन तीनों स्थानों पर पेयजल का संकट है। वहां पर ग्रामीण लोग जब कुंओं में अपनी वाल्टी डालते हैं और उसके बाद ऊपर खींचते हैं तो वह पाते हैं कि पानी बहुत गन्दा कीचड़ है। काफी देर रखने के बाद वह पानी साफ होता है तो कही पीने योग्य होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे गम्भीर पेयजल संकट के बारे में निश्चित रूप से अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करायें। अभी हाल ही में मैंने रायबरेली में जिलाधिकारी को पेयजल संकट के बारे में अवगत कराया। पूरा गांव परेशान है। वहां पर इण्डिया मार्का–2 पम्प नहीं लगे हैं, उस गांव में नलकूप लगे हुए हैं और पानी का जलस्तर काफी नीचे आ गया है। लेकिन जिलाधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। पेयजल संकट बना है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजा राम त्यागी–

मान्यवर, हम चाहते हैं कि वहां पर अधिक से अधिक इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पाइप लगाये जायें। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पाइप लगे हुए हैं उनमें बहुत से खराब स्थिति में हैं। जब हम इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता से मिले तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा हमें नहीं मिलता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि

[5 बजकर 20 मिनट]

इसके मेन्टीनेन्स के लिये अलग से बजट भी आपके द्वारा होना चाहिए। मैं माननीय बदन सिंह जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

* श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को दो-चार बातें बताना चाहता हूँ। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के नाम के जितने भी ग्राम्य हैं, उनमें जो भी सड़कों का निर्माण हो रहा है– पहली बात तो उनमें सही ढंग से गिट्टी नहीं डाली जा रही है । दूसरी बात उसके ऊपर तारकोल से सनी हुई गिट्टी डाली जा रही है और रोलर नहीं चलाया जा रहा है। मान्यवर, डामर का पानी बहुत बड़ा दुश्मन होता है, जो गिट्टी डाली गयी है वह रोलर रहित है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि रोलर रहित मार्ग पर रोलर चलवाने की कृपा करें। मान्यवर, मेरे विधान सभा सलोन में सई नदी है। यह नदी इस क्षेत्र के सीने को चीरती हुई बह रही है। स्थिति यह है कि सई नदी के किनारे जितने भी ग्राम बसे हैं, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, अभी कुछ गांव में वहां आग लगी और आग बुझाने के लिये पानी नहीं मिल सका।

मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि हैण्ड पाइप की व्यवस्था करें ही लेकिन कुंओं का निर्माण भी करायें। बहुत से ऐसे कुएं हैं जो थोड़ी लागत में तैयार हो जायेगे। कुआं एक ऐसा जलश्रोत है जिससे हर वक्त पानी प्राप्त हो सकेगा। दूसरा सुझाव यह है कि मेरे विधान सभा के एक ग्राम सभा के अंदर शौचालय बनाया गया, कागज पर तो वह शौचालय बना, पैसे का भुगतान भी हो गया, लेकिन आज आप उस गांव में जायें तो एक भी शौचालय आपको नहीं मिलेगा। सरकार की नीति और नीयत को जनता में साफ तरीके से दर्शाने के लिये यह अपने विभाग के ऊपर सख्ती करें और इसकी जांच करायें। हम लोग एम० एल० ए० हैं लेकिन आज भी साईकिल से चल रहे हैं, इनके विभाग का अधिकारी आता है जिसका वेतन भी हम से कम है वह राजदूत से चलता है। जब तक वह अधिकारी गांव के प्रति गरीब व्यक्ति से पांच-पांच सौ रुपया नहीं ले लेता है, तब तक उसकी कालोनी नहीं बनती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय बदन सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्रीमती सुशीला सरोज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश खेत-खलिहान, गाँवों का देश है, यह बात कई मंचों से दोहरायी जाती रही है। प्रथम बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1989 में बजट पेश किया और बजट की धारा गांवों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ मोड़ दिया था। इस वर्तमान सरकार में भी वित्त मंत्री के रूप में मुख्य मंत्री जी ने 70 प्रतिशत बजट गांवों की तरफ मोड़ दिया है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है। महिलाओं के लिये शौचालयों का निर्माण पुनः चालू किया जाये। और पीने के पानी के लिये इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जाये, सबसे तकलीफ महिलाओ को पानी के लिये होती है। महिलायें काफी दूर-दूर तक जाकर कुएं से पानी भरकर लाती हैं, जिससे उनके समय का दुरुपयोग होता है। मैं माननीय सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहती हूँ कि गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जाये।.....

जिन ग्रामों की विकास योजना चल रही है, उसे पूरा किया जाय। श्रीमन् बिजली और पानी गांवों की मुख्य समस्या है। ग्राम्य विकास के अन्तर्गत महिलाओं के लिये कार्यक्रम लागू किये जायं, होता यह है कि महिलाओं को इसमें भागीदारी नहीं मिल पाती है, मालिकों से उनका सीधा सम्पर्क होना चाहिए, बिचौलिये लोग उनकी मजदूरी का भाग खा जाते हैं, उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का सीधा मालिकों से सम्पर्क होना चाहिए जिससे कि उनको मजदूरी का पूरा लाभ मिल सके, महिलाओं को पूरा-पूरा लाभ मिलना चाहिए, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फर नगर)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह ग्राम्य विकास का बजट है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बजट की धनराशि बढ़ा दें, इस बजट में जो धनराशि आवंटित की गयी है वह कम है। जिस प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गाँव में रहती है, इस बजट में जो पैसा है अब अपर्याप्त है। आपके माध्यम से मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसे न बढ़ने दें, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप नौकरशाही से थोड़ा ऊपर उठें। मैं कुछ उदाहरण और तीन-चार सुझाव देना चाहता हूं। भारत सरकार की एक योजना चल रही है दस लाख की योजना है, काफी समय से चल रही है, मुझे भी इसकी बैठक में बैठने का मौका मिला है। यह मिलियन वेल स्कीम भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में गाईड लाइन्स दी हैं कि अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल ही व्यय किया जाय, परन्तु जो पैसा आता है, उसे अधिकारी ही खा लेते हैं। पैसा खाने के उद्देश्य के कारण मिलियन वेल्स स्कीम के कच्चे कार्यों में, मिट्टी के कार्यों में, मिट्टी की ही तरह धन मिट्टी मे लिया जाता है, जबकि यह कार्य चेक मार्ग, निर्माण कार्य किसानों के लिये शामिल किये जायँ।

हमारे जनपद में मिलियन स्कीम द्वारा यदि कृष्णा, हिन्डन नदियों में चेक डेम बना दिये जाँय तो जल स्तर भी ऊँचा आ जायेगा, इससे किसानों को फायदा होगा, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है, कई अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं जिससे ऐसा नहीं होता है, मेरा आपसे अनुरोध है

कि इसे दिखवा लें, साथ ही निर्देश आज ही जारी करें कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल ही मार्ग आदि पर मिलियन स्कीम का पैसा व्यय किया जा सके। जी० आर० टी०, पी० डी०, सी०डी०ओ० एवं ए० पी० सी० में से कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भूमि संरक्षण विभाग द्वारा यह कच्चा काम करवा दिया जाता है। मान्यवर, दूसरी समस्या पेयजल की है, जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वह ऊपरी सतह पर ही लगे हुए हैं, नीचे की सतह तक नहीं लगाये गये हैं जिससे कि उन हैण्ड पम्पों मे पानी ही नहीं आता है, अप्रैल महीने में ही यह समस्या उन हैण्ड पम्पों में हो गयी है, पचासों हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, इन पर लगने वाला पैसा संबंधित अधिकारी खा जाते हैं। इसे भी माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक दिखवा लें। इसमें धन का दुरुपयोग हो रहा है।

मान्यवर, एक बायोगैस का मामला है, इसके लिये आवंटित धन ग्राम्य विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी ही खा जाते हैं, इसकी जाँच करायी जाय क्यों कि पचास फीसदी बायोगैस प्लान्ट चलते ही नहीं है, पी०डी० ओ० एवं वी०डी०ओ० और कहीं-कहीं ग्राम प्रधान भी मिलकर इसका पैसा खा जाते हैं। पुष्टाहार योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और यहाँ घटिया किस्म का आहार बच्चों को दिया जाता है, इससे बीमारी और रोग पलते हैं। मेरा सुझाव है कि जनहित में पुष्टाहार योजना में आहार क्रय करने हेतु जिला स्तर पर माननीय विधायकों और सांसदों की एक समिति बनायी जाय, उसमें कार्य कराया जाय, इसमें जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी रहें, गुणवत्ता की जिम्मेदारी सी०एम०ओ० की हो। मान्यवर, आर०ई०एस० के संबंध में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कार्य बहुत कठिन स्तर का है, यहाँ के एक मुख्य अभियन्ता श्री सिद्दीकी इस प्रदेश के बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्टाचार में गंगोत्री का कोई ऐसा छींटा नहीं है जो सिद्दीकी जी के दामन पर न हो, जे०ई० तक से पैसा लेते हैं, सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो इस भ्रष्ट अधिकारी को रखे हुए हैं, भ्रष्टाचार इतना है कि जे०ई० और ए०ई० जो काम करते हैं वह भी पैसा देते हैं। मान्यवर, मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि तीन-चार मार्गों पर इस्टीमेट ज्यादा पैसा का बना, शिकायत की गयी तो कम हो गया, जैसे गौसगढ़ में 77 हजार का इस्टीमेट था, जो घटकर केवल सात हजार ही रह गया, शिकायत के बाद काम हुआ, मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया, मास्टर रोल कायम किया गया है। एक मार्ग करोदा बिजली घर से दाकुला तक है, इसका इस्टीमेट 45 हजार रुपया का था जो कि शिकायत करने से कम हुआ। इसको चार साल पहले मेरे द्वारा निर्मित करायी गयी थी, नौ हजार में काम हो गया।.....

आपके जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं, वह कहते हैं कि यह हमारी मजबूरी है। सिद्दीकी को हमें इतना रुपया देना है, नहीं तो हमारा ट्रान्सफर हो जायेगा। प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, उनकी उन्नति के लिए आप जो जनता के बीच उनको आशान्वित करके आते हो, वह पैसा उन्हीं पर खर्च हो परन्तु आज आप उस पैसे को सिद्दीकी को खाने के लिए दे रहे हो। आप इसे पूरे प्रदेश में दिखवा लें। कई

इस्टीमेट ऐसे हैं, जो बहुत ज्यादा के थे परन्तु जब उनकी शिकायत की गयी और जाँच की गयी तो वह बहुत कम के मिलें। आप इसकी जिम्मेदारी केवल जे० ई० व ए० ई० पर न डालें बल्कि सीधे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर पर डालें।

आई०आर०डी०पी० व ट्राईसेम योजना के तहत जो चयन की प्रक्रिया है, उसमें गाँव सभाओं की बैठक में इसका चयन होता है परन्तु आज तक गाँव सभाओं में खुली बैठक हुई ही नहीं। आपके ग्राम्य विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी मिलकर के जिन लोगों को चाहते हैं, उन्हें लाभार्थी मान लेते हैं और उन्हें पात्र व्यक्ति मान लेते हैं। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्य तड़पते रहते हैं। अपात्र व्यक्ति को पात्र मान लिया जाता है और पात्र को अपात्र। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं नाम लेकर बता सकता हूँ। इसलिए माननीय मंत्री जी आप इस फर्जीफिकेशन को रोकें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, नहीं तो आप अम्बेडकर की इच्छा को पूरा नहीं कर पायेंगे। चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को तो आप लपक भी नहीं पायेंगे। वह तो भ्रष्टाचार के कतई खिलाफ थे।

निर्बल आवास बन रहे हैं। ये बनते बाद में हैं, गिर पहले जाते हैं। यूकेलिप्टस के दरवाजे लगाये जा रहे हैं। एक भी लाभार्थी आप ऐसा ला दें, जिसने पैसा जमा न किया होगा। यदि एक भी धक्का मार दिया गया तो न तो आपका निर्वल ही रहेगा और न निर्वल आवास ही रहेगा। अब परम्परा तो रही नहीं, परन्तु आपके अन्दर भी किसान का खून है। इसलिए मान्यवर, आप मंत्री जी को निर्देशित कर दें कि जो आरोप मैंने लगाये हैं, उनकी जाँच की जाय, मैं जानता हूँ कि आपकी यह दिक्कत है परन्तु आप ए०पी०सी० से तो बात कर लें। हिन्दुस्तान और इस प्रदेश के गाँवों में पशु ही नहीं पशु पालक भी रहते हैं। परन्तु आपके जो ए०पी०सी० हैं, उनकी गाँव विरोधी नीति हैं। उन्होंने मण्डी परिषद् का नाश किया। सड़के रुकवा दी। आज वह विकास के कामों को भी रोक रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी यदि आपको विभाग चलाना है तो आप अपने ए०पी०सी० पर कंट्रोल कीजिये। उनकी गाँव विरोधी मानसिकता है, इसलिए आपको इसे धोना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मेरी मजबूरी है कि मैं श्री बदन सिंह जी द्वारा, जो मेरे बुजुर्ग भी हैं, प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल –

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और काफी लम्बा बजट है इसलिये एक-एक मिनट सब को बोलने के लिये दे दीजिये।

श्री बदन सिंह –

मैं कम बोलूंगा, इसलिये मेरा समय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता

काफी माननीय सदस्यों के विचार आ गये हैं समय भी काफी हो गया है।

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश–

एक एंक विन्दु पर एक एक सदस्य बोलेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में सुझाव दे दें।

*श्री छोटे लाल वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गांवों का विकास किस प्रकार होगा इसके लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं किया है। जहां कहीं खण्ड विकास के कार्य किये जाते हैं उन सब में धांधले बाजी की जाती है उस पर कंट्रोल लगाने के लिये कोई घोषणा नहीं की गयी है। डी०आर०डी० में जो पैसा दिया जाता है उसका कहीं उपयोग नहीं होता है, जो सड़कें बनती हैं उनमें बहुत कम मिट्टी डाली जाती है अधिकारी प्रधान से मिल कर पैसा खा जाते हैं। जो लोन किसानों को सैंक्शन होता है उसमें से 5 सौ रुपया काट कर किसानों को मिलता है। नलकूपों के बोरिंग का काम फ्री होता है उसको किसानों से कराया जाता है और मस्टर रोल में मजदूरी दिखा दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री छोटे लाल वर्मा–

जो भी काम गांवों में होते हैं उन पर देखरेख करने के लिये अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। निर्वल आवास वर्ग योजना के अन्तर्गत जो आवास बनाये जाते हैं वह बहुत कमजोर बनाये जा रहें हैं जो धक्का लग कर ही गिर जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री छोटे लाल वर्मा–

जो काम आप गांवों के लिये करते हैं उनकी चैकिंग के लिये उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगायें।

* श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी –

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग के कार्यकलापों पर रखा है मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि समय कम है इसलिये केवल एक इकाई के संबंध में जिसका संबंध लगातार गांवों से संबंध रखने वाली इकाई से है उसके संबंध में इस सदन में एक बात रखूंगा मैंने कई बार इस सदन में प्रयास भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो सबसे भ्रष्ट विभाग है उसकी जानकारी सदन में कराई जाय। मैं इस सरकार को इस विषय में आगाह करना चाहता हूँ। हमारे एक माननीय सदस्य आर० ई० एस० पर बोल कर चले गये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस विभाग में जो मुख्य अभियन्ता हैं उनको खुली छूट मिली हुई है जिसकी बात पिछले समय में सदन में आ चुकी है। उन्होंने तीन सौ जे०ई० की मनमाने ढ़ंग से नियुक्तियां की हैं और मनमाने ढ़ंग से पैसा लेकर किया है पिछली सरकार में आपने उसे खुली छूट दे रखी थी। मनमाने तरीके से पैसा लेकर एक जाति और समुदाय के लोगों को स्थान दिया गया है।

....वर्ष 1989 में जब सरकार गठित हुई थी, तो जो नेता सदन आज हैं वही उस समय भी इस सदन के अगुवा थे तो पिछली सरकार में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण सेवा) के पद पर श्री सिद्दीकी थे और उन्होंने 300 जे०ई० को पैसे के बल पर एक ही जाति के लोगों को सबसे ज्यादा स्थानों पर नियुक्त किया था। फिर उन्हें शारदा सहायक परियोजना में प्रशासक के पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार आयी तो बहुत से भ्रष्टाचार के कारणों को देखते हुए उन्हें तत्काल निलम्बित किया और निलम्बित करने के बाद राज्यपाल शासन के समय में फिर कांग्रेस के लोगों की मिलीभगत से श्री सिद्दीकी को प्रशासक से आर० ई० एस० का निदेशक बना दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका जिप्पी जी समय समाप्त हुआ। आप बैठ जायें। कई सदस्य कहने लगे हमें समय दिया जाये।

जिन माननीय सदस्यों के विचार नहीं आये हैं वे कृपया लिखकर मंत्री जी को दे दें।

श्री बदन सिंह आप बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि भ्रष्ट आर० ई० एस० निदेशक को उस पद से हटाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं श्री बदन सिंह द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, श्री रमेश पोखरियाल को बोलने का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

श्री रमेश पोखरियाल (निशंक)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया।

मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र की स्थिति पूरे प्रदेश से भिन्न है। मान्यवर, वहां जो भी योजनायें लागू की जाती हैं वे सब यहां लखनऊ के एयर कन्डीशन बंगलों मे बैठकर बनायी जाती हैं इसलिए वे पहाड़ों पर ठीक से लागू नहीं हो पाती हैं। कहा कि मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में 80 प्रतिशत महिलायें हैं, पुरुष रोजी रोटी के लिए पलायन कर चुका ही है आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के अनुरूप योजनायें बनायी जानी चाहिए। योजनाओं में उनकी सहभागिता जरुरी है, अन्यथा सब विकास योजना खानापूर्ति बन जायेगी। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि लघु सिंचाई की पौड़ी चमोली में जितनी योजनायें बनी हैं मैं चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि उनमें 20 प्रतिशत भी योजनायें गत् पांच वर्षों में सफल नहीं हुई हैं। गूले बनने से पहले टूट गई हैं। मान्यवर, आई० आर० डी० योजना में जितनी लोनिंग हुई है वह अधिकांश कहा है एक-एक बेल/पर 10–10 बार हुई है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और विभाग को निर्देशित करें कि इसमें ध्यान दिया जाय।

..मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां तक कृषि के विकास का संबंध है तो मैं सदन को बताते हुए मांग करता हूं कि पौड़ी में ई० टी० सी० को जो पहले चलता था दुर्भाग्य से उसे बन्द कर दिया गया है, इसलिए इसे तत्काल चालू कराया जाय। क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं वही पर रहते हुए वहीं के छात्र को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

आजकल पहाड़ पर पर्यावरण थोपा गया है इसलिए राष्ट्रीय वायु गैस योजना और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा की पर्वतीय क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर ये वहां उपलब्ध कराया जाना चाहिए। डी० पी० ए० पी० के सम्बन्ध में तो यह कहना चाहता हूं कि उसकी पहाड़ पर और खास कर पौड़ी में अगर जांच कराई जाए तो वहां पर 10 परसेंट भी इसमें काम नहीं मिलेगा इसकी सशक्तता से जांच होनी चाहिए चुनौती पूर्वक कह रहा हूं कि अगर 20 परसेंट वस्तुस्थिति में काम पाया गया तो भी मैं सन्तोष कर लूंगा। बल पूर्वक कह रहा हूं इनकी जांच के आदेश आप द्वारा दे दियें जाएं और सभी योजनाओं को सही रूप में कार्यान्वित करने के वहां से आदेश दिए जांए। तभी योजनाओं की सार्थकता है।

* श्री बदन सिंह–

भूगर्भ जल संरक्षण और भूगर्भ जल विभाग के अन्तर्गत जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास 8 रेस्टीविटी मीटर रीडर हैं, वह पूरी तरह दोषपूर्ण और मरम्मत किये हुए हैं। यह अपने निर्धारित कार्य को कर सकने में सफल नहीं हैं। इस काम में इनका कोई प्रयोजन नहीं है। इसका नतीजा यह है कि जहां पानी है, उनसे रिपोर्ट आ जाती है कि यहां पानी नहीं है और जहां पर पानी नहीं है, वहां पर से यह आख्या आ जाती है कि वहां पर पानी है। इसलिए किसान कई-कई बोरिंग कराता है। दोनों दशाओं में उत्तर प्रदेश का किसान मिट रहा है। इन सम्पूर्ण दोषपूर्ण उक्त मीटरों को उत्तर प्रदेश से हटा लिया जाय और आधुनिक कम्प्यूटराइज्ड मीटर प्रदेश में लाये जायें। अल्प

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई विभाग के द्वारा जितनी भी बोरिंग की गई हैं, यह सब फर्जी हैं। किसानों की पूर्व बोरिंग को ही बार-बार दिखा दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन्होंने अपनी कार्यपूर्ति निर्देशिका में लिखा है कि 5 अधिशासी अभियन्ता, 20 सहायक अभियन्ता और 60 अवर अभियन्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही, करेंगे, लेकिन वह यह कार्यवाही तो जांच के आधार पर करेंगे। पर इसके सम्बन्ध में यदि इस माननीय सदन के पांच सदस्यों को जांच दे दी जाय तो इसमें मुख्य अभियन्ता सहित एक भी अभियन्ता ऐसा नहीं बचेगा, जो कार्य करने योग्य हो भ्रष्टाचार मुक्त हो, सभी दोषी सिद्ध माने जायेंगे। बुन्देलखण्ड में किसानों को अनुदान देने के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि निश्चित कर दी गई है। किन्तु इनके अलावा भी बहुत से कठिन स्टेटा के क्षेत्र हैं, जहां पर किसानों ने अपने प्रयास से पत्थर तोड़ मशीनों से बोरिंग कराई है, इसलिए उनके रजिस्ट्रेशन का प्रबन्ध करते हुए उनको भी कम से कम 50 हजार रुपये का अनुदान मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां बुन्देलखण्ड से ज्यादा पाइप बोरिंग में लगता है। इसी तरह शौचालयों की बात है, शौचालय तो बनवायेंगे किन्तु उनको साफ करने के लिए पानी की क्या व्यवस्था की गई है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों मे इसके लिए पानी का बहुत अभाव है, जिससे यह बहुत दुर्गन्ध फैला रहे हैं, इनको साफ करने के लिए कहीं से पानी नहीं मिलता है।

सूखोन्मुख क्षेत्रों में तालाब बनवाने के लिए रुपया दिया गया है, किन्तु जहां पर तालाब बनवाते हैं, वहां पर पानी पहुंचाने के लिए कोई नालियों का पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सूखोन्मुख क्षेत्र मे तालाब बनवाने से क्या लाभ है? इसके साथ ही पानी के निकासी के लिए जो नाली बनवाने की बात है, वहां पर यह तालाब नहीं बनवायेंगे। इस तरह इन दोनों योजनाओं में विरोधाभाष है। तो जहां पानी पहुंचना चाहिए, वहां पर सूखोन्मुख तालाब के लिये पानी नहीं हैं और जहां पानी निकलना चाहिए वहां उस पानी के समायोजन के लिए कोई तालाब नहीं है। इसीलिये मेरा कहना है ग्रामों का विकास किसी भी तरह से सम्भव नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर ग्रामों का विकास करना है तो जो योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको खत्म करना होगा तभी सही रूप से उनका लाभ मिल सकता है नहीं तो नहीं मिल सकेगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं के विषय में कहूंगा कि इस विभाग के द्वारा इनके इन्जीनियर्स इतने योग्य नहीं हैं कि पक्की जमीन पर सड़क बना सकें। इनके द्वारा नदियों में लघु सिंचाई बांध बनाये गये।

मैं आगरे का एक उदाहरण देता हूँ। वहां पर मुर्शकिया के घाट पर जो पुल बनाया गया वह पहली बरसात में टूट गया। मान्यवर, यह गलत उत्तर देने के आदी हैं। मंत्री लोग इनका काम नहीं देखते हैं। इनका कहना है कि मुख्य संरचना नहीं टूटी है।

मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया के अन्दर कोई भी ऐसा बांध नहीं बनाया गया जिसमें मुख्य संरचना के साथ प्रिचिंग न बनायी गयी हो। 80 मीटर एक तरफ से और 20 मीटर एक तरफ से पहली बरसात में 7 जुलाई को बह गया। मान्यवर, आज आर० ई० एस० विभाग के द्वारा जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता हो रही है, उतना कहीं नहीं है। मान्यवर, मदरसे या स्कूल बनाये जायं काम पूर्ण होने से पहले ही वह गिर जाता है। इनके काम को देखने के लिये समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यह लोग पैसा खा रहे हैं। 23 प्रतिशत से अधिक पैसा सही काम में नहीं

लग रहा है। बाकी का 77 प्रतिशत पैसा इन भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है। मान्यवर, अगर इसको नहीं रोका गया तो प्रदेश का विकास नहीं होगा। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मान्यवर, माननीय विधायक, श्री बदन सिंह जी ने जो सवाल किये हैं, आगरा के आसपास में जो कार्य कराये जा रहे हैं ग्राम विकास के माध्यम से, उनमें बहुत धांधलियां हैं, भूगर्भ विभाग के द्वारा धांधलियां की जा रही हैं और ऐसे ही तमाम प्रश्न इससे पूर्व विधान सभा में उठाये जा चुके हैं। आगरा में खारे पानी की भी समस्या है। चूंकि यह जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिये उनको चिन्ता अवश्य है। मैं भी समझता हूँ कि यह दिक्कतें सही हैं। यह ग्राम्य विकास का विभाग बहुत पहले से चल रहा है। जितनी भी शिकायतें और सुझाव हमारे माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर रखे गये हैं, कहे गये हैं, उनमें से ज्यादा में सत्यता है। ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत जो सुविधायें और लाभ गांव में रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए वह सही ढंग में नहीं मिल पा रहा है। मुझे और सभी लोगों को याद होगा कि जो योजना 89 के पहले एन० आर० ई० पी० करके चल रही थी उसी को हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गांव का अच्छे ढंग से विकास हो सके, गांव के मुखिया को ही इसकी जिम्मेदारी दे दी थी। जवाहर रोजगार योजना के नाम से जो योजना थी उसका 80 प्रतिशत धन सीधे ग्राम प्रधानों के पास पहुंचने लगा। और आप लोगों की जो आंशकायें उभरकर सामने आ रही हैं, शिकायतें सामने आ रही हैं मै समझता हूँ ऐसी शिकायतें पहले भी रही हैं और इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिये गांव के व्यक्ति को गांव के विकास की बात करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। मैं समझता हूँ गांव के रहने वाले, इसमें हमारी भी शिकायतें हो सकती हैं आपकी भी शिकायत हो सकती है कि हमारे प्रतिनिधित्व का नैतिक पतन हो गया है। तो अपने चरित्र को ऊपर उठाते हुए गांव का विकास करना है सचरित्र के साथ ईमानदारी के साथ गांव का विकास हो। मैं ऐसा माननीय सदन के बीच में, माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि जितना भ्रष्टाचार इस ग्राम्य विकास में है इसमें मैं सरकार में रहते हुए इस मंत्रालय के कार्यभार को देखते हुए, मैं समर्पित भाव से इन धांधलियों को समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

(मेजें थपथपाई गई)

मैं आपका सहयोग चाहूंगा आप सहयोग करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं इसको ठीक करने का पूरा-पूरा प्रयास करुंगा। इसमें मैं रात-दिन लगकर काम करुंगा। आप हमें सूचनायें दीजिए मैं जांच कराऊंगा दोषी कर्मचारियों अधिकारियों को दण्डित कराऊंगा। तीन-चार महीने से यह सरकार बनी हैं मैंने भी तभी से इस मंत्रालय को संभाला है। हमारा बराबर प्रयास चल रहा है जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको ठीक किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। माननीय सदस्य बदन सिंह जी से अनुरोध करुंगा कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये। जो बजट गांव के विकास के लिए है यह सर्वसम्मति से पास हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

जगदम्बिका पाल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं?

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं बड़े धैर्यपूर्वक मंत्री जी को सुन रहा था और समझ रहा था ग्राम्य विकास विभाग की जो मूल भावना है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आर्थिक रूप से उन्नयन होना चाहिए उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कार्य किए जाएं इस संबंध में ग्राम्य विकास मंत्री जी स्पष्ट बतायें मैं जानना चाहता हूं कि इस ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको आर्थिक रूप से ऊपर उठाने में आप क्या कार्य कर रहे हैं? इस संबंध में मैंने एक प्रश्न भी लगाया था तो "जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता" यह उत्तर आ गया था, तो क्या प्रदेश सरकार की कोई नई नीति है जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको ऊपर उठाने की कोई योजना है? यदि है तो वह क्या है?

दूसरी बात जैसा यह कह रहे हैं तो केन्द्र की चीजों का उल्लेख न करते हुए कि पिछली जवाहर योजना चल रही है या एकीकृत योजना चल रही है यह सरकार दलितों की सरकार है गरीबों की सरकार है इस संबंध में उत्तर दिया गया कि मैं जबसे मंत्री बना हूँ मैं भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही करुंगा। इस विभाग के सचिव ईमानदार हैं आप भ्रष्ट अधिकारियों की बात कहते हैं तो यह बता दें। चार महीने इन्होंने मंत्रिमंडल में काम किया है.....

श्री हरवंश कपूर–

मैं ए० पी० सी० और आर० ई० एस० के निदेशक के बारे में मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री श्रीराम यादव–

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने के लिए चल रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

पुष्टाहार के लिए इनको जो मिलता है, वह बांट नहीं रहे हैं।

श्री श्रीराम यादव–

आप विस्तार में यदि उठायेंगे तो इस सम्बन्ध में मैं आपको अलग से बता सकता हूँ। अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया। आर० ई० एस० के निदेशक श्री सिद्दिकी को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी 3 जांचों में से 2 पूरी हो चुकी हैं। नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श की प्रतीक्षा है। एक जांचअभी चल रही है। इसमें इस तरह से कार्यवाही चल रही है। जहां तक ए० पी० सी० के बारे में अभी आपने कहा है। उनके बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जगदम्बिका पाल–

यह बड़े हैं कि मुख्य सचिव बड़े हैं?

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सरकार के महत्व का सवाल है, सरकार की सैक्रिटी का सवाल है। यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

किसी छोटे अधिकारी की जांच उससे बड़े अधिकारी से कराई जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के बारे में अपने को समर्पित करने की घोषणा की, इसके बारे में मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन एक सन्देह है। जिस सामूहिक व्यवस्था के आप अंग हैं, उस चट्टान को आप तोड़ देंगे, उसमें कितना सफल हो पायेंगे इसमें मुझे सन्देह है। मैं आपके साहस की सराहना करुंगा और परिणाम की प्रतीक्षा करुंगा। एक बात उल्लेखनीय है आपके आर० ई० एस० में अवर अभियन्ताओं की हड़ताल चल रही है। उनकी मांगें आपके सामने हैं। एक मांग यह है कि उन्हें दोहरी शासन व्यवस्था से मुक्त किया जाये। मैं उनकी इस मांग के समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि उनकी मांगों को देखते हुए आप हड़ताल को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी हड़ताल से काफी नुकसान हो रहा है। इस समय वहां के कार्य ठप्प हैं। प्राक्कलन नहीं बन रहे हैं। उनकी न्यायोचित मांगों पर विचार करने के लिए शासन ने कोई नीति बनाई है ? यदि बनाई है तो सदन के संज्ञान में लाने की कृपा करें।

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, जहां तक विकास खण्डों में काम करने वाले ग्रामीण अभियंत्रण के जे० ई० की हड़ताल का सवाल है, अभी कुछ दिन पहले उनका धरना चल रहा था। उनकी सारी सूचना जब मेरे पास आयी तो मैंने उनके नेताओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं सुनने के बाद मैंने कहा था कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या समझने के बाद, हल निकल सकता है। लेकिन ऐसा कोई अवसर उन्होंने नहीं दिया। इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत के माध्यम से न्यायोचित निर्णय लिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बदन सिंह जी क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है।

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं, बहुत स्पष्टीकरण हो गये हैं।

श्री बदन सिंह–

मुझे सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,64,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,90,90,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक, 18 अप्रैल, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल की जनपद सीतापुर के थाना मछरेहटा अन्तर्गत पुलिस जुल्म एवं अपमान से समाहित पूर्व सैनिक द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाना है। डा० रामबाबू हरित श्री छोटे लाल वर्मा एवं श्री योगेन्द्र कुमार सागर की सूचना, जो आगरा कालेज, आगरा के राजनीति शास्त्र के

प्रोफेसर द्वारा कथित रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ जातिसूचक अमानवीय व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है उसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया जाता है।

श्री अफजाल अंसारी की सूचना जो जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड, रेवतीपुर के ग्राम गोपालपुर में अनुसूचित जाति के लोगों हेतु आवंटित भूमि पर अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध हैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। श्री आचार्य जगदीश मुनि की सूचना भारतीय चिकित्सा परिषद् के पूर्व मुख्य लेख स्व० श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा एक पत्नी के जीवित रहते हुये दूसरी महिला से शादी करने और उसे अपना नामिनी नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। श्री सुन्दर लाल लोधी की सूचना जनपद उन्नाव में सिंचाई विभाग में शारदा नहर व सिंचाई खण्ड, उन्नाव के अधिकारियों द्वारा बगैर नहरों की सफाई कराये शासकीय धन का आहरण किये जाने के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। छठीं सूचना श्री रंगनाथ एवं श्री रमेश कान्त लवानियां की प्रदेश में जल निगम द्वारा जलकर बढ़ाये जाने के से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री रमेश कान्त लवानियां—

मान्यवर, जो सूचना में जल निगम कहा गया है, उसकी जगह पर जल संस्थान होना चाहिए, नहीं तो भ्रम पैदा हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी सूचना शासन को भेज दी गयी है।

सातवीं सूचना श्री अमरनाथ यादव की, वाराणसी नगर में श्रमजीवी पत्रकारों हेतु पत्रकार कालोनी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं)

जनपद फैजाबाद के थाना इनायत नगर के ग्राम पालिया लोहानी में अनुसूचित जाति के लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किये जाने के संबंध में
नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) –

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना इनायतनगर में.....

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[दिनांक 27-3-94 को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की तरफ से सवर्णों के विरुद्ध मु०अ०सं० 63/94 धारा 147/148/149/307 भा०द०वि व 27 आर्म्स ऐक्ट व (1) 1(10) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1987 का 20 नफर नामजद लल्लू सिंह आदि के विरुद्ध दर्ज किया गया जिसमें दिनांक 27-3-94 को ही अभियुक्त लल्लू सिंह उर्फ स्वयंभुवन सिंह, विजेन्द्र कुमार सिंह, नरेन्द्र बहादुर, महादेव व विजय बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा इनकी लाइसेन्सी बन्दूक भी थाने पर जमा करा दी गई थी। शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास व द०प्र०सं० की धारा 82/83 की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में सवर्णों द्वारा भी दिनांक 27-3-94 को मु०अ०सं० 63ए/94 धारा 395/397 भा०द०वि० का लल्लू सिंह उर्फ स्वयंभुवन सिंह द्वारा विशम्भर, राधे (अनु० जाति) आदि 86 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिसमें 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। विवेचना से दिनांक 5-4-94 को विवेचक द्वारा धारा 395/397 भा०द०वि० को प्रत्यावर्तित कर धारा 147/148/149/336/504/506 भा०द०वि० में निष्पक्ष विवेचना की जा रही है।

3—संदर्भित प्रकरण में दोनों पक्षों की तरफ से 14 व्यक्ति घायल हुए थे। यह घटना पूर्व नियोजित व संगठित योजनाबद्ध तरीके से नहीं की गई है बल्कि यह अप्रत्यासित रूप से हुई। मारपीट की घटना है। प्रकरण की विवेचना निष्पक्ष ढंग से करायी जा रही है। उक्त गांव में किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की पक्षपात पूर्ण कार्यवाही नहीं की जा रही है और न ही किसी प्रकार का तनाव व्याप्त है। शान्ति व्यवस्था व सुरक्षा की दृष्टि से एहतियाती तौर पर पुलिस दल तैनात किया गया है।]

* श्री मित्रसेन यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों पर होली के दिन सुनियोजित ढंग से हमला किया गया, जिसमें एक दर्जन अनुसूचित जाति के लोग घायल हो गये। दूसरी तरफ इस घटना के अपराधियों को बचाने के लिए और अपराध से बचने के लिए उन अनुसूचित जाति के 86 लोगों के विरुद्ध डकैती का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मान्यवर, 86 आदमी तो डकैती करने जा भी नहीं सकते थे। मान्यवर, इतनी झूठी रिपोर्ट वहां के अनुसूचित जाति के लोगों पर दर्ज करायी गयी है, यह अपराध से छूटने के लिए यह साजिश करके रिपोर्ट लिखाई गयी है। मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इसकी स्पष्ट जांच करा कर कार्यवाही करें और पुलिस के लोगों के खिलाफ, जिन लोगों का इसमें हाथ है, उन पर भी कार्यवाही की जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्रीमन् मैं एडिशनल डी०जी०, ला एण्ड आर्डर को भेज कर इसकी जांच करा लूंगा।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में राजकीय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस निरोधक भत्ता न दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)—

वेतन समिति 1987 की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरान्त.....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री बलराम यादव –

मंत्रि परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के संबंध में वेतन समिति की संस्तुतियों को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया था कि यह भत्ता एलोपैथिक चिकित्सकों को जिन्हें इस समय मिल रहा हो, को दिया जाय तथा वेतन और भत्ते का योग रुपया 6,500 से अधिक न हो। इस विषय पर लिया गया निर्णय संकल्प जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की सुविधा का विस्तार अन्य पद्धति के चिकित्सकों (आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी) को नहीं किया जायेगा। आयुर्वेदिक/यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस करने की छूट दे दी जाय।

वेतन समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरान्त मंत्रि परिषद् द्वारा चूंकि यह निर्णय लिया जा चुका है कि आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने की छूट दे दी जाय, अतः मंत्रि परिषद् के इस निर्णय के बाद प्रश्नगत चिकित्सकों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिये जाने और उनके द्वारा की जाने वाली प्रैक्टिस को प्रतिबन्धित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सालयों में रोगियों को भर्ती करके चिकित्सा करने की सुविधा और चिकित्सकों को चिकित्सालयों के आस-पास आवास दिये गये है क्योंकि 24 घण्टे के अन्दर कभी भी उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी कारण उनके प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और उन्हें नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स स्वीकृत किया गया है, ताकि अन्तः रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एलोपैथिक चिकित्सकों की सेवायें इमरजेंसी सेवाओं के अन्तर्गत आती हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत चिकित्सकों की सेवायें इमरजेंसी नेचर (आपात कालीन स्वभाव) की नहीं है। इस दृष्टिकोण से प्रश्नगत चिकित्सकों की प्रैक्टिस पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और न लगाये जाने का औचित्य ही है।

इन प्रश्नगत चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिये जाने पर लगभग 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष का वित्तीय व्यय-भार निहित होगा, जो वर्तमान आर्थिक संकट के दौरान कदाचित राज्य सरकार के लिए वहन करना कठिन होगा।

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त परिप्रेक्ष्य में शासनादेश दिनांक 11 मार्च, 1991 द्वारा इन चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट दी गयी है। अतः अब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्साधिकारियों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाते हुए इन्हें अब नान प्रैक्टिसिंग भत्ता एवं ग्रामीण भत्ता दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इनके द्वारा उक्त भत्ता के निमित्त माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें दाखिल की गयी हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं।]

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि एलोपैथिक में नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स जो है, उसमें कितना धन लग रहा है, इनको देने में क्या कठिनाई है?

श्री बलराम यादव—

मान्यवर, इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की पूरी छूट दे रखी है, तो नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता देने का इन्हें कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। मान्यवर, एलोपैथिक डाक्टरों के नान-प्रैक्टिसिंग भत्ते की जहां तक बात है, उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम योजना के अंतर्गत पत्रकारों के लिये कालोनी बनाये जाने के संबंध में नियम-51 के अंतर्गत वक्तव्य

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)—

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीपुरम योजना के अंतर्गत पत्रकारों के लिए कालोनी बनाये जाने के संबंध में डा० राम बाबू हरित, विधायक ने नियम 51 के अंतर्गत सूचना दी है।

डा० राम बाबू हरित— इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

[..... कि उक्त योजना के तहत 300 से ज्यादा पंजीकरण हुये हैं। शासन की तरफ से 40% अनुदान पत्रकारों के लिये दिलाये जाने की बात कही गयी थी, किन्तु अब तक न तो अनुदान की स्वीकृति हुई है और न ही मकान मिल सका है। विकास प्राधिकरण द्वारा इस मामले में कभी पत्रकारों को सही जबाब नहीं दिया जाता है। मा० विधायक का कथन है कि अब यह जमीन पत्रकारों को विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार मूल्य से भी अधिक मूल्य पर देने की पेशकश की जा रही है। प्राधिकरण के कारण बहुत पत्रकारों ने अपना पंजीकरण रद्द करवा लिया है और काफी धनाभाव के कारण रद्द कराने के लिये तैयार हैं। मा० विधायक के अनुसार प्रदेश के विकास

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राधिकरण अब विनाश प्राधिकरण बन गये हैं तथा इनका मात्र कार्य एक व्यवसायी संस्था के रूप में कार्य करना है, इसमें आगरा विकास प्राधिकरण एक अहम् भूमिका अदा कर रहा है।

2—मा० सदस्य के उक्त सूचना पर उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण की आख्या मांगी गयी। उपाध्यक्ष ने यह अवगत कराया है कि दिसम्बर, 1986 में मुख्य मंत्री जी के आगरा आगमन पर पत्रकारों के लिये आवासीय योजना शीघ्र ही बनाने की घोषणा की गयी थी। इसी घोषणा के तहत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13-3-87 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा अपनी एक सहकारी गृह निर्माण समिति बना ली जाय, और अपनी आवश्यकता प्राधिकरण को सूचित करे तो उन्हें भूमि/भवन देने पर विचार कर लिया जाय। प्राधिकरण के इस निर्णय से पत्रकारों को अवगत करा दिया गया था।

3—आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रकारों को शास्त्रीपुरम योजना में भवन/भूखण्ड देने के लिये दिनांक 16-5-90 से 31-7-90 तक पंजीकरण खोला गया था। इस अवधि में भवनों के 71 व भूखण्डों के लिये 91 पत्रकारों ने पंजीकरण कराया था। प्राधिकरण स्तर पर इन प्रार्थना-पत्रों का परीक्षण करके मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची तैयार करने हेतु पत्रकारों के प्रतिनिधियों तथा प्राधिकरण के सचिव के साथ दो-तीन बैठकें हुई थीं किन्तु सभी प्रार्थना-पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण न हो पाने के कारण सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था।

4—पत्रकारों का पंजीकरण सन् 1990 में कराया गया था और सन् 1993 में शास्त्रीपुरम योजना की वर्तमान कीमत अधिक हो गयी थी इसलिये इनका प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-5-93 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पत्रकारों को भूखण्ड/भवन की पंजीकरण के समय आंकलित की गयी अनुमानित कीमत पर आरक्षित/आवंटित किये जायें और पंजीकरण की तिथि को ही आधार मानकर वास्तविक कीमत आंकलित होने पर मूल्य का अन्तर भी वसूला जाय। इस पर आवेदक पत्रकारों से सहमति मांगी गयी थी जिसमें से अब तक भवनों के पंजीकृत व्यक्तियों में से 18 लोगों की सहमति प्राप्त हुई है, जिनके लिये आरक्षण/आवंटन की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर की जा रही है। अन्य 13 आवेदकों ने अपनी जमा धनराशि वापिस ले ली है तथा भूखण्ड के तीन आवेदकों ने भी अपनी जमा धनराशि वापिस ले ली है। इस प्रकार अब केवल भवन के लिये 58 व भूखण्ड के लिये 88 आवेदक शेष हैं।

5—उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण ने कहा है कि यह कहना न्यायोचित न होगा कि विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पत्रकारों को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ बैठकें आहूत कर पत्रकार कालोनी के संबंध में आवश्यक सूचना पत्रकारों को दी है। यह कहना भी न्याय संगत नहीं है कि भूखण्ड/भवन बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर दिये जा रहे हैं क्योंकि प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों से भूखण्ड/भवनों की पंजीकरण के समय आंकलित की गयी अनुमानित कीमत पर

आरक्षण/आवंटन किये जांय और पंजीकरण की तिथि को ही आधार मानकर वास्तविक कीमत आकंलित होने पर मूल्य का अन्तर भी वसूला जाय।]

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 40 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की थी वह क्यों नहीं दिया गया है ? क्या भविष्य में यह अनुदान शीघ्र दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब पढ़ा हुआ मान लेने की कृपा की थी तब फिर प्रश्न करने की कृपा क्यों की ?

मैं प्रश्न का उत्तर दिये देता हूँ यह जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी उसके बाद प्लान तैयार हुआ और उस पर काम भी शुरु हो गया लेकिन जो मानक बनाया गया था उसके हिसाब से पूरी अप्लीकेशन आनी थीं वह नहीं आई तो जब तक पूरी अप्लीकेशन न आये तब तक उस हद तक यह स्कीम कम्पलीट नहीं होती ।

जनपद हरदोई में सैकड़ों भवन विहीन जूनियर हाई स्कूल होने के कारण स्कूलों का सामान सुरक्षित न रहने तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय विश्राम सिंह यादव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हरदोई जनपद में सैकड़ों जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन हैं जिसके कारण इन स्कूलों का सरकारी सामान सुरक्षित रूप से रखा नहीं जा सकता है ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती है । अध्यापकों को पढ़ाई करने में असुविधा होती है । मा० सदस्य द्वारा इन समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की गई है ।।

नोटः ।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के भवन विहीन जूनियर हाई स्कूल भवनों के संबंध में जो सूचना मा० सदस्य के माध्यम से प्राप्त हुई जिसके विषय में संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ० प्र० लखनऊ एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई से आख्या प्राप्त की गई । प्राप्त आख्या से विदित हुआ है कि जनपद हरदोई बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 66 जूनियर हाई स्कूल भवन विहीन हैं। इसमें से 18 विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 1989-90 में रुपये 1,25,600/= प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत दी गई थी, भवन निर्माण इकाई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्माण की धनराशि कम होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया क्योंकि जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण की वर्तमान दर रुपये 1,80,000 प्रति विद्यालय निर्धारित है । जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा रुपये 54,400 प्रति विद्यालय की दर से जवाहर रोजगार योजना से धन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, इनमें से 5 ग्रामों में जवाहर रोजगार योजना रुपये 54,400 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि युगपित कर कार्ब प्रारम्भ कर दिया गया है । शेष 13 विद्यालयों के लिए पूर्व की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के पी०एल०ए० में सुरक्षित है। इन 13 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु जवाहर रोजगार योजना से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा कार्यवाही की जा रही है । शेष 48 विद्यालयों के भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही सुनिश्चित किया जायेगा । जिन विद्यालयों के पास अभी तक अपने निजी भवन उपलब्ध नहीं हैं , उनका संचालन सामुदायिक सहयोग से अथवा उपलब्ध प्राइमरी स्कूल भवनों में किया जा रहा है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण की अनुमति दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पूर्वाह्न पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

18 अप्रैल, 1994

नत्थी 'क'

(देखिये अता०प्र०सं० 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम का प्रारूप

क्र०-सं०	सृजित पदों के नाम	वेतनमान	मौलिक शैक्षिक योग्यताएं
1	वित्तीय परामर्शदाता	5100-6150	सी०ए०/आई०सी० डब्ल्यू० ए० साथ में 9 वर्षों का अनुभव ।
2	लेखा नियन्त्रक	4100-5300	सी०ए०/आई०सी० डब्ल्यू० ए० साथ में 6 वर्षों का अनुभव ।
3	सहायक लेखा नियंत्रक	3700-5000	सी०ए०/आई०सी० डब्ल्यू० ए० साथ में 3 वर्षों का अनुभव ।
4	वरिष्ठ लेखाधिकारी	3100-4750	अभी मौलिक शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है ।
5	लेखाधिकारी/आन्तरिक सम्प्रेक्षक अधिकारी	3100-4500	सी०ए०/आई०सी० डब्ल्यू० ए०
6	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2200-4000	इण्टरमीडिएट, सी०ए०/आई० सी० डब्ल्यू० ए० साथ में 1 वर्ष का अनुभव .
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2000-3200	एम० काम० साथ में 8 वर्षों का अनुभव
8	लेखाकार	2000-3200	बी०काम० तथा साथ में 7 वर्षों का अनुभव अथवा एम०काम० साथ में 5 वर्षों का अनुभव ।
9	सहायक लेखाकार	1350-2200	बी०काम० साथ में 3 वर्षों का अनुभव ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम का प्रारूप

क्र०-सं०	सृजित पदों के नाम	वेतनमान	मौलिक शैक्षिक योग्यताएं
1	वित्तीय सलाहकार-कम-मुख्य लेखाधिकारी	5100-6150	सी०ए०/आई०सी० डब्ल्यू० ए०।
2	लेखा नियन्त्रक	4100-5300	सी०ए०/आई०सी० डब्ल्यू० ए०।
3	प्रबंधक (वित्त)/चीफ आडिट आफिसर	3700-5000	सी०ए०/आई०सी०डब्ल्यू० ए०।
4	वरिष्ठ लेखाधिकारी	3100-4000	सी०ए०/आई०सी०डब्ल्यू०ए०।
5	लेखाधिकारी	2200-4000	इण्टरमीडिएट/ सी०ए०/आई०सी० डब्ल्यू०ए०।
6	सहायक लेखाधिकारी	2000-3200	इण्टरमीडिएट, सी०ए०/आई० सी० डब्ल्यू०ए०।
7	वरिष्ठ लेखाकार	1940-2900	बी०काम०/एम० काम०।
8	लेखाकार	1400-2300	बी०काम०/एम०काम०।
9	सहायक लेखाकार	1350-2200	बी०काम०/एम०काम० एडवांस एकाउटेंसी।
10	लेखा लिपिक	1025-1720	बी०काम०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या–137 का संलग्नक

क्रम–सं०	मशीन	कुल सं०	पी०ओ०एल० पर व्यय	मरम्मत पर व्यय	योग	कार्य के घन्टे/कि०मी०
1	रोलर	5 नं०	1,21,747.00	74,295.00	1,96,042.00	3816 घण्टे
2	ट्रैक्टर	3 नं०	34,016.00	19,229.00	53,245.00	1127 घण्टे
3	ट्रक	1 नं०	24,297.00	20,732.00	45,029.00	14748 कि०मी०
4	टिपर	1 नं०	9,530.00	...	9,530.00	4777 कि०मी०
5	जीप	2 नं०	32,130.00	9,583.00	41,713.00	28,080 कि०मी०
6	मिक्साल	1 नं०	...	...	...	...
7	मिक्सर	...	...	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता०प्र०सं० 161 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 83 पर)

लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त राजकीय निर्माण निगम में संविलियत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना संलग्नक

क्रम-सं०	नाम	संविलियन आदेश की तिथि	मूल विभाग	निगम में पदनाम	मूल विभाग में वेतनमान	निगम में वेतनमान	पेंशन प्राप्त हो रही है अथवा नहीं	टिप्पणी
1	श्री रामनाथ मेहरोत्रा	23.8.89	सिंचाई विभाग, उ०प्र०	वरि०परि०प्रबंधक (सि)	3700-5000	4100-5300	अभी आहरित नहीं की जा रही है।	
2	श्री अविनाश चन्द्रा	18.4.88	उ०प्र० जल निगम	वरि०परि०प्रबंधक (सि)	3100-4500	4100-5300	प्राप्त हो रही है।	
3	श्री रामशंकर द्विवेदी	4.5.89	भारत के महा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक	वरिष्ठ लेखाधिकारी	840-1200	3100-4500	नहीं प्राप्त हो रही है।	
4	श्री एस०आर० त्रिपाठी	13.3.86	सचिवालय सेवायें	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	450-950	अभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं (2200-4000)	प्राप्त नहीं हो रही।	
5	श्री मणिकान्त जैन	20.4.88	खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग	लेखाकार	570-1100	2000-3200	प्राप्त हो रही है।	
6	श्री कौशल किशोर	3.11.82	गन्ना आयुक्त कार्यालय	सहायक स्थानिक अभियन्ता	300-500	2200-4000	नहीं प्राप्त हो रही है।	
7	श्री अजय पाल त्यागी	31.8.84	सहकारी विधायन शीतगृह लि०	विधि सहायक	230-385	1400-2600	नहीं प्राप्त हो रही है।	
8	श्री आर०के० गोयल	17.8.92	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्	अपर परि० प्रबंधक (सिविल)	900-1770	3100-4750	पेंशन लागू नहीं है।	

प्रति देखा विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता०प्र०सं० 162 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 83 पर)

कार्यकारी मैनुअल के पैरा संख्या–246 के अनुसार इकाई पर तैनात उप-अभियंताओं के उत्तरदायित्व

उप-अभियंताओं के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नवत् हैं :–

1—कार्यस्थल पर सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक, रात्रि में कार्य होने की स्थिति में तथा जब तक लेबर कार्य करते रहे उपस्थित रहना है। जब लेबर रविवार या अवकाश के दिन कार्य करते हैं उस स्थिति में उप-अभियंता का रहना आवश्यक है।

2—यह भी सुनिश्चित करना है कि कार्य ड्राइंग के अनुसार हो रहा है। उसे साइट पर ही उपस्थित रहना है न कि अपने कार्यालय कक्ष में, केवल बिल बनाने को छोड़कर।

3—यह भी सुनिश्चित करना है कि कार्य विशिष्टियों के अनुसार तथा गुणवत्ता मानक के अनुरूप हो रहा है। जिस तरह का नमूना इकाई प्रभारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। उसी तरह की गुणवत्ता होनी चाहिये। इसके लिये उसके पास लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियां उसके पास होनी चाहिए, यदि उसके पास उपलब्ध न हो तो उसे इकाई प्रभारी से मांगनी चाहिये यदि वह ऐसा नहीं करता तो कार्य की गुणवत्ता में कमी आने पर कोई माफी नहीं मिलेगी।

4—साइट पर रखी सामग्रियों की भौतिक जिम्मेदारी उप-अभियंता की है वह उसे अपने रजिस्टर में अंकित करेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में शेष सामग्री की मात्रा अंकित करेगा।

5—यह भी उत्तरदायित्व है कि वह सामग्री को पी०आर०डब्ल्यू० की आवश्यकता उसे उपलब्ध कराये तथा सामग्री की बरबादी या चोरी न होने पाये। इसके लिये उप अभियंता क्या नियंत्रण कर रहा है यह उसी पर निर्भर है जब तक कि नियंत्रण ठीक चल रहा है।

6—जिस इकाई पर स्टोर कीपर उपलब्ध नहीं है उस स्थान पर इकाई प्रभारी उप-अभियन्ता को निर्देशित कर सकता है कि वह सम्पूर्ण सामग्री को अपने नियंत्रण में रखे।

7—पी०आर०डब्ल्यू० द्वारा किये गये कार्य, प्राप्त सामग्रियों को माप पुस्तिका में अंकित करेगा तथा सामग्रियों को ग्रहण करेगा तथा कार्य एवं सामग्री का समुचित लेखा जोखा भी रखेगा।

8—यदि कार्य निविदा का है उस स्थिति में सहायक स्थानिक/स्थानिक अभियंता की मदद से बिल का बनाना।

9—लेखा विभाग से तालमेल रखते हुए उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को दूर करना भी उसके उत्तरदायित्व में सम्मिलित है।

10—मुख्य-मुख्य सामग्रियों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करना व भौतिक सत्यापन के परिणाम एम०ए०एस०/स्टाक रजिस्टर में अंकित करना।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता०प्र०सं० 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

चोरी

पैरा : 676

अगर कोई सामग्री, उपकरण इत्यादि की हानि चोरी के कारण होती है, इस हानि की सूचना हानि के पता लगने के 24 घण्टे के अंदर पुलिस थाने में उस व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसके द्वारा हानि का पता लगाया गया हो। यह आशा की जाती है कि सामान्यतया इस प्रकार की हानि का पता भण्डारनायक/प्रभारी उप-अभियंता द्वारा लगाया जायेगा। इस प्रकार की हानि की सूचना इकाई प्रभारी द्वारा तत्काल महाप्रबंधक एवं लेखा नियंत्रक-को दी जायेगी।

पैरा : 677

इस प्रकार की हानि के लिये इकाई प्रभारी तुरन्त एक प्राथमिक जांच समिति गठित करेंगे जिसमें वे स्वयं होंगे तथा इकाई पर कार्यरत लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम व्यक्ति होगा एवं महत्वपूर्ण मामलों में जांच समिति में स्थानिक अभियंता या सहायक स्थानिक अभियंता को भी सम्मिलित किया जा सकता है। प्राथमिक जांच समिति घटना स्थल का निरीक्षण करे, उपरोक्त से संबंधित समस्त व्यक्तियों तथा पड़ोसी व्यक्ति जो निगम से संबंधित न हों से प्रश्न पूछें एवं पता लगाने की कोशिश करें कि हानि किस प्रकार हुई तथा अनुमान लगायें कि यह हानि क्या किसी की लापरवाही के कारण हुई। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा दिये आवश्यक प्रमाण लिखित रूप में हों तथा प्रमाण देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर संबंधित स्टेटमेंट पर लेबर जांच समिति सत्यापित करे। जांच समिति की रिपोर्ट हानि के कारणों को निकाले और बताये कि क्या निगम का कोई व्यक्ति इस हानि के लिये उत्तरदायी है। जांच आख्या में यह भी निर्दिष्ट होना चाहिए कि क्या कोई वसूली की जानी है, यदि ऐसा है तो किससे और कितनी हानि का परिणाम जांच आख्या में स्पष्ट रूप से अनुमानित होना चाहिए।

पैरा : 678

प्राथमिक जांच समिति की रिपोर्ट का महाप्रबंधक द्वारा ध्यानपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए, अगर आवश्यक हो तो उन्हें स्वयं घटना स्थल पर जाना चाहिए अथवा वे किसी स्वतंत्र अधिकारी को भी उस स्थल पर जाने का निर्देश दे सकते हैं और जांच रिपोर्ट का परीक्षण करें। अगर महाप्रबन्धक के अनुसार जांच पूरी नहीं है या कमी प्रदर्शित होती है तो उस जांच रिपोर्ट को पूर्ण निर्देशों के साथ कि कैसे की जाय पुनः जांच हेतु वापस कर देनी चाहिए। परीक्षणोपरांत वे जांच रिपोर्ट को अपनी संस्तुति के साथ कि वसूली की जांच का राइट आफ किया जाय जैसा उचित समझें, प्रबन्ध निदेशक को अग्रसारित कर दें।

पैरा : 679

मुख्यालय में लेखानियंत्रक इसका परीक्षण करेंगे तथा सक्षम अधिकारी से हानि की वसूली या सर्वे रिपोर्ट के आदेश करवायेंगे और इसकी प्रति संबंधित इकाई प्रभारी एवं महाप्रबन्धक को

भेज देंगे। महत्वपूर्ण हानि तथा भारी हानि के मामलों में प्रबंध निदेशक दूसरी जांच भी करवा सकते हैं जिसके लिये वे उच्च अधिकारियों की एक समिति गठित करेंगे जिसमें लेखानुभाग का व्यक्ति भी हो। विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही लेखा नियंत्रक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जायेगी।

पैरा : 680

अगर सक्षम अधिकारी का निर्णय वसूली हो तो सजा देने वाला अधिकारी (प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत) संबंधित व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस देगा और उनके प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, वह अपने निर्णय के साथ उसे मुख्यालय के कार्मिक विभाग को भेज देगा। अगर इकाई प्रभारी सीधे ही वसूली के आदेश जारी करने के लिये अधिकृत हैं, वह अपने स्तर से आदेश जारी कर सकता है।

पैरा : 681

अगर मुख्यालय द्वारा हानि को राइट आफ करना स्वीकृत किया जाता है इकाई प्रभारी फार्म–40 पर राइट आफ करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सक्षम अधिकारी, जो अधिकृत हो, को भेज देगा। यह फार्म इकाई के लेखानुभाग में सक्षम अधिकारी को स्वीकृत के पश्चात् समायोजन को अंकित करने के लिए रखा जायेगा।

पैरा : 682

चोरी की हानि को राइट आफ करने के आदेश से पहले पुलिस से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिये, और राइट आफ का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब पुलिस चोरी गये सामान का पता न लगा पाये। अगर प्राथमिक सूचना के आधार .....

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 174 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

फरवरी–1991 में ज्येष्ठता निर्धारण समिति की संस्तुतियां

1—निर्माण निगम की सेवा नियमावली विधिवत् निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत है तथा इसका अनुसरण होना चाहिए।

2—जहां कहीं भी कोई विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो वहां प्रबन्ध निदेशक, निदेशक मण्डल से ऐसी स्थिति को स्पष्ट कराया जा सकता है।

3—सभी संवर्गों अर्थात् सिविल, विद्युत्, मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल आदि में प्रोन्नति उसे संवर्ग की कार्य की आवश्यकता को देखकर ही अलग-अलग की जानी चाहिए (सेवा नियमावली के नियम संख्या–17 में प्रोन्नति के लिये स्पष्ट है कि वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का आंकलन किया जायेगा। यदि इस प्रकार प्रोन्नति की जाय तो वर्ष भर प्रोन्नति के मामले न चलते रहें और प्रबन्ध तंत्र को क्रियेटिव कार्य करने का पूरा मौका मिले।

4—प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी ने जो सेवाकाल उस पद पर निर्माण निगम में किया है उसकी अर्हता का आधार माना जाय।

5—जो लोग सेवा स्थानान्तरण से आये है उनकी विश्वविद्यालय में की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए था क्योंकि ये अनुबन्ध के अन्तर्गत आये थे उनको दिये गये कार्यालय आदेश से सही स्थिति स्पष्ट है।

पी० एस० यू०पी० 90 विधान सभा—1994—(137)—813—कम्प्युटर/आफसेट।